लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 51 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. LI Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

पंचम माला, खंड 51, अंक 40, शुक्रवार, 25 अप्रैल, 1975/5 वैशाख, 1897 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

के

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

का

शुद्धि पत्र

पृष्ठ 149, नीचे से पंक्ति 8 159वां तथा 147वां और 161वां प्रतिवेदन के स्थान पर '159वां तथा 147वां और 160वां प्रतिवेदन पढ़िए।

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 40—शुक्रवार, 25 अप्रैल, 1975/5 वैशाख, 1897 (शक)
No. 40—Friday, April 25, 1975/ Vaisakha 5, 1897 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL	ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या : 776, 777, 779, 780 और 782	*Starred Question Nos. 776, 777, 779, 780 and 782	1–15
श्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN	ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या : 771 से 775, 778, 781 और 783 से 790	Starred Question Nos. 771 to 775, 778, 781 and 783 to 790	15–23
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7478 से 7498, 7500 से 7594, 7596 से 7620 और 7622 से 7677	Unstarred Question Nos. 7478 to 7498, 7500 to 7594, 7596 to 7620 and 7622 to 7677	23–148
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	148–149
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति— 63 वां और 64 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत किया गया	Committee on Public Undertakings— Sixty-third and Sixty-fourth Reports & Minutes *presented*	149
लोक लेखा समिति— 147 वां, 159 वां और 160 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Public Accounts Committee— Hundred and forty-seventh, Hundred and fifty-ninth & Hundred and sixtieth Reports *presented*	149–150
सभा का कार्य—	Business of the House—	150–155
श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah .	150
सदस्यों की गिरफ्तारी और रिहाई	Arrest and Release of Members	155–156

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

A—17 LSS/75

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अनुदानों की मांग–1975-76—	Demands for Grants, 1975-76—	
वाणिज्य मंत्रालय—	Ministry of Commerce—	156–170
श्री के० एम० 'मधुकर'	Shri K. M. 'Madhukar'	156
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	157
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	157–158
श्री धामनकर	Shri Dhamankar	158–159
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	159–160
श्री वनमाली पटनायक	Shri Banmali Patnaik	160–161
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	161–162
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	162
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	162–163
श्री चिरंजीव झा	Shri Chiranjib Jha	163
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	164
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhyaya	164–170
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolution—	
55वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Fifty-fifth Report—*Presented*	170–171
महिलाओं के प्रति आर्थिक और सामाजिक अन्याय के निराकरण के लिए कदम उठाना—	Resolutions Re. Measures to remove economic and social injustices to women	171–185
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	171–172
श्रीमती रोजा देशपांडे	Shrimati Roza Deshpande	172
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvati Krishnan	172–173
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam	173–174
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga	174–175
श्रीमती एम० गाडफ्रे	Shrimati M. Godfrey	175
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunath Reddy	176
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	176
डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी	Dr. (Smt.) Sarojini Mahishi	176–177

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan	178
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	179-180
श्री श्यामसुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	180
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	180-181
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	181
श्रीमती शीला कौल	Shrimati Sheila Kaul	181
श्री अरविन्द नेताम	Shri Arvind Netam	182-183
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	183-184
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने सम्बन्धी जांच आयोग के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प—	Resolution Re. Report of Commission of Inquiry into Disappearance of Netaji Subhas Chandra Bose—	
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	185

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 25 अप्रैल, 1975/5 वैशाख, 1897 (शक)
Friday, April 25, 1975/Vaisakha 5, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत का कनाडा को निर्यात

***776. श्री एन० ई० होरो :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के अनेक प्रकार के गैर-परम्परागत उत्पादों में कनाडा के आयातकर्ताओं को बढ़ती हुई रूचि के संकेत मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973–74 के दौरान कनाडा को भारत के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई और निर्यात होनेवाली वस्तुओं के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

कनाडा को भारत के निर्यात

(मूल्य '000 रु० में)

वस्तुएं	1972–73	1973–74	वृद्धि की राशि
परम्परागत			
पटसन निर्मित माल (कालीन अस्तर को छोड़कर) . .	44,659	45,145	486
मसाले	11,739	15,119	3,380
चाय, काली तथा हरी (वेस्ट को मिलाकर)	18,396	18,012	. .
काफी	5,853	12,132	6,279
अपरिष्कृत वनस्पति सामग्री जिसका अन्यत्र उल्लेख न हो . . .	2,949	3,328	379
मछली वायुरुद्ध डिब्बों में, जिनका अन्यत्र उल्लेख न हो तथा मछली उत्पाद चाहे वायुरूद्ध डिब्बों में बन्द हों या न हों (क्रस्टेशिया तथा मोलस्क शामिल हैं) . .	686	761	75
काजूगिरी . .	69,370	37,777	. .
मोती, मूल्यवान तथा अर्ध-मूल्यवान रत्न .	1,309	2,341	1,032
चमड़ा . . .	1,064	1,131	67
कच्चे खनिज पदार्थ जिनका अन्यत्र उल्लेख न हो।	371	258	. .
लोहा तथा इस्पात . . .	422	1,559	1,137
अन्य वस्तुएं	6,330	11,640	5,310
योग .	1,63,148	1,49,203	. .
अपरम्परागत			
पटसन कालीन अस्तर . . .	49,905	41,950	. .
फल, ताजे तथा गिरियां (ताजी अथवा सूखी तेल गिरि तथा काजू गिरि को छोड़ कर)	1,774	1,552	

वस्तुएं	1972–73	1973–74	वृद्धि की राशि
फर्श बिछावन, टेपस्ट्री आदि सूती के अलावा	14,022	21,540	7,518
सूती माल (यार्न थ्रेड तथा कपड़े को छोड़कर)	17,885	31,141	13,256
टैक्सटाईल फैब्रिक्स, बुने, सूती तथा पटसन वस्त्रों के अलावा (तंग तथा विशिष्ट फैब्रिक्स शामिल नहीं हैं) . . .	11,191	13,094	1,903
कलात्मक वस्तुएं, संग्रहणीय वस्तुएं तथा प्राचीन कलात्मक वस्तुएं . . .	5,640	7,313	1,673
जूते	5,431	10,055	4,624
धातु निर्मित माल जिसका अन्यत्र उल्लेख न हो . . .	2,810	5,709	2,899
वस्त्र (सिले–सिलाये परिधान)	5,855	17,393	11,538
यात्रा की वस्तुएं, हैण्ड बैग तथा उसी प्रकार की वस्तुएं . . .	770	3,493	2,723
अकार्बनिक रसायन . . .	180	2,123	1,943
परिवहन उपस्कर . . .	296	662	366
मशीनें, यंत्र तथा उपकरण (बिजली के के तथा बिजली से भिन्न) .	1,686	1,477	..
बच्चा गाडियां, खेल खिलौने तथा खेलकूद का सामान	913	700	...
योग	1,18,358	1,58,202	..
महायोग .	2,81,506	3,07,405	..

श्री एन० ई० होरो : विवरण देखने से पता चलता है कि गैर-परम्परागत वस्तुओं में कुछ सुधार हुआ है । परन्तु मैं जानना चाहता हूँ कि कनाडा को लाख के निर्यात के लिये कोई प्रयास नहीं करने के क्या कारण हैं ? हमारे विदेश व्यापार की यह एक मुख्य वस्तु थी और एक समय था जब हम इसके एकमात्र निर्यातक थे, और अब थाईलड हमारा प्रतियोगी बन गया है । कनाडा को लाख का निर्यात करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि कनाडा लाख चाहता है, तो निश्चय ही हम उसका निर्यात करेंगे ऐसी बात नहीं है कि हम इसका निर्यात नहीं करना चाहते ।

श्री एन० ई० होरो : आपको उस देश में इसकी मांग पैदा करनी होगी । आप इस बारे में क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी, हां ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I find from the statement that export of certain items has declined with the imposition of duty by Government resolutions in fall of ourforeign exchange earnings. Will you give them some relief with a view to increase our exports and foreign exchange earnings ?

Shri Vishwanath Pratap Singh : There is no proposal to grant any concession to Canada separately. If any concession is to be given it will be for all the countries. You will find from the statement that our exports have registered an increase Some items have gone up by 160 percent. There was an increase of 269 per cent in iron and steel, 79 per cent in Jewels and Stones, 353 per cent in travel goods (hand bags, etc.), 197 per cent in readymade garments.

श्री बी० वी० नायक : काजू गिरि को छोड कर, जिसका निर्यात लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक कम हुआ है, लगभग सभी वस्तुओं का निर्यात बढ़ा है । 1972–73 में काजू गिरि का निर्यात 6.90 और 7 करोड़ के बीच था और 1973–74 में यह मुश्कील से 2.70 करोड था । इसके क्या कारण हैं और विदेशी मुद्रा मिलानेवाली इस महत्वपूर्ण वस्तु के निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कनाडा को काजू का निर्यात कम हुआ है । अमरिका और कनाडा में काजू की कुल खपत में कमी आई है और वे ब्राजील से भी माल ले रहे हैं ।

श्रीमती एम० गोडफ्रे : पहले वर्ष की तुलना में गत वर्ष चाय के निर्यात में गिरावट आई है । ईसके क्या कारण हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : चाय के निर्यात में कोई विशेष कमी नहीं हुई है क्योंकि 1972–73 में 1,83,000 का निर्यात हुआ था और 1973–74 में 1,80,000 का केवल 3,000 का मामूली सा अन्तर हुआ है । इसे चाय के निर्यात की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में देखना चाहिये, जो जहां तक भारत का संबंध है मात्रा की दृष्टि से एक निश्चित स्तर पर रहा है ।

लौह अयस्क निर्यातकर्ता देशों की जनेवा में हुई बैठक

+

*777. **श्री धामनकर :**

श्री भान सिंह भौरा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क निर्यातकर्ता देशों की 2 अप्रैल, 1975 को जनेवा में बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया तथा उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) इस बैठक में, जिसमें कि 14 लौह अयस्क निर्यातकर्ता देशों ने भाग लिया था, लौह अयस्क निर्यातकर्ता देशों का एसोसिएशन स्थापित करने के लिए एक करार के पाठ का अनुमोदन किया गया। अब यह करार भाग लेनेवाले देशों के अधिकार-प्राप्त प्रतिनिधियो द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के लिए नई दिल्ली में खुला रहेगा और सात देशों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के तीस दिन बाद प्रभावी हो जाएगा ।

श्री धामनकर : मंत्री महोदय ने कहा कि चौदह राष्ट्रों की बैठक हुई और उन्होंने एक संगठन बनाने का निर्णय किया। यह एक अच्छी बात है क्योंकी इस हमें अपनी इच्छानुसार मूल्य का लाभ होगा। आयातकर्ता देशों के साथ भावी करारो के बारे में तथा करारों में वृद्धि खण्ड रखने के बारे में सम्मेलन में क्या चर्चा हुई ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इन सभी बातो पर सविस्तार विचार हूआ और कुछ निर्णय किये गये : एक मुख्य निष्कर्ष यह था कि विभिन्न सदस्य देशों की राष्ट्रिय नीतियो में समन्वय हो। दूसरी मुख्य बात सदस्य देशों की नितियों में उत्तरोत्तर सामंजस्य हो। संगठन के बन जाने पर लौह अयस्क और उसके अर्धपरिष्कृत उत्पादों के स्थिर, सम्यक और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के भी प्रयास किये जा रहे ह। इस प्रकार इन सभी बातों पर विचार किया गया और निर्णय किये गये। लेकिन सम्बन्धित सरकारों द्वारा अन्तिम रुप से अनुसमर्थन की प्रतीक्षा है। इसके पश्चात अधिकार प्राप्त प्रतिनिधियों द्वारा करार पर हस्ताक्षर किये जायेंगे ।

श्री धामनकर : क्या इस बात पर भी चर्चा हुई कि नौवहन की लागत कम करने और बचत के लिये लौह अयस्क के स्थान पर लौह पिण्डों का निर्यात किया जाना चाहिये ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : करार के उपबन्धों तथा प्रस्तावित संगठन के कार्यक्षेत्र में अर्ध–परिष्कृत लौह उत्पादों के दल में शामिल होने के मेरे कथन से यही अभिप्राय था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस करार का मुख्य प्रयोजन इन चौदह देशों द्वारा निर्यात मुल्यों का एक न्युनतम स्तर बनाये रखना तथा एक दुसरे देश से कम मुल्य न बताना तथा प्रतिस्पर्धा न करना सुनिश्चित करना है ? क्या इस करार के ढाँचे अधीन देशों के अलग-अलग निर्यात मुल्य हो सकते हैं ? उदाहरण के लिये क्या ईरान को लौह धातु पिण्डों की सप्लाई के लिये हाल में किया गया करार इस प्रकार के करार के साथ मेल खायेगा ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : श्रीमन् यह एक बहु-राष्ट्रीय संगठन है जिसके कुछ मुख्य नीति सिद्धान्त हैं जिनके अधीन उनके काम करने की संभावना है। इससे कतिपय द्विपक्षीय व्यवस्था की संवावनायें समाप्त नहीं हो जाती हालांकि कुछ मूख्य नीति मापदंड बनाये जायेंगे जिससे सभी सदस्य देशों को सम्यक मूल्य मेल सकें। लेकिन इससे पूंजी विनियोजन, करारों, लौह अयस्क की किस्म आदि के रूप में स्थिति की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए द्विपक्षीय व्यवस्थाएं समाप्त नहीं हो जाती हैं।

श्री भागवत झा आजाद : मंत्री महोदय के उत्तर से लगता है कि सरकार लौह अवयस्क के मुख्य निर्यातकों में से एक होने में गर्व अनुभव करती है। यदि नहीं तो क्या सरकार

की दीर्घकालिक नीति लौह अयस्क के निर्यात में अत्तरोत्तर वृद्धि की है या उत्तरोत्तर कमी की है? यदि कम करने की नीति है, तो इस बारे में अन्य देशों के सहयोग से सरकार की क्या नीति है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : श्रीमन, सरकार की नीति के दो रुप है, निरपेक्ष रुप में, संभवत: वृद्धि, परन्तु सापेक्ष रुप में लौह अयस्क के निर्यात में धीरे धीरे कमी और उत्पादों, यदि संभव हो, अन्तिम उत्पादों के निर्यात में वृद्धि।

Shri Ramkanwar : Since we are getting a very low price for our iron ore exports to other countries, may I know whether this price is going to be increased ? The hon. Minister had stated some time back that schemes would be drawn to start industries to utilise the iron ore being exported at present. May I know when this scheme is going to be completed ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं बता चुका हूं कि उत्तरोत्तर अर्धपरिष्कृत और यदि संभव हो तो पूर्णत: परिष्कृत इस्पात का निर्यात किया जाये। इस बीच हमने ध्यान दिया दिया है कि हमें अन्य लौह अयस्क निर्यात देशों को मिलने वाले मूल्यों के तुलनात्मक और उचित मूल्य मिले।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या इस समय हमें अपने लौह अयस्क के निर्यात का उचित मूल्य मिल रहा है तथा क्या बैठक का एक उद्देश्य भारत से लौह अयस्क के निर्यात का उचित मूल्य मिले ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी हां।

Shri R. R. Sharma : May I know the names of the fourteen countries which participated in this meetings ? May I also know whether it is advantageous to export iron ore or finished iron keeping in view the shortage of iron ore in the country ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : दूसरे भाग का तो मैं उत्तर दे चूका हूं। अल्जीरिया, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, चिल्ली, भारत, मोरिटानिया, पेरु, सायरा लिओने, स्वीडन, ट्यूनीशिया और वेनेजुएला देशों ने बैठक में भाग लिया।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्यों को दी गई सहायता

*779. **श्री समर गुह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 832, 2 अगस्त 1974 के प्रश्न संख्या 1463, 16 अगस्त, 1974 के प्रश्न संख्या 2624 (जिनके उत्तर 28 फरवरी, 1975 को सभा पटल पर रखे गये थे)। 23 अगस्त 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3380 तथा 14 मार्च, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 354 के उत्तर के उत्तरों से वस्तुत: पता चलता है कि आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई०, यू० टी० आई०, एल० आई० सी०, आई० सी० आई०सी० आई० और आई० आर० सी०

सी० द्वारा दी गयी सहायता संबंधी वित्तीय लाभ इन वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालयों के निकटवर्ती राज्यों को मनमाने ढंग से दिये गये हैं ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता के वितरण संबंधी आंकडों से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि विभिन्न राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का वितरण असमान और अनानुपातिक रहा है ;

(ग) क्या वित्तीय सहायता के वितरण में इस भेदभाव के कारण क्षत्रीय आर्थिक असन्तुलन काफी बढ़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने के लिए आर्थिक विशेषज्ञों की एकनिपक्ष उच्च-शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने का है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क), (ख) और (घ) दीर्घावधि ऋण प्रदान करने वाली अखिल भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थाओं से विभिन्न राज्यों को प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता के प्रवाह पर केवल इस बात का कोई असर नहीं पडता कि इन संस्थाओं के प्रधान कार्यालय किसी खास स्थान पर अवस्थित है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रधान कार्यालयों का स्थान-निर्धारण उन संबंधित संसदीय सांविधियों के उपबंधों द्वारा हुआ है, जिनके अधीन इनकी स्थापना की गयी है। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की प्रधान कार्यालय का स्थान निर्धारण उनके अपने-अपने संगम ज्ञापन (मेमोरेन्डा आफ एसोसिएशनस) के अनुसार हुआ है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने महानगरों में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त प्रायः सभी राज्यों में अनेक कार्यालय ही खोले हैं जिनका उद्देश्य उन क्षेत्रों में उन विद्यमान घटकों के बेहतर सेवा करना ही नहीं बल्कि, बिना किसी भेदभाव के, सहायता की मात्रा पढ़ाकर पूरी तरह उन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में यथासम्भव योगदान देना भी है।

सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता का संवितरण किसी विशिष्ट क्षेत्र में स्थापित परियोजना की संख्या पर निर्भर होता है। स्थान निर्धारण का प्रश्न कई तकनीकी-आर्थिक बातों पर निर्भर होता है। सरकारी वित्तीय संस्थाओं उन सभी अर्थक्षम परियोजनाओं को सहायता देती है जो तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से सहायता की पात्र होती है और वे यह भी सुनिश्चित करती है कि कोई भी अर्थक्षम परियोजना को संस्थागत सहायता के अभाव में हानि न हो। विभिन्न राज्यों में और विभिन्न राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परस्पर औद्योगिक-विकास विषयक असंतुलनों को दृष्टि में रखते हुए, सरकारी वित्तीय संस्थाओं की नीति क्रमशः उन असंतुलनों की दूर करने की रही है। सरकार के कहने से सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने प्रत्येक राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछडे हुए क्षेत्रों में स्थापित की गयी अथवा की जाने वाली परियोजनाओं को रियायती दर पर वित्त प्रदान करने की योजनाएं

घोषित की है। इनके अलावा, इन संस्थाओं द्वारा उनका सर्वेक्षण किया गया है तथा परामर्शी सेवा-केन्द्र स्थापित किये गये हैं ताकि निर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछडे हुए क्षेत्रों में उद्योग के विकास में सक्रिय सहायता दी जा सके।

औद्योगिक विकास के विषय में क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना एक लम्बी प्रक्रिया है और इस विषय में प्राप्त की गयी सफलता का जायजा अभी से ले सकना संभव नहीं है।

(घ) सरकार इस मामले की जांच करने के लिये किसी समिति की स्थापना आवश्यक नहीं समझती है।

श्री समर गुह : इससे पहले मैं जांच प्रश्न पूछ चुका हूं और उसके बाद ही यह प्रश्न पूछा है। मुझे अनेक जानकारी दी गई थी लकिन उत्तर में सरकार द्वारा दिये आंकडों को मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए ध्यान में नहीं रखा गया है। सरकार ने उत्तर में कहा है कि ऋण देने का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि ये संस्थाएं कहां पर स्थित है और ऋण परियोजनाओं आदि के आधार पर दिया जाता है। क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1973 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये ऋण के आंकडे इस प्रकार थे: महाराष्ट्र 1782 करोड रुपए, गुजरात 532 करोड रुपए, कर्नाटक 457 करोड़ रुपए आसाम 70 करोड़ रुपए, बिहार 204 करोड़ रुपए, उड़ीसा 43 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 408 करोड़ रुपए और पश्चिमी बंगाल 941 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार आदि के लिये इसी अवधि के आंकडे इस प्रकार थे: महाराष्ट्र 65 करोड़ रुपए, गुजरात 38 करोड़ रुपए, कर्नाटक 65 करोड़ रुपए, आसाम 1 करोड़ रुपए, बिहार 11 करोड़ रुपए, उड़ीसा 2 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 31 करोड़ रुपए और पश्चिमी बंगाल 16 करोड़ रुपए ? क्या यह भी सच है कि 30–6–1974 तक भारतीय औद्योगिक बैंक, औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा दिये गये वित्त के क्रमशः आंकड़े इस प्रकार के महाराष्ट्र 248 करोड़ रुपए, 105 करोड़ रुपये, और 161 करोड़ रुपए, गुजरात 95 करोड़ रुपए, 33 करोड़ रुपए और 58 करोड़ रुपए, कर्नाटक 64 करोड़ रुपए, 33 करोड़ रुपए और 31 करोड़ रुपए, आसाम 23 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए और 15 करोड़ रुपए बिहार, 42 करोड़ रुपये, 25 करोड़ रुपए, और 32 करोड़ रुपए, उड़ीसा 11 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 37 करोड़ रुपए, 44 करोड़ रुपए और 24 करोड़ रुपए, तथा पश्चिमी बंगाल 98 करोड़ रुपए, 42 करोड रुपए और 32 करोड़ रुपए ? क्या इन तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि जानबूझकर अनिच्छा से भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में असंतुलन पैसा हो गया है और यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों तथा बम्बई में स्थित अन्य बैंक आदि संस्थाओं द्वारा वित्तीय ऋण देने में इस गंभीर असमानता के लिये सरकार का क्या स्पष्टीकरण है ? क्या यह सच है कि वित्तीय संस्थाओं के निकट स्थित राज्यों को अधिक सहायता का लाभ मिलता है जो बम्बई से दूर स्थित राज्य जैसे बिहार, आसाम, पश्चिमी बंगाल को न्यूनतम लाभ मिलता है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सर्व प्रथम मैं यह बता देना चाहती हूं कि प्रश्न स्पष्ट रूप से वित्तीय संस्थाओं के बारे में है। वित्तीय संस्थाओं के कार्यालयों के निकट स्थित होना, क्षेत्रीय असंतुलन आदि के बारे में उनके द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है।

श्री समर गुह : क्या सरकार मेरे पहले पांच प्रश्नों के उत्तरों में दिये गये आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए यह स्वीकार करती है कि भारत की वित्तीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न राज्यों को वित्तीय ऋण देने में स्पष्ट असमानता है? क्या सरकार इस भेदभाव पर विचार करने के लिये आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों की एक निष्पक्ष उच्चस्तरीय समिति बनायेगी?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सरकार पूर्णत: संतुष्ट है कि कोई भेदभाव नहीं हुआ है। मूल तथ्य यह है कि कुछ राज्यों में आधारभूत सुविधाओं नहीं है; वहां निवेश ही न हो, वहां मांग ही न हो। किसी राज्य में परियोजनाएं आरम्भ न करने का निर्णय करते समय उद्यमियों द्वारा इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है।

श्री समर गुह : सरकार ने स्वीकार किया है कि सर्वेक्षण किया गया है। कि फिर यह विशेषज्ञ समिति द्वारा क्यों नहीं कराया जाता?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और सरकार को स्थिति की जानकारी है। विशेषज्ञ समिति और क्या कार्य करेगी?

श्री वीरभद्र सिंह : क्या वित्तीय संस्थाओ द्वारा राज्यों कों वित्तीय सहायता देने के लिये सरकार द्वारा कोई कसौटी निधारित को गई है और क्या यह सच है कि सहायता देना वित्तीय संस्थाओं की इच्छा पर छोड दिया गया है या यह वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्य सरकारों के प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर दी जाती है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सरकार की मूल नीति और प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि पिछले क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करने के लिये वित्तीय संस्थाएं यथा संभव अधिकतम ऋण दें। इस प्रयोजन के लिये रियायत देने की योजनाओं बनाई गई हैं और क्रियान्विति की जा रही है। इसके विभिन्न रूप हैं, चाहे योजना की लागत कुछ भी हो या नई योजना हो या पुनर्वास के लिये हो या प्रभार हो, या सरकारी क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में। साथ यह उद्यमियों पर भी बहुत निर्भर करता है। यदि वे किसी स्थान पर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तो वहां यह पर ही स्थापित होगा।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : सभा पटल पर रखे गये विवरण से पता चलता है कि वित्तीय संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करने में, चाहे कारण कुछ भी हो, आसाम का स्थान सबसे नीचे है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विकास के मामले पिछडे क्षेत्रों को प्राथमिकता देना सरकार की नीति है, क्या सरकार वित्तीय संस्थाओं को निदेश देगी कि वे इस प्रकार सहायता दे जिससे क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मेरे मित्र द्वारा उल्लिखित विशिष्ट नीति से अनुकरण में वित्तीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न परामर्श सेवा केन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं जैसा कि विवरण में बताया गया है।

श्री त्रिदिब चौधरी : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि अत्यधिक औद्योगिकृत राज्यों और कम औद्योगिकृत राज्यों के बीच असमानता के अतिरिक्त इन संस्थाओं के पूजो निवेश में भी बहुत असमानता है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : कुछ क्षेत्रीय असमानता है, और इस कारण से ही समय समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है और विभिन्न गतिविधोयों में सामंजस्य करने का प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है। इन बातों पर विचार करने तथा विलम्ब को कम करने के लिये अन्तर संस्था समितियां बनाई गई हैं ताकि इन चोजों में शीघ्रता की जा सके।

Dr. Govind Das Richhariya : May I know whether Government of India bas laid down any guidelines for grant of financial assistance to states ? Has a decision seen taken to grant assistance for industries on the basis of population and that for agriculture on the basis of area ?

Shrimati Sushila Rohatgi : There are two-three guiding factor Special attention should be paid to the undeveloped areas, neglected regions and the priority sector. Financial institutions have been directed by Government that financial assistance be made available for programmes and schemes in these areas.

श्री वी० मायावन : जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष और उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री ने हाल में कहा था कि जीवन बीमा निगम केवल बडे औद्योगिक गृहों को ऋण और उद्यम सुविधाओ दे रहा है। राज्यों को किन योजनाओं के अन्तर्गत ऐसी वित्तीय सहायता दी जाती है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह कहना सही नहीं है की जीवन बीमा निगम केवल बडे औद्योगिक गृहों को ही ऋण और उधार सुविधायें दे रहा है। जीवन बीमा निगम का निवेश ढांचा सुनिश्चित है और निर्गमित क्षेत्र में निवेश की राशि निर्धारित है। यह कुल मिलाकर 8 या 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है। बडे गृहों को मिलने वाली वित्तीय सहायता की प्रतिशतता अन्यों की अपेक्षा अधिक हो सकती लेकीन किसी भी हालत में यह जीवन बीमा निगम के निवेश ढांचे में निर्धारित प्रतिशतता से अधिक नहीं है।

श्री बी० के० दासचौधरी : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या वे समझता हैं कि प्रधान कार्यालय से दूर स्थित लोग वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता या सुविधायें प्राप्त करने में नुकसान में रहते हैं ? उदाहरण के लिये कुछ राज्य मुख्यालयों में के बैंकों शाखा कार्यालय हैं, मुख्य मंजूरी उनके प्रधान कार्यालयों से आती हैं। आसाम के व्यक्ति के लिये बम्बई जाना बहुत कठिन होता है; यही स्थिति तमिलनाडु या केरल या पटना के लोगों के साथ होती है। इस बारे में क्या नीति हो, सरकार को स्पष्ट निदेश देना चाहिये।

दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि क्या निवेश और जमा के अनुपात के बारे में कोई विशिष्ट नीति है ? पिछडे क्षेत्रों में जमा राशि वहां पर किये गये निवेश से बहुत अधिक होती है जमा निवश का उचित प्रकार होना चाहिये ताकि क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं समझती हूं कि जहां तक राज्यों के औद्योगिक विकास का संबंध है प्रधान कार्यालय के किसी स्थान पर स्थित होने से वास्तव में कोई अन्तर नहीं पडता है। साथ ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि वे संसद् के कानून के अनुसार स्थापित किये गये हैं और अधिकांश वित्तीय संस्थाओं की राज्यों में भी शाखाएं हैं। इसलिए अधिकांश मामलों में दूरी बहुत अधिक नहीं होती है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा।

मैं समझती हूं कि जीवन बीमा निगम की सम्पर्ण नीति और विनेश ढांचा अपेक्षित क्षेत्र और प्राथमिकता क्षेत्र को सहायता देने का है। इससे स्पष्ट है कि सरकार क्षेत्रीय

असंतुलन समाप्त करना चाहती है। जीवन बीमा निगम को निदेश दिये गये हैं कि वे जमा-निवेश अनुपात को भी ध्यान में रखें। इससे निवेश ढांचे में सुधार होगा और क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं आशा करता हूं कि सरकार क्षेत्रीय असमानता दूर करने के अपने कार्य में गंभीर है। मंत्री महोदय ने कहा कि उद्यमी मुख्य रूप से उत्तरदायी और वे ऐसे क्षेत्रों में जो पिछडे हुए नहीं हैं, उद्योगों के लिये वित्त प्रधान करने के लिये वित्तीय संस्थाओं को बाध्य कर रहे हैं। पांडे समिति ने अनेक जिलों बताये हैं जो पिछडे हुए हैं। क्या मंत्री महोदय पिछडे जिलों के अतिरिक्त किसी अन्य जिले में किसी नई परियोजना के लिये वित्त प्रदान न करने के लिये वित्तीय संस्थाओं को निदेश देंगे ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सरकार का पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्रीय असमानताएं दूर की जानी चाहिये। सरकार चाहती है कि संतुलित औद्योगिक विकास हो और यह तब हो सकता है जब न केवल विभिन्न राज्यो बल्कि राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों के बीच क्षेत्रीय असमानताए यथासंभव अधिकतम सीमा तक दूर हो। क्या इसका यह अर्थ है कि पिछडे क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगो को प्रस्तुत किया जाये और अन्य भूखे मरें ? किसी भी अच्छी परियोजना को ऋण मिलने के कारण समाप्त नहीं होने दिया जायेगा। साथ ही पिछडे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये ऋण को प्रथमिकता दी जायेगी।

Shri Janeshwar Misra : It has been stated in the statement—

"The removal of regional imbalances in industrial development is a long-term process and it is too early to judge the success achieved in this regard."

27 years have passed since we achieved independence. May I know how much more time will be taken. Secondly, is Government aware that the coastal areas which were the beneficiaries of industrial advance before independence, continue to prosper and progress and other areas continue to remain backward ? Will Government provide special apportunities to backward areas for industrial development ?

Shrimati Sushila Rohatgi : Different people may hold different opinion regarding the work done during the last 27 years. But relevant points have been answered.

श्री डी० एन० तिवारी : ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के इरादे अच्छे होते हुए भी वह अपने इरादों और उद्देश्यों को कार्यरुप देने में असमर्थ है। यदि नहीं तो क्या वह समझती है कि पिछडे क्षेत्रों का रखे रखने से क्षेत्रीय असमानता दूर हो जायेगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सरकार की वचनबद्ध इरा और उद्देश्यों के बारे में मैं अपने वरिष्ठ माननीय सदस्य द्वारा कहीं गई बातो से सहमत नहीं हूं। विशेष प्रयास किये गये हैं, किये जा रहे हैं और किये जायेंगे। इरादा और संकल्प दोनों हैं और क्रियान्विति भी हो रही है यद्यपि सुधार की कुछ गुंजाइश है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि बुनियादी सुविधाओं की कमी तथा अन्य कारणों से पिछडे क्षेत्रो के विकास में रूकावट आ रहा है। क्या यह सच नहीं है कि जब कभी इन राज्यों ने बुनियादी सुविधाओं की मांग की, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग ने हमेशा इस आधार पर उसे अस्वीकार कर दिया कि उद्योग के लिए

अपेक्षित बुनियादी सुविधाए वहां मौजुद हैं। इसके साथ-साथ जब हम सरकार से यह कहत हैं कि आप यहां उद्योग स्थापित कीजिए, तो वह कहती है वहां बुनयादी सुविधाएं नही है। जब हम बुनियाद सुविधाओ के लिए वे कहते हैं कि वहां ऐसा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हमारे उद्देश्य कैसे पूरे हो सकते हैं। क्या वित्त मंत्री और योजना मंत्री स्पष्ट रूप से यह बतायेंगे कि इस कुचक्र को तोडने के लिए वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं जिसके लिए हम वर्षों से आवाज उठा रहे हैं?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : वहां विभिन्न वित्तीय संस्थाएं हैं, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाती हूं कि सरकार क्षेत्रीय विषमता दूर करना चाहती है और सभी क्षेत्रों का विकास करना चाहती है, मैं स्वयं एक पिछडे क्षेत्र की निवासी हूँ **(अन्तर्बाधाएं)** इस विषय पर सभा में वाद-विवाद के रूप में विचार-विमर्श के लिए भी मैं तैयार हूं।

Provision in Budget for payment of Additional D. A. Due to Government Emsloyeer

***780. Shri Prabhod Chandra :**

Shri Hari Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state the reasons for not making any provision in the budget for the current year for the payment of additional three instalments of D.A. to Central Government employees which have already fallen due ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, 12 महीने सूचकांक स्तर 272 से ऊपर महंगाई भत्ते के सारे मामले की समीक्षा की जानी है। यह समीक्षा कर्मचारी-प्रतिनिधियों के साथ परामश करने की जा रही है। जब तक इस समीक्षा के परिणाम सामने नहीं आते तब तक महंगाई भत्ते की अतिरिक्त अदायगियों के लिए चालू वर्ष के बजट में कोई व्यवस्था करना यथार्थिक नहीं होता।

Shri Hari Singh ; Sir, this question concerns lakhs of Central Government employees. The Government had promised to pay these three instalments of D.A. But it appears from the answer that the Government have not let arrived at any decision. On the other had hand the employees demanded immediate payment of these instalments. I want to know the reasons responsible for this delay in taking a decision on it as also the amount of money involved in the payment of the instalments.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक धन का प्रश्न है, नौ किस्तों की अदायगी पर कुछ खर्च 495 करोड रुपए आयगा। इसमें, से ऐसी आशा है कि 31 दिसम्बर, 1974 तक भविष्य निधि में जमा की जाने वाली कुल रकम 36.80 करोड रुपए होगी और 1974-75 में केवल 2.54 करोड रुपए की किस्तें होगी।

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, सरकार का विचार इस बारे में अनावश्यक देरी करने का नहीं है। कुछ निर्णय लिये गये थे। 15 अप्रैल को, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ हमारा विचार-विमर्श भी हुआ था जिसके उन्होंने अपना दृष्टिकोण भी अभिव्यक्त किया है। अन्तिम निर्णय लेते समय इन सभी बातों पर ध्यान रखा जायेगा।

Shri Hari Singh : I want to know the time by which a final decision would be arrived at in consultation and after discussion with the representatives of the employees and when announcement regarding payment of these instalments of D.A. would be made.

श्री प्रणब कुमार मखर्जी : इस समय यह बताना मेरे लिए सम्भव नहीं है कि इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा किन्तु मैं पहले बता चुका हूं कि 15 अप्रैल को हमने विचार-विमर्श किया था। विभिन्न दृष्टिकोण सामने आये हैं और उन पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : 15 अप्रैल को जो सी० एम० की कर्मचारियों की स्थायी समिति की वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी जिसमें हमने अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया था क्योंकि मार्च, 1975 तक वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ते की पांच किस्ते देय है। कर्मचारियों की ओर से यह दलील दी गई कि इन किस्तों का पहिले भुगतान किया जाए और उसके बाद, जैसा कि श्री जगजीवन राम ने 18 अप्रैल, 1975 को वादा किया था, वेतन पुनरीक्षण के बारे में नये सिरे से बातचीत आरम्भ की जाए क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 272 से ऊपर सूचकांक अंक के बाद या तो महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए या फिर वेतन मान का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये। यहां तक कि इस महीने की 22 तारीख की बैठक में अध्यक्षता वित्त सचिव ने कर रहे थे, सरकार की ओर से जो उसकी कोई संकेत नहीं दिया। उन्होंने केवल यह कहा कि वित्त मंत्री बाहर हैं इसलिए मैं आपके विचार सरकार तक पहुंचा दूंगा। चूंकि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की पांच किस्तें देय हो गई हैं इसलिए उन्हें ही मुद्रास्फिति तथा ऊंचे मूल्यों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मुझे आशा है कि सरकार इन किश्तों को देने के बारे में जल्दी निर्णय लेगी ताकि कर्मचारियों को आन्दोलन का सहारा न लेना पड़े सरकार यह भी बतायें जैसा कि हमें शंका है कि क्या वह मुद्रास्फिति से निपटने के नाम पर कहीं पूरी राशि जमा करवाने की बात तो नहीं सोच रही है?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : इस संबंध में हमें भी उतनी ही चिन्ता है और हम भी यही चाहते हैं कि इस बारे में जल्दी फैसला हो जाये ताकि स्थिति बिगड़ने न पावे। लेकिन इसके साथ-साथ वित्त सचिव ने बैठक में कर्मचारी प्रतिनिधियों को कतिपय तथ्यों का स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया था। इसलिए, इन सभी बातों पर विचार हो रहा है और इस बारे में जल्दी ही फैसला हो जायेगा, लेकिन कब तक, कोई खास तारीख बताना मेरे लिए संभव नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री मधुसूधन मैं तथा अन्य लोग जे० सी० एम० के सदस्य हैं मैं दोनों ही बैठकों में उपस्थित था, हमने कहा था सरकार 30 अप्रैल तक जबाब दे दे। मैं जानना चाहता हूं कि इसका जबाब कब तक दिया जायेगा और क्या सरकार का इस पूरी राशि को रोके रखने का कोई इरादा है। मैं इस संबंध में आवश्यक आश्वासन चाहता हूं।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मेरे लिए कोई आश्वासन देना संभव नहीं है। यदि मैं 30 अप्रैल से पहले दे सकता हूं तो आज क्यों नहीं?

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, so far as the payment of impounded money to the Govt. employees is concerned, their faith in the Government is saking. I want to know whether the hon. Minister is in a position to assure that the payment of these instalments of D. A. will be made to the employees and their impounded money released.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : क्या मुझे कोई पर्यवेक्षण करना है? सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं पहले बता चुका हूं कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और हम सदस्यों के साथ इस बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं।

श्री आर० आर० शर्मा : जब सरकार इतनी गंभीरता से विचार कर रही है तो फिर आप आश्वासन क्यों नहीं देते हैं?

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से बिना तराशे हीरों का निपटान

+

*782. **श्री पी० गंगादेव** :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब्त किये गये बिना तराशे हीरे खनिज तथा धातु व्यापार निगम को दे दिये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इन बिना तराशे हीरों के निपटान के बारे में खनिज तथा धातु व्यापार निगम को कोई अनुदेश दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क), (ख) और (ग) सीमाशुल्क समाहर्ता, बम्बई , जब्त किये गये बिना तराशे हुए हीरों को माल छुपाने के आदेश रखने वालो / आयात लाइसेंस धारियों को बेचने के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम के साथ विचार-विनियम कर रहा है। कार्यविधि संबंधी ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

श्री पी० गंगादेव : इस बात को देखते हुए कि भारत तराशे हीरों के निर्यात से काफी विदेशी मु ा कमा रहा है और हीरा तराशने का हमारा उद्योग बिना तराशे हीरों का आयात करके और उनका सुन्दर तथा बढ़िया तराशे हुए हीरों के रूप में निर्यात करके पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है किन्तु इसके साथ-साथ इस बात को भी देखते हुए कि भारत में विदेशों से बडे पैमाने पर बिना तराशे हीरो की तस्करी हो रही है मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तस्करी का शमन करने के लिए किन्हीं उपायों तथा तराशे हीरों के निर्यात के लिए शुल्क–रहित आधार पर बिनातराशे हीरों का आयात करने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार कर रही है और यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक हीरों का संबंध है, हम पहले बता चुके हैं कि हम तराशे व बिनातराशे दोनों तरह के हीरों का एम० एम० टी० सी० के० माध्यम से निर्यात करने की कोशिश कर रहे हैं। सारा सवाल यह है कि हम जब्त किये इन हीरों का

पहली बार निर्यात करने की कोशिश कर रहे हैं । हमने इससे पहले भारतीय हथकरघा निर्यात संवर्धन निगम एजेंसी के जरिए कोशिश की थी किन्तु यह संभव नहीं हो सका क्योंकि वे विशेषज्ञता हासिल नहीं कर सके जिसकी विदेशी बाजारों में इन किस्मों की वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यकता होती है। अब हम इस बारे में अन्य एजेन्सियों के साथ बात चीत कर रहे हैं और आशा है कि कुछ न कुछ जरुर हो जायेगा ।

श्री पी० गंगादेव : क्या सरकार का विचार निःशुल्क व्यापार जोनों (क्षेत्रों) में हीरा तराशने के कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहित करने का है ताकि आयात तथा निर्यात को इससे काफी प्रोत्साहन मिले और देश को शुद्ध विदेशी मुद्रा का लाभ हो ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यह एक सुझाव है ।

Shri Shrikrishan Modi : Sir, instead of turn the black money into gold it was converted into diamonds. Jaipur has the largest number of best and expert diamond cutters in the country. In this connection I have a suggestion to wake. We may just with a view to making a correct assessment of the bungling in the diamond cutting industry, give diamonds worth Rs. 2 Crores to these Jaipur diamond cutters engaging them on daily wages basis to give these diamonds well polished and well cut shape, then we can Judge for ourselves the real difference in quantity between the rough and the finished or processed product.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक मात्रा का संबंध है, इस समय बम्बई स्थित कस्टम कलेक्टरेट में 15 लाख रुपए मूल्य के हीरे पड़े हैं। तराशे हीरे 70 लाख रुपए के होंगे। प्रश्न बहुत साधारण है जहां तक जब्त किए गये हीरों के निर्यात हीरे तराशने वालों की सेवाओं के उपयोग तथा निर्यात में वृद्धि जैसी समस्याओं का संबंध है यदि माननीय सदस्य के पास कोई सुझाव हैं तो हम उन पर विचार करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

एयर इंडिया और इण्डियन एयर लाइन्स में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण

*771. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डोया और इण्डियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण के सिद्धांत को अभी तक लागु नहीं किया गया है हालाकि विधी मंत्रालय और ब्युरों आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस आरक्षण के पक्ष में विशेष रूप में मत व्यक्त किया गया है ;

(ख) ऐसा ट्रेड युनियनों द्वारा की गई आपत्ति के कारण हुआ है ; और

(ग) यदि हा; तो साविधानिक परित्राणों के अनुसरण म जारी किये गये सरकारी आदशों की क्रीयान्विती में बाधा डालने वाली ऐसो युनियनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही को गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) (ग) इंडियन एअरलाइन्स और एअर-इंडिया द्वारा सीधी भर्ती के ग्रेडों के बारे में अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है । तथापि पदोन्नति द्वारा भरी जानेवाली रिक्तियों के बारे में आरक्षण आदेशों के अनुपालन में वे कतिपय कठिनाइयां अनुभव कर रहे है । स्टाफ/यूनियनों एसोसियशनों द्वारा भी आपत्तियां की गई है । इन कठिनाइयों का निराकरण किया जा रहा है और आरक्षण को पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों पर शीघ्र लागू करने के प्रयत्न किये जा रहे है ।

विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

*772. **श्री वरके जार्ज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को, वर्ष-वार, कुल कितना ऋण दिया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियों के आधार पर आंकड़े सूचित करने की नई प्रणाली के अनुसार तुलनात्मक आंकड़ों का संकलन रिजर्व बैंक द्वारा दिसम्बर, 1972 के अंत से किया जा रहा है। इसलिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 'उद्योग' के विभिन्न वर्गों को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि के संबंध में उपलब्ध आंकड़े दिसम्बर, 1972 और दिसम्बर, 1973 के अंत के सम्बन्ध में है और अनुबन्ध में प्रस्तुत किये जा रहे हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9516/75]**

कर्नाटक में पर्यटन को बढ़ावा देना

*773. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट फ्रेन्सिस जेवियर के पार्थिव शरीर को दर्शनार्थ रखे जाने के संबंध में सरकार ने गोवा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य रूप-रेखा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्नाटक राज्य में भी इसी प्रकार के धार्मिक उत्सवों के संबंध में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव शरीर का प्रदर्शन एक ऐसा अवसर है जो कि समस्त विश्व के लाखों कैथोलिक लोगों के आकर्षण का विषय है भारत सरकार के विदेश स्थित पर्यटन कार्यालयों ने भारत के लिये विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये इस घटना का प्रचार किया था ।

डेबोलम हवाई अड्डे पर एक अतिरिक्त यात्री लाउंस का निर्माण किया गया था तथा इस अवसर पर पर्यटकों की भीड़ को संभालने के लिये इण्डियन एयरलाइंस ने विशेष उड़ाने परिचालित की थीं ।

(ग) और (घ) ऐसे भारतीय त्यौहारों के बारे में, जो कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, पूरी पूरी सूचना भारत सरकार के विदेश स्थित पयटन कार्यालयों के पास रहती है तथा इन त्यौहारों का विदेशों में व्यापक प्रचार किया जाता है।

भारत में सोवियत विदेश व्यापार बैंक

*774. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत विदेश व्यापार बैंक को भारत में अपनी शाखा खोलने की अनुमति दिये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) "बैंक आफ फारिन ट्रेड आफ दि यू० एस० एस० आर०" के एक प्रतिनिधि कार्यालय की भारत में स्थापना के विषय में पूछे जाने पर उक्त प्रस्ताव से, सिद्धांत रूप में हमारी सहमति, उक्त बैंक को सूचित की जा चुकी है। उसमें यह भी शर्त है कि सोवियत संघ भारतीय स्टेट बैंक को भी रूस में अपना कार्यालय खोलने की अनुमति देगा। भारतीय रिजर्व बैंक, "सेण्ट्रल बैंक आफ द यू० एस० एस० आर०" के प्रमापन सहित "बैंक आफ फारिन ट्रेड आफ दि यू० एस० एस० आर०" की औपचारिक सूचना की प्रतिक्षा कर रहा है। प्रस्तावित प्रतिनिधि कार्यालय बैंकिंग कारोबार नहीं करेगा किन्तु मोटे तौर पर उसका काम भारत और सोवियत संघ के आर्थिक सम्बन्धों के विस्तार और सुधार की सम्भावनाओं का अध्ययन करना और उन रूसी संगठनों की सहायता करना होगा जो भारतीय निर्यातकों और आयातकों के साथ करार करें।

मैसर्स टाटा मिल्स लिमिटेड के निदेशकों/अंशधारियों के विरुद्ध तस्करी के आरोप

*775. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा मिल्स लिमिटेड के उन अंशधारियों/निदेशकों के नाम क्या हैं जिनको अब तक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है ;

(ख) क्या उनके यहां कोई छापे मारे गये थे ; और

(ग) छापों में उनसे बरामद की गई वस्तुओं के नाम क्या हैं और इस प्रकार बरामद की गई वस्तुओं की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) बड़े सीमाशुल्क गृहों के पास उपलब्ध सूचना से यह पता लगा है कि न तो टाटा मिल्स लिमिटेड, बम्बई के किसी निदेशक को तस्करी के आरोपों के संबंध में गिरफ्तार किया गया है और न हीं उनके परिसरों पर कोई छापा मारा गया है।

इस कम्पनी के कुल शेयरधारियों की संख्या 18-4-72 तक 13,700 से अधिक थी। ये शेयरधारी सारे देश में फैले हुए हैं। अतः, तस्करी के आरोपों के संबंध में अभीतक गिरफ्तार किये गये शेयरधारियों के बारे में सूचना देश भर के क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र करनी होगी। इसलिए, वांछित सूचना एकत्र करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा जो उससे प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। परन्तु, यदि माननीय सदस्य किसी शेयरधारी विशेष/किन्हीं शेयरधारियों के बारे में सुचना चाहते हों तो उसे एकत्र करके सभा पटल पर रखा जा सकता है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

*778. **श्री एन० आर० वेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में गुजरात राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ नई शाखाए खोली जायेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी शाखाएं खोली जायेंगी और किन-किन स्थानों पर खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) रिज बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1974 के अंत तक, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास 20 ग्रामीण केन्द्रों के संम्बन्ध में लाइसेंस/आवण्टन पत्र इस प्रकार थे :—

	जिला	केन्द्र
1.	अहमदाबाद	देतरीज
2.	बड़ौदा	चिरबोदरा जवाहर नगर
3.	भावनगर	निगाला
4.	भड़ौच	सागवारा कावि
5.	गांधी नगर	ढ़ोला राणा वासन (उप कार्यालय)
6.	काइरा	मोगर अलिंद्रा वादोद
7.	कच्छ	सुकपुर-रोहा
8.	मेहसाणा	जस्का
9.	पंच महाल	दिवादा कालोनी पिपलोद
10.	साबरकांठा	दोभादा
11.	सूरत	कापलोथा } (उपकार्यालय) लाजपुर }
12.	सुरेन्द्र नगर	कोंध सुदामडू

रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि इन केन्द्रों के अतिरिक्त 1975 में गुजरात के ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए सरकारी क्षेत्र के बकों से 35 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिनपर वह विचार कर रहा है।

'ए' श्रेणी के पर्यटन स्थलों का विकास

*781. **श्री गजाधर माझी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार 'ए' श्रेणी के पर्यटन स्थलों के नाम क्या हैं ; और

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान उनके विकास के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) देश में पर्यटन आकषण के स्थानों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है न ही केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटन योजनाओं को राज्यवार आधार पर तैयार किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटन विषयक विकास के लिये स्थानों के चयन के आधार में ये सम्मिलित हैं। संसाधनों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकता जिसका निर्धारण उस स्थान के लिये पर्यटकों के वास्तविक अथवा संभावित आकर्षण की दृष्टि से किया जाता है, सुगम्यता, प्राकृतिक सौन्दर्य सुषमा, ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय महत्व, पर्यटन के आधारभूत उपादानों की उपलब्धता, तथा वर्तमान पर्यटक यातायात का प्रवाह।

पर्यटन विभाग द्वारा गुलमर्ग का ग्रीष्म-व-शीतकालीन विहारस्थल के तथा केरल व गोआ को समुद्रतटीय विहारस्थल के रूप में, तथा कुल्लू एवं मनाली क्षेत्र को विकास करने के लिये चुना गया। इन स्थानों का विकास कार्य पांचवीं योजनावधि में चालू रहेगा जिसके लिये पांचवीं योजना के प्रारूप में 6.35 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त नये स्थलों के चयन, हेतु सर्वेक्षण कार्यों के लिये, विहार स्थलों के विकास, संभाव्यता अध्ययन और चुने हुये स्थानों पर सुविधायें प्रदान करने के लिये पांचवीं योजना के प्रारूप में 1.65 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

*783. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखायें न खोलने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

Reserve Bank of Asia

*784. **Shri Banamali Babu :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement made by the Governor of Reserve Bank of India which was published in a Bangla daily of Dacca 'Itifaq', to the effect that Government should consider establishing "Reserve Bank of Asia";

(b) the membership and the objects of the proposed bank; and

(c) Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kuma Mukherjee) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) A draft agreement for establishing an Asian Reserve Bank was forwarded in September 1972 by the ESCAP Secretariat to regional member countries for ascertaining their views. The Government has extended general support to the Kabul Declaration of the Council of Ministers for Asian Economic Cooperation, which includes this proposal. The scheme is still under consideration in the ESCAP. According to the draft agreement, membership shall be open to the members and associate members of the ESCAP area. Its main object is to pool 10 per cent of the gross foreign exchange reserves of member countries for providing short-term assistance for financing temporary balance of payments deficits, particularly those arising from liberalisation of intra-regional trade.

Financial Assistance by Banks to Handloom Industry

*785. **Shri Ram Hedaoo :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether handloom industry, the biggest industry of the country, is facing a crisis because financial assistance has not been given to it by the banks and also no export incentive is being given; and

(b) the remedial measures being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

अभ्रक के कारखानों में तालाबन्दी

*786. **श्री के० एम० मधुकर :**
श्री भागीरथ भंवर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक के बड़े निर्यातकों ने अभ्रक निर्यात व्यापार की कुछ वस्तुओं का व्यापार अभ्रक व्यापार निगम द्वारा संभाले जाने के परिणामस्वरूप 1 अप्रैल, 1975 से अपने कारखानों में तालाबन्दी कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और ऐसे कारखानों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार को अभ्रक के बड़े निर्यातकों के स्वामित्व वाले कारखानों में तालाबन्दी की

जानकारी नहीं है। तथापि, अभ्रक प्रोसेसिंग मजदूरों की बेरोजगारी के बारे में कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। समस्या पर सरकार ध्यान दे रही है।

हिन्दुस्तान लीवर के अनुसंधान तथा विकास अनुभाग द्वारा सरकार से प्राप्त की गई छूट

***787. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री हिन्दुस्तान लीवर के अनुसंधान तथा विकास अनुभाग द्वारा सरकार से प्राप्त की गई छूट के बारे में 12 मार्च, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 305 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा यह पता लगाने के लिये कोई जांच सम्बन्धी आदेश दे दिये गये हैं कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को अनुसंधान और विकास पर किये गये पूंजीगत व्यय के लिये मांगी गई छूट से अधिक राशि की छूट केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने किस प्रकार मंजूर की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस जांच के परिणाम मालूम होने तक सरकार ने हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को लंदन स्थित अपनी प्रमुख कम्पनी मैसर्स यूनीलीवर को कोई राशि न भेजने के लिये कहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) कर निर्धारण वर्ष 1972-73 में मसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० को, उसके द्वारा अपने व्यापार के सम्बन्ध में कराये गये वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों पर हुए पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में 13.04 लाख रु० की कटौती मंजूर की गयी थी। निर्धारिती कम्पनी ने 13.04 लाख रु० की कटौती का ही दावा किया था। आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार, 1 अप्रैल, 1967 से पूर्व किये गये पूंजीगत व्यय पर कटौती पांच वर्ष की अवधि में फलाकर अर्थात् प्रत्येक वर्ष के लिये 20 प्रतिशत के हिसाब से स्वीकार्य थी ; और 31 मार्च, 1967 के बाद कर दाता के व्यापार से सम्बन्ध में किये गये वैज्ञानिक अनुसंधान के सारे पूंजीगत व्यय की कटौती उसी वर्ष में स्वीकार्य थी जिस वर्ष में ऐसा व्यय किया गया था। इस कारण कर निर्धारण वर्ष 1972-73 में मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० को कर निर्धारण वर्ष 1972-73 के सम्बन्धित पूर्ववर्ती वर्ष में किये गये पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में 12.31 लाख रु० (जो 12,30,597 रु० की सारभूत रकम है) की ओर 1 अप्रैल, 1967 से पूर्व वैज्ञानिक अनुसंधान पर किये गये पूंजीगत व्यय की पांचवीं किस्त के रूप में 74,345 रु० की कटौती मंजूर की गयी थी।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Income/Profits of Nationalised Banks

***788. Shri Narendra Singh :**

Shri Atal Behari Vajpayee :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the statement of total income, profits as well as percentage of profit to the income of each of the nationalised banks and five major private banks for the last three years, yearwise;

(b) the reasons for decline in this percentage in respect of the banks where such percentage has declined; and

(c) the reasons for increase therein in respect of the banks where such percentage has increased ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) to (c) A Statement is laid on the table of the House. [Placed in Library. *See* No. L.T.-9517/75].

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के वे विदेश यात्रा करने वाले अधिकारी

*789. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे निदेशकों की उपेक्षा के कारण खनिज तथा धातु व्यापार निगम घाटे में चल रहा है, जो बिना किसी काम के अक्सर विदेश यात्रा पर जाते रहते हैं और अधिकांश समय देश के बाहर रहते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन अधिकारियों के नाम और पदनाम का ब्यौरा क्या है, जो वर्ष 1974–75 में विदेश गये और ऐसी यात्राओं के क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष श्री एस० रामचन्द्रन तथा निदेशक सर्वश्री सी० आर० दास, पी० पी० धीर और बी० एस० भटनागर । इनके अलावा इनसे निचले पदों पर कार्य कर रहे निगम के अधिकारी भी अपनी कार्य के सम्बन्ध में विदेश गये ।

ये दौरे बिक्री तथा खरीद सम्बन्धी संविदाओं के लिये किये गये थे और हमारे निर्यातों के लिए बेहतर कीमतें हासिल किये जाने और प्रतियोगी कीमतों पर हमारी खरीदारियों के रूप में इनके परिणाम अच्छे रहे ।

कारीपुर हवाई अड्डा, कालीकट

*790. **श्री वयालार रवि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट स्थित स्पैशल तहसीलदार, लैण्ड, एक्वीजीशन, कारीपुर एरोड्रोम के कार्यालय को बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को वहां की जनता में व्याप्त असंतोष का पता है क्योंकि यह संसद में दिये गये आश्वासनों के विरूद्ध हवाई अड्डों पर निर्माण कार्य को त्यागने का आरम्भ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कालीकट में एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिगृहित की गयी थी तथा अप्रैल, 1974 में केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग को सौंपी गयी थी। कारीपुर में भूमि अधिग्रहण के विशेष तहसीलदार का कार्यालय इस समय बंद हो जाना जहां तक हवाई अड्डे के लिये भूमि का सम्बन्ध है, कोई विशेष महत्व नहीं रखता है।

हाल ही में इण्डियन एयरलाइंस ने बताया है कि विमान बेड़े की तंग स्थिति तथा परिचालन की बढ़ी हुई कीमत के कारण उन के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कालीकट के लिये परिचालन करना संभव नहीं हो सकेगा। फिर भी साधन उपलब्ध होने की हालत में हवाई अड्डे के विकास सम्बन्धी प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही करने का विचार है।

Deficit Budget of States

†**7478. Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Shanker Rao Savant :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total deficit shown in the budgets of the State Governments for 1975-76 and what help is proposed to be given by the Central Government to such States; and

(b) how and to what extent the Central Government's proposals to bridge or reduce the gap between the receipt and expenditure have been implemented by each State Government ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) The total deficit shown in the budgets of the State Governments for 1975-76 is Rs. 150.69 crores. This does not include deficit, if any, of Manipur and Tripura whose budgets have not been received, as also that of Jammu and Kashmir which has presented a 'Vote on Account' Budget.

It is for the State Governments to balance their budgets and fund the approved Plan outlays with the allocated transfer of resources from the Centre to the States. The Centre does not propose to provide any extra assistance to the States for the purpose of covering their budgetary deficits.

(b) The Centre has been advising the States to curtail non-essential unproductive and low priority expenditures and to augment their resources so as to avoid budgetary deficits. The States have generally reacted favourably to these suggestions.

आय कर का अपवंचन

7479. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **वर्ष 1973–74** में आयकर अपवंचन के कितने मामलों का पता लगाया गया जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के स्तर पर निपटाये गए थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : वर्ष 1973–74 में जिन मामलों में आय-कर अपवंचन का पता लगाया गया था उनकी संख्या बहुत बड़ी थी। आय को छिपाने के सिलसिले में 32525 मामलों में दांडिक कार्यवाही शुरू की

गयी और 538 मामलों में तलाशी एवं माल पकड़ने की कार्यवाही की गयी। निपटाय गये मामलों के आंकड़ों का हिसाब उस वर्ष के आधार पर नहीं रखा जाता जिस वर्ष में कर-अपवंचन का पता लगाया गया था। यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट मामले/मामलों के समूह के सम्बन्ध में यह जानना चाहें कि उसका निपटारा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के स्तर पर किया गया था अथवा नहीं तो उसके बारे में सूचना प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

पाकिस्तानी रुई खरीदने के लिये मिलों को ऋण

7480. श्री राम सहाय पांडे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी रुई खरीदने के लिये मिलों को ऋण देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा के साहूकारों द्वारा आय-कर की अदायगी

7481. श्री अनादि चरण दास : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में (जिला वार) उन साहूकारों की संख्या कितनी है जो आय-कर अदा करते हैं ; और

(ख) क्या उनमें कुछ दोषी भी हैं ; और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनके नाम आय-कर की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायगी ।

दर्शनीय स्थान

7482. श्री एम० एम० जोजेफ : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, प्रत्येक राज्य में दर्शनीय स्थानों के नाम क्या हैं तथा वे कहां-कहां हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : देश में पर्यटन आकर्षणों की बृहत् छटा विद्यमान है ; अतः प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं पसंद अनुसार देखने योग्य कई स्थान हैं ।

किये गये सर्वेक्षण के आधार पर ऐसे स्थानों की एक सूची संलग्न है जोकि बताया जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को काफी बड़ी संख्या में आकर्षित करते हैं ।

जिन पर्यटक केन्द्रों की देशीय पर्यटक काफी बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं उन की सूची राज्य सरकारों के पास होनी चाहिए क्योंकि देशीय पर्यटकों के लिये पर्यटन सुविधाओं का विकास करने के लिए वे ही मुल रुप से उत्तरदायी है ।

विवरण

केन्द्रों की सूची जिन की अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक काफी बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं।

1	दिल्ली	19	उदयपुर
2	बम्बई	20	त्रिवेन्द्रम
3	आगरा	21	चंडीगढ़
4	मद्रास	22	दार्जीलिंग
5	कलकत्ता	23	रामेश्वरम्
6	वाराणसी	24	पांडीचेरी
7	अमृतसर	25	अहमदाबाद
8	जयपुर	26	हैदराबाद
9	श्रीनगर	27	महाबलीपुरम्
10	बंगलौर	28	लखनऊ
11	खजुराहो	29	पुरी
12	तिरुचिरापल्ली	30	जम्मू
13	पटना	31	कन्याकुमारी
14	मदूरै	32	ऊटी/नीलगिरि
15	गोवा	33	भोपाल
16	मैसूर	34	शिमला
17	औरंगाबाद	35	हरिद्वार/ऋषिकेश
18	कोचीन	36	गया-बोधगया

Air Strip in Khandwa, Madhya Pradesh

7483. Shri G. C. Dixit, Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) since when the air strip in Khandwa town of Madhya Pradesh has not been repaired ; and

(b) the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) The aerodrome at Khandwa is not being utilised for scheduled or non-scheduled flights. However, maintenance is carried out to ensure its continued serviceability for casual flights.

पात्र निर्यात कर्ताओं के लिये नकद सहायता का भुगतान

7484. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

श्री अनादि चरण दास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात तथा निर्यात संयुक्त मुख्य आयुक्त महत्वपूर्ण क्षेत्र में पात्र निर्यातकर्ताओं के लिये समय पर नकद सहायता नहीं दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1974 को इस कारण से उद्योगों को कितनी बकाया राशि देय थी ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि महत्वपूर्ण तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उद्योगों को इस कारण से कठिनाई उठानी पड़ रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस भुगतान को शीघ्र करने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किये गये दावों की आवश्यक जांच पड़ताल करने के बाद लाइसेंस देने वाले विभिन्न कार्यालयों द्वारा पंजीकृत निर्यातकों को नकद प्रतिपूरक सहायता दी जाती है। उन दावों का, जो हर तरह से पूरे होते हैं, लगभग एक महीने में भुगतान हो जाता है। तथापि, जिन दावों में कमियां पायी जातीं हैं, उन दावों को निपटाने में अधिक समय लग ही जाता है क्योंकि दावे स्वीकार करने से पहले सम्बन्धित निर्यातकों से पत्र व्यवहार करके कमियों को दूर कराया जाता है।

उन पंजीकृत निर्यातकों के मामले में जिनका नामांकन सरलीकृत भुगतान योजना के अंतर्गत होता है, उनके द्वारा किये गये दावे के 85 प्रतिशत की पहली किस्त का भुगतान लाइसेंसिंग कार्यालय द्वारा स्वीकृत रूप में आम तौर से 15 दिन के भीतर कर दिया जाता है और बाकी 15 प्रतिशत की दूसरी किस्त का भुगतान एसे मामलों में जहां दावे सभी प्रकार से पूरे पाये जायें आम तौर से पहली किस्त के भुगतान के तीन महीने के भीतर कर दिया जाता है।

(ख) 31 दिसम्बर, 1974 को विभिन्न लाइसेंस कार्यालयो के पास पंजीकृत निर्यातकों से प्राप्त 916.56 लाख रु० मूल्य के 3828 दावे बकाया पड़े थे। इनमें दिसम्बर, 1974 के दौरान प्राप्त 471.71 लाख रु० मूल्य के 1255 दावे भी शामिल हैं। सरलीकृत भुगतान योजना के मामले में दिसम्बर 1974 के दौरान प्राप्त पहली किस्त के 195 दावे 31 दिसम्बर 1974 को बकाया पड़े थे।

जहां तक दूसरी किस्त का सम्बन्ध है 362 दावे लम्बित थे। दिसम्बर 1974 के दौरान 140 दावों का भुगतान होना बाकी था।

(ग) पंजीकृत निर्यातकों के दावे यथाशीघ्र तय किये जा रहे हैं। भुगतानों में देरी के सम्बन्ध में आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक से निर्यातक अगर कोई शिकायत करते हैं तो उन पर सम्बन्धित लाइसेंस कार्यालयों के साथ परामर्श करके तुरन्त विचार किया जाता है।

(घ) प्राप्त अनुभव के आधार पर, वर्ष 1975–76 के लिये नई रैड बुक में क्रियाविधि को और सरल किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में भुन्तर में हवाई-पट्टी

7485. श्री नारायण चंद पराशर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में भुन्तर की हवाई-पट्टी का विस्तार करने का निर्णय किया गया है ताकि वहां भारी विमान उतर सके ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विस्तार तथा आधुनिकीकरण कब तक कर दिया जायेगा ; और

(ग) उक्त परियोजना पर क्या लागत आएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) भुन्तर (कुल्लू) के वर्तमान विमानक्षेत्र के धावन-पथ की लम्बाई को 200 फुट और बढ़ाने का प्रस्ताव है जिससे कि इंडियन एयरलाइंस के, जो कि इस समय कुल्लू के लिए एच० एस०-748 विमान से सप्ताह में तीन दिन सेवा परिचालित करते हैं, विमान परिचालनों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त धावन-पथ लम्बाई की व्यवस्था की जा सके। इस कार्य के निष्पादन के लिए 1975-76 के बजट प्राक्कलनों में 50,000 रुपए की व्यवस्था की गयी है ।

पंजाब में पर्यटन केन्द्रों तथा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व क स्थानों का विकास

7486. श्री रघुनन्दनलाल भाटिया : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा केन्द्रीय पर्यटन विभाग का विचार चालू वर्ष के दौरान पंजाब के कौन-कौन से पर्यटन केन्द्रों और ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व के स्थानों का विकास करने का है ; और

(ख) उनकी विकास योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटन केन्द्रों का विकास राज्यवार अथवा स्थानवार आधार पर नहीं किया जाता है। विकास के लिये स्थानों का चयन उनकी पर्यटकों को आकर्षित करने की वर्तमान अथवा संभावित क्षमता, वहां पहुंचने में सुगमता, और जल तथा विद्युत सप्लाई आदि जैसे मूल आधारभूत उपादानों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। दूसरे, साधनों की कमी के कारण पर्यटन केन्द्रों का विकास करने के लिये चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इस प्रकार केन्द्रीय क्षेत्र में पंजाब में प्रारंभ की गयी पर्यटन स्कीमें हैं--अमृतसर में एक युवा होस्टल तथा लुधियाना में एक पर्यटक बंगले का निर्माण। दोनों का निर्माणकार्य चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा हो जाएगा ।

गुजरात में लघु उद्योगों के विकास के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

7487. श्री डी० डी० देसाई : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गुजरात में लघु उद्योगों के विकास के लिए कितना ऋण दिया ; और

(ख) बैंकवार और जिलेवार तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) गुजरात में जून 1973 और 1974 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों की बकाया राशि के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दी जा रही है :—

(राशि लाख रु० में)

बैंक समूह का नाम	अन्तिम शुक्रवार को	
	जून, 1973	जून, 1974
	राशि	राशि
1. भारतीय स्टेट बैंक समूह	2957.13	4385.49
2. 14 राष्ट्रीयकृत बैंक . . .	3694.45	5609.77
3. कुल सरकारी क्षेत्र के बैंक	6651.58	9995.26

(आंकड़े अनन्तिम हैं) ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिये गये ऋणों के संबंध में आंकड़े जिलेवार एकत्र नहीं किये जाते हैं। किन्तु नई सांख्यिकीय सूचना प्रणाली के अन्तर्गत अब सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों के क्षेत्रीय वितरण के आंकड़े जिलेवार इकट्ठा किये जा रहे हैं। गुजरात के जिलों में दिसम्बर 1972 और 1973 के अंतिम शुक्रवार को उपलब्ध आंकड़े अनुलग्नक में दिये जा रहे हैं।

विवरण

गुजरात में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि के सम्बन्ध में जिलेवार आंकड़े

(राशि हजार रुपयों में)

जिला	के अन्त में	
	दिसम्बर, 1972	दिसम्बर, 1973
1. अहमदाबाद	194982	274966
2. अमरेली	3947	5830
3. बनास कांठा	1924	1840
4. बड़ोदा .	86786	137158
5. भावनगर	48935	56088
6. भड़ौच .	1199	11445
7. बलसाड़	40438	85668

जिला	के अन्त मे	
	दिसम्बर 1972	दिसम्बर, 1973
8. डांग्स . .	130	
9. गांधीनगर . .	1653	1392
10. जामनगर . . .	21570	64434
11. जूनागढ़ . . .	12288	20290
12. कैरा . . .	42465	63991
13. कच्छ . . .	4598	3733
14. मेहसाना . . .	11505	20112
15. पंचमहाल . . .	3318	4163
16. राजकोट . . .	49594	67498
17. साबरकांठा . . .	3002	7531
18. सूरत . . .	84683	124682
19. सुंदर नगर	5525	12538
जोड़	618542	963359

(आंकड़ें आधारभूत सांख्यिकीय विवरण पर आधारित है और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लि` सरकारी क्षेंत्र के बैंकों द्वारा एकत्रित आंकड़ें परिभाषिक परिवर्तनों के कारण परस्पर तुलनीय नहीं है)

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्यों में किसानों को मंजूर किये गये ऋण

7488. चौधरी राम प्रकाश : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभिन्न राज्यों में गत तीन वर्षों में किसानों को, राज्यवार, ऋणों के रूप में दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और राज्यवार कितने किसानों को ऋण दिये गये ; और

(ख) क्या सरकार ने इन बैंकों को ऋण नीति पर नियंत्रण करने के लिए कोई उपाय किये हैं और यदि हां, तो किस प्रकार के ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जून, 1972, जून 1973 और जून, 1974 के अन्त तक गैर सरकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों

द्वारा दिये गये प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की राज्य-वार बकाया राशि एवं वित्त घोषित किसानों की संख्या प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9518/75]**

(ख) गैर-सरकारी अनुसूचित बैंकों सहित, पूरे बैंकिंग क्षेत्र के लिये ऋण-नीति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार की मुख्य नीति को दृष्टिगत रखते हुए नियंत्रित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कृषि-वित्त पोषण के क्षेत्र में निर्देशक सिद्धांत जारी किये हैं।

परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में कमी

7489. श्री वयालार रवि : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल के वर्षों में काजू, मछली, नारियल जटा और मसाले जैसी परम्परागत वस्तुओं के निर्यात की मात्रा में कमी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें गत पांच वर्षों में काजू की गिरियां, मसालों, समुद्री उत्पादों तथा कयर उत्पादों के आंकड़े दिये गये हैं। इनमें 1974-75 की प्राप्य अवधि तक के अनन्तिम आंकड़े शामिल हैं।

कृषि वस्तुओं के मामले में, निर्यात निष्पादन हर वर्ष भिन्न-भिन्न रहता है जो अन्य बातों के साथ अच्छी या खराब फसल पर निर्भर करता है। यही बात कुछ हद तक समुद्री उत्पादों पर भी लागू होती है। जैसा कि आंकड़ों से प्रकट है, यह कहना सही नहीं है कि इन वस्तुओं के निर्यात में प्रायः किसी तरह की लगातार कमी होती रही है। दूसरी ओर, 1972-73 में काजू की मात्रा बढ़कर 66,278 मे० टन तक जा पहुंची जब कि यह 1971-72 में 50,284 मे० टन थी और बाद के वर्ष में मुख्यतः आयातित काजुओं की सप्लाई कम होने के कारण निर्यात निष्पादन घट गया लेकिन 1974-75 में पुनः निर्यात काफी बढ़ गये। मसालों के मामले में भी 1972-73 में मुख्यतः मसालों की फसल कम होने के कारण मात्रा में गिरावट दृष्टिगोचर हुई लेकिन अगले वर्ष पुनः निर्यातों में मूल्य तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई।

समुद्री उत्पादों के निर्यातों में 1973-74 तक वृद्धि का रुख बना रहा लेकिन उस वर्ष का स्तर 1974-75 में नहीं बना रह सका हालांकि ऐसा अनुमान है कि उस वर्ष भी 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 की अपेक्षा कहीं अधिक निर्यात होंगे। 1974-75 में इस वस्तु के निर्यात में गिरावट का कारण संयुक्त राज्य अमरीका और जापान जैसे समृद्ध देशों में मुद्रा-स्फिती के कारण आई मन्दी और उसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं द्वारा ऊंची कीमतों वाले समुद्री उत्पाद न खरीदना तथा उस वर्ष कम मछली का पकड़ा जाना है। समुद्री उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिये फर्म आर्डर प्राप्त करने के लिए दिसम्बर 1974 में बिक्री प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राज्य अमरीका तथा जापान भेजे गये।

कयर तथा कयर उत्पादों के निर्यात के मामले में देखी गई गिरावट का मुख्य कारण पश्चिम यूरोप के कयर उद्योग द्वारा कयर उत्पादों के निर्माण में कटौती करना, हाप की खेती का क्षेत्र कम करना, संश्लिष्ट रेशों सहित अन्य प्रतिस्पर्द्धी देशों द्वारा तैयार प्रतिस्थानी माल तथा टैरिफ अवरोध हैं । क्वालिटी सुधारने, उत्पादन बढ़ाने, आयातक देशों से टैरिफ रियायतें प्राप्त करने और इस मद के लिए और अधिक बाजारों का पता लगाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

विवरण

गत पांच वर्ष में हुए निर्यातों का विवरण

काजू	(मात्रा मे० टन में) (मूल्य हजार रु० में)	
	मात्रा	मूल्य
1970–71	50,284	5,20,658
1971–72	60,378	6,13,321
1972–73	66,278	6,88,214
1973–74	51,898	7,38,088
1974–75	60,350	11,04,500
(अप्रैल–फरवरी, 1975)		

मसाले	(मात्रा मे० टन में) (मूल्य करोड़ रु० में)	
	मात्रा	मूल्य
1970–71	47,906	36.8
1971–72	65,978	36.2
1972–73	45,289	29.05
1973–74	61,214	54.8
(अप्रैल–अक्तूबर, 1974) . . .	24,737	26.1
समुद्री उत्पाद		
1970–71	35,883	35.07
1971–72	35,523	44.55
1971–73	38,993	59.72
1973–74	52,,279	89.51
1974–74	44,054	67.08

(अनन्तित)

कयर तथा कयर उत्पाद	(मात्रा मे० टन में) (मूल्य लाख ० में)	
	मात्रा	मूल्य
1970–71	52,218	1387.34
1971–72	52,312	1485.94
1972–73	49,489	1493.79
1973–74	46,689	1558.18
1974–75 . . .	34,418	1410.88

(अप्रैल–जनवरी)

आसाम और त्रिपूरा में पुनः बागान लगान हेतुराज सहाता योजना से लाभान्वित चाय बागान

7490. श्री शंकर नारायण सिंह देव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम और त्रिपुरा में पुनः बागान लगाने हेतु राज सहायता योजना से अद्यतन लाभान्वित हुए चाय बागानों के नाम क्या है ; और

(ख) प्रत्येक चाय बागान के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई है और इन चाय बागानों में इस योजना के अन्तर्गत शामिल किये गये चाय सम्बन्धी क्षेत्र की प्रतिशतता क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख ी जायेगी।

हथकरघा वस्तुओं का निर्यात

7491. श्री सी० जनार्दनन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान हथकरघा वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि होने की आशा है ; और

(ख) यदि हां, तो आज तक तथा गत वर्ष इसी अवधि के दौरान कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का निर्यात हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1974–75 के दौरान (अप्रैल 1974 से फरवरी 1975 तक) किये गये हथकरघा माल के निर्यातों की तुलना में 1973–74 की उसी अवधि में हुए निर्यातों से की गई है। 1974–75 के आंकड़े अन्तिम हैं जब कि 1973–74 के आंकड़े अन्तिम हैं। परिधानों को छोड़कर वित्त वर्ष 1974–75 के दौरान हथकरघा निर्यातों के आंकड़े 100 करोड़ रु० होने की सम्भावना है जब कि 1973–74 की अवधि के दौरान 89 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे। आशा है कि 1975–76 में निर्यात 1974–75 वाले स्तर पर बने रहेंगे।

विवरण

1973-74 तथा 1974-75 के दौरान हथकरघा माल के निर्यात

(आंकड़े हजार में)

क्रमांक	किस्म	मात्रा की इकाइयां	अवधि में निर्यात			
			अप्रैल 73 से फरवरी 74		अप्रैल 74 से फरवरी, 75†	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	सूती हथकरघा वस्त्र	मीटरों में	60196	282281	42190	250565
2	सूती कालीन तथा दरियां	वर्ग मीटरों में	3446	13052	2464	12483
3	सूती बिछावन, चादरें, तकिये के गिलाफ, मेज-पोश, तोलिये, नेपकिन तथा अन्य	कि० ग्रा०	3440	68718	3424	84445
4	सूती हथकरघा के सिले-सिलाये परिधान	संख्या	उपलब्ध नहीं	132156	उपलब्ध नहीं	127587
5	रेशमी वस्त्र	वर्ग मीटरों में	5328	110623	4623	112375
6	पुन: ठीक किये गये रेशे के वस्त्र	मीटरों में	159	841	144	1022
7	ऊनी तथा वस्टडे वस्त्र	,,	166	4443	76	2203
8	ऊनी कम्बल	कि० ग्रा०	23	454	56	1128
	योग			612548		591808

†अनन्तिम

Supply of Hindi Typewriters

7497. **Shri Sudhakar Pandey** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the action proposed to be taken to supply Hindi typewriters to those offices under his Ministry as are having only English typerwriters at present ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : A number of Hindi typewriters are already in use in the Secretariat offices of the Ministry of Finance. As regards Subordinate offices, information is being collected and a further report will be laid on the Table of the House.

पांच स्टार होटलों की मांग को पूरा करने के लिए कार्यवाही

7493. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग के कहने पर भारत में विदेशी पर्यटकों के सम्बन्ध में 1972–73 में किये गये सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि भारत में आये 41 प्रतिशत विदेशी पर्यटकों ने पांच स्टार होटलों के लिए प्राथमिकता व्यक्त की ;

(ख) क्या केवल 37 प्रतिशत पर्यटकों ने चार स्टार से एक स्टार तक के अन्य श्रेणियों के होटलों के लिए प्राथमिकता व्यक्त की ;

(ग) क्या केवल 32 प्रतिशत पर्यटकों को पांच स्टार होटलों में आवास मिल सका ; और

(घ) यदि हां, तो पांच स्टार होटलों के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार क्या क्या कार्यवाही कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) और (ग) जी, हां ।

(ख) सर्वेक्षण से पता चला कि 36 प्रतिशत यात्रियों ने चार स्टार से एक स्टार के अन्य वर्गों के होटलों के लिए अपनी प्राथमिकता व्यक्त की ।

(घ) सरकार को देश में और अधिक पांच स्टार के होटलों की आवश्यकता की जानकारी है परंतु अन्य प्राथमिकताओं के कारण, भारत पर्यटन विकास निगम, जो कि सरकारी क्षेत्र का एक उद्यम है, की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्यतया मध्य आय वाले पर्यटकों के लिए आधारभूत उपादानों के विस्तार पर बल दिया जायेगा । तथापि, निजी क्षेत्र में प्रस्तावित होटल प्रायोजनाएं, जिनमें पांच स्टार वर्ग की प्रायोजनाएं भी सम्मिलित हैं, माली राहतों के रूप में दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों संस्थागत ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता, जरूरी आवश्यकताओं के लिए अग्रता से विचार आदि की पात्र हैं ।

विदेश में अध्ययन कर रहें छात्रों को निर्वाह भत्ता

7494. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्रों के निर्वाह भत्ते में वृद्धि कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है और उक्त वृद्धि किस तारीख से लागू की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अध्ययन के लिये मासिक निर्वाह भत्ते की राशि 210 अमरीकी डालर से बढ़ा कर 250 डालर कर दी गयी है ।

अर्थात् इसमें 19 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी है, अन्य देशों में अध्ययन के मामले में, निर्वाह भत्ते की राशि 700 पौण्ड (आक्सफोर्ड और केम्ब्रिज के मामले में 750 पौण्ड) बढ़ा कर 900 पोण्ड कर दी गयी है अर्थात् इसमें लगभग 29 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी है। ये नयी दरें पहली अप्रैल 1975 से लागू की गयी है।

फिल्मों पर उत्पादन शुल्क

7495. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय फिल्म वितरक संघ ने केन्द्रीय सरकार से पुराने और नये फिल्म प्रिंटों पर उत्पादनशुल्क में छूट देने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या नये उत्पादन शुल्क से फिल्म उद्योग को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और लगभग 10,000 सिनेमा घर और अन्य संस्थान बन्द हो जायेंगे ;

(ग) वर्ष 1975–76 में उक्त शुल्क के माध्यम से सरकार को लगभग कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है ; और

(घ) क्या सरकार इन कम्पनियों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ राहत देने पर विचार करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) अखिल भारतीय फिल्म वितरक संघ से इस मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उद्भासित फिल्मों पर वर्ष 1975 के बजट में प्रस्तावित परिवर्तनों से वर्ष 1975–76 के दौरान 1.50 करोड़ रु० का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

(घ) राहत मांगने से संबंधित विभिन्न अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है।

आयकर अधिकारी

7496. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जोन में काम कर रहे प्रथम श्रेणी के आयकर अधिकारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या अन्य आयकर अधिकारियों की तुलना में प्रथम श्रेणी के आयकर अधिकारियों के लिये निर्धारित प्रतिशतता से यह संख्या कहीं अधिक है ;

(ग) क्या यह स्थिति दिल्ली के विभागीय उम्मीदवारों के पदोन्नति सम्बन्धी अवसरों के प्रतिकुल होने पर भी बनाये रखी जा रही है;

(घ) क्या इस बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) आयकर आयुक्त, दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आयकर अधिकारियों की स्वीकृति संख्या तथा कार्यरत संख्या नीचे दिये अनुसार है :—

	अधिकारियों की स्वीकृत संख्या	कार्यरत अधिकारियों की संख्या	
आयकर अधिकारी (श्रेणी I) .	67	(क) नियमित आधार पर नियुक्त किये गये अधिकारियों की संख्या—67	
		(ख) आयकर अधिकारियों (श्रेणी II) जिन्हें अन्तिम रूप से तदर्थ आधार पर आयकर अधिकारी (श्रेणी I) के रूप में नियुक्त किया गया है	25
		जोड़	92
आयकर अधिकारी (श्रेणी II) .	162		135
जोड़	229		227

किसी विशेष अधिकार क्षेत्र में श्रेणी, I के कार्यरत आयकर अधिकारियों की संख्या उस अधिकार क्षेत्र में श्रेणी II के कार्यरत आयकर अधिकारियों की संख्या की प्रतिशतता के रूप में निश्चित नहीं की जाती ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) उपयुक्त उत्तर भेजा गया था । पिछले 5 महीनों के दौरान दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में छः निरीक्षकों को आयकर अधिकारी (श्रेणी II) के रूप में पदोन्नत किया गया है ।

अमरीकी सहायता

7497. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरीका ने जिसने 1975 के दौरान भारत को सहायता देने का वचन दिया था हाल ही की घटनाओं के कारण अपने वचनों को पूरा करने से इंकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता का आश्वासन दिया गया था ;

(ग) कितनी सहायता देने से इंकार किया गया है ; और

(घ) अमरीका ने भारत को 1973 और 1974 में कितनी सहायता दी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) संयुक्त राज्य अमरिका ने अमरीकी राजस्व वर्ष 1975 के लिए अपने विदेशी सहायता विधेयक में भारत की 750 लाख डालर की रकम की सहायता दिये जाने का प्रस्ताव किया था। किन्तु अमरीका के सहायता कार्यक्रम में काफी कटौतियां कर दिये जाने के बाद यह रकम निकाल दी गयी है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1973–74 के लिए ऋण में 293.4 लाख डालर की छूट की व्यवस्था की थी। उन्होंने 1974–75 के लिए ऋण में 450 लाख डालर की छूट देना मान लिया है।

विदेशी मुद्रा विनियमन

7498. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधिनियमन के सम्बन्ध में विदेशों में अत्यधिक प्रतिकूल प्रचार तथा सन्देह पैदा किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए तथा यह स्पष्ट करने के लिए कि भारत में विदेशी पूंजी पर आपत्ति नहीं है पर्याप्त कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) ऐसा पता चला है कि जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 लागू किया था तब उसके उद्देश्यों के बारे में विदेशों में कुछ भ्रांतियां थी।

(ख) और (ग) किन्तु सरकार ने भारत में तथा अन्य देशों में अपने सरकारी और अर्ध-सरकारी अभिकरणों के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के मूल कारणों तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 23 के निर्देशकों की मुख्य-मुख्य बातों का प्रचार करने के लिए उचित उपाय किए हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि देश में विदेशी पूंजी की आमद के बारे में उसकी नीति बडी ही चयनात्मक है और उसका लक्ष्य तकनीकी कमियों को पूरा करना तथा निर्यात को बढावा देना है।

आलोक उद्योग ग्रुप की कम्पनियों के कर्मचारियों के वेतन से अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत कटौतियां

7500. श्री विजय पाल सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि भारत ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड जयपुर उद्योग लिमिटेड, ओलियन प्लाइवुड लिमिटेड, कम्पनियों तथा आलोक उद्योग ग्रुप की अन्य कम्पनियों ने अपने कर्मचारियों के वेतन से अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मास कटौतियां की हैं;

(ख) यदि हां तो क्या इन्हों ने इन राशियों को भारत सरकार के पास जमा कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक कम्पनी ने अब तक कुल कितनी कितनी धनराशि जमा की है तथा इस सम्बन्ध में अन्य तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 की ओर है जिसके अनुसार 6 जुलाई 1974 से अतिरिक्त वेतन तथा महंगाई भत्ते की आधी रकम जमा करायी जानी

है। सरकार के पास जो सूचना उपलब्ध है, उससे मालूम होता है कि आलोक उद्योग ग्रुप से सम्बन्धित निम्नलिखित कम्पनियों ने अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्मचारियो के वेतन से कटौतियां की है :—

आलोक उद्योग ओवरसीज लिमिटेड, आलोक उद्योग सर्विसिज लिमिटेड, भारत ओवरसीज (प्राइवेट) लिमिटेड, महेशपुर होल्डिगज लिमिटेड, युनिवर्सल इन्वेस्टमेन्ट ट्रस्ट, जयपुर उद्योग लिमिटेड, कानपुर जुट उद्योग आलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाइवुड लिमिटेड तथा ऐल्वियन प्लाइवुड लिमिटेड ।

(ख) कर्मचारियों के वेतनों से इस प्रकार काटी गयी रकमें, भारत सरकार के पास जमा नहीं करायी जानी होती, बल्कि अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत तैयार की गयी योजनाओं के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर-अन्दर इस अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित मनोनित प्रधिकारियों के पास और इस मामले में सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को भेजनी होती है। इस समय तक सरकार के पास उपलब्ध जानकारी से मालूम होता है कि निम्नलिखित कम्पनियों ने, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के पास निर्धारित समय के अन्दर-अन्दर अथवा पूरी रकमें नहीं भेजी है :—

आलोक उद्योग सर्विसिज लिमिटेड, जयपुर उद्योग लिमिटेड, कानपुर जूट उद्योग, आलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाइवुड लिमिटेड तथा एल्वियन प्लाइवुड लिमिटेड ।

(ग) उपर्युक्त कम्पनियों द्वारा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को अब तक भेजी गयी रकमों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

कम्पनी का नाम	अब तक भेजी गयी रकम
जयपुर उद्योग लिमिटेड . .	96,855 रुपये (इसके अतिरिक्त, पता चला हैं कि कम्पनी ने 1.17 लाख रुपया भेजा है किन्तु क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को अभी तक बैन्क से जमा सूचना नहीं मिली है।)
भारत ओवरसिज (प्रा०) लि० . .	5,835 रुपये
आलोक उद्योग सर्विसिज लि० . .	451 रुपये
महेशपुर होल्डिग्स लि० . . .	715 रुपये
युनिवर्सल इन्वेस्टमेन्ट ट्रस्ट . . .	153 रुपये
कानपुर जुट उद्योग . . .	ऐसा पता चला है कि कम्पनी ने 34,867 रुपये का एक चैक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश को भेजा है जिसे अभी तक बैन्क से जमा सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
आलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाइव्वुड लिमिटेड	1,004 पये
एल्बियन प्लाइवुड लिमिटेड . . .	56 रुपये

Seizure of Watches in Bombay

7501. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to a news-item published in the daily 'Vir Arjun' dated the 21st March, 1975 under caption "Bombay men do lakh ki ghariyan pakari gain" (watches worth Rs. 2 lakh seized in Bombay); and

(b) if so, the action taken in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b) Yes, Sir. On 19-3-1975, a car was intercepted by the officers of the Directorate of Revenue Intelligence Bombay Zone and 3,000 wrist-watches valued at Rs. 1,80,000 (Market value) were seized . The car valued at Rs. 10,000 was also seized. One person has been arrested in this connection. Further investigations are in progress.

कपड़ा मिलों को पर्याप्त मात्रा म रुई की सप्लाई

7502. श्री जाम्बुवन्त घोटे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश की बहुत सी कपड़ा मिलों को पर्याप्त मात्रा में रुई नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो कपड़ा मिलों को पर्याप्त मात्रा में रुई सप्लाई करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार का विचार कपड़ा मिलो के लिए समन्वय समिति गठित करने का है ताकि रुई की वसूली के सम्बन्ध में बेहतर पुर्नव्यवस्था की जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

राज्य व्यापार निगम की सहायक कम्पनियां

7503. सरदार महेंद्र सिंह गिल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम की ऐसी सहायक कम्पनियों की कुल संख्या कितनी है जो क प्रमुख आयात निर्यात निगम के रूप में उसके कार्यों का बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसी और कम्पनियों की स्थापना करने का है ; और

(ग) यदि हां तो क्या पंजाब की निर्यात क्षमता को ध्यान में रखते हुए इनमें से कुछ कम्पनोयों की स्थापना पंजाब में की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) राज्य व्यापार निगम के तीन अनुषंगी निगम हैं अर्थात परियोजना तथा उपस्कर निगम, हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात

निगम तथा भारतीय काजू निगम । रासायनिक तथा भेषजीय निगम नामक एक और अनुषंगी निगम स्थापित करने का भी विनिश्चय किया गया है ।

(ख) इस समय कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय पटसन से बने माल की विदेशों में मांग के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन

7504. श्री झारखण्डे राय : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय पटसन से बने माल की मांग कम होने के कारणों की जांच के लिए नियुक्त अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल के सदस्यों के नाम क्या हैं और इस बारे में उसके क्या निष्कर्ष है और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दल में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थे :

1. श्री एस० जी० बोस मल्लिक, सजिव (निर्यात उत्पादन), वाणिज्य मंत्रालय ।
2. श्री एस० एन० चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त, कलकत्ता ।
3. डा० ए० के० सेनगुप्ता, आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय ।
4. श्री डी० सेन, अध्यक्ष, भारतीय पटसन निगम, कलकत्ता ।
5. श्री एस० दत्त मजूमदार, औद्योगिक सलाहकार, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता ।
6. श्री जे० पी० गोयनका, पटसन उद्योग के प्रतिनिधि ।

अध्ययन दल ने रिपोर्ट दी थी कि संयुक्त राज्य तथा कनाडा में पटसन माल की मांग में हाल की गिरावट मुख्य रूप से संश्लिष्टों से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण है । भवन निर्माण उद्योग म मंदी के कारण भी माग मे गिरावट रही है । अध्ययन दल के निष्कर्षों के अनुसार संश्लिष्टों से पैदा होने वाली प्रतियोगिता का प्रभावहीन बनाने के लिये यदि अभी से ही कारगर उपाय किये जाये तो 1976 तक निर्यातों मे सुधार हो सकता है ।

बड़ौदा के निकट करेंसी कागज मिल की स्थापना करना

7505. श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

श्री हरी सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बडौदा के निकट करैंसी कागज मिल की स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) नयी मिल की निर्धारित क्षमता 3600 मट्रिक टन करेंसी और बैन्क कागज तैयार करने की होगी । इस मिल पर मौजूदा कीमतों के अनुसार कुल 36.05 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है । गुजरात राज्य सरकार द्वारा मिल के लिए जमीन बडौदा से लगभग 8 कीलोमिटर दूर कोटाली-हरनी नामक गांवों में प्राप्त की जा रही है । मिल की योजना ऐसी बनाई जा रही है कि इसमें 1979-80 में औद्योगिक उत्पादन होने लगेगा और इसमें लगभग 1400 कामगारों को रोजगार मिलेगा ।

जापान से ऋण

7506. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत को 29.8 करोड़ रुपये का ऋण दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। जापान के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक के साथ, जिसके द्वारा भारत को जापान से सहायता मिलती है, 10 अप्रैल, 1975 को 11 अरब येन (3690 येन = 100 रुपये की मौजूदा विनिमय दर के अनुसार 29.8 करोड़ रुपये) के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गये थे। यह राशि सरकारी क्षेत्र की नेशनल फर्टिलायजर्स लिमिटेड नामक कम्पनी द्वारा स्थापित की जाने वाली पानीपत उर्वरक परियोजना के लिए जापान से आवश्यक माल और सेवाओं का आयात करने के लिए खर्च की जाएगी। यह ऋण 25 वर्षों में चुकाया जाना है जिसमें 7 वर्ष की रियायती अवधि शामिल है और इस पर 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा।

तमिलनाडु में कृषि कार्यों के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना

7507. श्री था० किरुतिनन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, कृषि कार्यों के लिए तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण के रूप में मंजूर की गई कुल धनराशि का बैंकवार और जिलावार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान वसूल की गई ऋण की राशि का जिलावार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) दिसम्बर, 1973 के अन्त तक की अवधि के दौरान तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये कृषिक अग्रिमों को जिलेवार और बैंक-समूहवार प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वसूल किए गए कृषिक ऋणों का जिलेवार विवरण उपलब्ध नहीं है। फिर भी, तमिलनाडु में प्रत्यक्ष कृषिक ऋणों की जून, 1972 और जून, 1973 को समाप्त वर्षों में जिलेवार वसूली की स्थिति निम्नलिखित थी :

(लाख रुपयों में राशि)

	भारतीय स्टेट बैंक समूह		
	मांग	वसूली	मांग से वसूली की प्रतिशतता
जून, 1972	146.70	92.02	62.8
जून, 1973 . . .	168.70	104.19	61.8

	राष्ट्रीयकृत बैंक		
	मांग	वसूली	मांग से वसूली की प्रतिशतता
जून, 1972 . .	973.86	541.34	55.6
जून, 1973 . . .	1238.54	701.54	56.6

विवरण

दिसम्बर 1973 के अंत में तमिलनाडु राज्य में बकाया कृषिक ऋणों (बागानों सहित) को जिलेवार और बैंक समूहवार प्रदर्शित करने वाला विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

जिला	भारतीय स्टेट बैंक और उसके समनुषंगी बैंक	14 राष्ट्रीयकृत बैंक
	कुल कृषि	कुल कृषि
मद्रास .	94.99	718.83
चिंगलपुट्ट	121.67	270.54
उत्तरी अर्काट	131.52	295.39
दक्षिणी अर्काट	150.06	297.32
तंजावूर .	155.20	202.10
तिरुचिरापल्ली .	130.81	350.19
सेलम .	67.78	301.46
धर्मपुरी . . .	57.68	78.69
नीलगीरी . .	38.01	262.31
कोयम्बतर .	308.72	504.92
मदुरे . . .	193.01	413.38
रामनाथपुरम . .	29.55	71.28
तिरुनेलवेली .	42.90	155.14
कन्याकुमारी . . .	6.33	99.81
जोड़ .	1528.23	4021.36

नये नोटों में त्रुटियां

7508. श्री के० मालन्ना :

श्री चौधरी राम प्रकाश :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 29 मार्च, 1975 के "मदर लेन्ड" में प्रकाशित समाचार के अनुसार अभी हाल में जारी किये गए 5, 10 और 20 रु० की प्रत्येक सीरिज के नये नोटों में 5 त्रुटियां है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी छपाई संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे मे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) OIA सीरीज के नये बीस रूपये के नोट का मूल्य देवनागरी लिपि में जो "बीस" लिखा गया है वह मराठी में है। O4A सीरीज के नये दस रुपये के कुछ नोटों में हो सकता है कि अक्षर R पर स्याही समान रूप से न आयी हो। पांच रुपये के नये नोटों में राज्य-चिन्ह फीके रंग में छापा गया है जो प्रायः हल्का होता है। यदि इसे अतिशी शीशे से देखा जाय, तो सभी कुछ साफ-साफ दिखायी देगा। राज्य चिन्ह जान-बूझ कर सुरक्षा के लिए के उपाय के रूप में फीके रंग में छापा गया है।

कूच बिहार सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०

7509. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच बिहार स्थित सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैन्क लिमिटेड के कार्यों का समुचित अध्ययन करने के बाद वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और क्या उक्त रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद सरकार ने कथित कूच बिहार सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि० को निलम्बित अदायगी की अनुमति देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सलाह दी थी जो 27 जनवरी, 1973 से प्रभावी की गई थी ;

(ख) उक्त रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या है और उक्त बैंक को निलम्बित अदायगी करने की अनुमति देने के क्या कारण है ; और

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक या बैंकिंग विभाग ने कोई अनुवर्ती कार्यवाही की है और यदि हां, तो किस प्रकार की ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग के किसी अधिकारी ने "कूच बिहार सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड" के मामलों में रिपोर्ट जैसी तो कोई चीज तैयार नहीं की है। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने विद्यमान सहकारी ढांचे में सुधार करने के लिए विशिष्ट सिफारिशें प्रदान करने के वास्ते "पश्चिम बंगाल के सहकारी कृषि ऋण संस्थानों विषयक अध्ययन दल" की स्थापना जनवरी 1972 में, की थी और वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग का एक अधिकारी इस दल के साथ सम्बन्ध था।

अध्ययन दल ने बकाया राशि की वसूली में सुधार और सामायिक अदायगी के वास्ते अनुकूल सिफारिशें की हैं। इसने उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में जहां सहकारी ऋण का माध्यमिक और आधार भूत ढांचा करीब करीब पूरी तरह टूट चुका है, और उन क्षेत्रों के लिए जहां वर्तमान सहकारी ऋण

ढ़ांचे के बच रहने के अवसर अब भी है, कुछ उपायों की सिफारिश की है। इसने वाणिज्यिक बैंको की भूमिका, सहकारी बैंकों के प्रबन्ध और सहकारी ऋण-ढांचे के पुनर्गठन के बारे में भी सिफारिशें की हैं। माध्यमिक स्तर पर सहकारी ऋण-ढ़ांचे के पुनर्गठन के प्रसंग में इस अध्ययन दल ने कूच बिहार सेन्ट्रल को आपरेटिव बैंक लिमिटेड" को "वेस्ट बंगाल स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड" के साथ मिला देने की सिफारिश की थी।

अध्ययन दल की सिफ़ारिशों पर आधारित और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गए एक आवेदन पत्र पर, भारत सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की (सहकारी समितियों पर यथाप्रवृत्त) धारा (2) के अधीन 21-1-73 को "कूच बिहार सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड के सम्बन्ध में अधिस्थगन (मोरेटोरियम) की स्वीकृति का एक आदेश जारी किया जिससे विलयन की प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले की, मध्यवर्ती अवधि में, बैंक के जमाकर्ताओं तथा अन्य ऋण दाताओं के हितों की सुरक्षा की जा सके।

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा गठित तथा भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के प्रतिनिधियों एवं अन्य व्यक्तियों से युक्त एक समीक्षा समिति उक्त अध्ययन द्वारा दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कडी नजर रख रहीं है।

लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क निर्यातकर्ता देशों के कार्टेल के संगठन की स्थापना

7510. श्री बालकृष्ण बंकन्ना नायक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के ऐसे कौन से देश हैं जिन्हों ने लोह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क निर्यातकर्ता देशों के कार्टल के संगठन की स्थापना करने में रुचि दिखाई है ;

(ख) क्या औद्योगीकृत लोह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क आयातकर्ता देशों के साथ जो दीर्घावधि व्यापार करार हैं वे ऐसे संघठन के मार्ग में बाधक हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या सक्रिय कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) मैंगनीज अयस्क निर्यातक देशों का संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में सरकार का कोई जानकारी नहीं है।

लोह अयस्क निर्यात देशों का एसोसिएशन स्थापित करने के लिए हाल ही में जेनेवा में अल्जीरिया, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, चिली, भारत, मारितेनिया, पेरु, सिएरा लिओने, स्वीडन, ट्यूनिसिया तथा वेनेजुएला द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कंसेंट्रेट विस्की और ब्रांडी का आयात

7511. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्सेंट्रेट विस्की और कंन्सेंट्रेट ब्रांडी को आयात करने वाली फार्मों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जो इन धोकेबाजी वाले विवरणों पर सहमत हुए जिसके कारण सरकारी आयात नीतियों का उल्लंघन करके झूठे विवरणों के अन्तर्गत स्काच विस्की और ब्रांडी का आयात किया जा सका; और

(ग) यदि नहीं तो उक्त मामले में अन्तर्गस्त फार्मों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, न्याय-निर्णय प्राधिकारी द्वारा, अभियोगों से सम्बन्धित कई फर्मों पर व्यक्तिगत दंड लगा दिये गये है। कुछ मामले न्याय निर्णयाधीन है।

जहां तक अधिकारियों का सम्बन्ध है, समाहर्ता, सीमाशुल्क, बम्बई, जिन्हों ने मामले पर विचार किया था, इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि माल को छोटी छोटी खेपें आयातकर्ताओं की घोषणा के आधार पर निकाली गई थी और किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना आवश्यक न था।

चाय पर उत्पादन शुल्क

7512. श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान अध्ययन दल ने जोनल तथा क्षेत्रीय वर्गीकरण के आधार पर चाय पर उत्पादन शुल्क लगाये जाने की स्वीकृति नहीं दी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय भारतीय बागान उद्योग के अध्ययन में चि लेने वाले संसद् सदस्यों के एक अनौपचारिक दल द्वारा वाणिज्य मंत्रालय को पेश की गई रिपोर्ट से है।

यदि यह सही है, तो रिपोर्ट का संगत अंश नीचे उदधृत किया गया है :

> "चाय के क्षेत्रीय/प्रदेशोक वर्गीकरण के आधार पर उत्पादन शुल्क का लगाया जाना उचित नहीं है और इसमें किसी क्षेत्र विशेष में छोटे एककों को अपेक्षाकृत अधिक कठिनाई उठानी पड़ती है। इस प्रकार शुल्क का लगाया जाना प्रत्यक्षतः अनुचित जान पड़ता है और यह तर्क संगत बिल्कुल नहीं है।"

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

Profit/Loss to Indian Airlines and Air India

7513. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total amount invested in the Indian Airlines and in Air India and the amount of profit accrued to or loss incurred by Government as a result thereof in 1972, 1973 and 1974; and

(b) in case loss was incurred, the amount thereof in each of these years and the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) The entire capital of the two Air Corporation is provided by the Government. 50% of which is notionally treated as equity and the remaining 50% as debenture. The debenture portion of the capital carries interest at rates prescribed by Government from time to time. The capital advanced by Government to the two Air Corporations at the end of the years 1972-73, 1973-74 and 1974-75 stood as follows :

(Rs. in lakhs)

	1972-73	1973-74	1974-75
Air-India	4681·63	5181·63	6181·63
Indian Airlines	4928·36	5278·36	5278·36

The profit made/(loss suffered) by the two Air Corporations during these years is as follows :

(Rs. in lakhs)

	1972-73	1973-74	1974-75
	(Actual)		(Provisional)
Air-India	94·00 (Loss)	30·00 (Profit)	1200·00 (Loss)
Indian Airlines	0·75 (Profit)	134·84 (Loss)	81·00 (Profit)

The reasons for the loss incurred by the two Air Corporations are as under :

Air-India

1972-73 : Due to large non-operating expenditure consisting of substantial burden of interest incurred on U. S. loan, additional interest on Government loan and the payment of additional minimum bonus for the previous two years, namely 1970-71 and 1971-72.

1974-75 : Due to steep rise in the price of aviation fuel from October, 1973, the illegal strike by Pilots for a period of three months in 1974 and its after effects.

Indian Airlines

1973-74 :

(a) Loss of capacity due to

(i) the loss of a Boeing 737 aircraft on 31-5-1973 due to an accident near Palam airport.

(ii) Loss of Caravelle aircraft, due to accident at Santa Cruz airport on 3-7-1973.

(iii) Severe damage to a F-17 aircraft, due to an accident at Calcutta airport in July, 1973.

(iv) Grounding of the entire HS-748 fleet with from 13-9-1973 for inspection and necessary rectification following the detection of a snag in aileron (the aircraft were put back into operation in stages, between 24-9-1973 and 22-10-1973).

(b) Disruption to services following the refusal by the Air Corporations Employes' Union, Indian Aircraft Technicians' Association and the All India Aircraft Engineers' Association to follow the new shift pattern introduced from 12-11-1973 leading to the lock-out declared from 24-11-1973 and consequent reduced operations till 18-3-1974 when normal operations were resumed.

(c) Increase in Insurance Rates with effect from 1-10-1973 because of accident to aircraft in the fleet of the Corporation.

(d) Increase in price of aviation fuel in June and November, 1973 and March, 1974.

इंडियन एयरलाइंस के प्रादेशिक विमान-मार्गों पर यात्री परिवहन

7514. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स के प्रादेशिक विमान मार्गों पर यात्री परिवहन में अभी हाल में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरा क्या है और इस के क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) 1974–75 की पहली छमाही के दौरान क्षेत्रीय मार्गों पर इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा वाहित यात्रियों की संख्या 1973–74 की उसी अवधि के दौरान वाहित 766, 487 यात्रियों की तुलना में, 6,52,424 थी। यातायात में 14. 9% की कमी मुख्यतया मार्च, 1974 से विमानन ईंधन की कीमत में अत्यधिक वृद्धि होने के पश्चात अत्यधिक अलाभप्रद तथा वाणिज्यिक दृष्टि से अनावश्यक मार्गों की संख्या में कटौती और उसके परिणामस्वरूप वाइकाउन्ट तथा डकोटा विमानों को समाप्त करने के कारपोरेशन के निर्णय के कारण हुई।

1974–75 (फरवरी, 1975 तक) की दूसरी छमाही में क्षेत्रीय मार्गों पर वाहित यात्रियों की संख्या में, 1974–75 की पहली छमाही की तुलना में, 22% की वृद्धि होने का पता चलता है।

24 नवम्बर, 1973 से इण्डियन एयर लाइन्स में तालाबन्दी की घोषणा की गई थी तथा इसके परिणामस्वरुप 18 मार्च, 1974 तक, जब से कि सामान्य परिचालन प्रारम्भ किए गए थे, कई उड़ानों को रद्द किया गया था। इस प्रकार, 1974–75 की दूसरी छमाही के यात्री यातायात की 1973–74 की दूसरी छमाही के यात्री यातायात से तुलना नहीं की जा सकती।

आसाम आयल कम्पनी द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शल्क का अपवंचन

7515. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसामात आयल कम्पनी, डिगबाय ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का अपवंचन कर राष्ट्रीय राजकोष के साथ एक करोड़ रुपये का घोटाला किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आरोप के बारे में कोई जांच कराई थी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्रणब कुमार मखर्जी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है, और यथासम्भव शीघ्र सदन पटल पर रखी दी जाएगी ।

ड्यूटी पर तैनात विमान परिचारिकाओं द्वारा सौदर्य प्रसाधनों का उपयोग

7516. श्री पी० रंगनाथ शिनाय : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानन परिचारिकाओं पर पहले से ही यह शर्त लगी हुई है कि डयूटी के समय वे सौन्दर्य प्रसाधन का उपयोग करें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सौन्दर्य प्रसाधनों के लिए उन्हें कोई भत्ता दिया जाता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) एयर इण्डियन में, विमान परिचारिकाओं से इतने सौदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करने के लिए आग्रह किया जाता है जोकि औसत नौकरीपेशा लड़कियों द्वारा आपने दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रयोग किए जाने वाले सौन्दर्य प्रसाधनों से अधिक न हो, जबकि इण्डियन एयर लाइन्स में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है ।

(ख) एयर इडिया द्वारा सौन्दर्य प्रसाधनों के प्रयोग के लिए विमान परिचारिकाओं को कोई विशेष भत्ता नहीं दिया जाता है ।

भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम के लिये विश्व बैंक से ऋण

7517. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :
श्री नुरुल हूडा :
श्री डी० के० पंडा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० सी० आई० सी० आई० देश के उद्योगों के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक से 10 करोड़ डालर के ऋण के लिए इस समय बातचीत कर रहा है ; और

(ख) किन-किन विशिष्ट प्रयोजनों के लिए ऋण की राशि का उपयोग किया जाएगा और क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी की छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों के हितों के प्रतिकूल एकाधिकारी कम्पनियों का वित्त पोषण न किया जाये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम ने विश्व बैंक के साथ 2 अप्रैल, 1975 को 75 करोड़ रुपये की रकम के लिए (10 करोड़ अमरीकी डालर के बराबर) एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण का उपयोग सरकारी नीति के अनुसार गैर सरकारी क्षेत्र को पूंजीगत वस्तुओं के लिए जारी किए गये लाइसेन्सों के आधार पर, नयी औद्योगिक क्षमता की स्थापना करने के लिए पुंजीगत उपकरणों की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस सम्बन्ध में छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को प्रोत्साहन देने और एकाधिकार की प्रवृत्ति के विस्तार पर रोक लगाने की सरकार की सामान्य निति सर्वविदित है।

कलकत्ता में पटसन मिलों के विरुद्ध भारत रक्षा नियमों के विरुद्ध कार्यवाही

7518. श्री रानेन सेन :

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में दस पटसन मिलों के विरुद्ध भारत रक्षा नियमों के अधीन कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पटसन मिलों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उक्त कार्यवाही करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) खाद्यान्न तथा उर्वरकों की पैकिंग के लिए बोरों का उत्पादन तथा सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए पटसन आयुक्त 63 पटसन मिलों के सम्बन्ध में भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत उत्पादन नियंत्रण आदेश जारी करते रहे हैं।

पाकिस्तान के साथ व्यापार सम्भावनाओं का विस्तार

7519. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत के साथ अपनी व्यापार संभावनाओं का विस्तार करने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) पाकिस्तान के साथ भारत के व्यापार की गुंजाइश जनवरी 1975 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित व्यापार करार द्वारा नियंत्रित होती है। इस समय इस करार की शर्तों से बाहर जाने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Production of Controlled Cloth by Krishna Mills Limited, Beawar (Rajasthan)

7520. Shri Lalji Bhai: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity of Controlled cloth produced by Krishna Mills Limited, Beawar (Rajasthan) during 1974; and

(b) the quantity of cloth sold by its authorised retail shop, Udaipur during the above period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Export of Mica through M. M. T. C.

7521. Shri Shanker Dayal Singh : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government are channelising entire mica trade through the Minerals and Metals Trading Corporation ;

(b) if so, the countries to which MMTC exported Mica during the last two years and the value thereof as also the countries whose supply orders are pending with the Corporation at present and the value thereof ; and

(c) whether besides MMTC, private traders are also exporting mica to foreign countries and if so, the names of the firms which exported mica to foreign countries during the last two years and the value thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) Export of all varieties of processed mica was canalised through the M.M T.C. with effect from 24th January 1972. Mica Trading Corporation which was set up on the 1st June, 1974 as a subsidiary of M.M.T.C. has taken over this work from that date.

(b) A statement is attached. [Placed in Library. See No. L. T.-9519/75].

(c) No, Sir.

पटसन की आगामी फसल का मूल्य

7522. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय पटसन निगम के चेयरमैन द्वारा 31 मार्च, 1974 को दिए गए उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें यह आशंका व्यक्त की गई है कि यदि पटसन की आगामी फसल के लिए उचित न्यूनतम मूल्य की तुरन्त घोषणा न की गई तो लोग पटसन की खेती वाली भूमि में अन्य फसलें उगायेंगे ;

(ख) क्या सरकार का विचार पटसन की खेती करने वालों को हुई भारी हानियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मूल्य गत वर्ष की तुलना में अधिक रखने का है ; और

(ग) यह गारन्टी देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय पटसन निगम न्यूनतम मूल्य पर बिक्री योग्य सारा पटसन खरीद लेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां। 31 मार्च, 1975 को वक्तव्य दिया गया था ।

(ख) 1975–76 के लिए उपयुक्त निम्नतम कीमत निर्धारित करने के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है । बहुत जल्दी ही विनिश्चय किये जाने की सम्भावना है ।

(ग) भारतीय पटसन निगम को धीरे धीरे सुदृढ किया जा रहा है । कच्चे पटसन की लगभग 25 लाख गांठों को हैन्डल करने क लिए अपेक्षित अवस्थापना का निर्माण हो गया है । भारतीय पटसन निगम के लिए उपयुक्त साधन सुनिश्चित करने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वह अपने कार्य कर सकें ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये कृषि ऋणों की वसूली

752 > श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए कृषि ऋणों की वसूली की प्रतिशतता बहुत कम है ;

(ख) क्या यदि हां, तो दिए गए कृषि ऋणों की कुल राशि, अब तक वसूल की गई राशि को दर्शाते हुए इसके नवीनतम आंकड़े क्या हैं और राज्य वार मांग की तुलना में वसूल की गई राशि की प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) वसूली की दर के कम होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषिक ऋणों की वसूली की प्रतिशतता जून, 1974 के अन्त में 48.7 प्रतिशत थी। प्रत्यक्ष कृषिक अग्रिमों की सकल बकाया राशि, की गई वसूली और मांग से वसूली की प्रतिशतता विषयक जून, 1974 की स्थिति प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9520/75]**

(ग) कृषिक अग्रिमों की वसूली की धीमी गति के कुछ महत्वपूर्ण कारण ये हैं : प्राकृतिक प्रकोप, प्रतिकूल मौसम अवस्थाएं, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, ऋण के अन्तिम उपयोग के पर्यवेक्षण के वास्ते संगठनात्मक मशीनरी की कमी, व्यापक क्षेत्र में ऋणों का छितराव आदि।

नारियल जटा के निर्यात में कमी होना

7524. श्री शरद यादव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1973-74 के पूर्वार्ध में नारियल जटा के निर्यात में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की इसी अवधि में किए गए निर्यात की अपेक्षा टनों और मूल्यों के रूप में कितनी कमी हुई ;

(ग) निर्यात में इस कमी के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मात्रा में अपेक्षाकृत 2045 मे० टन तथा मूल्य में 0.03 करोड़ रु० की कमी पाई गई।

(ग) कमी प्रमुखता श्रमिक हड़ताल की वजह से आई जिसने जून 1973 के महीने के दौरान कोचीन पत्तन को ठप्पा दिया था। ब्रिटेन को होने वाले कयर धागे के निर्यात में भी गिरावट आई जिसका प्रमुख कारण श्रीलंका में स्थापित यन्त्रीकृत कयर उद्योग से तीव्र प्रतियोगिता होना है।

(घ) कयर उत्पादों की किस्म सुधारने, उत्पादन बढ़ाने, आयातक देशों से टैरिफ सम्बन्धी रियायतें मांगने तथा हमारे उत्पादों के लिए और बाजार ढूंढने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

'ग्राउंड स्टाफ' और एयर इंडिया एम्पलाइज गिल्ड से हड़ताल का नोटिस

7525. श्री नरुल हुड़ा :
श्री मधु दंडवते :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "ग्राउन्ड स्टाफ" और "अमान्यता प्राप्त" "एयर इण्डिया एम्प्लाइज गिल्ड" से अनिश्चित अवधि के लिए हड़ताल करने का कोई नोटिस मिला है ;

(ख) क्या कर्मचारियों के उक्त "गिल्ड" ने एयर इण्डिया के प्रबंधकों को सूचित किया था कि यदि कर्मचारियों की मांगों पर 1 अप्रैल, 1975 तक निर्णय नहीं लिया जायगा तो कर्मचारी हड़ताल करेंगे ;

(ग) एयर इण्डिया के कर्मचारियों की मांगें क्या हैं ; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (घ) एयर इण्डिया कर्मचारी गिल्ड ने, जो कि एक गैर मान्यता प्राप्त संघ है और जो तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों वर्गों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 22 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत 10 अप्रैल, 1975 को एक हड़ताल का नोटिस दिया है जिसमें 24 अप्रैल, 1975 को अथवा उसके बाद किसी भी दिन हड़ताल करने का प्रस्ताव किया गया है। नोटिस का आधार यह है कि प्रबन्धक वर्ग ने उनकी निम्नलिखित मांगों पर विचार एवं उन्हें स्वीकार नहीं किया है :—अर्थात् (i) वेतनमानों के पुनरीक्षण, महंगाई भत्ते में बढोत्तरी आदि के सम्बन्ध में उनके दिनांक 4 जून, 1973 के मांग पत्र; (ii) प्रबन्धक वर्ग द्वारा घोषित की गयी 18-9-74 से 31-10-74 तक की अवधि के बीच "आंशिक तालाबन्दी" की अवधि के लिए कर्मचारियों के वेतनों के भुगतान सम्बन्धी मांग; (iii) वर्ष 1971–72, 1972–73 तथा 1973–74 के लिए उनके कुल वेतन के 20 प्रतिशत की दर से बोनस की अदायगी की मांग और (iv) एक चौकीदार को जिसकी सेवाएं अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप समाप्त कर दी गयी हैं ; पुनः नोकरी पर लगाने सम्बन्धी मांग।

प्रबन्धक वर्ग ने मामले की रिपोर्ट औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) अधिनियम, 1957 के नियम 74 के साथ पठित औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 22 (6) के अनुसार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), बम्बई, को कर दी है।

पैरामाऊन्ट इंजीनियरिंग वर्क्स, लखनऊ

7526. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : क्या **वाणिज्य** मंत्री पैरामाउन्ट इंजीनियरिंग वर्क्स को जारी किये गये लाइसेंसों/रिलीज आर्डरों के बारे में 28 फरवरी, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 162 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैरामाउन्ट इंजीनियरिंग वर्क्स, लखनउ को किस आधार पर लाइसेंस दिए गए थे ;

(ख) क्या लाइसेंस देने से पूर्व आयातित सामग्री के उपयोग के बारे में फर्म की क्षमत सुनिश्चित करायी गयी थी ; यदि हां, तो किस प्रकार ;

(ग) यदि कोई उपयोग-प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये गए तो क्या उनकी कभी जांच की गई ; और

(घ) इन आयात लाइसेंसों के बारे में फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से(घ) लाइसेंस चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा प्रमाणित रूप में आयातित माल की खपत के आधार पर जारी किये गये। जैसे यह देखा गया कि आगे जांच-पडताल जरुरी है, रिलिज आदेशों के आधार पर माल का आबंटन पुछताछ होने तक, जोकि चल रही है, रोक दिया गया।

तस्करी और विदेशी मुद्रा के घोटाले

7527. श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी के घोटाले के पीछे बड़े बुद्धिमान और वित्तपोषी व्यक्तियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया ;

(ख) क्या यू० के० होम आफिसर ने भारत सरकार को बार-बार उन यात्रा एजेंसियों के नामों की सूचना दी थी जो विदेशी मुद्रा का घोटाला करने वालों के एजेंटों के रूप में कार्य कर रही थी और यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि भारत मादक पदार्थों के व्यापार और मफिया का एशियाई मुख्यालय बन गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मखर्जी) : (क) विदेशी मद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत 886 व्यक्तियों को नजर-बंद किये जाने के आदेश दिये गये हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति, जिनके विरुद्ध नजरबन्दी-आदेश जारी किये गये हैं, अभी फरार हैं।

(ख) ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा दी गयी सूचना में कुछ यात्रा एजेंटों के ब्रिटेन में अवैध रूप से आ कर बस जाने की व्यवस्था करने में संदिग्ध रूप से अन्तर्ग्रस्त होने का उल्लेख किया गया है। लेकिन किसी विदेशी मुद्रा जाल-चक्र में उनके अंतग्रस्त होने के किसी आरोप का उल्लेख नहीं था।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम का होटलों द्वारा बेची गई खाद्य वस्तुओं के किस्म नियंत्रण बनाये जाने के लिये एजेन्सी

7528. श्री नरेन्द्र कुमार सोंधी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के एक उद्यम जनपथ होटल के मैनेजर तथा कैटरिंग इंचार्ज को अपमिश्रित दही बेचने के अपराध में हाल ही में कारावास तथा जुर्माने का दण्ड दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम अभी तक ऐसी आन्तरिक एजेन्सी नहीं जूटा पाया है जो कि इन सरकारी होटलों द्वारा बेची जाने वाली खाद्य वस्तुओं के किस्म नियंत्रण की देख रेख कर सके ; और

(ग) यदि इस प्रकार का कोई संगठन विद्यमान है तो अपमिश्रित दही की बिक्री का कैसे पता नहीं लग सका तथा स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने जनपथ होटल के भूतपूव मैनेजर तथा किचन सपरवाइजर को नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा 1970 के दौरान किए गए चालान के परिणामस्वरूप मिलावटी दही बेचने के अभियोग में दोषी ठहराते हुए साधारण कैद तथा जुर्माने की सजा दी है। सैशन कोर्ट में एक अपील दायर की गई तथा मामला न्यायाधीन है।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा परिचालित होटल सभी चीजों निर्माताओं,थोक विक्रेताओं अथवा खुले बाजार से प्राप्त करते हैं। दिल्ली में दूध 'दिल्ली दुग्ध योजना' से सील हुए डिब्बों में प्राप्त किया जाता है। अत: निमम का सामान की क्वालिटी पर कोई, सीधा नियंत्रण नहीं है। फिर भी , विभिन्न यूनिटों को निम्नलिखित अनुदेश जारी कर दिए गए है :--

(i) यथा संभव रूप से खरीदारी सुपर बाजार तथा सरकारी सहकारी स्टोरों एवं प्राधिकृत एजेंटों से की जानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खरीदे गये सामान पर भारत मानक संस्थान का चिन्ह हो और/अथवा गारंटीशुदा हो।

(i) खाद्य सामग्री का सरकारी प्रयोगशालाओं में आवधिक परीक्षण किया जाना चाहिए। दूध का परीक्षण करने के लिए, दुग्धमापी (लेक्टोमिटर) रखे जाने चाहिएं।

नई दिल्ली के अशोक होटल में एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी

7529. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 272 बिन्दुओं के बाद केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्तों की अदायगी काफी समय से देय है ;

(ख) क्या सरकार ने महंगाई भत्ते की किस्तों की घोषणा करते समय कहा था कि आगामी किस्तों के बारे में मार्च, 1975 के मध्य में आपसी बातचीत द्वारा विचार किया जायेगा ; और

(ग) यदि उपरोक्त बातों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की किस्तों के संबंध में सरकार कब घोषणा करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मखर्जी) : (क) तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि यदि मूल्य स्तर 12 महीने के औसत 272 से ऊपर बढ़ जाए

तो सरकार को स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और यह निर्णय करना चाहिए कि महंगाई भत्ते की योजना आगे बढाई जाए या वेतनमानों का ही संशोधन किया जाए। एतदनुसार 272 के स्तर से ऊपर महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तों का दिया जाना इस समीक्षा के परिणाम पर निर्भर करता है।

(ख) जी हां।

(ग) महंगाई भत्ते के मामले पर कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरु कर दी गई है। इस बातचीत को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा इस मामले की जांच की जाएगी और यथासंभव शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में पदों की संख्या

7530. **श्री एस० एम० सिद्धय्या** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1974 को उनके मंत्रालय तथा दूसरे संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी एक, दो, तीन और चार के ऐसे अस्थायी पदों की कुल संख्या क्या थी जो गत तीन वर्षों से विद्यमान थे तथा जिनकी अनिश्चित अवधि के लिए बने रहने की सम्भावना है ; और

(ख) नियमानुसार इन पदों को स्थायी घोषित न किये जाने के क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (चीफ एक्जीक्यूटिवस) की सेवावधि बढ़ाना

7531. **श्री शशि भूषण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के उन मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनकी सेवावधि समाप्त हो गई है अथवा समाप्त होने वाली है ; और

(ख) बैंकों के ऐसे मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनकी सेवावधि बढ़ा दी गयी है अथवा बढ़ाई जा रही है और इनकी सेवावधि के बढाने क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मखर्जी) (क) और (ख) नीचे लिखे अध्यक्षों एवम् प्रबंध-निदेशकों की नियुक्ति की अवधि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाली थी :--

(1) श्री डी० बी० तनेजा, सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया
(2) श्री बी० डी० ठक्कर, बैंक आफ बडौदा
(3) श्री बी० आर० देसाई, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
(4) श्री के० के० पै, सिण्डीकेट बैंक
(5) श्री पी० एफ० गट्टा, यूनियन बैंक आफ इण्डिया
(6) श्री जी० लक्ष्मीनारायणन्, इण्डियन बैंक

इन पदों पर दीर्घावधिक नियुक्ति के विषय में अन्तिम निर्णय होने तक, सरकार ने, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, उपर्युक्त अध्यक्षों एवम् प्रबन्ध-निदेशकों का कार्यकाल 30 अप्रैल, 1975 तक और बढा दिया है। इसमें 30 अप्रैल, 1975 का दिन भी शामिल है।

राजकोट डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड के परिसमापन विवरण पत्रों के बारे में शिकायतें

7532. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, अक्तबर, 1974 में कोई शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें राजकोट डीस्ट्रीक्ट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड के पारिसमापन विवरण पत्रों पर आपत्ति उठायी गयी थी;

(ख) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा कोइ जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) से (ग) जी हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच करने पर किसी गम्भीर अनियमितता का पता नहीं चला। यह देखा गया है कि बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी गई वैधानिक विवरणियों में सही स्थिति सूचित करता रहा था। तथापि, रिजर्व बैंक "राजकोट डिस्ट्रीक्ट सेण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक" द्वारा प्रस्तुत की गयी विभिन्न विवरणियों पर बराबर नजर रखता है।

वाणिज्य मंत्रालय में पदों की संख्या

7533. **श्री पी० एम० सैद :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1974 को उनके मंत्रालय और इससे संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के ऐसे अस्थायी पदों की कुल संख्या क्या है जो गत तीन वर्षों से चले आ रहे थे और जिनकी अनिश्चित अवधि तक चलत रहने की संभावना है; और

(ख) इन पदों को नियमों क अन्तर्गत जैसा अपेक्षित है, स्थायी घोषित न करने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपममंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंक आफ बड़ौदा बम्बई के अधिकारियों द्वारा कथित कदाचार

7534. **श्री मधु दण्डवते :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बक आफ बड़ौदा के अधिकारियों द्वारा कथित कदाचारों के बारे में जांच करने के लिए मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) बडोदा बैंक के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए सरकार से समय समय पर अनुरोध किये गये हैं। सरकार अपनी सामान्य प्रणाली के अनुसार आवश्यक समझने पर बैंक आफ बड़ौदा और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इन शिकायतों की जांच करती रही है।

ग्रिंडलज बैंक द्वारा धनराशि की हेरा-फेरी

7535. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या ग्रिंडलेज बैंक ने विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बड़ी धनराशि की हेरा-फेरी की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या ग्रिंडलेज बैंक द्वारा प्रकाशित किए गए भारत के मानचित्र मे इसने कश्मीर को भारत के हिस्से के रूप में नहीं दिखाया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस बैंक का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) संभवतया माननीय सदस्य के ध्यान में नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड (अब ग्रिन्डलेज बैंक लिमिटेड) के विरुद्ध इसके एक भूतपूर्व कर्मचारी की शिकायतें है जिनमें बैंक पर कर-अपवंचन और विदेशी मुद्रा विनियमनों का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

जहाँ तक विदेशी मुद्रा विनियमनों के उल्लंघन के आरोपों का संबंध हैं, इसके विषय में रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक ने कुछ तकनीकी उल्लंघन किये थे और रिजर्व बैंक ने इस बैंक को यह सलाह दी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में इस प्रकार के उल्लंघन न हों।

जहां तक कर-अपवंचन के आरोपों के संबंध है, बैंक के निर्धारण वर्ष 1970–71 और 1971–72 के कर-निर्धारण (असेसमेंट) पूरे हो चुके हैं। प्राप्त सूचना और आयकर विभाग द्वारा की गई विस्तृत जाँच-पड़ताल के आधार पर उनमें यथोचित वृद्धि कर दी गयी हैं। इनमें से अधिकांश वृद्धियों के विरुद्ध अपील की गई है। बैंक के पिछले निर्धारणों में से कुछ का पुनर्निर्धारण किया गया है। जब बैंक द्वारा स्रोत पर काटे गये कर की देय-अदायगी के मामले की जाँच समाप्त हो गई तो बैंक ने सरकार के खाते में एक काफी बड़ी राशि जमा करा दी।

(ग) नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक लिमिटेड ने दो नक्शे प्रकाशित किये थे। इनमें से तो जनवरी 1958 की "नेशनल ओवरसीज एण्ड ग्रिन्डलेज रिव्यु" नामक पत्रिका में और दूसरा 1958 की, बैंक की, 145 वीं रिपोर्ट में छपा था। इनमें से किसी में भी जम्मू व कश्मीर को भारत का अंग नहीं दिखाया गया था। जब इस मामले को रिजर्व बैंक के माध्यम

द्वारा बैंक से उठाया गया तो बैंक ने इस पर अपना खेद व्यक्त किया और वर्ष 1959 की बैंक-कार्यविधि पर निदेशकों रिपोर्ट में इस स्थिति को सुधारने का आश्वासन दिया। किन्तु बैंक की 1959 की रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान का कोई नक्शा प्रकाशित ही नहीं हुआ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कोचीन के हवाई अड्डे का निर्माण

7536. श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री कोचीन के निकट हवाई अड्डे के निर्माण के बारे में 22 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1663 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए स्थान का चयन करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) इस मामले में निर्णय करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है ; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(क) और (ग) स्थान के चयन में विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जांच सम्मिलित होती है। इस बीच, कोचीन के लिए बोइंग 737 सेवाएं शीघ्र चालू करने की दृष्टि से वर्तमान नौसैनिक विमानक्षेत्र में सुधार करने की संभावना की जांच की जा रही है।

सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया की कर्नूल शाखा आंध्र प्रदेश के खजांची द्वारा कथित अनियमितताएं

7537. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की कर्नूल शाखा (आन्ध्र प्रदेश) के खजांची को 20 लाख रुपये की गम्भीर अनियमितताएं करने के कारण आरोप पत्र दिया गया था लेकिन बाद में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के दबाव के कारण उसकी हैदराबाद में आफिसर कैरियर के रूप में पदोन्नति कर दी गयी और आरोप पत्र अभी भी लम्बित पड़ा है ;

(ख) क्या बैंक के केन्द्रीय कार्यालय ने वारंगल शाखा के एजेंट तथा कृषि वित्त अधिकारी के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं के कारण निलम्बन आदेश जारी किये थे लेकिन अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के दबाव के कारण सारी कार्यवाही वापस लेनी पड़ी; और

(ग) तत्संबंधी पूर्ण तथ्य क्या है, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने क्या कार्य किया है तथा उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि उसकी कुरुनूल स्थित शाखा के मुख्य खजांची को उनकी कुछ क्रियाविधि संबंधी अनियमितताओं के लिये वर्ष 1973 में अभियोग-पत्र (चार्ज

शीट) दिया गया था और उन्हें पदोन्नति पर नहीं अपितु उसी पद पर हैदराबाद शाखा में स्थानान्तरित कर दिया गया था। बैंक की वारंगल शाखा में कृषि-ऋणों की स्वीकृति के संबंध में बैंक ने सूचित किया है कि ईसे पम्प-सैटों और उर्वरकों की आपूर्ति में कुछ अनियमितताओं, बीजक बनाने एवं दस्तावजों के तैयार करने में कुछ त्रुटियों तथा इन ऋणों के संबंध में ऋणकर्ताओं द्वारा की गयी जालसाजी (इम्पर्सेनेशन) की घटनाओं का पता लगा है। बैंक ने सूचित किया है कि यह उस शाखा के एजेन्ट तथा कृषि वित्त अधिकारी के विरुद्ध इस प्रकार के मामलों में निर्धारित सतर्कता प्रणाली के अनुसार समयानुकूल, अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर रहा है। सेन्ट्रल बैंक आफ इंण्डिया ने यह भी सूचना दी है कि इन दोनों अधिकारीयों को वारंगल–शाखा से स्थानान्तरित तो कर दिया गया है, परन्तु इसके केन्द्रीय कार्यालय द्वारा उनके निलम्बन आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने इस बात से इन्कार किया है कि इस संबंध में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की ओर से कोई दबाव डाला गया है।

व्यक्तिगत कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाही पूर्णतया बैंक के आन्तरिक–प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आती है और सरकार किसी भी रूप में उसके बीच में नहीं आती।

निर्यातकों को प्रोत्साहन

7538. श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस वर्ष निर्यातकों को अधिक प्रोत्साहन देने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में निर्यात से कितनी आय होगी ;

(घ) क्या उपभोक्ता देशों में जिनमें से अधिकांश देशों को उत्पादन में कटौती और बेरोजगारी का सामना करना पड रहा है, व्याप्त आर्थिक अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए निर्यातकर्ताओं को उदाहरतापूर्वक और अधिक प्रोत्साहन देने वाली एक योजना पर विचार किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) 1975–76 के लिए पंजीवित निर्यातकों के लिए आयात नीति में, जोकि 7–4–1975 को घोषित की गई थी, निर्यातकों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध है।

(ग) अप्रैल, 1974 से फरवरी, 1975 तक की अवधि के दौरान निर्यातों में 2918.83 करोड़ रुपये की आय हुई।

(घ) तथा (ङ) जी नहीं।

काजू-उत्पादकों के निर्यात में कमी

7539. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में काजू उत्पादों के निर्यात में काफी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जी नहीं। 1974 के दौरान, अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, काजू उत्पादों के हमारे निर्यात 64070 मे० टन से जिनका मूल्य 105.88 करोड़ रु० था जबकि 1973 के दौरान ये 61688 मे० टन थे जिनका मूल्य 75.83 करोड़ रु० था।

तीव्रगामी नौकाओं को क्षति

7540. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोधक तीव्रगामी नौका काली तथा अन्य नौकायें कब से काम नहीं कर रही हैं तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) प्रत्येक नौका कितनी कितनी अवधि तक समुद्र में चलने योग्य नहीं रहीं तथा उसके क्या कारण थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) नार्वे में बनी जिन 14 नौकाओं को अब तक इस्तेमाल किया गया है उनमें से एक अर्थात् "शक्ति" नामक नौका 10/11 फरवरी, 1975 की दुर्घटना-ग्रस्त हो गई और उसे भारी क्षति पहुंची। जल परिवहन-विभाग ने इसे किफायती तौर पर मरम्मत के अयोग्य घोषित कर किया है।

"काली" और "भवानी" के ढांचे (हल) कुछ स्थानों पर छिल गये थे। "काली" 21-1-75 से इस्तेमाल किये जाने योग्य नहीं है। इसकी मरम्मत का काम जिसे तभी किया जा सकता था जब इसके सप्लाई करने वाले इस क्षति के लिये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते, और अब यह पूरा कर लिया गया है। "भवानी" 31 मार्च, 1975 से इस्तेमाल किये जाने योग्य नहीं है। मरम्मत का काम, नौका बनाने वाली कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा जिन्हें इस सप्ताह बम्बई पहुंचना है, इसका निरीक्षण कर लिए जाने के बाद शुरू किया जायेगा।

शेष नौकाएं अधिकतर इस्तेमाल किये जा सकने योग्य रही है सिवाय इस बात के कि उनकी समय-समय पर छोटी-मोटी संचालन मरम्मत हुई थी और नेमी रखरखाव किया गया था।

भारतीय चाय व्यापार निगम के कर्मचारियों और रख-रखाव पर खर्च

7541. **श्री रोबिन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चाय व्यापार निगम ने भारत में चाय मिश्रण के लिए क्या कार्यवाही की है ;

(ख) भारतीय चाय व्यापार निगम में सभी श्रेणियों के कुल कितने कर्मचारी हैं ; और

(ग) दिसम्बर, 1974 के अन्त तक इस निगम के रख रखाव और कर्मचारियों पर कुल कितना खर्च हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारतीय चाय व्यापार निगम द्वारा भारत तथा विदेश दोनों में सप्लाई के लिए अपेक्षित अपनी चाय ब्लैंड करने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

(ख) दिसम्बर, 1974 को सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या 27 है। इसमें वह स्टाफ, जिसकी कुल संख्या 360 है, शामिल नहीं है जो भारतीय चाय व्यापार निगम द्वारा अपने नियंत्रण में लिए गये सार्वजनिक चाय भांडागारों के लिए है।

(ग) 31-3-1974 तक निगम की स्थापना तथा रख-रखाव पर कुल 3.58 लाख रु० खर्च हुए। इसमें वह व्यय भी शामिल है जो व्यापारिक कार्यकलाप शुरू करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अवस्थापना जुटाने के लिए आरंभिक अवस्थाओं में हुआ था।

आयात-निर्यात बैंक की स्थापना

7542. श्री हरि किशोर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात निर्यात बैंक की स्थापना के बारे में समिति का प्रतिवेदन इस बीच सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) सरकार इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है। आशा है, यह समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत कर देगी।

India's External and Internal Debts

7543. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any scheme is being formulated by the Government of India for the clearance of the external and internal debts; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b) No, sir. Internal and external borrowings are a recognised resource for financing Plan and in the present stage of development and under the prevailing economic situation this source of financing has assumed crucial importance. The borrowings are utilised mainly for capital expenditure and for providing loans to State Governments and Public Sector Projects for development.

Payment of Income-Tax by Concerns Manufacturing Bangles and Glass Wares

7544. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the firms at Firozabad in Agra district (U.P.) engaged in manufacturing bangles and glass-wares which are paying income-tax ;

(b) the amount of income tax paid by them during the last two years, year-wise; and

(c) the amount of arrears of income-tax against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) The information is given in the enclosed list. [Placed in Library *See* No. L.T.—9521/75].

(b) The details of the Income-tax paid by these firms are as under :—

Financial year	Income-tax paid (Rs. in lakhs)
1973-74	15·56
1974-75	19·18

(c) Rs. 6.83 lakhs are in arrears of income-tax against these firms.

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया कलकत्ता में लगी आग की घटना के बारे में की गई जांच के परिणाम

7545. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के भवन में लगी आग की घटना के बारे में की गई जांच के परिणाम इस बीच सरकार को प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या जांच से यह सिद्ध होता है कि उक्त आगजनी अनेक अवैध व्यापारों में शामिल उच्च अधिकारियों के मामले रफा दफा करने के लिये की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता स्थित भवन में 3–4 जनवरी, 1974 को लगी आग की घटना की जांच के वास्ते गठित दल के निष्कर्षों के अनुसार यह आग आकस्मिक थी और जांच के दौरान इस दल को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे यह प्रकट हो सके कि यह आग जान बूझ कर लगायी थी या कोई गैर कानूनी फायदा उठाने का कोई उद्देश्य इसके पीछे था।

अरब एशियाई बैंक

7546. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई देशों के विकास के लिये अरब निवेश विधि के माध्यम से एक अरब एशियाई बैंक की स्थापना करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बैंक की मुख्य बातें क्या हैं और विचाराधीन बैंक की स्थापना के मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) संबद्ध विभिन्न देशों के बीच यदि कोई समझौता हुआ है तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) अब तक कोई अरब एशियाई बैंक स्थापित नहीं किया गया है यद्यपि ऐसा सम्भव है कि तेल का निर्यात करने

वाले कुछ अरब देश एक अरब एशियाई विकास बैंक की स्थापना करने पर विचार कर रहे हों।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

इंडिया टुबैको कम्पनी लिमिटेड के डायरेक्टरों/शेयर होल्डरों के विरुद्ध तस्करी के आरोप

7547. श्री एच० के० एल० भगत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया टुबैको लिमिटेड के किन्हीं डायरेक्टरों/शेयर होल्डरों को तस्करी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) आरोपों का स्वरूप क्या है और उनसे दोषसिद्ध करने वाली क्या क्या वस्तुए बरामद हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) मैसर्स इण्डियन टुबैको कम्पनी का कोई भी निदेशक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया गया था। शेयर धारियों के बारे में सूचना एकत्र करने में बहुत समय और श्रम लगेगा, जो प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। तथापि यदि माननीय सदस्य किसी शेयरधारी विशेष/किन्हीं शेयरधारियों के संबंध में सूचना चाहते हैं, तो वह एकत्र की जा सकती है और सदन-पटल पर रखी जा सकती है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

तस्करों के टेलीफोन कनेक्शन और मोटर गाड़ियां

7548. श्री एम० एस० पुरती :
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कथित तस्करों के टेलीफोन कनेक्शन काट दिये गये हैं और उनकी मोटर गाडियां जब्त कर दी गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मखर्जी) : (क) टेलीफोन काटने की कार्यवाही भारतीय तार अधिनियम के अन्तर्गत की जाती है जो अप्राधिकृत रूप में प्रयुक्त होने वाले टेलीफोनों को काटने की अनुमति देता है। जब कभी अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) के पास ऐसे अप्राधिकृत टेलोफोनों का पता चलता है तो उन्हें काट दिया जाता है।

जिन वाहनों को तस्करी के माल को लाने ले जाने में प्रयुक्त किया जाता है उन्हें सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन जब्त किया जा सकता है। किन्तु अधिनियम में उन वाहनों को केवल इस कारण जब्त करने की व्यवस्था नहीं है कि वह किसी कथित तस्कर-व्यापारी का है।

(ख) तस्करों तथा उनकी सहायता करने वाले अन्य व्यक्तियों से संबंधित टेलीफोनों, जो काट दिये गये हैं, के अभिदाताओं की राज्य वार सूची संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है।

विवरण

तस्करों तथा उनकी सहायता करने वाले अन्य व्यक्तियों से संबंधित टेलीफोनों, जो काट दिये गये हैं, के अभिदाताओं के नामों की सूची

नगर का नाम	टेलीफोन अभिदाता का नाम
बम्बई	1. श्री बी० एस० शाह
	2. डा० (श्रीमती) ए० बी० एम० उद्दीन
	3. श्री पी० एस० वेंकिट्म
	4. श्री एच० ए० अशर
	5. कुमारी टेहमी नरसरवानजी इरोसू
	6. मैसर्स जे० आर० प्रोडक्ट्स
	7. श्री आर० एस० अग्रवाल
	8. मैसर्स ऐलन बैरी इंजीनियर्स प्रा० लि०
	9. श्री महेन्द्रा वी० ठक्कर
	10. डा० एल० एम० शाह
	11. श्री टी० वी० रत्नम
	12. शिमला स्टडीज
	13. साइनेलेयर फ्रीट एण्ड चार्टरिंग कन्सलटेंस प्रा० लि०
	14. श्री उद्रम एच० वजीरानी
	15. श्री महेन्द्रा वी० ठक्कर
	16. श्री एस० केसर सिंह भगत सिंह
	17. मैसर्स एलेन बरी इंजीनियर्स प्रा० लि०
	18. बारिया इलैक्ट्रिक स्टोर्स
	19. श्री ओम प्रकाश थापर
	20. श्री के० एस० अयंगर
	21. श्री कैलास चंद जैन
	22. मैसर्स एस० डी० खरिवार
	23. श्री इकबाल अब्दुल रहमान
	24. श्री युसूफ ए० पटेल
	25. मैसर्स ओवरसीज रेडियो

नगर का नाम	टेलीफोन अभिदाता का नाम
	26. मैसर्स विसुमल वी० गांधी
	27. श्री धनजी वेलजी
	28. श्री रमेश चन्द्र मेहता
	29. श्री आर० के० अग्रवाल
	30. श्री दीवान चन्द्र कर्मानी
	31. मैसर्स नवीनचन्द्र एण्ड कं०
	32. मैसर्स तालिब एण्ड तालिब
	33. मैसर्स मोहम्मद भाई दाउद भाई
	34. महालिंगम शंकरन
	35. मैसर्स एफ० एम० चिन्नै एण्ड कं० प्रा० लि०
	36. मैसर्स जसवन्त राय रजनीकान्त एण्ड ब्रदर्स
	37. श्री वी० ओ० मल्कन
	38. श्री एम० एल० ढोलकिया
	39. श्री जगदीश के० चावला
	40. श्री जी० डी० पंजारी
	41. श्री वी० जे० दमनिया
	42. श्री बन्सीलाल जमलदास
	43. मैसर्स नुरमोहम्मद अब्जिद कं०
	44. मैसर्स महेन्द्र कुमार माधवजी कं०
	45. श्री चिमन भाई सी० शाह
	46. मैसर्स बखिरिया एण्ड कं०
	47. श्री छोटुलाल एच० शाह
मद्रास	48. श्री हरक चन्द्र जैन
अहमदाबाद	49. श्री जयन्तिलाल केशवलाल शाह
	50. श्री कान्तिलाल गोविन्दलाल पटेल

भारतीय पर्यटन विकास निगम का संगठनात्मक एवं प्रशासकीय ढांचा

7549. श्री सरजू पांडे : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री भारतीय पर्यटन विकास निगम को नया रूप देने के बारे में 6 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3468 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्ययन दल ने भारतीय पर्यटन विकास निगम के संगठनात्मक एवं प्रशासकीय ढांचे का अध्ययन पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार का उस पर क्या निर्णय है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) से (ग) दल ने अभी अपना अध्ययन पूरा नहीं किया है।

जब्त किये गये माल का निपटान

7550. श्री वसंत साठे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने जब्त किये गये माल का खनिज तथा धातू व्यापार निगम, राज्य व्यापार निगम, तथा हिन्दस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड जैसी किन्हीं केन्द्रीयकृत सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से निपटान करने की सम्भावना की जांच की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मखर्जी) : सरकार ने जब्त की गई वस्तूओं में से कुछ वस्तुओं की भारत के राज्य व्यापार निगम लि० के माध्यम से बिक्री की संभावनाओं की खोज की थी। पहले वर्ष 1968 में जब्तशुदा हीरों को भारतीय हथकरघा और हस्तकला निर्यात निगम लिमिटेड द्वारा बेचने की दिशा में एक प्रयास किया गया था किन्तु परिणाम उत्साहवर्धक नहीं रहे। जब्तशुदा रत्नों को विदेश में भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड के माध्यम से बेचने की संभावना की समाहर्ता सीमाशुल्क, बंबई द्वारा इस समय जांच की जा रही है। जब्तशुदा घड़ियों की बिक्री के बारे में, हाल हों में सरकार दवारा एक प्रयत्न किया गया कि उन्हें मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टुल्स लिमिटेड को परिक्षण के लिये और गारंटी के साथ पुनः विक्रय/निर्यात हेतु दिया जाय, किन्तु उन्होंने उक्त प्रस्ताव को व्यवहार्य नहीं पाया।

विदेशों के साथ व्यापार

7551. श्री शंकरराव सावंत : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान, इजरायल, जनवादी चीन और ताईवान के साथ हमारा किस प्रकार का एवं कितना व्यापार है ; और

(ख) इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) संक्षप में स्थिति नीचे बताई गई है।

(1) **पाकिस्तान** : पाकिस्तान के साथ भारतीय व्यापार दोनों देशों के बीच 23 जनवरी, 1975 को हस्ताक्षर हुए एक व्यापार करार द्वारा नियन्त्रित है। इस करार के अन्तर्गत व्यापार सरकार से सरकार को अथवा दोनों देशों के सरकारी नियन्त्रित व्यापार निगमों के जरिए संपन्न किया जाएगा। पाकिस्तान रुई निर्यात निगम तथा भारतीय रुई निगम के बीच पाकिस्तान से 2 लाख रुई की गाठें खरीदने के लिए इस बीच एक संविदा की गई है। व्यापार करार के अंन्तर्गत व्यापारिक सौदों की और आगे संभाव्यताओं के बारे में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच विचार विमर्श चल रहा है।

(2) **इजराइल** : इजरायल के साथ सरकार से सरकार के स्तर पर कोई लेन देन नहीं है और इसलिए दोनों के बीच कोई व्यापार करार अथवा समझौता नहीं है।

तथापि इजरायल के साथ व्यापार पर कोई रोक नहीं है और गैरसरकारी पार्टियां व्यापारिक सौदे कर सकती है। विगत कुछ वर्षों के दौरान इजरायल के साथ भारतीय व्यापार निम्नोक्त प्रकार रहा :—

(मूल्य लाख रु० में)

	को निर्यात	से आयात
1971–72	167	21
1972–73	290	95
1973–74	382	83

इजरायल के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाता है।

(3) **चीन का जनवाद गणराज्य** : चीन के साथ व्यापार करार 31–12–59 को समाप्त हो गया था और उसे नवीकृत नहीं किया गया था। 1962 से चीन के साथ हमारा व्यापार समाप्त हो गया तथा दोनों देशों के बीच कोई व्यापारिक लेन देन नहीं है।

(4) **ताइवान** : ताइवान के साथ सरकार से सरकार के स्तर पर कोई लेन देन नहीं है और इस लिए दोनों के बीच कोई व्यापार करार अथवा समझौता नहीं है। तथापि ताइवान के साथ व्यापार पर कोई रोक नहीं है और गैर-सरकारी पार्टियां व्यापारिक सौदे कर सकती हैं। विगत कुछ वर्षों के दौरान ताइवान के साथ भारतीय व्यापार निम्नोक्त प्रकार रहे :—

(मूल्य लाख रु० में)

	को निर्यात	से आयात
1971–72	513	37
1972–73	148	57
1973–74	255	58

ताइवान के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाता है।

सीमा-शुल्क तथा आय-कर विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

7552. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या वित्त मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्कर विरोधी अभियान को अप्रभावी ढंग से चलाने के कारण बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता स्थित आयकर अथवा सीमा शुल्क विभाग के किन्हीं वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायतें की गई हैं अथवा आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) क्या किसी अधिकारी के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मखर्जी) : (क) से (ग) सरकार को अधिकारियों के विरुद्ध यदाकिदा विभिन्न प्रकार की गुमनाम / छद्मनाम शिकायतें मिलती रहती है और सरकार के सामान्य आदेशों के अनुसार ऐसी शिकायतों पर कोई भी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं होती है। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता स्थित आय-कर, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभागों के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध ऐसी कोई भी हस्ताक्ष रत शिकायत नहीं मिली है, जिसमें तस्कर विरोधी अभियान को प्रभावी ढंग से नहीं चलाने का आरोप लगाया गया हो।

विदेशों के साथ हुए करार

7553. श्री शशि भूषण : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से रेल इंजनों, माल डिब्बों तथा अन्य रेल उपकरणों की सप्लाई के लिए वित्तीय वर्ष 1974–75 के दौरान किस किस देश के साथ करार हुए हैं ; और

(ख) प्रत्येक देश के साथ करारों का मूल्य तथा शर्तें क्या क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) 1974-75 के दौरान रेल के माल डिब्बों, सवारी डिब्बों तथा अन्य रेल उपकरणों की सप्लाई के लिए आस्ट्रेलिया, बर्मा, ताईवान, पूर्वी आफ्रीका, बंगलादेश, कनाड़ा, न्युजीलड तथा रुमानिया से करीब 10.20 करोड़ रु० मूल्य की निर्यात संविदाएं प्राप्त हुई है।

क्रेता तथा विक्रेता के बीच संविदाओं की शर्तें संबंधित पक्षों के व्यापार संबंधी राज है और प्रकट नही किए जाते । ब्यौरों को प्रकट करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

वित्त मंत्रालय के हिंदी अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना

7554. श्री चंद्रिका प्रसाद : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों और मुख्य सतर्कता आयुक्त ने वित्त मंत्रालय के प्रथम श्रेणी के एक हिन्दी अधिकारी पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की हैं ;

(ख) क्या सरकार दो वर्ष से अधिक समय से इस सिफारिश पर विचार कर रही हैं ;

(ग) क्या ये अपराध, जिनके लिए उक्त अधिकारी पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई है, उस समय किए गए थे जब वह वर्तमान संयुक्त सचिव (सतर्कता) कार्मिक विभाग, जो इस मामले की जांच कर रहा है, के अन्तर्गत कार्य कर रहा था; और

(घ) उस अधिकारी पर मुकदमा कब चलाया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मखर्जी) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरों और केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, दोनों से, वित्त मंत्रालय के प्रथम श्रेणी के एक हिन्दी अधिकारी के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस विषय में अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

इसलिए जैसा कि पहली सितम्बर 1972 के लोक-सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4358 के उत्तर में बताया गया था कि ईस अवस्था में केन्द्रीय जांच ब्यूरों की गोपनीय रिपोर्टे या केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की गोपनीय सूचना को प्रकट करना वांछनीय नहीं होगा।

(ख) जी हां, क्योंकि कि इसमें जो मुद्दे उठाये गये है उनपर सावधानी से विचार करने की जरुरत है।

(ग) जिन आरोपों की जांच की जा रही है उनमें विशेष रूप से किसी ऐसी भुल चूक या ऐसे गलत काम का अलग से उल्लेख नहीं है जो उस अवधि में किया गया हो जब हिन्दी अधिकारी वर्तमान संयुक्त सचिव (सतर्कता) के अधीन उस समय कार्य कर रहा था जब वे राजस्व विभाग में उप-सचिव के पद नियुक्त थे, न ही इनका संबंध उप-सचिव के नियंत्रणाधीन किये गये किसी सरकारी काम से है। इस विषय की जांच राजस्व विभाग और कार्मिके विभाग द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से की जा रही है। विभाग संयुक्त सचिव (सतर्कता) इस मामले पर कार्यवाई करने वाल कई अधिकारियों में से केवल एक अधिकारी है और इसका फसला ईससे ऊंचे स्तर पर निर्भर करता है।

(घ) इस मामले का फैसला यथासंभव शीघ्र किया जायगा।

नियंत्रित कपड़े का गुण नियंत्रण

7555. श्री मधु लिमये : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की है कि मिल्स सक्टर द्वारा प्रतिवर्ष 8000 लाख मीटर नियंत्रित कपड़ा तैयार किया जाये ;

(ख) क्या सरकार इस नियंत्रित कपड़े के संबंध में गुण नियंत्रण लागू कर रही है ;

(ग) क्या लोक सभा ने रुग्ण कपड़ा मिल अभिग्रहण विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान दिये गये अनेक सुझावों पर कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। अप्रैल-दिसम्बर 1974 की अवधि के दौरान 6120 लाख वर्ग मीटर नियन्त्रित कपड़े का उत्पादन हुआ। अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार जनवरी तथा फरवरी 1975 के महीनों के दौरान 1470 लाख वर्ग मीटर कपड़ा उत्पादन हुआ। अत: यह आशा है कि 80 करोड़ वर्ग मिटर का लक्ष्य मार्च 1975 के अन्त तक पूरा हो गया होगा।

(ख) जो हां। मिलों को, नियन्त्रित कपड़े की प्रत्येक किस्म के उत्पादन के विवरण से संबंधित ब्यौरा वस्त्र आयुक्त को देना अपेक्षित होता है। वस्त्र आयुक्त संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ लगा हुआ निरीक्षण स्टाफ मिलों द्वारा तैयार किए गए ब्यौरों की जांच करने के लिए मिलों का आवधिक निरीक्षण करता है।

(ग) तथा (घ) लोक सभा में, संकटग्रस्त वस्त्र मिलों का अधिग्रहण करने से संबंधित विधेयक पर वाद-विवाद के समय बहुत से सुझाव दिए गए थे। संगत मसलों पर विनिश्चय लेते समय इन सुझावों को ध्यान में रखा जाता है।

भारत-पाक युद्ध छिड़ने के बाद उत्तर प्रदेश के मधवापुर ग्राम में कृषि योग्य भूमि का शत्रु सम्पत्ति बनना

7556. श्री वी० आर० शुक्ल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की नौपाड़ा तहसील के मधवापुर ग्राम में स्थित कृषि योग्य भूमि का काफी बड़ा क्षेत्र भारत-पाक युद्ध के छिड़ने पर शत्रु सम्पत्ति बन गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त भूमि का क्षेत्रफल कितना है ;

(ग) क्या उक्त भूमि को भूतपूर्व काश्तकारों को वापस दे दिया गया है, हालांकि वे अब भारत के नागरिक अथवा निवासी नहीं हैं ;

(घ) क्या उक्त सम्पत्ति का प्रबंध कानपुर की फर्म मैसर्स जे० के० के अधीन है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या कथित करार की शर्त के अधीन फर्म अब प्रबन्धक नहीं रही है

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ङ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रबड़ उत्पादकों को उर्वरक तथा पम्प सैटों की सप्लाई के सम्बन्ध में राज सहायता

7557. श्री बरके जार्ज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय केरल में बड़े रबड़ उत्पादकों को ही आधी दर पर उर्वरकों तथा राज सहायता पर पम्प सेटों की सप्लाई उपलब्ध है ;

(ख) क्या सहायता प्राप्त रबड़ उत्पादक संघ ने सरकार से अनरोध किया है कि सुविधाएं छोटे रबड़ उत्पादकों को भी प्रदान की जायें ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) रियायती दरों पर उर्वरकों की सप्लाई की सुविधा रबड़ बोर्ड द्वारा केवल लघु उपजकर्ताओं को दी जा रही है। छिड़काव के लिए उपदान भी रबड़ बोर्ड द्वारा केवल लघु उपकर्ताओं को दिया जा रहा है भारतीय रबड़ उपजकर्ता ऐसोसिएशन ने इस संबंध में एक अभ्यावेदन दिया था और इस सुविधा को जारी रखने के प्रश्न पर रबड़ बोर्ड से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अखबारी कागज का धीमी गति से उठाया जाना

7558. श्री डी० डी० देसाई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 7.2 करोड़ रुपये के मूल्य का लगभग 18,000 टन अखबारी कागज धीमी गति से उठाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो धीमी गति से कागज उठाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा राज्य व्यापार निगम के परामर्श से कोई कार्यवाही की गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। राज्य व्यापार निगम के पास 7 करोड़ रु० मूल्य का लगभग 20,000 मे० टन वर्तमान समीकरण भंडार है।

(ख) धीमी गति से कागज उठाये जाने का मुख्य कारण ऋण संकुचन तथा अखबारों के पास पर्याप्त स्टाक का उपलब्ध होना है।

(ग) तथा (घ) इस दिशा में निम्नोक्त उपाय किये गये हैं :—

(1) राज्य व्यापार निगम के समीकरण भंडार हेतु अखबारी कागज के और आयात रोक दिये गये हैं ।

(2) जहां भी संभव होता है, पोत लदानों का फिर से कायक्रम बनाया जा रहा है ।

(3) विल मार्किट योजना के अन्तर्गत ऋण सुविधाएं दी गई हैं, जिसके अन्तर्गत आबंटी स्टाक उठाये जाने की तारीख के 90 दिनों के भीतर विनिमय साध्य विनिमय विपत्रों के आधार पर तत्काल स्टाक उठा सकते हैं।

(4) वे अखबार जो उनके लिए आयात किये गये स्टाक के उठाने में असमर्थ रह हैं उन्हें उनके लिए और आगे आयातों का प्रबंध करने से पहले स्टाक उठाने के लिए कहाजा रहा है ।

(5) कुछ अखबारी कागज सरकारी विभागों तथा सरकारीं क्षेत्र के उपक्रमों को आफर किया जा रहा है ।

Import of Mica

7559. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Commerce** be pleased state :

(a) whether Government are importing mica used in the electrical and electronic industries;

(b) if so, the quantity thereof every year and the reasons therefor ; and

(c) the steps being taken by Government to find out its substitute in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Visbwanath Pratap Singh) : (a) to (c) Some quantities of mica based insulating materials are imported into the country but factories have been and are being set up to manufacture these products in the country.

पालामऊ किला बिहार

7560. कुमारी कमला कुमारी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार के पालामऊ जिले में पालामऊ किला क्षति-ग्रस्त हो रहा है और इस किले को बनाने के लिये जो नशनल पार्क जाने वाल पर्यटकों के लिए वास्तव में एक आकर्षण है, कोई कदम नहीं उ ाये गय है ; और

(ख) यदि हां, तो किले को सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय पयटन विभाग को पालामऊ किले के बारे में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यह केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक भी नहीं है। अतः किले की तथाकथित बरबादी को रोकने के लिए उचित कार्यवाही का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है।

वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये गये ऋणों को शेयरों में बदलना

7561. कुमारी कमला कुमारी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्तीय संस्थानों द्वारा 20 बड़े औद्योगिक गृहों को दिये गये ऋणों को सरकार का विचार शेयरों में बदलने का है ताकि जो उद्योग मुख्यतया सरकार की सहायता से स्थापित किये गये हैं उनका भविष्य में राष्ट्रीयकरण सरलता से हो सके?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा नीजी क्षेत्र की औद्योगिक कम्पनियों को दिये गये ऋणों को शेयर-पूंजी में बदलने के संबंध में, इन पांच वित्तीय संस्थाओं को जारी किये मार्गदर्शक सिद्धांतों में निहित सरकारी नीति यह सुनिश्चित करने की है कि सहायता प्राप्त परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर उनसे होने वाले लाभ में राज्य को उचित हिस्सा प्राप्त हो, और इस प्रकार साम्य (इक्विटी) शेयरों में बदले गये ऋणों का प्रभावकारी उपयोग नीजि क्षेत्र के उद्योग के प्रबंध में राज्य की भूमिका को व्यापक बनाने के लिए किया जा सके।

ये संस्थाएं अपने ऋण–करारों में परिवर्तनीयता की धारा शामिल रख रही हैं। संस्थाओं द्वारा ऋण को शेयरों पूंजी में बदलने का वास्तविक उपयोग ऋण करार में लिखी गयी परिवर्तनीयता की धाराओं की शर्तों के अनुसार, उचित समय पर, किया जाता है : ऋण को सामान्य शेयरों में बदलने के विकल्प का वास्तविक उपयोग करना, परियोजना के प्रकार साम्य पूंजी से अपेक्षित आय, जैसी कई बातों पर निर्भर होता है।

मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किये जाने के बाद इन संस्थाओं दवारा बड़े बड़े 20 औद्योगिक घरानों की जिन कम्पनियों को सहायता दी गई है उन सभी के मामले में परिवर्तनीयता का विकल्प जोड़ा गया है। अब तक, बड़े बड़े 20 औद्योगिक घरानों को केवल 2 कम्पनियों के मामले में परिवर्तनीयता की अवधि अभी हाल ही में आरम्भ हुई है। इन संस्थाओं का विचार है कि संबंधित कम्पनियों के तुलन–पत्र प्राप्त हो जाने पर परिवर्तन के विकल्प के वास्तविक उपयोग संबंधी स्थिति की समीक्षा की जाए।

पटसन के बिक्री के लिये नियंत्रक (होल्डिंग) निगम की स्थापना

7562. श्री वनमाली बाबू : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश के अनुसार पटसन की बिक्री के लिये एक नियंत्रक (होल्डिंग) निगम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या नियंत्रक (होल्डिंग) निगम स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा अथवा भारतीय पटसन निगम के अधीन?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषी आयोग ने पटसन के विपणन तथा कीमतों आदि के कुछ पहलुओं पर एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ वह सुझाव दिया गया है कि भारतीय पटसन निगम को मजबूत बनाया जाय ताकि वह एक नियंत्रक निगम के रूप में कार्य कर सके। सरकार पहले ही भारतीय पटसन निगम को धीरे-धीरे मजबूत बना रही है तथा कच्चे पटसन के विपणन के लिए दूसरे निगम की स्थापना करने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

स्टेट बक आफ इण्डिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उड़ीसा में कृषि प्रयोजनाओं के लिये दिये गये ऋण

7563. श्री पी० गंगादेव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत ो वर्षों में उड़ीसा में कृषि प्रयोजनाओं के लिये कुल कितनी धनराशि के ऋण दिये ; और

(ख) ऋषि संबंधी जिन योजनाओं के लिये राज्य में ऋण मंजूर किये गये, उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) उड़ीसा में जून, 1973 और जून, 1974 के अन्त में सरकारी क्षेत्र में बैंकों के कृषि अग्रिमों की कुल बकाया की स्थिति नीचे लिखे अनुसार थी।

(राशि लाख रुपयों में)

	भारतीय स्टेट बैंक समूह	राष्ट्रीयकृत बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का जोड़
जून, 1973 .	145.75	94.71	240.46
जून, 1974 .	225.83	229.26	455.09
			(आंकड़े अनंतिम ह)

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंक किसानों को मौसमी कृषि कार्य के लिए अल्पावधि ऋणों के रूप में प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम प्रदान करते हैं, जिनमें फसल ऋण भी शामिल होता है। वह सावंधिक ऋण भी प्रदान करते हैं, जोकि छोटी सिंचाई योजनाओ को पूरा करने, पम्प सैटों/आयल इंजनों को लगाने, ट्रैक्टरों, बिजली टिलर्स, कृषि उपकरणों और मशीनों, और जुताई के लिए पशु आदि खरीदने, भूमि, सुधारने, गोदामों और कोल्ड स्टोरेज बनवाने एवं वागान के लिए विकास ऋण आदि के रूप में दिया जाता है। राज्य बिजली बोर्डों को ट्यूबवेलों में बिजली लगाने ; कृषि उपकरणों के डीलरों , कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना करने वाले उपक्रमियों और प्राथमिकता कृषि ऋण समितियों द्वारा किसानों को ऋण आदि के लिए अप्रत्यक्ष कृषि ऋण भी दिया जाता है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उड़ीसा में लघु उद्योगों के विकास के लिये दिये गये ऋण

7564. श्री पी० गंगादेव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकोंन उड़ीसा में लघु उद्योगों के विकास के लिये गत दो वर्षों में ऋण के रूप में कोई धनराशि दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो बैंक वार तथा जिला–वार कितनी सहायता दी गई?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) उड़ीसा में जून 1973 और 1974 अन्त तक सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा लघु उद्योगो को दिये गये ऋणों की बकाया राशि के संबंध में स्थिति नीचे दी जा रही :—

(राशि लाख रुपयों में)

बैंक समूह का नाम	(अन्तिम शुक्रवार को) जून 1973	जून 1974
	राशि	राशि
1. भारतीय स्टेट बैंक समूह	194.19	245.70
2. 14 राष्ट्रीयकृत बैंक	194.21	277.18
3. कुल सरकारी क्षेत्र के बैंक	388.40	522.88

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिये गये ऋणों के संबंध में आंकड़ें जिलेवार एकत्र नहीं किये जाते है। किन्तु नई सांख्यिकिय सूचना प्रणाली के अन्तर्गत अब सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों के क्षेत्रीय वितरण के आंकड़े जिलेवार इकट्ठा किये जा रहे हैं। उड़ीसा के जिलों में दिसम्बर 1972 और 1973 के अंतिम शुक्रवार को उपलब्ध आंकड़े अनुलग्नक में दिये जा रहे हैं।

विवरण

उड़ीसा में अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दियें गयें अग्रियों की बकाया राशि के संबंध में जिलेवार आंकड़ें

(राशि हजार रुपयों में)

जिला	(अन्त में) दिसम्बर	दिसम्बर1973
1. बालासोर . . .	1714	2172
2. बोलनगीर . . .	493	832
3. बौद्ध–खोण्डमलस . .	5	11

(राशि हजार रुपयो में)

जिला	दिसम्बर 1972	दिसम्बर 1973
4. कटक	21275	15511
5. धेनकमल	1038	1353
6. गंजम	2174	1920
7. कालाहाण्डी	280	495
8. क्योंझर	793	904
9. कोरापट	1307	1479
10. मयुरभंज	491	1445
11. पूरी	9489	10116
12. संबलपुर	7663	7389
13. सुंदरगढ़	6118	8048
जोड़	52840	50675

(आंकड़े आधारभूत सांख्यिकीय विवरण पर आधारित हैं और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये सरकारी क्षेत्र के बैंकों दवारा एकत्रित आंकड़े पारिभाषिक परिवर्तनों के कारण परस्पर तुलनीय नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विवादग्रस्त मामले

7565. श्री एन० ई० होरो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) केन्द्रीय सरकार के सरकारी उपक्रमों तथा राज्य सरकार के उपक्रमों के बीच विवाद के 31 मार्च, 1975 को मध्यस्थों/न्यायालयों के पास कितने-कितने मामले अनिर्णीत थे ;

(ख) ये मामले कितने समय से अनिर्णीत पड़ हैं ; और

(ग) दोनों पक्षों दवारा मुकदमों पर कुल कितना व्यय किया गया है और क्या ऐसे मामलों में हतक्षेप करके सरकार ने कोई रुचि ली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से ग) केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के राज्यों के सरकारी उपक्रमों राज्य सरकारों के विभागों तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के साथ जो विवाद अनिर्णित है उनके बारे में 31-3-1974 की स्थिति के आधार पर सूचना एकत्र की गयी है। केन्द्रीय सरकार के 33 उद्यमों ने ऐसे मामलों की सूचना दी है जो मध्यस्थों/न्यायालयों के यहां अनिर्णित पड़े हुए हैं। उनका ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। सरकार ने केन्द्रीय सरकार के उद्यमो से कहा हैं कि वे आपस में, विशेषकर मूल्य निर्धारण संबंधी मामलों में मुकदमें बाजी न करें। सरकार, केन्द्रीय सरकार के उद्यमों से यह आशा करती है कि वे राज्य सरकारों के विभागों/संगठनों के साथ अपने विवादों के संबंध में भी इसी प्रकार की नीति अपनायेंगे। जहां भी ऐसे विवाद

उत्पन्न हों उन्हें द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा तय कर लेना चाहिये। जहां ऐसा न किया जा सके वहां केन्द्रीय सरकार की सहायता ली जा सकती है ताकि न्यायालयों/मध्यस्थों के पास न जाना पड़े।

विवरण

1. सरकारी उद्यमों की कुल संख्या 115

2. ऐसे सरकारी उद्योमों की संख्या जिनका कोई मामला अनिर्णीत नहीं है --82

3. 31-3-1974 की स्थिति के अनुसार 33 सरकारी उद्यमों के मध्यस्थों/न्यायालयों के यहां अनिर्णीत मामले।

अनिर्णित मामलों की किस्म	6 महीने से कम अवधि के मामले	6 महीनेसे अधिक किंतु 1 वर्ष से कम अवधि के मामले	1 वर्ष से अधिक किन्तु 2 वर्ष से कम अवधि के मामले	2 वर्षसे अधिक पुराने मामले	जोड़
i केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और राज्यीय सरकारी उपक्रमों के बीच मामले	15	25	61	9	110
ii केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और राज्यीय सरकारी विभागों के बीच मामले . . .	8	10	17	114	149
iii केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के अन्य केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों/केन्द्रीय सरकारी विभागों के साथ मामले। . .	49	43	85	168	345
जोड़ . .	72	78	163	291	604

4. किया गया खर्च (रुपयां में)	1971-72	1972-73	1973-74	जोड़
	1,69,450	2,27,181	3,76,122	7,72,753

टिप्पणी : 604 मामलों में से 83 मामले भारतीय नौवहन निगम से संबंधित हैं और इन पर होने वाला खर्च मामलों का अंतिम निर्णय हो जाने पर उनके जहाजी माल के हामीदारों से वसूल कर लिया जायेगा क्योंकि निगम ने उनके पास अपनी जोखिम का बीमा कराया हुआ है। अत: इन मामलों का कोई खर्च नहीं दिखाया गया है। इसके अलावा कोचीन रिफा नरीज लिमिटेड के तीन मामलो का खर्च भी शामिल नही किया गया है क्योंकि उन्ह अपने वकीलों से खर्च का ब्यौरा नहीं मिला है।

बिहार, आसाम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में सहकारी पटसन मिलें

7566. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित पांच सहकारी पटसन मिलों में से बिहार में दो तथा आसाम, आंन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में एक मिल की स्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) प्रत्येक मिल की क्षमता क्या होगी और उनमें कितने श्रमिकों को काम मिलेगा और उत्पादन प्रारंभ करने संबंधी लक्ष्य क्या हैं ; और

(ग) सहकारी समितियों की सदस्यता किन वर्गों के व्यक्तियों संस्थाओं को दी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जबकि आन्ध्र प्रदेश में पटसन मिल सहकारी क्षेत्र में स्थापित की जा रही है, बिहार तथा उड़ीसा में उन के संयुक्त क्षेत्र में तथा असम, मेघालय व त्रिपुरा में उनके राज्य क्षेत्र में स्थापित किये जाने की सम्भावना है । औद्योगिक लाइसेंस केवल उड़ीसा में पटसन मिल के लिए जारी किया गया है तथा अन्य अभी आशय पत्र की अवस्था में हैं।

(ख) इन मिलो की आयोजित क्षमता इस प्रकार है :--

आंन्ध्र प्रदेश (एक एकक)	15,000 मे० टन प्रति वर्ष
असम (दो एकक)	12,500+12,660 मे० टन प्रति वर्ष
बिहार (दो एकक)	16,000+16,000 मे० टन प्रति वर्ष
उड़ीसा (एक एकक)	13,240 मे० टन प्रति वर्ष
मेघालय (एक एकक)	14,304 मे० टन
त्रिपुरा (एक एकक)	13,872 मे० टन

चूंकि इनमें से अधिकांश एकक आशय पत्र की अवस्था में हैं, अतः इस अवस्था में श्रमिकों आदि के संबंध में ब्यौरे नहीं दिये जा सकते।

(ग) आंन्ध्र प्रदेश में पटसन मिल के लिए आशय पत्र श्रीकाकुलम जिला गिरिजन पटसन उपजकर्ता सहकारी सोसाइटी के, जिसके सदस्य उस क्षेत्र के आदिवासी हैं, प्रवर्तक को जारी किया गया है ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिये दिये गये ऋण

7567. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत दो वर्षों में उद्योगों के विकास के लिये ऋण के रूप में राजस्थान को कितनी धनराशि देने की पेशकश की ; और

(ख) उसके बैंक-वार तथा जिला वार आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राजस्थान में जून 1973 और 1974 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों की बकाया राशि के संबंध में स्थिति नीचे दी जा रही है।]

(राशि लाख रुपये में)

अन्तिम शुक्रवार को

बैंक समूह का नाम	जून 1973	जून 1974
	राशि	राशि
1. भारतीय स्टेट बैंक समूह .	752.62	1031.31
2. 14 राष्ट्रीयकृत बैंक . .	396.41	660.65
3. कुल सरकारी क्षेत्र के बैंक . .	1149.03	1691.96

(आंकड़े अनन्तिम है)

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिये गये ऋणों के में आंकड़े जिलेवार नहीं एकत्र किये जाते हैं। किन्तु नई सांख्यकीय-सूचना प्रणाली के अन्तर्गत अब सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों के क्षेत्रीय वितरण के आंकड़े जिलेवार इकट्ठा किये जा रहे हैं। राजस्थान के जिलों में दिसम्बर 1972 और 1973 के अन्तिम शुक्रवार को उपलब्ध आंकड़े अनुबन्ध में दिये जा रहे हैं।

विवरण

राजस्थान में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु उदयोगों को दियें गयें अग्रिमों की बकाया राशी के संबंध में जिलवार आंकड़ें

(राशि हजार रुपयों में)

जिला	अन्त में	
	दिसम्बर 1972	दिसम्बर 1973
1. अजमेर . . .	7653	12927
2. अलवर . . .	3202	2030
3. बासवाड़ा . . .	555	524
4. वाड़नेर . . .	2619	4907
5. भरतपुर . .	3521	4764
6. भीरवाडा . . .	2198	2176
7. बीकानेर . .	4933	8075
8. हूँडी . .	4817	6394
9. चित्तौड़गढ़ . .	699	1123
10. चूरु . .	547	1178
11. डूंगरपुर . . .	25	7104

जिला	अन्त में	
	दिसम्बर 1972	दिसम्बर 1973
12. गंगा नगर . . .	2993	7563
13. जयपुर . .	41986	62069
14. जैसलमेर . .	22	1
15. जालौर . .	57	36
16. झालावाड़ .	518	831
17. झुंझनु .	1786	1310
18. जोधपुर .	10992	13842
19. कोटा	15377	10876
20. नागौर .	2333	2687
21. पाली . .	4010	4577
22. सवाई-माधोपूर . .	528	1180
23. सीकर .	516	567
24. सिरोही . .	280	356
25. टोंक .	328	396
26. उदयपुर .	13076	8163
जोड़	125571	158656

(आंकड़े आधारभूत सांख्यकीय विवरण पर आधारित है और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एकत्रित आंकड़े परिभाषिक परिवर्तनों के कारण परस्पर तुलनीय नहीं हैं।)

आम और अन्नानास के निर्यात के लिये मंडियों का सर्वेक्षण

7568. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**

श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आम और अन्नानास के निर्यात के लिये मंडियों का कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं और उनके मंत्रालय ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Measures to increase Mica Production

7569. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the effective measures being taken to increase mica production in the country;

(b) whether Government propose to set up mica trade agenciese in foreign countries which use Indian mica ;

(c) whether Government have any proposal for setting up a high level committee which after touring the mica belt would prepare a study report suggesting improvements in the production, development and marketing of mica ; and

(d) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) A fair return to those engaged in the production of mica is being ensured by adjustment of floor prices of processed mica *vis-a-vis* the cost of production.

(b) & (c) No, Sir.

(d) Does not arise.

विदेशी कम्पनियों की गतिविधियों में विविधता लाने सम्बन्धी नियतकालिक कार्यक्रम

7570. श्री एन० आर० बेकारिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत स्थित विदेशी कम्पनियों की गतिविधियों में राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुरूप विविधता लाने के लिये उन्हें नियतकालिक कार्यक्रम बनाने के लिये राजी करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, जिसकी एक प्रति 20 दिसम्बर, 1973 को लोक सभा पटल पर रख दी गयी थी, वस्तुओ का निर्माण करने वाली ऐसी विदेशी कम्पनियों को, जो 1973 की औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के परिशिष्ट 1 के अधीन नहीं आतीं अथवा जिन्हें देश में उपलब्ध न होने वाली आधुनिक तकनीक की आवश्यकता नहीं है अथवा जो निर्यात प्रधान नहीं है अथवा ऐसी कम्पनियों को जो मुख्य रुप से व्यापार/वाणिज्यिक कार्य करती हों, एक खास अवधि के अन्दर अन्दर विदेशियों के शेयरों की प्रतिशतता को कम कर के 40 करना होगा, बशर्ते वे अपने मौजूदा निर्माण/व्यापारिक कार्यों के रूप को एक खास अवधि में मुख्यत: परिशिष्ट 1 के अन्तर्गत आने वाले निर्माण उद्योगों अथवा निर्यात प्रधान उद्योगों में बदल लें। भारतीय रिज़र्व बैंक उन आवेदकों से, जो ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं और जिनके आवेदन पत्रों पर विचार किया जा चुका है, निर्देशों के अनुसार अपनी सामान्य शेयरधारिता में कमी करने के लिए कहेगा

और जहां आवश्यक हो वहां उन कम्पनियों को उनके कार्यों में विविधता लाने के लिये एक नियतकालिक कार्यक्रम बनाने के लिए कहेगा जिसकी सरकारी नीति के ढांचे के अन्तर्गत जांच की जायगी ।

उड़ीसा में धन कर और उपहार कर की वसूली

7571. श्री अनादिचरण दास : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष में आज तक उड़ीसा में कितना धन कर और उपहार कर वसूल किया गया; और

(ख) धन कर देने वाले व्यक्तियों के नाम क्या है और उनमें से कितने भारतीय रियासतों के भूतपूर्व शासक है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) वित्तीय वर्ष 1974-75 में उड़ीसा अधिकार क्षेत्र में 24.26 लाख रु० की धन-कर में तथा 2.36 लाख रु० की दान-कर में वसूली हुई ।

(ख) 31 मार्च 1975 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा अधिकार-क्षेत्र में धन-कर निर्धारितियों की संख्या 1751 थी। इन सभी कर-निर्धारितियों के नामों की सूची तैयार करने में इतना समय और श्रम लगेगा जो सम्भवत: प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा । भारतीय रियास्तों के जिन भूतपूर्व शासकों का उड़ीसा अधिकार-क्षेत्र में धन-कर निर्धारण किया गया है, उनके सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

कपड़ा उद्योग के लाभ और पूंजीगत ढांचे का सर्वेक्षण

7572. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कपड़ा उद्योग के लाभ और पूंजीगत ढांचे के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा कपड़ा उद्योग में लाभ की ऊंची दरों को देखते हुए कपड़े के मूल्यों में कमी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में समग्र वस्त्र उद्योग के लाभ तथा पूंजी ढांचे का इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1971-72 के लिए 272 सूती वस्त्र एककों को कवर करते हुए लाभ के आंकड़ों का संकलन किया है । इसके परिणाम संलग्न विवरण में उल्लिखित हैं उसमें सभी कम्पनियों से सम्बन्धित लाभ के आंकड़े भी दर्शाए गए हैं । यह पता चलता है कि सूती वस्त्र कम्पनियों का लाभ का अनपात वस्तुत: सभी कम्पनियों द्वारा उपार्जित लाभ के तुलना में कम है ।

तथापि, आबादी के कम आय वाले समुदाय के लिये कम कीमतों पर जनता के उपभोग के सूती वस्त्र की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सूती वस्त्र मिलों पर एक

कानूनी बाध्यता लागू की गई है कि वे निर्धारित कीमतों पर बिक्री के लिए कतिपय विशिष्ट किस्मों के कपड़े का उत्पादन करें। इस बाध्यता के अंतर्गत मिलों से यह अपेक्षा की गई है कि वे 1-4-1974 से शुरू वर्ष के लिए निर्धारित कीमतें, जो उनकी उत्पादन लागत के स्तर से कम हैं, पर बिक्री के लिए 80 करोड़ वर्ग मीटर विशिष्ट किस्मों के कपड़े का उत्पादन करें।

विवरण

वर्ष 1971-72 के लाभ-अनुपात (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित रूप में)

	सूती वस्त्र कम्पनियां	सभी कम्पनियां
	1971-72	1971-72
*सकल लाभ, बिक्री की प्रतिशतता के रूप में रिबेट, डिस्काऊंट, उत्पादन शुल्क, उपकर का नैट . . .	4.7	9.9
*सकल लाभ लगी हुई कुल पूंजी की प्रतिशतता के रूप में	6.2	10.2
लाभ, कर लगने के बाद निवल लाभ की प्रतिशतता के रूप में .	प्रतिकूल	9.5

नोट : ये आंकड़े 272 सूती मिलों और 1650 संयुक्त पूंजी कम्पनियों के हैं।
*यहां सकल लाभ ब्याज चुकाने से पूर्व किन्तु मूल्य-ह्रास घटाने के बाद का है।

Supply of Yarn to Woollen Textile Mills of Madhya Pradesh

7573. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether any yarn was supplied to woollen textile mills of Madhya Pradesh during 1971-72, 1972-73 and 1973-74 ;

(b) whether the quantity supplied is adequate to meet the requirements of Madhya Pradesh; and

(c) if so, the particulars of quantity supplied, year-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) to (c) There is no control on production, price and distribution of woollen yarn. As such, the question of supply of woollen yarn under any statutory order for the period mentioned in the question does not arise. While mills working on the woollen system meet their requirements from indigenous sources, those in the worsted and shoddy sectors have to depend on imported raw material, the quantity of which depends on the availability of foreign exchange. Worsted and shoddy units all over the country work on less than two shift basis due to scarcity of raw material and this holds good for the mills in Madhya Pradesh also.

Development of Tourism in Madhya Pradesh

7574. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government had approved any schemes for the development of tourism in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year plan ; and

(b) the total amount sanctioned as well as spent so far, scheme-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) A statement showing the expenditure incurred in the Fourth Five Year plan on tourism schemes taken up in Madhya Pradesh in the Central Sector is attached.

Statement

Expenditure incurred in the Fourth Five Year Plan on tourism schemes taken up in the Central Sector in Madhya Pradesh in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 7574

(Rs. in lakhs)

S. No.	Name of Scheme	Expenditure incurred
1	Youth Hostal at Bhopal	3·67
2	Water Supply at Khajuraho	5·97
3	Water Supply at Sanchi	1·91
4	Development of Kanha-Kisli (Barasingha Breeding Project)	0·52
5	Construction of anicuts at Kanha National Park	0·59
6	Water Supply at Kanha National Park	0·60
7	Supply of electricity at Kanha National Park	2·51
	I. T. D. C.	
8	Khajuraho hotel (expansion)	29·80
	Total	45·57

Export Potential of Madhya Pradesh

7575. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have ascertained the export potential of Madhya Pradesh; and

(b) if so the names of exportable items.

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce Shri Vishwanath Pratap Singh : (a) & (b) In an Export Potential Survey of Madhya Pradesh conducted by Indian Institute of Foreign Trade, export potential of a number of agricultural and agricultural based products, animal based products, forest based products, handicrafts, minerals, chemicals, engineering and processed food have been identified.

Applications Received on Preferential Rates of Interest in Districts of Madhya Pradesh

†7576. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any applications have been received in the districts of Madhya Pradesh for loans on preferential rates of interest and whether any such loans have been advanced ; and

(b) if so, the total amount advanced and the number of unemployed persons in various districts of Madhya Pradesh given such loans during the last year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) & (b) Presumably the Hon'ble Member is referring to the advances made by the public sector banks under the Differential Interest Rate Schtme in Madhya Pradesh. Outstanding advances under the Scheme in the State of Madhya Pradesh amounted to Rs. 35.25 lakhs in volving 8,843 accounts as at the end of December 1973, and to Rs. 43.75 lakhs involving 12,092 accounts as at the end of September, 1974.

The Annexure [Placed in liberary *See* No. 9522/75] gives the district-wise brea k up of the total of Rs. 35.25 lakhs outstanding as at the end of December, 1973.

निर्यात व्यापार में लगे व्यापारी

7577. **श्री नारायणचंद पराशर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1974–75 के दौरान निर्यात व्यापार में कुल कितने व्यापारी लगे हुए हैं ;

(ख) क्या इस क्षेत्र में आने के इच्छुक व्यक्तियों को कोई प्रोत्साहन भी दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रोत्साहन योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और वर्ष 1974–75 के दौरान कितने व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) किसी भी विशेष वर्ष के दौरान निर्यात व्यापार में लगे व्यापारियों की संख्या के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उन्हें रखा नहीं जाता है।

(ख) तथा (ग) निर्यात क्षेत्र में आने वाले व्यापारी उतनी ही सुविधाएं पाने के हक़दार हैं, जितनी कि इस क्षेत्र में पहले से लगे व्यापारियों को उपलब्ध हैं।

विदेशी बैंकों में खाता रखने वाले भारतीय नागरिक

7578. **श्री नारायण चंद पराशर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने और कौन-कौन से भारतीय नागरिक है जो राजनयिक कार्य-भार की अपनी अवधि पूरी करके भारत लौटा आये हैं परन्तु जो विदेशी बैंकों में अपने खाते रखे हुए है ;

(ख) क्या इन खातों को बन्द करने के लिए उन पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध है ;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई ऐसी समय-सीमा है जिसके बाद उन्हें इन खातों को बन्द करना होता है ; और

(घ) कितनी समय अवधि की छूट है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) चूंकि रिजर्व बैंक भारतीय राजनयिकों के विदेशी बैंकों के खातों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखता इसलिए यह जानकारी देना सम्भव नहीं है ।

(ख), (ग) और (घ) सभी व्यक्तियों को जिनमें राजनयिक भी शामिल है, भारत पहुंचने के एक महीने के अन्दर-अन्दर कानूनन अपने विदेशी खाते बन्द कर देने पड़ते है, जब तक कि इस अवधि के बाद इन खातों को जारी रखने के लिए उन्होंने रिजर्व बैंक से पहले ही अनुमति न ले ली हो। लेकिन, भारतीय विदेश सेवा संवर्ग के अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने विदेशों में सेवा की हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन ब्रिटेन में 200 पौण्ड तक की राशि का स्टर्लिग खाता रख सकते हैं :

(i) जब अधिकारी का तबादला भारत में हो जाय और उसकी नियुक्ति मुख्यालय में हो जाय तो किसी भी हालत में इन खातों में न तो कोई रकम जमा करायी जायेगी और न ही निकाली जायगी;

(ii) अधिकारियों के भारतीय विदेश सेवा से रिटायर हो जाने पर या सेवा से हट जाने पर उनके खाते में जितनी भी रकम जमा होगी वह कुछ महीने के अन्दर-अन्दर स्वदेश भेज दी जायगी ।

लेकिन भारतीय राजनयिकों को एक पद से दूसरे पद पर तबादला हो जाने पर या भारत वापस लौटने पर छह महीने के अन्दर-अन्दर सभी विदेशी खाते बंद कर देने होते हैं ।

जीवन बीमा निगम की पंजाब शाखा द्वारा बीमे के प्रीमियम के रूप एकत्र की गई धनराशि

7579. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 और 1974–75 में जीवन बीमा निगम की पंजाब शाखा ने बीमे के प्रीमियम के रूप में कितनी धनराशि एकत्र की ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में पंजाब में विकास प्रयोजनों के लिए विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं को कितनी राशि के ऋणों की मंजूरी दी गई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) वर्ष 1973–74 के दौरान 16.48 करोड़ रुपये ।

(ख) वर्ष 1973–74 के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण के रूप में 4.10 करोड़ रुपये दिये गये थे। इसके अतिरिक्त 2.03 करोड़ रुपये की एक और रकम प्रतिभूतियों/बंध-पत्रों/ऋण-पत्रों में निवेश की गयी थी। 1974–75 से संबंधित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

गुजरात को औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा वित्तीय सहायता

7580. श्री डी० डी० देसाई : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम अथवा भारत सरकार द्वारा गुजरात में संकटग्रस्त बन्द पड़े उपक्रमों को गत वर्ष कोई वित्तिय सहायता दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारतीय, औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रेक्टर्स लिमिटेड, बड़ौदा को फरवरी 1975 में 50 लाख रुपये की पुनर्निर्माण सहायता मंजूर की थी। यह उपक्रम निजी क्षेत्र में था, जिसे उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में लिया था। ऋण के संवितरण की प्रक्रिया चल रही है।

पिछले वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने गुजरात में निजी क्षेत्र के किसी रुग्ण/बन्द उपक्रम को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं दी।

स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गुजरात में कृषि प्रयोजनों के लिये दिये गये ऋण

7581. श्री डी० डी० देसाई : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत दो वर्षों में गुजरात में कृषि प्रयोजनों के लिए कुल कितनी धनराशि के ऋण दिये हैं ; और

(ख) कृषि सम्बन्धी जिन योजनाओं के लिए राज्य में ऋण मंजूर किये गये, उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जून, 1973 और जून, 1974 के अंत तक गुजरात में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गये ऋणों की बकाया राशि निम्नलिखित थी :—

(राशि लाख रुपयों में)

	भारतीय स्टेट बैंक समूह	राष्ट्रीयकृत बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का जोड़
जून, 1973 . .	715.34	3822.86	4538.20
जून, 1974 .	836.89	4195.56	5032.45

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंक, किसानों को मौसमी कृषि कार्य के लिए अल्पावधि ऋणों के रूप में प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम प्रदान करते हैं, जिनमें फसल ऋण भी शामिल होता है। वह सावधिक ऋण भी प्रदान करते हैं, जो कि छोटी सिंचाई योजनाओं को

पूरा करने, पम्प, सैटों/आयल इंजनों को लगाने, ट्रैक्टरों, बिजली टिलर्स, कृषि उपकरणों और मशीनों, और जुताई के लिए पशु आदि खरीदने, भूमि सुधारने, गोदामों और कोल्ड स्टोरेज बनवाने एवं बागान के लिए विकास ऋण आदि के रूप में दिया जाता है। राज्य बिजली बोर्डों को ट्यूबवलों में बिजली लगाने, कृषि उपकरणों के डीलरों, कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना करने वाले उपक्रमियों और प्राथमिकता कृषि ऋण समितियों द्वारा किसानों को ऋण आदि के लिए अप्रत्यक्ष कृषि ऋण भी दिया जाता है।

कपड़ा मिलों द्वारा रुई की खरीद

7582. **श्री राम हेडाऊ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूई के कम मूल्यों के बावजूद देश में उत्पादित सारी रूई की खरीद कपड़ा निर्माताओं द्वारा नहीं की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो रुई उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार को वस्त्र विनिर्माताओं के संबंध में ऐसी कोई रिपोट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Search on Premises of President, District Congress Committees, Bhandara

7583. **Shri Ram Hedaoo :** Willthe Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Income-tax officials searched the premises of the present Bhandara District Congress President and that of his family members ;

(b) if so, the particulars thereof ;

(c) the value of gold, cash precious diamonds jewellery and other articles seized during the search by the Income-tax officials ; and

(d) the amount of Income-tax realised from the business concerns running in his name or in the names of his family members during the last three years and the amount of Income-tax yet to be realised ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Sbri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Income-tax officials conducted searches at Mor Bhavan, Ramdaspeth, Nagpur on 28th February, 1975. A part of this building is occupied by Shri Ram Narain Mor, President District Congress Committee, Bhandara.

(b) Authorisations under section 132 were issued for conducting searches at Mor Bhavan, being the residence of (i) Shri Ram Narayan Mor S/o Shri Fateh Chand (ii) Shri Jamnadhar Mor S/o Narsingh Das Mor (iii) Shri Girdhar Gopal S/o Narshingh Das Mor and (iv) Smt. Rama Devi W/o Ishwar Dass Mor.

(c) The value of assets seized in these serches was Rs. 54 thousand (approx.)

No valuable asset was seized from the premises occupied by Shri Ram Narayan Mor.

(d) The amount of income-tax realised during the last three years from Shri Ram Narayan Mor, his wife and two sons and business concerns, in which Shri Ram Narayan Mor is a partner and which are assessed in the Charge of Commissioner of Income-Tax, Nagpur is Rs. 92,342.

Arrears of Income-tax outstanding against Shri Ram Narayan Mor, his wife two sons and the firms, in which they are partners individually and which are assessed in the Charge of Commissioner of Income-tax, Nagpur is Rs. 39.50 lakhs.

हथकरघा बुनकरों को ऋण पर धागों की सप्लाई

7584. श्री राम हेडाऊ : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हथकरघा बुनकरों को अच्छे किस्म का पर्याप्त धागा ऋण पर सप्लाई करने तथा विदेशों के व्यवहार कुशल खरीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके उत्पादन के विविधिकरण में सहायता देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : देश में अच्छी क्वालिटी का धागा खुले रूप से काफी मात्रा में उपलब्ध है इसलिए हथकरघा बुनकरों को ऋण पर धागा सप्लाई करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

काजू का आयात

7585. श्री वयालार रवि : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काजू के आयात के लिए भारतीय काजू निगम और अफ्रीकी देशों के बीच बातचीत में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस प्रक्रिया में तेजी लाने तथा शीघ्र करार कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) कीमत के संबंध में कुछ असहमति थी। उसके समाधान के लिए भारतीय काजू निगम लि० की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल पहले ही लन्दन भेजा गया है, जहां बातचीत चल रही है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्माणाधीन होटल

7586. श्री शंकर नारायण सिंह देव : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्माणाधीन होटलों की संख्या क्या है ;

(ख) प्रत्येक होटल के बारे में अब तक पूरे किये गये कार्य का मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन होटलों के निर्माण पर अब तक खर्च की गई राशियों का ब्यौरा क्या है और कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है ;

(घ) ये होटल कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे ; और

(ङ) इन होटलों में अनुमानत: कितने पर्यटकों को स्थान मिल सकेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ङ)

होटल का नाम तथा धारिता	भौतिक रूप से वास्तविक प्रगति		31-3-1975 तक कुल मिला कर व्यय (की गयी व्यवस्था तथा लेखा परीक्षा के सापेक्ष) (लाख रुपयों में)	चालू होने की संभावित तारीख	प्रति वर्ष उपलब्ध रात्रि वासों की कुल संख्या	पहले पांच वर्षों के दौरान अनुमानित रात्रि वास				
	पूरे किये गए निर्माण कार्य	पूरे किए गए निर्माण-कार्य का प्रतिशत				पहला	दूसरा	तीसरा	चौथा	पांचवां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. एयरपोर्ट होटल, कलकत्ता (156 कमरे/312 शय्याएं)	सिविल निर्माण-कार्य पूरे होने वाले हैं तथा शेष कार्य जैसे अंतरंग कार्य, फर्निचर, साज-सज्जा, वातानूकूलन आदि, पूरे होने की अग्रिम अवस्था में पहुंचे हुए हैं।	80%	254.14	अतिथि कमरों के दो खंड शीघ्र चालू होने वाले हैं। शेष कार्य चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्रमिक चरणों में पूरे हो जायेंगे।	1,13,880	19,110	43,800	49,275	54,750	60,225
2. कोवालम् होटल (88 कमरे। 176 शय्याएं)	16 कमरों वाली असंबद्ध यूनिटें पूरी हो चुकी हैं तथा फरवरी,	85%	104.15	अक्तूबर, 1975	64,240	17,505	29,841	34,317	39,463	45,387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1974 में चालू हो चुकी हैं । जहां तक मुख्य होटल का संबंध है, सिविल निर्माण-कार्य पूरे होने वाले हैं तथा सेवाओं से संबंधित कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। अतिथि कमरों के अंतरंग कार्य प्रगति पर हैं ।									
3. होटल औरंगाबाद (66 कमरे/132 शय्याएं)	नींवके कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं तथा ग्राऊंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर स्तर में संरचना कार्य प्रगति पर है ।	20%	17.48	मार्च, 1976	48,180	16,267	17,746	19,224	20,704	21,591

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन स्थलों का विकास

7587. श्री शंकर नारायण सिंह देव : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंच वर्षीय योजना अवधि में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए किये गये कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और इस अवधि में वर्षवार प्रत्येक स्थल के लिये कितनी राशि मंजूर की गई तथा कितनी खर्च की गई ;

(ख) इन राज्यों में, राज्यवार पांचवीं पंच वर्षीय योजना अवधि में इन पर्यटन स्थलों के विकास के लिये जो कार्य पूरा करने का विचार है उसकी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है तथा इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ; और

(ग) इस क्षेत्र में 1974–75 के दौरान प्रत्येक राज्य में पूरे किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) मुख्यतः, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों के प्रवेश में लगे प्रतिबन्धों के कारण इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन का विकास उतनी द्रुतगति से नहीं हुआ जितना अन्य क्षेत्रों में। तथापि, सीमित साधनों के अंतर्गत इस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में कुछ चुने हुए केन्द्रों पर पर्यटन योजनायें हाथ में ली गई। इस में गोहाटी में एक पर्यटक बंगले का निर्माण, दार्जिलिंग में एक युवा होस्टल का निर्माण, दार्जिलिंग में यातायात व्यवस्था एवं वहां के वर्तमान पर्यटक बंगले का विस्तार, कांजीरंगा एंव जल्दापाड़ा में अरण्यगृहों का निर्माण शामिल है। ये स्कीमें पूरी होने वाली हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं को और वर्षवार आधार पर व्यय को दिखाने वाला विवरण संलग्न है। इस क्षेत्र के चुने हुए पर्यटकीय आकर्षण के स्थलों को भी पर्यटन विभाग द्वारा अपने प्रकाशनों में शामिल किया जाता है ।

विवरण

(रुपये लाखों में)
किया गया व्यय

क्रम संख्या	योजना का नाम	1969–72	1972–73	1973–74	1974–75
	आसाम				
1	गुहाटी स्थित पर्यटक बंगला	..	2.00	1.75	2.20
2	कांज़ीरंगा स्थित 'वन लाज'	..	2.60	2.93	2.93
	पश्चिम बंगाल				
1	दार्जीलिंग स्थित 'पर्यटन लाज' का विस्तार	..	..	2.61	2.00
2	जलदापाड़ा में आरण्यगृहों का निर्माण	..	0.85	1.15	2.16
3	दार्जीलिंग स्थित 'यूथ होस्टल'	..	0.20	2.08	1.50
4	दार्जीलिंग क्षेत्र के पर्यटकों के लिए दो जीपों की व्यवस्था	..	0.82	..	..
	कुल	..	6.47	10.52	10.79

गया गंगा चाय बागान को दी गई पुनर्बागान राज सहायता के बारे में तथ्यों का पता लगाने वाली उपसमिति का प्रतिवदन

7588. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें गया गंगा चाय बागान को पुनर्बागान राज सहायता के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) तथ्यों का पता लगाने वाली उप-समिति के प्रतिवेदन के आधार पर मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) गया गंगा चाय बागान को दिये गए पुनर्रोपण उपदान के बारे में चाय बोर्ड की तथ्यान्वेषी उप-समिति ने ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। समिति के अलग-अलग सदस्यों द्वारा अलग-अलग रिपोर्टें दी गई हैं जिन पर चाय बोर्ड विचार कर रहा है।

Use of Hindi in Departments under the Ministry of Finance

7589. **Shri Sudhakar Pandey** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state ;

(a) the number of Departments of his Ministry which still send letters, circulars memoranda and the communications to their subordinate offices in English ;

(b) the number of officers and employees in these Departments who write their notes on files in English;

(c) whether instructions have been given to these officers and employees by Government to the effect that they should use Hindi in all the work done by them ;

(d) if so, the reasons for non-compliance of those instructions and the action taken in this regard; and

(e) the steps proposed to be taken further to ensure that only Hindi is used in these Departments in writing notes and making entire correspondence ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) All Departments having subordinate offices under them send letters etc. in English, except those which are required to be issued bilingually and those required to be issued in Hindi only, under the existing instructions.

(b) Most of the officers and employees write their notes on files in English.

(c) to (e) According to the existing instructions, the officers and employees have the option to use Hindi or English in the work done by them. Efforts are, however, constantly being made to increase the area of use of Hindi through training, example, incentives etc.

व्यापार सम्बन्धी पूछताछ

7590. **श्री राम हेडाऊ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 और वर्ष 1974-75 के दौरान विश्व के महत्वपूर्ण देशों में स्थित हमारे व्यापार आयुक्तों ने वहां के स्थानीय व्यापारियों और भारतीय व्यापारियों को कितनी बार व्यापार सम्बन्धी पूछताछ की जानकारी दी; और

(ख) भारत की निर्यात क्षमता का प्रभावी ढंग से प्रचार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) विदेश स्थित हमारे मिशनों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) भारत की निर्यात क्षमता का प्रचार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) निर्यात संवर्धन परिषदों और भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग चेम्बर परिसंघ दवारा प्रायोजित विभिन्न व्यापार प्रतिनिधिमंडल समय-समय पर महत्वपूर्ण देशों का दौरा करते हैं ताकि निर्यात योग्य वस्तुओं के बारे में प्रचार करने और मौके पर आर्डर हासिल करने के लिए उन देशों के आयातकों से सम्पर्क किया जा सके ।

(2) निर्यात-योग्य भारतीय उत्पादों के बारे में प्रचार करने के लिए भारतीय निर्यातक विदेशों में आयोजित महत्वपूर्ण व्यापार मेलों में भाग लेते हैं ।

(3) विदेश स्थित भारतीय वाणिज्यिक प्रतिनिधि उनके देश के आयात सदनों को भारत में उपलब्ध निर्यात योग्य वस्तुओं से अवगत कराते हैं ।

निर्यात संभाव्यता वाली विभिन्न वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन परिषदें गठित की गई हैं । परिषदें प्रचार के प्रभावी उपाय करती है । निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा किये गये कुछ उपाय निम्नोक्त हैं :—

(1) विदेशों के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में विज्ञापन ।

(2) टी० वी० तथा रेडियो प्रसारणों द्वारा ब्रांड प्रचार ।

(3) विदेशों में विभिन्न मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना जहां नमूनों के प्रदर्शन उत्पादों से संबंधित पैम्फलेटों तथा भिन्न-भिन्न प्रकार की लिखित सामग्री के वितरण द्वारा दृष्य प्रचार किया जाता है ।

(4) विदेशों में प्रदर्शन के लिए विभिन्न उत्पादों के सम्बन्ध में प्रचार फिल्में भी बनाई जाती हैं ।

(5) बिक्री/अध्ययन दल/प्रतिनिधिमंडल भेजा जाना भी भारतीय उत्पादों के प्रचार का एक माध्यम है ।

हमारे निर्यात सदनों, वस्तु बोर्डों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों आदि द्वारा भारत की निर्यात क्षमता का काफी प्रभावी ढंग से प्रचार किया जा रहा है ।

द्विपक्षीय वार्षिक व्यापार वार्ताओं में भारत तथा समाजवादी देशों के बीच व्यापार का परिमाण बढाने के लिए बल दिया जाता है ।

इन देशों में मेले तथा प्रदर्शनियों में भारतीय फर्मों द्वारा भाग लेने के लिए व्यवस्था की जाती है ।

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केंद्र के लेखा परीक्षा संबंधी कार्यों को केरल क महालखाकार को सौंपने का अनुरोध

7591. **श्री वयालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्थित महालेखाकार कार्यालय कर्मचारी संघ तथा विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र कर्मचारी संघ ने अनुरोध किया है कि विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र जिसे एक विभागीय उपक्रम बनाया जा रहा है के लेखापरीक्षा संबंधी कार्यों को केरल के महालेखाकार को सौंप दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) केरल में त्रिवेन्द्रम स्थित महालेखाकार कार्यालय के कर्मचारी संघ (जो एक गैर-मान्यता प्राप्त संस्था है) से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है कि विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के लेखा-परीक्षा संबंधी कार्यों को केरल के महालेखाकार को सौंप दिया जाय। विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र कर्मचारी संघ से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र को केवल 1 अप्रैल, 1975 से ही सरकारी संगठन बनाया गया है। विद्यमान लेखापरीक्षा और लेखा व्यवस्था को, यदि आवश्यक पाया गया तो, कालान्तर में समीक्षा की जायगी।

विमानों द्वारा निर्यात माल की ढुलाई का प्रस्ताव

7592. **श्री हरी सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात माल की ढुलाई विमानों द्वारा करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार विशेषत: खराब होने वाली वस्तुओं तथा कीमती माल के, जो हवाई भाड़े की दर वहन कर सकें, विमानों द्वारा निर्यात किये जाने को प्रोत्साहन दे रही है। विमानो द्वारा माल के संचलन से गंतव्य स्थानों को माल की शीघ्र तथा सुरक्षित सुपुर्दगी सुनिश्चित होती है और यह निर्यातक तथा विदेशी खरीदार दोनों के लिए लाभदायक है।

कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा राज्यों को मंजूर किये गए ऋण

7593. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** :
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा राज्यों को राज्यवार मंजूर किये गये ऋणों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या यह सुनिश्चित कराने के लिये कि इन निधियों का उचित रूप में उपयोग किया जा रहा है सरकार ने इसकी जांच कराई है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच का स्वरूप क्या था ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 1973–74 में कृषिक पुनर्वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई योजनाओं के राज्यवार आंकड़े प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) कृषिक पुनर्वित्त निगम, एक पुनर्वित्त संस्था होने के नाते केवल केन्द्रीय भुमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों जैसी योग्य वित्तीय संस्थाओं को ऋण देता है। इसलिए इन संस्थाओं से प्रमुख रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कृषिक पुनर्वित्त निगम की पुनर्वित्त योजनाओं के अंतर्गत मंजूर किये गये ऋणों के प्रयोजन-उपयोग पर निगरानी रखेंगी। कृषिक पुनर्वित्त निगम मंजूर की गई योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुवर्ती अध्ययन भी अपने मुख्य कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से करता है। इन अनुवर्ती अध्ययनों के समय ऋणों की मंजूरी तथा उनके वितरण की प्रक्रियों और प्रणालियों, ऋणकर्त्ता द्वारा ऋणों के उपयोग की मौके पर जांच और मंजूरी के आदेश में दी गयी तकनीकी और वित्तीय शर्तों के अनुपालन के बारे में भी जांच की जाती है ।

विवरण

1973–1974 में (जुलाई 1973 से जून 1974 तक) कृषिक पुनर्वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई योजनाओं की राज्यवार स्थिति प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजनाओं की संख्या	('करोड़ रुपयों में) वित्तीय सहायता	कृ०पु० नि० का वचन
1. उत्तरी क्षेत्र			
दिल्ली	2	0.43	0.40
हरियाणा	15	13.48	10.91
हिमाचल प्रदेश	..	..	..
जम्मू और कश्मीर	4	0.26	0.25
पंजाब	24	6.95	5.76
राजस्थान	20	7.88	6.66
	65	29.00	23.98
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र :			
असम	2	0.90	0.86
मेघालय	..	..	..
नागालैण्ड	..	..	..
	2	0.90	0.86

(करोड़ रुपयों मे)

क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृ०पु० नि० का वचन
पूर्वी क्षेत्र :			
बिहार	16	30.67	27.38
उड़ीसा	5	8.31	7.92
पश्चिम बंगाल	12	2.70	2.47
	33	41.68	37.77
केन्द्रीय क्षेत्र :			
मध्य प्रदेश	122	61.24	54.84
उत्तर प्रदेश	85	45.55	40.12
	207	106.79	94.96
पश्चिमी क्षेत्र :			
गोआ	1	0.01	0.01
गुजरात	23	2.60	2.08
महाराष्ट्र	105	44.50	39.56
	129	47.11	41.65
दक्षिणी क्षेत्र :			
आंध्र प्रदेश	15	8.27	6.90
कर्नाटक	65	9.26	7.71
केरल	12	3.01	2.31
पांडीचरी	3	0.45	0.40
तमिलनाडु	19	4.87	3.93
	114	25.86	21.25
कुल जोड़	550	251.34	220.47

पांचवी योजना के दौरान मछली के निर्यात का लक्ष्य

7594. श्री भागीरथ भंवर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय मछली और इसके उत्पादों का कितना निर्यात है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है ;

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में मछली के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ग) राज्य मत्स्य निगमों की वित्तीय तथा तकनीकी रूप से सहायता करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ताकि वे अपने कार्यों में वृद्धि कर सकें और उनका विविधिकरण कर सकें ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन, से उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1974-75 के दौरान समुद्री उत्पादों का निर्यात 44054 मेट्रीक टन था जिनका मूल्य 67.02 करोड़ रुपये था ।

(ख) 1978-79 में समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए 140 करोड़ रुपये का एक निर्यात लक्ष्य अस्थायी रूप में निर्धारित किया गया है ।

(ग) राज्य मत्स निगम राज्य सरकारों के स्वामित्व में होते हैं और उन्हीं के द्वारा वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है ।

मानसून मानचित्र

7596. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने मानसून मानचित्रों के उपयोग पर शंका व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा वर्षा के आधार पर 1943 में तैयार किये गये भारतवर्ष में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के प्रारम्भ और समाप्ति की सामान्य तारीखों को दिखाने वाले मानचित्रों का प्रयोग किया जा रहा है । किन्तु इन मानचित्रों को जिला स्तर पर गहन कृषि आयोजना के लिये अतिसामान्य और अपर्याप्त समझा जाता है । इन मानचित्रों को और अधिक उपयोगी बनाने के प्रयत्न-स्वरूप हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में कृषि की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष मानचित्र का एक सेट तैयार किया गया है ।

राजस्थान का कपड़ा उद्योग क्षेत्र

7597. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान टैक्सटाइल एसोसिएशन ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य के कपड़ा उद्योग क्षेत्र को अधिक व्यापक बनाया जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस एसोसिएशन ने यह भी बताया है कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान कपड़ा उद्योग के विस्तार के लिये कपास और बिजली दोनों ही उपलब्ध हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त तकुओं तथा करघों हेतु लाइसेंस देने के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त 30 दिसम्बर 1974 को वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी किये गये प्रेस नोट में घोषित किये गये थे। घोषित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सूती वस्त्र उद्योग में 16 लाख तकुए तथा 10,000 करघे लगा कर उसका और विस्तार करने की अनुमति देने का सरकार का विचार है। उन क्षेत्रों में कताई क्षमता के सृजन को बढ़ावा दिया जायेगा जहां हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा बुनकरों के लिए यार्न की मांग पूरी नहीं हो पाती है और जिन क्षेत्रों में देशी रूई है, पर साथ ही पूरे देश के बुनकरों की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए कताई क्षमता का ठीक वितरण करने के उद्देश्य को ध्यान में रखा जायेगा। राजस्थान सरकार द्वारा सिफारिश किये गये तथा उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले सभी आवेदन पत्रों पर उपरोक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तोंके आधार पर विचार किया जायेगा।

विदेशी सहयोग प्राप्त सरकारी उपक्रम

7598. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनके विदेशी कम्पनियों के साथ वित्तीय/तकनीकी सहयोग करार हैं ;

(ख) प्रत्येक सहयोग करार की शर्तें क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक मामले में विदेशी सहयोग करारों के नाम और विवरण क्या हैं ; और

(घ) वर्ष 1971–72 से 1973–74 तक की अवधि में, वर्षवार, इन सहयोग करारों के कारण रायल्टी, तकनीकी शुल्क और लाभ के रूप में कुल कितनी विदेशी मुद्रा विदेशों में गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों ने विदेशी सहयोग करार किये हुए है उनकी सूची अनुबन्ध में दी गयी है।

(ख) प्रत्येक करार की शर्तें मामले की आवश्यकताओं के आधार पर तय की जाती हैं। तथापि, सरकार ने कम्पनियों और देश के हितों के उददेश्य से कुछ मार्ग निर्देश जारी किये हैं। ये मार्ग निर्देश अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विषयों के बारे में हैं :—

(1) पार्टियों का चयन ;
(2) ठेके का प्रयोजन और क्षेत्र
(3) जानकारी सप्लाई करना ;
(4) प्रारचनाओं और विशिष्टियों की विस्तृत कार्यप्रणाली ;
(5) जानकारी संबंधी शुल्क की अदायगी ;

(6) प्रयोग किये जाने वाले उपस्करों/कलपुर्जों तथा सामान की अनुसूची ;

(7) विदेशी उपस्करों कलपुर्जों और सामान की मदवार मूल्य अनुसूची ;

(8) विदेशी उपस्कर कलपुर्जे और सामान मंगाने के तरीके और साधन ;

(9) स्वदेशी उपस्करों कलपुर्जों और सामान का अधिकतम उपयोग ;

(10) विदेशों में निरीक्षण ;

(11) परामर्शदायी सेवाओं के लिये पारिश्रमिक ;

(12) विदेशी और भारतीय मुद्रा में अदायगी ;

(13) कार्यनिष्पादन और किस्म अनुरक्षण की गारंटी;

(14) मूल्य वृद्धि सम्बन्धी उपबंध ; और

(15) अदायगियों में अनुचित विलम्ब के कारण की जाने वाली रायल्टी की अदायगियों से बचाव ।

(ग) और (घ) सरकारी उपक्रमों विषयक समिति इन पहलुओं पर अध्ययन कर रही है । सभी कम्पनियों से अलग-अलग ब्यौरेवार सूचना एकत्र करना सार्थक नहीं होगा ।

विवरण

ऐसे सरकारी उपक्रमों की सूची जिन्होंने विदेशी सहयोग करार किए हुए हैं ।

1. भारतीय मशीन औजार निगम लिमिटेड
2. रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड
3. इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड
4. मझगाव डाक लिमिटेड
5. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड
6. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड
7. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
8. ल्यूब्रीजोल इण्डिया लिमिटेड
9. भारत आफ्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड
10. इन्स्ट्रूमनटशन लिमिटेड
11. भारत पम्पस एण्ड कम्प्रैशर्स लिमिटेड
12. भारत हैवी प्लेटस् एण्ड वैसल्स लिमिटेड
13. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
14. हिन्दूस्तान केबल्स लिमिटेड

15. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड
16. भारतीय पेट्रोरसायन निगम लिमिटेड
17. कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड
18. प्रागा टूल्स लिमिटेड
19. भारतीय तेल निगम लिमिटेड
20. मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड
21. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड
22. हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड
23. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
24. कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड
25. भारतीय इलैक्ट्रानिक्स निगम
26. भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड
27. भारत डायनामिक्स लिमिटेड
28. भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
29. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
30. एफ० ए० सी० टी० (इंजीनियरी एवं डिजाइन संगठन लिमिटेड)
31. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
32. इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड
33. भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड
34. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड
35. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
36. हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड
37. भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड
38. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड (भिलाई इस्पात कारखाना)
39. माडर्न बेकरीज लिमिटेड
40. हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड
41. बोकारो स्टील लिमिटेड
42. मैटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सल्टैन्टस् (इण्डिया) लिमिटेड
43. खनन एवं सम्बद्ध यंत्र निगम
44. जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड
45. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

46. ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड

47. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड

48. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

49. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड

50. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड

डमडम स्थित एयरपोर्ट होटल का खुलना

7599. श्री शक्ति कुमार सरकार :

श्री टुना उरांव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मार्च 1975 के 'बिजनेस स्टैन्डर्ड' में 'ओपनिंग आफ एयरपोर्ट होटल अनसर्टेन' (एयर पोर्ट होटल का खुलना अनिश्चित) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या डम डम एयरपोर्ट होटल इस वर्ष 1 मार्च को खुलना निश्चित हुआ था;

(ग) यदि हां, तो होटल के खलने की निर्धारित तारीख का पालन न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त एयरपोर्ट होटल के प्राधिकार द्वारा खरीदे गये लाखों रुपये के कालीन नष्ट हो रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में की गई जाच के संबंध में मुख्य बातें क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) होटल को 1 मार्च, 1975 से अंशत: चालू करने का प्रस्ताव था। तथापि, विभिन्न सेवाओं के परीक्षणात्मक आधार पर परिचालन स्वरूप कई सुधारों को आवश्यक महसूस किया गया। इन्हें पूरा कर लिया गया है और होटल के अंशत: शीघ्र ही खुलने की आशा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से अनानास का निर्यात

7600. श्री शक्ति कुमार सरकार :

श्री टुना उरांव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के माध्यम से अनानास का निर्यात करने के लिए त्रिपुरा सरकार ने कोई प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त मामलें में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नही ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा नीरमहल, उदयपुर में पर्यटक होटल का निर्माण

7601. श्री शक्ति कुमार सरकार :

श्री टुना उरांव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा नीरमहल, उदयपुर में पर्यटक होटल के निर्माण के बारे में त्रिपुरा सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बाते क्या हैं तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में वर्तमान पर्यटक होटलों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन राज्यों में पर्यटक होटलों के निर्माण के लिये विचाराधीन प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम को नीरमहल, उदयपुर में पर्यटक होटल के निर्माण के लिए त्रिपुरा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है ।

(ग) पूर्वी और उत्तरपूर्वी क्षेत्र के राज्यों में फिलहाल निगम के केवल यात्री लाज ही हैं जो कि बोध गया (12 कमरे), भुवनेश्वर (12 कमरे) और कोणार्क (4 कमरे) में है ।

(घ) निगम दम दम में 156 कमरे वाले एक होटल और पटना में एक 50 कमरे वाले स्वागत केन्द्र-व-मोटल का निर्माण कर रहा है । इसके अतिरिक्त इन राज्यों मे निगम की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित प्रायोजनाएं सम्मिलित हैं :—

1. पुरी में होटल
2. रांची, सिलिगुड़ी, गोहाटी } में मोटल
3. बोधगया, भुवनेश्वर } में यात्री लाजों का विस्तार

इन प्रायोजनाओं का हाथ में लिया जाना साधनों की उपलब्धता और व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा ।

राज्यों में ऋण और जमाराशि के अनुपात में अन्तर

7602. श्री वरके जार्ज : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जहां ऋण और जमा राशि के अनुपात में अन्तर बहुत अधिक है;

(ख) क्या सरकार ने इस अन्तर के कारणो का पता लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) से (ग) विभिन्न क्षेत्रों में ऋण-उपयोग की मात्रा, विशेष रूप से व्यापार और उद्योग के संगठित क्षेत्रों के आर्थिक कार्यकलापों के स्तर पर निर्भर रहती है, और आर्थिक कार्यकलापों का यह स्तर बिजली, परिवहन और संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि, कच्चे माल की उपलब्धता, सुलभ मंड़ी का आकार और उपलब्ध स्थानीय उद्यम-प्रतिभा जैसी कई बातों से प्रभावित होता है । इसलिए मोटे तौर पर असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जिनमें अभी तक व्यापार और उद्योग का संगठित क्षेत्र उनकी अर्थ व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग नहीं बना है, ऋण-जमा का अनुपात अपेक्षाकृत नीचा रहता है । बड़े पैमाने के उद्योग और व्यापार का वर्धन केवल पंचवर्षीय योजना के अंग के रूप में विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से ही किया जा सकता है । फिर भी, सरकारी क्षेत्र के बैंक, अपनी ओर से, कृषि, छोट पैमाने के उद्योग, सड़क परिवहन, खुदरा व्यापार आदि जैसे प्राथमिकता क्षेत्रों के छोटे ऋणकर्ताओं को अधिकाधिक ऋण देने का प्रयास कर रहे हैं यद्यपि इस प्रकार की कार्रवाई से यह सुनिश्चित होता है कि पुनर्निर्धारित ऋण नीति का लाभ छोटे ऋणकर्ताओं को मिले, फिर भी, इस प्रकार, के ऋण कर्ताओं की ऋण की मांग की मात्रा बहुत कम होने के कारण, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का इन अविकसित राज्यों में ऋण जमा के अनुपात पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ पाता ।

तालाबन्दी के दौरान एयर इंडिया के कर्मचारियों को भुगतान

7603. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया में तालाबन्दी की अवधि के दौरान कारपोरेशन के कुछ कर्मचारियों को अधिक भुगतान किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगलादेश से आयात की गई वस्तुएं

7604. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 के दौरान बंगला देश से किन-किन और कितनी-कितनी वस्तुओं और कच्चे माल का आयात किया गया; और

(ख) इन वस्तुओं का मुल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्तनाथ प्रतापसिंह) : (क) तथा (ख) वर्ष 1974–75 (नवम्बर 1974 तक) के दौरान बंगला देश से आयातित माल की मात्रा व मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । अभी तक नवम्बर, 1974 के बाद के आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

1974-75 (नवम्बर 1974 तक) के दौरान बंगला देश से आयातित मालों की मात्रा तथा मूल्य दर्शाने वाला विवरण

(मूल्य हजार रु० में)
(मात्रा मे० टन में)

क्रमांक	मदें	मात्रा	मूल्य
1	मछली तथा मछली से तैयार चीजें . .	2157	14855
2	संस्लिष्ट के वैस्ट अथवा बिना धुले या साफ किए रिजनरेटेड फाइबर्स ।	70	348
3	कच्चा पटसन (विमली पतन तथा मेष्टा छोड़कर) .	10580	16646
4	ग्लाइसरोल लाइज	36	255
5	अखबारी कागज	7531	26285
6	सेल्युलोसिक प्लास्टिक वेस्ट (यथा सेल्यूलोस) एसीटेट अथवा नाइट्रेट फिल्म स्क्रैप ।	30	152
7	अन्य मदें	..	1277
	योग .		59818

टिप्पणी :—आंकड़े अनंतिम है तथा फिर से संशोधन किया जा सकता है ।

साधन :—वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारतीय विदेश व्यापार भाग- 2 आयात के मासिक आंकड़े ।

भारतीय खाद्य निगम को बैंको द्वारा दिया गया ऋण

7605. श्री एन० ई० होरो : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न की सार्वजनिक वसूली के कार्यों के लिए धन देने वाले बैंक समूह ने भारतीय खाद्य निगम को 212 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण हाल ही में आयात किए गए खाद्यान्न के लिये भुगतान करने के लिए दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973–74 और 1974–75 के दौरान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारो तथा उनकी एजेंसियों को खाद्यान्न की सार्वजनिक वसूली के कार्यों के लिये दिए गए बैंक ऋण का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) खाद्यान्नों की सार्वजनिक वसूली के कार्यों के लिए धन देने वाले बैंक समूह के 1973–74 और 1974–75 के बकाया अग्रिमो का विवरण निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपयों में)

निम्नलिखित तारीख को	निम्नलिखित खातो में बकाया राशि			
	भारतीय खाद्य निगम	राज्य सरकारें	अन्य अभिकरण	जोड़
28 दिसम्बर, 1973	309.2	28.5	14.5	352.2
29 मार्च, 1974 .	293.4	43.3	30.1	366.8
28 जून, 1974 .	321.8	98.2	103.4	523.4
27 दिसम्बर, 1974 .	82.3	49.6	83.6	215.5
15 अप्रैल, 1975 . .	367.3	93.9	105.0	566.2

(अनन्तिम)

देना बैंक द्वारा ऋण देना

7606. श्री भान सिंह भौरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देना बैंक को वसूल न किये जाने वाले ऋणों के कारण कई लाख रुपयों की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तरदायी अधिकारियों का पता लगाने के लिये इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की जा रही कार्यवाही का स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और उसके अंतर्गत निर्धारित तुलन पत्र और लाभ–हानिलेखे के प्रपत्र के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों से यह अपेक्षित है कि डूबते और संदिग्ध ऋणों के लिए की गई व्यवस्था संबंधी अथवा अपने गूटकों (कंस्टीटूयएन्टस संबंधी सूचना प्रकट न करें।

फिर भी, डूबते और संदिग्ध समझे जाने वाले सभी अग्रिमों के बारे में पूरी पूरी निगरानी रखी जाती है और प्रत्येक मामले में यथासंभव उचित उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। देना बैंक सहित सभी राष्ट्रीयकृत बैंक अपने अपने स्वतंत्र वैधानिक लेखा-परीक्षकों के परामर्श से तथा उनके समाधान के अनुसार अपने वार्षिक लाभ में से डूबते और संदिग्ध ऋणों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करते हैं।

(ग) और (घ) कभी-कभी कुछ खातों में होने वाली ऐसी अनियमितताएं बैंकों के सामने आती है जिनके कारण प्राप्त रकम की वसूली को खतरा पैदा हो जाता है। बैंक ऐसी अनियमितताओं तथा वसूली के बकाया रहने के कारणों की भी जांच करते हैं। वे विभागीय तौर पर आवश्यक जांच पड़ताल करते है और जिन मामलों

बेईमानी किये जाने का संदेह हो, आवश्यक समझा जाने पर, उन मामलों की जांच करने में अन्य सरकारी अभिकरणों की सहायता लेते हैं तथा दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करते हैं। बैंकों की अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं में आवश्यक सुरक्षात्मक और रोकथाम के उपायों की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता के बारे में वे स्वयं जांच करते है तथा लेखापरीक्षा के समय लेखा परीक्षक और निरीक्षण करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी उनके बारे में जांच की जाती है। देना बैंक सहित सभी बैंकों द्वारा इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है।

भारत से सूती कपड़ों के आयात को सीमित करने के लिए ई० ई० सी० की कार्यवाहियां

7607. श्री एन० आर० वेंकारिया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत से सूती कपड़ों के आयात को सीमित करने की ई० ई० सी० की कथित कार्यवाहियों का प्रतिकार करन के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : यूरोपीय आर्थिक समुदाय में भारत से सभी प्रकार के सूती वस्त्रों के आयात अब तक द्विपक्षीय करार के अनुसार मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों के अध्यधीन रहे हैं। अपेक्षाकृत कम प्रतिबंधात्मक व्यवस्था प्राप्त करन की दृष्टि से हमने एक नई व्यवस्था के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ बातचीत की जो पिछले सप्ताह सम्पन्न हुई है।

ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि० के अंशधारियों के विरुद्ध तस्करी के आरोप

7608. श्री एन० आर० वेंकारिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि० के किन्हीं अंशधारियों अथवा निदेशकों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) आरोपों का स्वरूप क्या है तथा उनसे दोषी ठहराने वाली क्या वस्तुऐं बरामद की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) बड़े सीमाशुल्क गृहों के पास उपलब्ध सूचना से यह पता लगा है कि ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के निदेशकों में से कोई भी निदेशक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया गया।

1-2-75 को इस कम्पनी के शेयर-धारियों की कुल संख्या 15,400 से अधिक थी। ये शेयरधारी सारे देश में फैल हुए हैं। इसलिये, अब तक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किये गये शेयरधारियों के बारे में सूचना, देश भर में फैले क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्रित करनी होगी, इसलिये, अपेक्षित सूचना को एकत्रित करने में काफी समय और श्रम लगगा, जो सम्भवतः उससे प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। परन्तु, यदि माननीय सदस्य किसी शेयरधारी विशेष। किन्हीं शेयर धारियों के बारे में सूचना चाहते हों तो उसे एकत्र करके सभा-पटल पर रखा जा सकता है।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त (क) को देखत हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

शत्रु-सम्पत्ति के लिए अनुग्रहपूर्वक मुआवजा प्राप्त करने वालों की संख्या

7609. श्री समर गुह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में वर्षवार भूतपूर्व पाकिस्तान अर्थात (एक) पश्चिम पाकिस्तान और (दो) पूर्व पाकिस्तान में कितने कितने लोगों ने वहां घोषित की गई शत्रु सम्पत्ति के लिए दावे किये और कितने लोगों को अनुग्रहपूर्वक मुआवजा मिला ;

(ख) प्रति वर्ष पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान के (एक) किन लोगों और (दो) किन फर्मों को दो लाख से अधिक की राशि मिली;

(ग) भूतपूर्व पाकिस्तान के प्रत्येक भाग के (एक) किन लोगों और (दो) किन फर्मों को दस लाख रूपये से अधिक की राशि मिली; और

(घ) प्रत्येक भाग के (एक) किन लोगो और (दो) किन फर्मों को 25 लाख रुपये और इससे अधिक की राशि प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी संकलित की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रिन्डले बैंक की गतिविधियां

7610. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रिन्डले बैंक को हाल ही में अमरीका के नेशनल सिटी बैंक से सम्बद्ध किया गया है जिसने यह स्वीकार किया था कि उसने क्यूबा के 'वे आफ पिग्स' आक्रमण के लिए सि० आई० ए० को कई लाख डालर दिये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख सन् 1969 में फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक आफ न्यूयार्क द्वारा नेशनल एण्ड ग्रिन्डले बैंक के 40 प्रतिशत शेयर प्राप्त कर लिये गये थे ।

नेशनल एण्ड ग्रिन्डले बैंक लिमिटेड (अब ग्रिन्डलेज बैंक लिमिटेड) ने फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक के साथ एक करार भी किया था जिसके अन्तर्गत फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक, नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक लिमिटेड को प्रशिक्षण कार्यक्रम, संचालन प्रणाली, ऋण-नीति प्रशासन, विस्तार तथा व्यवसाय के विकास से संबंधित तकनीकी सेवायें प्रदान करने को सहमत हो गया था। यह करार 1 अप्रैल, 1969 से लागू हुआ था और 5 वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 1974 तक की अवधि के लिये वैध था। क्योंकि यह एक ऐसा मामला था जिसपर रिजर्व बैंक ने अपना नियंत्रण रखना आवश्यक समझा, रिजर्व बैंक ने नवम्बर, 1972 में एक निदेश जारी किया जिसके अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ कोई भी बैंकिंग संस्था या कम्पनी रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना भारत वर्ष से बाहर निगमित किसी भी बैंकिंग संस्था या कम्पनी अथवा ऐसी संस्था या कम्पनी की भारत स्थित किसी शाखा या कार्यालय को इस प्रकार की बैंकिंग कम्पनी के भारत स्थित कारोबार

या इस प्रकार के कारोबार के किसी भी भाग के संबंध में, किसी भी प्रकार की तकनीकी अथवा प्रबन्धकीय सलाह देने वाले सलाहकार के रुप में नियुक्त नहीं कर सकेगी। इस निदेश के अनुपालन मे विदेशी बैंकों को भारतीय शाखाओं और भारत मे कार्यरत विदेशी बैंको को अब अपने लाभों को बाहर भेजते समय अपने आवेदन पत्रों के साथ एक प्रमाण पत्र देना आवश्यक हो गया है जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि लाभ के रुप में भेजी जाने वाली राशि में, ऐसी आय का कोई भी भाग शामिल नहीं है जो रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना भारत स्थित बैंकिंग संस्था के तकनीकी/प्रबन्धकीय सलाहकार के रुप में किसी भी नियुक्ति के कारण स्वीकार किया गया है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में सूचना भेजी है कि नेशनल एण्ड गिन्डलेज़ बैंक लिमिटेड द्वारा फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक के साथ किये गये 'तकनीकी सेवा करार' (टैक्नीकल सर्विसेज़ एग्रीमेंट) का वह भाग जिससे नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज़ बैंक लिमिटेड की भारत स्थित शाखाएं प्राभावित होती थी, 31 मार्च, 1974 को समाप्त हो चुका है।

औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा उड़ीसा को दी गई वित्तीय सहायता

7611. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम अथवा भारत सरकार द्वारा उड़ीसा में संकटग्रस्त/बन्द उपक्रमों को कोई वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) यदि हां, तो उसके आंकड़े क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम अथवा भारत सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान उड़ीसा के किसी रुग्ण/बन्द औद्योगिक उपक्रम को कोई सहायता नहीं दी है।

तस्करी की घड़ियों का पकड़ा जाना

7612. **श्री मधु दंडवते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सेन्ट्रल एक्साइज कलक्टोरेट के मैरीन और प्रिवेन्टिव डिवीजन ने सेंट्रल बम्बई में हाजी अली में एक देशी जहाज से 18 पैकेट बरामद किये थे जिनमें 18 लाख रुपये की कीमत की तस्करी की घड़ियां थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या तस्करों क साथ कोई सशस्त्र मुठभेड़ हुई थी; और

(ग) क्या तस्करों को गिरफ्तार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) संदिग्ध जहाज को रुकने के लिये जोर-जोर से बोलकर चेतावनी दी गई। उसके बाद, जहाज के अगले हिस्से पर तीन गोलियां चलाई गई, क्योंकि कर्मीदल के सदस्यों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। उसके बाद वे समद्र में कुद कर बच निकले फलतः कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा विदेशी यात्रियों के मामले में भुगतान

7613. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :
एच० एन० मुकर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी यात्रियों को होटलों के बिलों के भुगतान तथा अन्य भुगतान विदेशी मुद्रा में करने होते हैं ;

(ख) क्या यूनीलीवर्स, लन्दन की सहायक कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के पास केवल दृश्यावलोकन मात्र के लिए बीसीयों विदेशी यात्री आ रहे है ।

(ग) क्या इन यात्रियों के बिलों का मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा भारतीय रुपये में भुगतान किया जा रहा है ;

(घ) क्या यह देश की विदेशी मुद्रा की हानि के कृत्य हैं; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इससे कितनी हानि हुई तथा विदेशी मुद्रा की उस हानि को बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) सरकार द्वारा पहली नवम्बर 1972 से शुरु की गयी एक योजना के अनसार, विदेशी यात्रियों को अपने होटल बिलों का भुगतान और अन्य अदायगियां स्टर्लिग या डालरों या इन मुद्राओं के ट्रेवलर चैकों या अन्य किन्हीं परिवर्तनीय मुद्राओं के रुप में विदेशी मुद्रा में करनी होती है । लेकिन जो विदेशी विशिष्ट श्रेणी में आते है उनसे या उनकी ओर से अदायगियां रुपयों में भी स्वीकार की जा सकती है । इसके अलावा यह अदायगियां उनसे भी स्वीकार की जाती हैं जिनकी ओर से किसी भारतीय कम्पनी ने भारत सरकार से या भारतीय रिजर्व बैंक से उनके आतिथ्य सत्कार के लिए विशेष अनूमति ले ली हो ।

(ख) और (घ) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड प्राय: भारतीय रिजर्व बैंक के पास इस आशय के आवेदन देता रहता है, जिनमे अपनी मुख्य कम्पनी अर्थात् मैसर्स यूनोलीवर लिमिटेड, लन्दन के कुछ अधिकारियों के होटल बिलों का भुगतान करने के लिए इस आधार पर अनुमति मांगी जाती है कि अनुसन्धान कार्य करने के लिए या भारत में कम्पनी के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के उक्त अधिकारियों की सेवाओं की नितांत आवश्यकता है । इन आवेदनों पर गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाता है और फर्म की इन अधिकारियों के स्थानीय खर्च को एक युक्तियुक्त सीमा तक पूरा करने की अनुमति दी जाती है ।

जहा तक ऐसी छूटे ऊपर बतायी गयी योजना के अन्तर्गत आती है, वहां तक इनसे देश को विदेशी मुद्रा की कोई हानि नहीं होती ।

(च) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

"प्रगति मैदान" के निर्माण पर लगी पूंजी

7614. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "एशिया 72" के लिए बनाये गये 'प्रगति मैदान' पर कुल कितनी पूंजी लगाई गई थी, वर्ष 1972 में उसमें कुल कितने व्यक्ति काम पर लगाये गये थे और अब उनकी संख्या कितनी है वहां अब तक लगे विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों से कितनी आय हुई है ; और

(ख) क्या 'प्रगति मैदान' के लाभप्रद उपयोग के लिए वहां विशिष्ट/वस्तु व्यापार मेले लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) एशिया 72 के लिए प्रगति मदान बनाने में मेला संगठन ने लगभग 7.40 करोड रु० की पूंजी लगाई है। इसमें केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग, निर्यात संवर्धन, परिषदों, सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों, राज्य सरकारों तथा भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों द्वारा लगाई गई पूंजी शामिल नहीं है। एशिया 72 के समय मेला संगठन के राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या तकरीबन 1100 थी। ऐसे कर्मचारियों की संख्या अब 150 है। एशिया 72 से तथा उसके बाद प्रगति मैदान में हुई अन्य प्रदर्शनियों तथा मेलों से कुल 2.40 करोड़ रु० की आय हुई।

(ख) विशेषीकृत / वस्तु व्यापार मेलों का आयोजन करके प्रगति मेदान के लाभप्रद उपयोग के लिए प्रस्थापनाएं विचाराधीन हैं। जब प्रस्थापनाओं को अन्तिम रुप दिया जा चुकगा तब ब्यौरा तैयार किया जाएगा।

इंडियन एयरलाइन्स के एग्जीक्यूटिव पायलट

7615. श्री वयालार रवि : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंडियन एयरलाइन्स के एग्जीक्यूटिव पायलटों को बिना अवकाश दिये निरन्तर ड्यूटी पर रखे जाने के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ य क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जी हां। प्रेस रिपोर्ट में दी गयी मुख्य बात यह है कि एक्जीक्यूटिव पायलट लाइन पाइलटों पर लागू होने वाली उडान तथा ड्यूटी समय संबंधी परिसीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। यथार्थ स्थिति यह है कि एग्जीक्यूटिव पायलट इंडियन एयरलाइन्स के प्रबंधकवग द्वारा भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के साथ किए गए समझौते के अंतर्गत लाइन पायलटों पर लागू होने वाली उडान तथा ड्यूटी समय संबंधी परिसीमाओं से शासित नहीं होते। फिर भी, वायुवान अधिनियम में विनिर्दिष्ट परिचालनों की सुरक्षा विषयक आवश्यकताओं को, इस समय भी विधिवत ध्यान में रखा जाता है जब एग्जीक्यूटिव पायलट उडान ड्यूटियां करते हैं।

भारत-नेपाल संयुक्त पुनर्विचार समिति की बैठक

7616. सरदार मोहिंदर सिंह गिल :
श्री अर्जुन सेठी :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री एम० एस० पुरती :
श्री एच० के० एल० भगत :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकि :

(क) क्या संयुक्त व्यापारिक हितों के बारे में कार्यवाही की गति को तेज करने के उद्देश्य से भारत-नेपाल संयुक्त पुनर्विचार समिति की बैठक पिछले मास हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बध में कौन-कौन से मुख्य निर्णय लिये गये।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारत तथा नेपाल के बीच व्यापार की प्रगति की समीक्षा करन के लिए संयुक्त पुनर्विचार समिति की 24 से 26 मार्च 1975 तक बैठक हुई।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित पुनर्विचार समिति की बैठक के बाद मार्गस्थ नेपाली माल के अधिक तेजी से लाने-ले जाने तथा पतनों पर मालक के एकट्ठे न होने देने को सुनिश्चित करने के लिए अपनाये जाने वाले विभिन्न उपायों पर एक करार हुआ। 1975–76 में भारत से नपाल को सप्लाई की जाने वाली कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं के सम्बंधो में अधिकतम सीमाए भी निर्धारित की गई। व्यापार विचलन सम्बधी समस्याओं पर भी विचार किया गया। अलग से यह भी विनिश्चय किया गया कि नेपाल को निर्यात की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की कीमतें संविदाकारी पक्षों द्वारा नये सिरे से तय की जाए। ये कीमतें उन वस्तुओं की कीमतों के अनुसार होगी जिन पर कि वे मित्र पड़ौसी देशों को निर्यात की जाती हैं।

तस्करी की वस्तुओं की बिक्री

7617. **श्री सरदार मोहिंदर सिंह गिल :**
श्री मूलचन्द डागा :
श्री राम सहाय पांडे :
श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस आशय के प्रेस समाचारों की ओर दिलाया गया है कि तस्करी की वस्तुएं बड़ी मात्रा में बम्बई के बाजारों तथा गलियों में फिर से बिकनी आरम्भ हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आंसुका विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम का लागू किया जाना तथा उसको उपयोग निष्प्रभावी सिद्ध हुआ है अथवा उसके उपयोग में ढिलाई बरती गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इतने बडे पैमाने पर अवैध वस्तुओं की इस आकस्मिक वृदि ध के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क), (ख) तथा (ग) सरकार ने इस आशय की कुछ प्रस रिपोर्टें देखी है कि तस्करी का माल देश के कुछ बाजारों में फिर से दिखाई पडने लग गया है। गुप्त सूचना रिपोर्टों से भी यह पता चलता है कि तस्करों की गतिविधियों के पुनः संकेत मिले है। किन्तु तस्करों तथा विदेशी–मुद्रा के जालचक्र मे लगे व्यक्तियों की निवारक नजरबंदी और सरकार द्वारा किये गये अन्य उपायोंसे तस्करी गतिविधियों की पर्याप्त रोकथाम हुई है और तस्करी के माल के खुल प्रदर्शन और भारी मात्रा मे बिक्री मे कमी हुई है।

सरकार के प्रयासों मे कोई शिथिलता नहीं हुई है और स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जाती है। संवदी क्षेत्रों में स्थित शहरों में विस्तृत रुप में छापे मारे जा रहे हैं और द्रुतगामी नौकाओं से भी बराबर गस्त लगाई जाती है। तस्करी–विरोधी कार्यों के लिए अधिक कर्मचारी भर्ती किए गये है और आसानी से पार किय जा सकने योग्य स्थलों पर निगरानी रखी जा रही है।

भारतीय ट्रान्जिस्टरों का निर्यात

7618. **श्री डी० डी० देसाई**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान भारतीय ट्रान्जिस्टरों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को ट्रान्जिस्टरों का निर्यात किया गया है; और

(ग) इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1974-75 के दौरान भारतीय ट्रांजिस्टर रेडियों के निर्यात में 1973-74 की तुलना में वृद्धि हुई है ।

(ख) निर्यात मुख्यत: इन देशों को किये गये :-

1. ब्रिटेन 2. हालैंड 3. मिस्र का अरब गणराज्य 4. नाजीरिया 5. दाहोमी 6. इथोपिया 7. चैकोस्लोवाकिया 8. बंगलादेश 9. सिंगापुर 10. मलेसिया 11. संयुक्त अरब अमीरात 12. जाम्बिया 13. श्रीलंका तथा 14. स्विट्जरलैंड ।

(ग) 1973-74—165.22 लाख रुपये

1974-75—210.00 लाख रुपये (अनुमानित)

कपड़ा (काटन) मिलों को अलग से ऋण दिया जाना

7619. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपडा (काटन) मिलों को पाकिस्तानी रूई की खरीद करने के लिए वर्तमान सीमाओं से अलग ऋण देने के लिए सरकारी स्तर पर किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 के दौरान इन कपडा मिलों को कितने ऋण की मंजूरी दी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) रुई और कपास की प्रतिभूति पर कपडा मिलों (प्रोसीसिंग एककों सहित) को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की बकाया राशी के 1974 के अगस्त से नवम्बर तक के महीनों के उपलब्ध आंकड़े और 1973 के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं :—

रुई और कपास की प्रतिभूति पर कपड़ा मिलों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की महिनेवार बकाया राशि (लाख रुपयों में)

निम्नलिखित महीनों का अन्तिम सप्ताह	1973	1974
अगस्त	126,33	154,06
सितम्बर	112,65	148,82
अक्टूबर	110,83	143,02
नवम्बर	108,03	140,38

चाय का उत्पादन

7620. **श्री था० किरुतिनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में गत तीन वर्षों में वर्षवार तथा राज्यवार चाय का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : राज्यों के अनुसार 1971, 1972 तथा 1973 के दौरान चाय का उत्पादन इस प्रकार है :—

(हजार किलोग्राम में)

राज्य	1971	1972	1973
असम . . .	223,665	239,206	251,825
पश्चिम बंगाल . . .	104,087	108,576	110,489
बिहार	41	23	23
त्रिपुरा	2,960	3,011	3,857
उत्तर प्रदश	690	613	840
हिमाचल प्रदेश . . .	888	1,253	1,127
तमिलनाडु	57,531	55,099	56,020
कर्नाटक	2,877	3,307	2,873
केरल	42,729	44,903	44,898

वर्ष 1974 के लिए आंकडे अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

रामश्वरम् के निकट हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव

7622. **श्री था० किरुतिनन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चोपुली पर वर्तमान हवाई अड्डे का नवीकरण करके रामेश्वरम के निकट एक हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) उच्ची पु ी (रामनद के समीप) की वर्तमान अच्छे मौसम की हवाई पट्टी का विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इंडियन एयरलाइंस की फिलहाल रामेश्वरम् को विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजनाएं नहीं है ।

लम्बे रेशे वाली रुई के लिए उच्चतर रुई समर्थन मूल्य के बारे में निर्णय

7623. श्री भाऊसाहेब धामनकर :
श्री वसंत साठे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खुले बाजार में मूल्य में गिरावट को ध्यान में रखते हुए लम्बे रेशे वाली रुई के लिए उच्चतर रुई समर्थन मूल्य के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं, लम्बे रेशे की रुई के लिए समर्थन कीमत बढ़ाने के लिए कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सूचना सेवा अधिकारियों के भविष्य निधि लेखों संबंधी विवरण

7624. श्री वी० के० दासचौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा अधिकारियों की भविष्य निधि के व्यक्तिगत चालू लेजर लेखों (महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व) के अंतर्गत रखे जाने वाले लेखाविवरण अनेक वर्षों से उन अधिकारियों के पास नहीं भेजे जा रहे है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालत में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी).: (क) केन्द्रीय सूचना सेवा अधिकारियों के 1971–72 तक के भविष्य निधि लेखा विवरण–पत्र उनको नवम्बर, 1973 के अन्त तक भेज दिए गये थे । 1972–73 के विवरण-पत्रों को मई, 1975 में तथा 1973–74 के विवरण–पत्रों को सितंबर, 1975 के अंत तक जारी कर दिये जाने की संभावना है ।

(ख) इसमें विलंब अंशत छपाई तथा लेखन सामग्री विभाग से छपे हुए लेजर फार्मों की देर से प्राप्ति और अंशत: संचित बकाया को निपटाने में लगे समय के कारण हुआ । तथापि 1973–74 तक के काम को सितम्बर, 1975 तक पूरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

पंजाब से धागे की मांग

7625. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तिमाही में विभिन्न "काउंटों" के धागे के लिए पंजाब से कोई मांग प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मांग है;

(ग) क्या वर्ष 1974-75 से पंजाब के अनेक छोटे बुनकरों और कारखानों को अपेक्षित मात्रा में धागा नहीं मिल सका; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बजट का जनसाधारण की समझ में आने वाला संस्करण जारी करना

7626. श्री बालकृष्ण वैन्कप्पा नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार बजट, तथा प्रत्येक राज्य के योजना बजटों का क्षेत्रीय जनसाधारण की समझ में आने वाला संस्करण जारी करने का है; और

(ख) यदि हां; तो सुगमता से समझ में आने वाला बजट कब से प्राप्य होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

राजनीतिज्ञों, मजिस्ट्रेटों तथा ख्याति प्राप्त कानूनी व्यक्तियों के साथ तस्करों के संबंध

7627. श्री मधु लिमये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मत्रालय में राज्य मंत्री ने 18 अगस्त, 1974 के अपने प्रेस सम्मेलन में तथा 22 अगस्त, 1974 के ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर के संबंध में लोक सभा में अपने वक्तव्य में यह कहा था कि प्रमुख तस्करों के राजनीतिज्ञों के साथ संबंध थे तथा उन्हें ख्याति प्राप्त कानूनी व्यक्तियों से सहायता प्राप्त हुई और उन्हें मजिस्ट्रेटों द्वारा आसानी से छोड़ दिया गया ;

(ख) उन राजनीतिज्ञों, ख्याति प्राप्त कानूनी व्यक्तियों तथा मेजीस्टेटों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री सुखाडिया 1966 में सार्वजनिक रुप से नैनमल पुंजाजी साह के साथ अल्पाहार के समय रहे ;

(घ) क्या श्री यशपाल कपूर संसद सदस्य नेभी कुली मस्ताना के साथ कई बार भेंट की;

(ङ) क्या प्रधान मंत्री ने 1972 के चुनाव के दौरान सुकर नारायण बखिया के बदर-इन-ला दमन के एक एम० एल० ए० के समर्थन में बुलाई गई सभा में भाषण दिया था; और

(च) क्या भाग (ख) के उत्तर में बताये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक अथवा प्रशासनिक कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) वित्त मंत्रालय में तत्कालीन राज्य मंत्री द्वारा 18-8-1974 को प्रेस सम्मेलन में जारी किये गये प्रेस-पत्रक में तस्कर व्यापारियों के कथित राजनीतिक संबंधो के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। उन्होंने 22-8-74 की ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में वादविवाद के दौरान केवल यह कहा था कि तस्कर व्यापारी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके पास सम्पत्ति तथा तत्संबंधी सभी साधन उपलब्ध हैं, फिर चाहे वह संरक्षण का प्रश्न हो अथवा प्रभाव आदि का। इस पर अध्यक्ष महोदय ने यह मत व्यक्त किया था कि वह एक साधारण टिप्पणी थी और माननीय सदस्यों को अपनी ओर से उसका कोई और अर्थ नहीं लगाना चाहिए। वित्त मंत्रालय में भूतपूर्व राज्य मंत्री ने इस बात का भी उल्लेख किया था कि जब इन व्यक्तियों को इस्तगासेकी कार्यवाही के लिये भेजा जाता है तो उन्हें मैजिस्ट्रेटों द्वारा विभिन्न कारणों से आसानी से छोड़ दिया जाता है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा था कि ये लोग देश में उपलब्ध सर्वोत्तम विधि वेत्ताओं की सेवा प्राप्त करने की स्थिति में भी होते हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए, राजनीतिक संबंधों के बारे में नामों का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक मैजिस्ट्रेटों और वकीलों के नामों का संबंध है, अपेक्षित सूचना एकत्र करने के लिये देश भर में फैले क्षेत्रीय कार्यालयों के पिछले अनेक वर्षों के बहुत सारे रिकार्ड देखने पड़ेंगे। इसमें बहुत अधिक श्रम और समय लगेगा। तथापि यह भी उल्लेखनीय है कि मजिस्ट्रेटटों द्वारा दिये गये फैसलो के संदर्भ में, विभाग आवश्यक समझे जाने वाले सभी मामलों में अपील दायर करता है।

(ग) तथा (घ) सरकार के पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(ङ) प्रधान मंत्री ने 1972 में चुनाव पूर्व अवधि के दौरान दमण की यात्रा की थी जो चुनाव अभियान संबंधी उनके कार्यक्रम के एक भाग के रुप में थी। उन्होंने दमण में एक आम सभा में भाषण दिया था।

(च) भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा कम्पनियों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के बैंक प्रबन्धकों, कर्मचारियों को कमीशन का भुगतान

7628. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा कम्पनियों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के बैंक प्रबन्धकों अथवा कर्मचारियों को कमीशन का भुगतान करने के बारे में सरकार को मार्च, 1974 में कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के बैंक प्रबन्धकों अथवा कर्मचारियों को बीमा एजेंट नियुक्त करने की प्रथा को बन्द किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के (बेनामी) सौदों पर भी रोक लगाई जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) 1972 में ऐसे अनुदेश जारी किये गये जिनमें बैंक कर्मचारियों द्वारा बीमा एजैंसी रखे जाने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अतिरिक्त, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों

से कहा गया कि वे अपनी स्वयं की सम्पत्तियों से संबंधित बीमा कारबार सीधे ही बीमा कम्पनियों को दें एजेंटों के माध्यम से नहीं।

(ग) यदि कोई बैंक कर्मचारी किसी बीमा एजेंसी को स्वयं अपने नाम से अथवा किसी अन्य नाम से रखता है या किसी भी बीमा कम्पनी के किसी एजेन्ट से कमीशन का कोई भी अंश प्राप्त करता है तो उसके तथा संबंधित एजेंट के खिलाफ समुचित आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास आयातित अलौह धातुओं के एकत्रित भण्डार की बिक्री

7629. श्री एस० आर० दामाणी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या कीमतों में कमी करने और अन्य सुविधायें देने की घोषणा करने के बाद से खनिज तथा धातु व्यापार निगम अपने आयतित अलौह धातुओं के एकत्रित भण्डार की बिक्री कर सका है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी मुख्य बातें क्या हैं और वर्तमान भण्डार-स्थिति क्या है; और

(ग) भविष्य में से एसे कटु अनुभव से बचने के लिए आयात की नई नीति सम्बंधी मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1975 की प्रथम तिमाही में अलौह धातुओं की कुल खरीद में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और आगामी कुछ महीनों में भण्डारों के सामान्य स्तर पर आ जाने की सभावना है।

(ख) इन धातुओं की कुल खरीद में वृद्धि इन आंकड़ों से देखी जा सकती है :–

अलौह धातुओं की कुल खरीद

अवधि	(मात्रा मे. टन में)		
	तांबा	जस्ता	सीसा
अक्तूबर–दिसम्बर 74 . .	3719	9432	5723
जनवरी–मार्च 1975 . . .	6658	14739	7372

31 मार्च, 1975 को निगम के पास भण्डार इस प्रकार थे :–

	म. टन
ताम्बा	20,147
जस्ता	23,061
सीसा	15,174

(ग) आयात आवश्यकताओं का पुनः अनुमान लगाने और निगम के पास विभिन्न अलौह धातुओं के भण्डार का हिसाब लगाने के बाद आयातों को उपयुक्त रुप से विनियमित किया गया है। अब आबंटियों को अपने रिलीज आदेश के पंजीकरण के समय बयाना भी जमा करना होता है।

वर्ष 1975-76 के लिए निर्यात लक्ष्य

7630. श्री एस० आर० दामाणी
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76 का निर्यात लक्ष्य चालू वर्ष के निर्यात मूल्य में अनुमानित: 23 प्रतिशत वृद्धि की अपेक्षा काफी कम होगा; और

(ख) यदि हां, तो निर्णीत वास्तविक आंकडे क्या हैं तथा उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) 1975-76 के लिए निर्यात लक्ष्य को अभी अंतिम रूप नही दिया गया है । लक्ष्य निर्धारित करते समय विगत निर्यात निष्पादन, माल की घरेलू उपलब्धता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक शर्तों आदि जैसे सभी कारकों को ध्यान में रखा जायेगा ।

प्रशासनिक आवश्यकता तथा सामाजिक सेवाओं के लिये राज्यों को दी गई धन राशि

7631. श्री मूलचन्द डागा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत वित्त आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1974 और 1975 में किन-किन राज्यों को प्रशासनिक आवश्यकता और सामाजिक सेवाओं के लिये पिछड़े राज्यों के रुप से कितनी कितनी धनराशि दी गई और उनमें से प्रत्येक को वर्ष बाद कितनी राशि दी गई; और

(ख) यह धनराशि देने से पहले उनका मंत्रालय किन-किन बातों का ध्यान रखता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) छठे वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफ़ारिशों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत राज्य सरकारों को सहायक अनुदानों के रूप में 1974-75 में जो रकमें दी गयी और 1975-76 में जो दी जानी है उनका ब्यौरा इस प्रकार है :–

(करोड रुपयों में)

राज्य का नाम	1974-75 में अदा की गयी रकम	1975-76 में देय रकम
आन्ध्र प्रदेश	42.83	43.47
असम	49.66	51.33
बिहार	18.78	23.92
हिमाचल प्रदेश	31.72	32.02
जम्मू और कश्मीर	34.57	34.65
केरल	43.85	43.46
मणिपुर	21.05	21.97
नागालैंड	23.77	24.68

(करोड़ रुपयों में)

राज्य का नाम	1974-75 में अदा की गयी रकम	1975–76 में देय रकम
उड़ीसा	56.97	60.11
राजस्थान	49.30	48.57
त्रिपुरा	20.66	21.53
उत्तर प्रदेश	21.61	33.91
पश्चिम बंगाल	53.29	49.27
मेघालय	13.61	14.23

उपर्युक्त सहायक अनुदानों की सिफारिश करते समय वित्त आयोग ने प्रशासनिक और सामाजिक सेवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा था। प्रत्येक राज्य की जरूरत के लिए सहायता की रकम निर्धारित करने के लिए आयोग द्वारा अपनाये गये मानदण्ड उसकी रिपोर्ट के बारहवें अध्याय में दिये गये है जो दिसम्बर, 1973 में सभा-पटल पर रख दी गयी थी।

Number of Handlooms in the Country

7632. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the total number of handlooms working in the country, state-wise at present; and

(b) whether to help Handloom Industry Government propose to give lesser encouragement to Powerloom Industry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) A statement is attached.

(b) While the handloom sector is being given some priority and special consideration, the powerloom sector is also allowed to develop in an orderly manner so as to play its rightful role in the textile industry.

STATEMENT

Sl. No.	Name of State/Union Territory	Number of handlooms
1	Andhra Pradesh	5,97,000
2	Assam	5,90,480

Sl. No.	Name of State/Union Territory	Number of handlooms
3	Bihar	2,00,820
4	Gujarat	34,069
5	Haryana	8,991
6	Himachal Pradesh	2,136
7	Jammu & Kashmir	Not available.
8	Kerala	71,325
9	Madhya Pradesh	52,738
10	Maharashtra	1,85,000
11	Manipur	2,00,259
12	Mysore (Karnataka)	1,37,000
13	Nagaland	50
14	Punjab	18,000
15	Rajasthan	1,41,750
16	Orissa	87,281
17	Tamil Nadu	5,50,000
18	Tripura	10,000
19	Uttar Pradesh	5,09,400
20	West Bengal	1,60,030
21	Dadra & Nagar Haveli	Nil
22	Delhi	2,800
23	Goa	187
24	Pondicherry	4,047
	Total	35,63,363

Import of Vegetables and Fruits

7633. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the value and names of the fruits and vegetables imported in the country and the names of the countries from which imported during the years 1973, 1974 and 1975 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : Calendar year-wise information on imports is not available as the Foreign Trade Statistics are being compiled by the Director General of Commercial Intelligence & Statistics, Calcutta on financial year-wise basis. However, a statement showing value of fruits and vegetables along-with names of major countries from which imported during the years 1972-73 to 1974-75 (upto Nov., 74) is laid on the Table of the House [**Place in Library** *see* **No. 9523/75**]. Import data beyond Nov. 74 is not yet available.

उड़ीसा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

7634. श्री अर्जुन सेठी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान उडीसा राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा ऋणों के रुप में कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) मार्च, 1975 के अन्त तक कितन आवेदन पत्रे प्रमाणित पड़े थे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) बैंक केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए गए अग्रिमों के बारे में पृथक आंकड़े नहीं रखते हैं। सांख्यिकीय सूचना देने की वर्तमान प्रणाली में अनिर्णीत आवेदन-पत्रों की संख्या के विषय में सूचना का आकलन नहीं किया जाता है।

राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंक, खासकर सरकारी क्षेत्र के बैंक, स्वीकृत नीति के एक अंग के रूप में कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, परिवहन परिचालक, स्वयंनियोजन आदि प्राथमिकता वाले विभिन्न क्षेत्रों में छोटे ऋणकर्त्ताओं तक व्यापक स्तर पर पहुंचने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसके अतिरिक्त, ये बैंक ऐसे 275 जिलों में जो या तो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए माने गए हैं अथवा जहां लघु कृषक विकास अभिकरणों (एस० एफ० डी० ए०)/सीमान्त कृषक एवं खेतीहर मजदूर अभिकरणों (एम० एफ० ए० एल०) के कार्यक्रम कार्यान्वित हो रहे है, अपेक्षाकृत अधिक कमजोर वर्ग को 4 प्रतिशत की रियायती दर पर सहायता भी दे रहे हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अग्रिम के रूप में दी गयी धनराशि का अधिकांश अभी तक उपेक्षित क्षेत्रों के ऋणकर्त्ताओं और विभेदी ब्याज-दर योजना के अधीन छोटे ऋणकर्त्ताओं को दिये गये ऋणों की राशि में, प्रदर्शित होगा। मिदनापुर जिले में (जिसमें झाड ग्राम है) (राष्ट्रीयकृत बैंकों समेत) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उड़ीसा में इन क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों की दिसम्बर, 1973 के अंत में बकाया राशियों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उड़िसा राज्य में कृषि, खुदरा व्यापार, परिवहन सेवाओं, विभेदी ब्याज-दर आदि के लिए दिए गए अग्रिम

(दिसम्बर, 1973 के अन्तिम शुक्रवार को)

(राशि हजार रुपयों में)

पेशा	खातों की संख्या	बकाया राशि
1. कृषि और सहायक गतिविधियां जिसमें	**23290**	**29802**
(क) प्रत्यक्ष वित्त	22338	24741
(ख) अप्रत्यक्ष वित्त ..	399	3824
(ग) सहायक गतिविधियां	486	1176
2. 1.परिवहन-भंडारण और संचार .	1431	28132
3. 2.खुदरा व्यापार	3962	25483
4. वैयक्तिक एवं व्यावसायिक सेवायें, जिनमें .	**1499**	**5791**
(क) व्यावसायिक सेवायें .	350	836
(ख) शिल्पी एवं दस्तकार	470	998
(ग) अन्य सेवायें . .	679	3957
5. ग्रामीण औद्योगिक परियोजनायें	477	756
6. विभेदी ब्याज-दर योजना . .	2855	601
7. छोटे पैमाने के उद्योग . . .	1382	48832
उड़ीसा में सभी वाणिज्यिक बैंकों के कुल ऋणों का जोड़ .	56521	559279

गिरफ्तारियों से बच रहे तस्कर

7635. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार अभी तक ऐसे कितने तस्कर नहीं पकड़े गए हैं जिनके विरूदध संशोधित आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत गिरफ्तारियों के वारंट है ;

(ख) उन तस्करों के नाम, पते और ब्यौरा क्या है जो गिरफ्तारियों से बच रहे हैं ; और

(ग) इस संबंध में यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) 1974 के अध्यादेश सं० 11 द्वारा यथा संशोधित आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 के अधीन जारी किये गये आदेश जहांतक उनका तस्कर व्यापारियों और विदेशी मुद्रा के जालचक्र में लगे लोगों से संबंध है, 19-12-1974 को विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1974 के लागू होने पर व्यपगत हो गये थे । तथापि, जिन व्यक्तियों के विरुदध नये अधिनियम के अधीन नजरबंदी आदेश जारी किये गये थे परन्तु जिन्हें अभीतक नजरबंद नहीं किया गया है अथवा जो फरार हैं उनकी संख्या का 12-4-1975 तक का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सं०
आन्ध्र प्रदेश	9
बिहार	8
चण्डीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	1
दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	3
गोआ, दमण और दीव	8
गुजरात	19
जम्मू तथा कश्मीर	1
कर्नाटक	7
केरल	1
महाराष्ट्र	67
पंजाब	2
तमिलनाडु	26
उत्तर प्रदेश	4
पश्चिम बंगाल	83

(ख) जिन व्यक्तियों के नजरबंदी के आदेश दिये गये हैं परन्तु जिन्हें नजरबंद नहीं किया गया है/जो फरार है, वे सारे भारत के हैं । अतः उनके नामों, पते और ब्यौरों के बारे में माननीय सदस्य द्वारा मांगी सूचना की उपयुक्त समय के भीतर यथातथ्य संकलित करना कठिन होगा । यदि माननीय सदस्य किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हों तो वह सूचना एकत्रित करके प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ग) बहुत से मामलों में, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ की गई है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालयों को आदेश दिये गये हैं कि वे उन व्यक्तियों का राज्य सरकार के अधिकारियों की सहायता से पता लगाये जो गिरफ्तारी से बच रहे हैं और उन्हें नजरबन्द करे।

वस्तुओं की तस्करी

7636. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के एक सदस्य की अध्यक्षता में हाल ही में हुए सीमाशुल्क और उत्पादनशुल्क कलेक्टरों के सम्मेलन में लगाये गए अनुमान के अनुसार अब भी केवल पश्चिमी तट से देश में प्रतिदिन लगभग तीन करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुएं चोरी-छिपे लाई जा रही है ;

(ख) क्या एक अर्ध-सरकारी अनुमान के अनुसार, लगभग एक करोड़ रुपये के मूल्य की आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की इस समय भी देश से अन्य देशों को तस्करी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) सरकार को ऐसे किसी सरकारी अनमान की जानकारी नहीं है। लेकिन, तस्करी-विरोधी अभियान के परिणामस्वरुप तस्करी की गतिविधियों को काफी हद तक रोक दिया गया है।

(ख) सरकार को ऐसे किसी अर्ध-सरकारी अनुमान की जानकारी नहीं है।

(ग) तथा (घ) उपयुक्त (क) तथा (ख) के उत्तरों को ध्यान मे रखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

चाय उद्योग के बारे में संसदीय अध्ययन दल का प्रतिवेदन

7637. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग के सम्बंध में संसदीय अध्ययन दल नियुक्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन थे तथा दल का गठन किस प्रकार किया गया था ;

(ग) क्या दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ;

(घ) क्या अध्ययन दल के अनुसार कुछ अन्तर्राष्ट्रीय खरीदारों के हाथों में क्रय शक्ति का एकत्र हो जाना भी चाय के मूल्यों में कमी होने का एक कारण है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) संसद में कांग्रेस दल के निम्नलिखित सदस्यों के, जिनकी भारतीय बागान उद्योग का अध्ययन करने में रुचि थी, अनौपचारिक समूह ने चाय उद्योग के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की ।

1. श्री हर्ष देव मालवीय . . . अध्यक्ष
2. श्री दिनेश चद्र गोस्वामी . . संयोजक
3. श्री बिपीन पाल दास
4. श्री बी० के० दास चौधरी
5. श्री आर० के० सिंहा
6. श्री के० पी० उनीकृष्णनन
7. श्री तरुण गोगोई
8. श्री नृपति चौधरी
9. सरदार अमज़द अली
10. श्री सतपाल कपूर
11. श्री विश्वनारायण शास्त्री
12. श्री के० लकप्पा
13. श्री सी० गौड़ा

रिपोर्ट की प्रति मंत्रालय को मार्च 1975 में प्राप्त हुई । रिपोर्ट के साथ संलग्न समूह के "सुधार के लिये सुझाव" सलग्न विवरण के अनुसार हैं ।

(घ) तथा (ङ) संसद विज्ञों के चाय उद्योग के बारे में बागान उद्योग व बागान अध्ययन समुह की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि थोडे से अन्तराष्ट्रीय क्रेताओं के हाथ में खरीदने की शक्ति का केन्द्रित किया जाना, जिनका विश्व चाय व्यापार के 50 प्र० श० से अधिक भाग पर और लंदन की नीलामियों के लिये चाय भेजन पर नियंत्रण है, चाय की कीमतों में गिरावट के कुछ कारण हैं ।

हाल ही में लंदन नीलामी के लिये भारतीय चाय भेजे जाने की मात्रा में गिरावट का रूख रहा है और गत एक वर्ष में भारत में तथा विदेशों में विभिन्न नीलामी केन्द्रों में भारतीय चाय की कीमत बढ़ी है । तथापि, सरकार चाय बोर्ड से परामर्श करके रिपोर्ट पर विचार कर रही है ।

विवरण

सुधार के लिये सुझाव

चाय उद्योग का मार्गदर्शन व नियंत्रण चाय बोर्ड के वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत 1953 के चाय अधिनियम के द्वारा बनाये जाने के समय से इस प्रकार से किया जाता है जिससे उसके गहरे पेठे हुए बहुत से विकार और दोष दूर करने के लिए उसका पूर्ण पुनः अभिविनयास हो जाता है । चाय बोर्ड के गठन को पहली निगाह से देखने पर पता चलेगा कि चाय बोर्ड में चाय के बड़े व्यापार हित सबसे ऊंची स्थिति में हैं । उसके सदस्य अधिकांशतः बड़े चाय घरानों में से निर्वाचित किये जाते है अतः वर्तमान चाय

अधिनियम में सशोधन करके चाय बोर्ड का जल्दी से जल्दी पुनर्गठन किया जाना चाहिए। श्रमिकों के नेताओं और चाय और उसकी समस्याओं के बारे में पर्याप्त ज्ञान रखने वाल व्यक्तियों का उसमें अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

सुझाये गये उपाय

1. संसद सदस्यों, श्रमिक नेताओं, चाय उद्योग के बारे में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों, विशेषज्ञ अर्थशास्त्रियों में से और अधिक प्रतिनिधि लेकर तथा छोटे व सीमान्त चाय बागानों के प्रतिनधि ले कर चाय बोर्ड का पुनर्गठन किया जान चाहिये। बड़े चाय घरानों के प्रतिनिधियों की संख्या में कटौती की जानी चाहिए।
2. चाय का निर्यात उत्तरोत्तर चाय व्यापार निगम के द्वारा मार्गीकृत किया जाना चाहिये और आवश्यकता अनुसार उसे पैकेट वाली चाय बनाने तथा अन्य उपाय करने के काम भी अपने ऊपर ले लेना चाहिये।
3. असाधारण मामलों में और समाजिक उत्तरदायित्व का ध्यान रखते हुए सरकार को रुग्ण तथा अलाभप्रद चाय बगानों को अपने अधिकार मे ले लेना चाहिए।
4. विपणन में काफी सुधार किया जा सकता है यदि एक ऐसी नयी नीलामी प्रणाली आरम्भ कर दी जाये जिसमें खरीदार खरीदारी करने के लिये प्रेरित हो। यह प्रणाली उच्च प्रभार जैसी या गम्भीर रूप से विचार करने के बाद तैयार की गई कोई अन्य प्रणाली हो सकती है।
5. गवेषणा संस्थानों से तकनीकी परामर्श बिना शुल्क के तुरंत उपलब्ध होना चाहिए।
6. चाय के पौधे पुनरोपन के लिये खाली स्थानों पर पौधे लगाने के लिये और बागान का विस्तार करने के लिये मुफ्त सप्लाई की जानी चाहिए।
7. सरकार की प्रति किलोग्राम के उत्पादन के आधार पर उपकर लगाना चाहिए और अपने ऊपर श्रमिकों की शिक्षा, चिकित्सा सहायता रियायती दरों पर भोजन सप्लाई तथा आवास की व्यवस्था का उत्तरदायित्व ले लेना चाहिए।
8. बिक्री के समय और बनाये गये मिलों के आधार पर अधिकतम सीमा सहित मूल्यानुसार उत्पादन शुल्क लगाया जाना चाहिए।
9. निर्यातिक को दी जाने वाली उत्पादन शुल्क संबंधी छूट का उस स्थिति में कोई औचित्य नहीं है जब कि उस शुल्क का भुगतान उत्पादन द्वारा किया जाता है। उत्पादन शुल्क को निर्यात संवर्धन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। उत्पादन संबंधी छूट का प्रत्येक भाग उत्पादक के पास वापिस आ जाना चाहिये, जिसने निर्यात योग्य चाय तैयार की है।

सोवियत संघ द्वारा खरीदे गये तथा दूसरे देशों को पुनः बेचे गए माल

7638. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ द्वारा भारत में खरीदे गये तथा दूसरे देशों को पुनः बेचे गये माल की मात्रा के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के माल को पुनः बेचा गया और उन देशों के नाम क्या हैं जिनको माल पुनः बेचा गया था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी नहीं। भारत तथा सोवियत संघ के बीच व्यापार संलेखों से इन देशों के लिए यह पालन करना आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक देश से निर्यात किया गया माल अन्य देशों को पुनः निर्यात के लिए नहीं है। सोवियत संघ द्वारा इस समझौते के उल्लंघन का कोई उदाहरण हमारे नोटिस में नहीं आया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की बीमाकृत जमा राशियां तथा देयता

7639. श्री पी० रंगनाथ शिनाय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में 10,000 रुपये तक की जमा राशि बीमा युक्त होती है ;

(ख) इस बीमे का क्या उद्देश्य है ;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की देयता असीमित नहीं होती; और

(घ) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को शेयर-पूंजी से अधिक हानि होने पर सरकार जिम्मेदार नहीं है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) किसी एक जमाकर्त्ता द्वारा, उसी अधिकार एवम् हैसियत में, किसी एक राष्ट्रीयकृत बैंक में धृत 10,000 रूपये तक की जमाराशियों का बीमा जमा बीमा निगम द्वारा किया जाता है। चौदह बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बहुत पहले गठित इस निगम द्वारा न बीमाकृत बैंकों "(इंश्योर्ड बैंक्स)" की जमाओं का बीमा करने का उद्देश्य बीमाकृत बैंक द्वारा देनदारियों को पूरा न कर पाने की दशा में जमाकर्त्ताओं, विशेषकर छोटे जमाकर्त्ताओं, को उनकी जमाओं की क्षति की जोखिम से सुरक्षा के वास्ते एक आधार प्रदान करना है।

(ग) और (घ) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक का अपने ऋणों और देनदारियों का, उनके अधिकारों और हितों के अनुरुप निर्वाह दायित्व सम्बद्ध बैंक की परिसम्पत्ति तक सीमित होता है। जिस संविधि के अधीन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का संगठन हुआ हो, वह बैंक उसी संविधि के अधीन एक निगमित निकाय होता है; और वह संविधि उस बैंक द्वारा ग्रहण की गयी देनदारियों अथवा उठायी गयी हानियों के संबंध में, उस बैंक की एक मात्र शेयरधारी, केन्द्रीय सरकार, के दायित्व की सीमा को शेयर-पूंजी से अधिक तक सीमित नहीं करती।

सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने की प्रक्रिया

7640. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने की प्रक्रिया को सरल बनाने का है; और

(ख) सभी पेंशनधारियों को डाकघरों के माध्यम से पेंशन न देने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) मौजूदा प्रबन्ध के अन्तर्गत डाक व तार विभाग के पेंशन पाने वाले लोगों को डाकघरों द्वारा पेंशन मिलती हैं। कुछ निर्दिष्ट डाकघर सेना की पेंशन का भी वितरण करते हैं। बाकी मामलों में पेंशन पाने वाले लोग अपनी इच्छा से मनीआर्डर द्वारा अपने निवासस्थान पर पेंशन मंगवा सकते हैं और यदि पेंशन की रकम 100 रुपये प्रति माह से अधिक न हो तो मनीआर्डर का खर्च सरकार उठाती है। पेंशन पाने वाले लोगों को अधिक से अधिक सुविधा देने के लिए सरकार मौजूदा कार्य प्रणाली म सुधार करने के लिए समय समय पर विचार करती रहती है।

सभी किस्मों के धागे का निर्यात

7641. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी किस्मों के धागे के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) देश में सूत के उत्पादन और आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के बाद यह पाया गया कि कुछ देशी धागा निर्यात के लिए उपलब्ध है। तदनुसार समग्र मात्रा संबंधी अधिकतम सीमा के अध्यधीन धागे के निर्यात की अनुमति दी जा रही है।

विदेशी मुद्रा परिरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम के अधीन मार्गदर्शी सिद्धान्त

7642. **श्री हरी सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा परिरक्षण एवं तस्करी प्रतिविधियां निवारण अधिनियम 1974 को लागू करने के लिये कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं ;

(ख) क्या उन व्यक्तियों के मामलों पर, जो विदेशी मुद्रा परिरक्षण एवं वृद्धि से संबंधित अपराधों के कारण मूलत: 'आंसुका' के अधीन गिरफ्तार किये गये थे और जिन्हें मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने के पहले नये अधिनियम के अधीन तुरन्त पुन: गिरफ्तार कर लिया गया था, इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रख कर पुन-विचार किया गया है ;

(ग) क्या इस प्रकार का पुनर्विचार केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है अथवा राज्य सरकार द्वारा, जिसके आदेशों से ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है ; और

(घ) क्या इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक अनुदेश दिये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जिन व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा के संरक्षण और संवर्धन संबंधी अपराधों के लिए शुरू में आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन नजरबन्द किया गया था और जिन्हें उन मार्गदर्शक सिद्धान्तों, जिनमें सामान्य सिद्धान्तों से कोई भी व्यापक अन्तर है के जारी होने से पूर्व ही नये अधिनियम के अधीन तत्काल नजरबन्द किया गया था उनके मामलों को केन्द्रीय सरकार ने विचार के लिये हाथ में ले लिया है।

(घ) उपर्युक्त जांच के प्रकाश में, जहां कहीं आवश्यक हुआ, अनुदेश जारी करने पर विचार किया जायेगा।

आर्थिक अपराधों के लिये दंड

7643. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आर्थिक अपराधों के लिये कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये / कितने की दोषसिद्धि हुई ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई उपचारात्मक कार्यवाही की है ;

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या इस बारे में उठाये गये विभिन्न कदमों और इन अपराधों के लिये दोषी पाये गये व्यक्तियों को दी गई सजा को प्रकाश में लाने के लिये पर्याप्त प्रचार किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

लीड बैंक योजना

7644. श्री राजदेव सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार जिलों में यथा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तथा रायबरेली और मध्य प्रदेश के सियोनी तथा उज्जैन में, परीक्षण आधार पर जिला ऋण योजनायें बनाये जाने तथा उन्हें लागू किये जाने के साथ ही लीड बैंक योजना ने एक नये चरण में प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश तथा मध्यप्रदेश से दो-दो जिलों का चयन करने के लिये क्या मापदण्ड अपनाया गया; और

(ग) अन्य जिलों के बारे में क्या प्रस्ताव है तथा उनमें लीड बैंकों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) लीड बैंकों को सौंपे गये जिलों का सर्वेक्षण पूरा कर लेने और समन्वय करने के लिए उपयुक्त तन्त्र की स्थापना कर लेने के बाद विकास संबंधी अन्य अभिकरणों के साथ मिलकर अब वे लीड की जिम्मेदारी के अपने क्षेत्र की विकास-क्षमता को क्रियाशील करने पर ध्यान दे रहे हैं। अर्थक्षम कार्यक्रम निर्धारित करके और उनका वित्त पोषण करने के लिए विशिष्ट

ऋण योजनाएं बनाकर लीड बैंक इस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में, चुने हुए ब्लाकों और उद्योगों का लीड बैंकों द्वारा गहराई से कई बार अध्ययन किया गया है। बैंकों द्वारा जिला ऋण योजनाएं बनाने का भी प्रयास प्रयोगात्मक आधार पर किया जा रहा है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की केन्द्रीय क्षेत्र की क्षेत्रीय सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दो-दो जिलों में कार्य आरंभ कर दिया गया है। अन्य बैंक भी अपने अपने लीड जिलों में जिला ऋण योजना बनाना शुरू कर रहे हैं। आवश्यक विशेषज्ञता का विकास हो जाने के साथ-साथ और इस प्रक्रिया में अर्जित अनुभव को ध्यान में रखकर लीड बैंकों से आशा की जाती है कि वे अपने अन्य लीड जिलों के लिए जिला ऋण योजनाएं बनाने का कार्य यथासमय शुरू कर देंगे।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों द्वारा अर्जित लाभ

7645. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने, जिसके अन्तर्गत देश में 16 सरकारी क्षेत्र के होटल हैं, वर्ष 1973-74 में 38.16 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो इतना कम लाभ अर्जित करने के क्या कारण हैं जब कि गैर-सरकारी क्षेत्र के होटल भारी मुनाफा कमा रहे हैं; और

(ग) क्या विदेशी मुद्रा के रूप में पर्याप्त राशि भी अर्जित की गई थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम में 1973-74 में 38.16 लाख रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। निगम ने इस वर्ष के दौरान 12 होटलों का परिचालन किया जिनमें इस वर्ष चालू किए गए दो होटल तथा वर्ष 1972-73 में चालू किए गए 4 होटल भी सम्मिलित हैं।

(ख) यद्यपि निजी क्षेत्र के होटलो की लाभप्रदता के बारे में सही-सही सूचना उपलब्ध नहीं है, यह कहना ठीक नहीं होगा कि भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों ने कम लाभ कमाया है जबकि निजी क्षेत्रों के होटल बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं। यह नोट करने वाली बात है कि 12 में से 6 होटल नए हैं; ऐसी नई यूनिटों के लिये सामान्यतया, लाभ कमाना शुरू करने से पहले, कुछ वर्ष का समय गर्भावस्था काल होता है।

(ग) निगम ने 1973-74 के दौरान 194.72 लाख रुपए के मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की (जिसमें भोजन तथा आवास आदि से अर्जित हुई 126.21 लाख रुपए की राशि भी सम्मिलित है)।

जापानी आयातकर्ताओं में भारतीय वस्तुओं की लोकप्रियता

7646. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान भारतीय वस्तुओं का एकमात्र सबसे बड़ा आयातकर्ता देश हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस स्थिति को कायम रखने के लिये इस साल फरवरी तक जापान ने भारत को 888.9 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता दी है; और

(ग) उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है, जो जापानी आयातकर्ताओं में लोकप्रिय हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां, 1973-74 में जापान भारतीय माल का अकेला सबसे बड़ा आयातक था।

(ख) जापान ने भारत को वित्तीय सहायता भारत के आर्थिक विकास के लिए दी है न कि भारतीय माल तथा कच्चे माल के आयातक के रूप में अपनी स्थिति को बनाये रखने के लिए। 31-1-75 को यह सहायता 889.9 करोड़ रुपये थी।

(ग) 1973-74 में जापान को निर्यात की गई मुख्य वस्तुएं नीचे दी जाती है।

1. लौह अयस्क तथा सांद्रण
2. मछली तथा मछली उत्पाद
3. कपास (बंगाल देशी)
4. पशुओं के लिए चारा
5. यार्न तथा धागे को छोड़कर सुती उत्पाद
6. चमड़ा
7. टिबस्ट तथा याने को छोड़कर पटसन उत्पाद
8. मोती, मूल्यवान तथा अर्धमूल्यवान रत्न
9. लकड़ी, लम्बर तथा कार्क
10. लोहा तथा इस्पात
11. मैंगनीज अयस्क तथा सांद्रण
12. क्रोमियम अयस्क तथा सांद्रण
13. अयस्क तथा खनिज (जिनका अन्यत्र उल्लेख नहीं है)
14. फल तथा सब्जियां
15. अनिर्मित तम्बाकू
16. कच्ची वनस्पति सामग्री (जिनका अन्यत्र उल्लेख नहीं है)
17. बिजली की मशीनों को छोड़कर अन्य मशीनरी
18. कच्ची पशु सामग्री (जिनका अन्यत्र उल्लेख नहीं है)
19. लोहा तथा इस्पात स्क्रप

20. हस्तशिल्प की वस्तुएं (जिनका अन्यत्र उल्लेख नहीं है)।

21. टैक्सटाइल यार्न तथा धागा

22. काटेन स्वीपिंग एवं यलों पिचिग्स

23. मसालें

24. रेशम

25. चाय

26. टैक्सटाइल फैब्रिक्स बुने हुए, सूती तथा पटसन के वस्त्रों को छोड़कर।

तेल समृद्ध पश्चिम एशियाई देशों के साथ व्यापार

7647. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया के तेल समृद्ध देशों की बढती हुई उपभोक्ता मांग को पूरा करने और विश्व की मंडियों में चीनी जैसी कुछ वस्तूओं की मूल्य वृद्धि का लाभ उठाने के लिये पहले से कार्यरत कम्पनियों के समकित प्रयास को बढ़ावा देना आगामी वर्षों में निर्यात नीति की विशेष बात होगी ;

(ख) क्या तेल समृद्ध पश्चिम एशियाई देशों के साथ हमारे व्यापार में धीरे वृद्धि हो रही है ; और

(ग) व्यापार में बढती हुई यह वृद्धि कब से आरम्भ हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) चालू वर्ष के लिए निर्यात नीति तय करने से पहले सभी क्षेत्रों (तेल समृद्ध। पश्चिम एशियाई देशों सहित) तथा वस्तुओं की निर्यात सम्भाव्यताओं का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा।

(ख) जी हां।

(ग) 1973-74 से पश्चिम एशिया के तेल समृद्ध देशों को भारत के निर्यातों में वृद्धि का रूख रहा है।

Loss due to Air Accidents

7648. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the loss suffered by Government as a result of accidents in which the aircraft of Indian Airlines and Air India were involved in 1974-75 ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : The required information in respect of Air India and Indian Airlines is given below :—

AIR INDIA :

During the period 1st April, 1974 to 31st March, 1975, a Boeing 707 aircraft was involved in an accident at Hong Kong on 1st April, 1974. The expenditure incurred in repairing the damage caused to the aircraft due to a the accident amounted to Rs. 70.64 lakhs of which Rs. 65.64 lakhs was indemnified under the accident insurance contract. Air India paid the balance of Rs. 5 lakhs.

INDIAN AIRLINES :

During the period 1st April, 1974 to 31st March, 1975 there were two major non-fatal accidents.

In the first accident, a Boeing 737 aircraft was involved on the 18th of February, 1975 at Bangalore. The expenditure likely to be incurred in repairing the dimage caused to the aircraft due to the accident would be Rs. 75 lakhs of which Rs. 71.25 lakhs would be reimbursed to the Indian Airlines by the General Insurance Corporation of India. Indian Airlines would have to spend Rs. 3.75 lakhs.

In the second accident, a HS-748 air craft was involved on the 7th March, 1975 at Rajkot. The expenditure likely to be incurred in repairing the damage caused to the aircraft due to the accident would be Rs. 35 lakhs of which Rs. 34.10 lakhs would be reimbursed to the Indian Airlines by the General Insurance Corporation of India. Indian Airlines would have to spend Rs. 90,000.

Memorandum from Opium Growers Association

7649. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 2734 on the 7th March, 1975 regarding memorandum from opium growers Association and state :

(a) the salient points of the memoranda subsmitted by Opium Growers Association, Pratapgarh and Afim Sangharsha Samiti (Opium Producers Action Committee), Neemuch ; and

(b) a brief account of the reply sent by Government thereto and the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) The salient points made in the Memorandum by Opium Growers Association, Pratapgarh and Afim Sangharsha Samiti (Opium Producers Action Committee), Neemuch, were as follows :

(i) **Opium Growers Association, Pratapgarh** : (1) there should be a ratio of 1:2 between the cost of agricultural produce and its products and the distribution price ;

(2) the officers of the Narcotics Department are generally aware of the so-called smugglers, who are not taken to task by them for selfish reasons ;

(3) the distribution of fertilizers, medicines and electricity for agriculture is being done on a commercial basis which does not behove the Government. This should be done free of profits ;

(4) Small factories manufacturing fertilizers should be set up at all district centrs and these factories should be exempted from excise duty ;

(5) the irrigation schemes should be run by the Panchayat or the local villagers ;

(6) the right to purchase and distribute opium and opium capsules should vest in one and the same department and not in different departments *viz.*, the Centre and State Governments ;

(7) the classification and certification of opium should be done in the presence of the cultivator and this should be deemed final ;

(ii) **Afim Sangharsha Samiti, Neemuch** : (1) miniumum price of opium may be fixed at Rs. 200 per kilogramme on account of the rise in the prices of fertilisers, wages of labour etc. ;

(2) Criteria for issue of licence be changed. Presently the licence is granted to the owner of the land who is not living in the joint family. The licence should be granted to all those cultivators who are in the possession of the land ;

(3) consistency in opium should be determined on the spot and the cultivators paid for their produce on that basis ;
(4) due to low average yield tendered by the cultivators on account of natural calamities their licences should not be withheld ; and
(5) licences may be granted to cultivators on permanent basis or for a period of five years ;

(b) The salient points made in the Memorandum from the Opium Growers Association, Pratapgarh have been examined and a reply would be sent to them very soon.

A gist of the reply sent to the Afim Sangharsha Samiti (Opium Producers Action Committee), Neemuch is as follows :

(i) The price of opium payable to the poppy cultivators in the current season *viz.*, 1974-75 has been substantially enhanced to the extent of about 60%. As against the prices of Rs. 60 to Rs. 100 per kilogramme during 1973-74, the price in the current season *viz.*, 1974-75 has been fixed at Rs. 100 to Rs. 160 per kilo depending on the yield of opium per hectare tendered by the cultivator.

(ii) It is the policy of the Government to licence the land for poppy cultivation which is free from dispute and is in actual possession of the cultivator.

(iii) As the produce of about 300 to 400 cultivators is weighed on each day and it takes a good deal of time to determine the classification of each sample of opium, it is not possible to make full payments to the cultivators on the spot at the time of weighments.

(iv) It is the policy of the Government to take into consideration the damage to the poppy crop due to natural calamities at the time of framing of the licencing principles every year, and if necessary, relief is provided.

(v) It is not possible to agree to the grant of licences on permanent basis or for a period of five years; the licensing policy is adopted each year in the light of situational variables.

Customs Duty on Articles Brought by Members of Indian Hockey Team

7650. Shri Shanker Dayal Singh :
Shri M. Ram Gopal Reddy :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether at Madras Airport, many contraband articles in large quantity were found to be in the possession of several members of Indian Hockey Team on their way back to India from Malaysia ;

(b) if so, the names of the members of Indian Hockey Team together with the names of such articles possessed by each of them and the prices therof ; and

(c) whether customs authorities had realised money from them as duty and if so, the names of members of the team who paid duty and the amount relaised from each of them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) to (c) On examination of the baggage of the members of Indian Hockey Team, they were found to have imported articles in excess of their duty-free and utiable baggage allowances. They brought articles like Cameras, Stereos, Car radios, Revolvers, Tape-recorders etc.

A statement indicating the names of the members of the Team, the total value of goods imported by them and the amount of duty paid by each is annexed.

"Statement"

Details of Goods Imported by Members of Indian Hockey Team on which Customs Duty was realized

Sl. No.	Name	Total value of goods imported	Duty collected
		Rs.	Rs.
	S/Shri		
1	Har Charan Singh	2,780	2,840
2	Govinda	4,500	4,800
3	Hariminderjit Singh	2,175	2,134
4	M. Kindo	2,250	2,100
5	P. E. Kaliah	1,845	1,697
6	Onkar Singh	1,540	1,602
7	Sunder Singh Gill	3,500	3,600
8	Surjit Singh	2,400	2,280
9	L. Fernandez	1,930	1,716
10	Ajit Pal Singh	2,750	2,856
11	Philips	1,750	1,500
12	Gurcharan Singh	3,890	3,960
13	Pawar	2,150	1,980
14	Mahinder Singh	2,000	1,800
15	Balbir Singh	1,650	1,380
16	Aslam Sher Khan	2,200	2,040
17	Rajinder Kalra	1,650	1,380
18	A. Diwan	1,500	1,200
19	Virendra Singh	1,020	676
20	Ashok Kumar	1,000	600
21	A.M.Ramaswamy (President of the Hockey Federation arrived on 18-3-75)	5,050	5,524

जिला हावड़ा (पश्चिम बंगाल) में संकराइल स्थित बैल बेडीयर पटसन मिल का बन्द हो जाना

7651. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वाणिज्य मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़े जिले में संकराइल स्थित बैल बेडीयर पटसन मिल्स 1961 से बन्द पड़ी है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रबन्धको को मशीनों के लिये कल पुर्जों का आयात करन की सरकार द्वारा अनुमति न दिये जाने के कारण, जैसी कि कम्पनी ने आरोप लगाया है, बन्द हुई;

(ग) क्या इस के परिणामस्वरूप 12,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं; और

(घ) क्या सरकारी तथा संयुक्त क्षेत्र में मिल को फिर से चालू करने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वैल वेडीयर पटसन मिल के डेल्टा जुट मिल्स कं० लि० के साथ मिल जाने पर, जिसकी स्वीकृति कलकत्ता हाई-कोर्ट ने दी थी, वह मिल 1961 में 20-11-1961 से बन्द हो गई।

(ख) जी नहीं।

(ग) सम्मेलन के फलस्वरूप उत्पादन क्षमता तथा कर्मचारियों का अंतरण डेल्टा पटसन मिल्स कं० लि० को कर दिया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता में स्पीड-बोटों का निर्माण

7652. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी-विरोधी अभियान के लिए अपेक्षित फाइबर-ग्लास स्पीड बोटों के निर्माण के लिये गार्डन रीच वर्कशाप को कोई निश्चित क्रयादेश नहीं दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो $2\frac{1}{2}$ वर्ष में 80 स्पीड बोट देने के वर्कशाप के प्रस्ताव के बावजूद ऐसा करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या नार्वे से मंगाई गई दो नावें 'दूर्गा' और 'काली' संदिग्ध तोड़-फोड़ के कारण अभी तक चालू नहीं हो पाई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) यह निर्णय किया गया था कि मेसर्स गार्डन रीच वर्कशाप को शुरू में एस एम 43 इण्डिया किस्म की 10 नौकाओं के लिये आर्डर दिया जाये। इस तरह की 20 नौकायें नार्वे से आयात की गई है। एतदनुसार, उनसे उक्त नौकाओं का मूल्य बताने (कोट) करने और सविदा प्रारूप प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। मैसर्स गार्डन रीच वर्कशाप ने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

(ग) 'दूर्गा' को प्रयोग में लाया जा रहा है परन्तु 'काली' कुछ समय तक अप्रयुक्त रही क्योंकि फाइबर-ग्लास ढांचे (हल) का एक हिस्सा छिल गया था। यह मामला गारंटी के अन्तर्गत की जाने वाली मरम्मत के लिये नार्वे के नौका सप्लाई करने वालों के साथ उठाना पड़ा। इस बीच मरम्मत पूरी हो गई है, और आशा है कि नौका थोडे ही दिनों में प्रयोग में लाने योग्य हो जायेगी। परन्तु इन नौकाओं के बारे में कोई तोड़फोड़ की कार्यवाही नहीं की गई। ये नौकाएं तकनीकी दोषों के कारण प्रयोग में नहीं लाने योग्य हो गई थी।

नेपाल को अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई

7653. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76 में नेपाल को कोयला, सीमेंट, इस्पात और कुछ अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वस्तु की कितनी मात्रा सप्लाई करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यह सौदा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर अथवा अन्तर्देशीय मूल्यो पर किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) संयुक्त पुनरीक्षण समिति की पिछले महीने में हुई बैठक में किये गये करार के अनुसार 1975-76 के दौरान नेपाल को आवश्यक मदों के निर्यात के लिए निम्नलिखित अधिकतम सीमाएं स्वीकृत हुई हैं :—

1. लौहा तथा इस्पात उत्पाद	20, 600	मे० टन
2. सीमेंट	30,000	मे० टन
3. जी आई पाइप	2,00,000	मीटर
4. एल्युमिनियम पिंड	75	मै० टन

जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, इस बात पर सहमति हुई है कि समय समय पर जब भी नेपाल महाकंसूलावास, कलकत्ता से मांग प्राप्त होगी; नेपाल को इसका निर्यात किया जायेगा।

(ग) अलग से यश विनिश्चय किया है कि नेपाल को निर्यात किये गये आवश्यक माल की कीमतें पड़ोसी मित्र देशों को किये जाने वाले उसी प्रकार की वस्तुओं के वर्तमान निर्यातों की चालु कीमतों के अनुसार संविदाकारी पार्टियों द्वारा तय की जाएगी। अभी तक घरलू कीमतें ली जा रही थी।

बैंक आफ बड़ौदा के चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक द्वारा बम्बई की फर्मों को ऋण मंजूर किये जाना

7654. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ बड़ौदा के चेयरमन तथा प्रबन्ध निदेशक ने बम्बई की कुछ फर्मों के लिये निदेशक बोर्ड की विशिष्ट स्वीकृति के बिना ही साल ही में ऋण सीमायें मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या है जिन्हें ये ऋण मंजूर किये गये हैं ;

(ग) क्या बैंक के कुछ कर्मचारियों ने भी इस निर्णय के विरुद्ध प्रबन्ध निदशक से विरोध किया है; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि अक्टूबर, 1974 से आज तक की अवधि में उसके अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक ने बम्बई की पांच पार्टियों को कुछ ऋणसीमाएं मंजूर की है। इन में से दो की मंजूरी अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा उधार देने की उनकी विवक शक्तियों के अंतर्गत की गई थी जबकि शक्तियों के बाहर की शेष तीन ऋण-सीमाओं के पुष्टि निदेशक मंडल द्वारा बाद में कर दी गई थी। मांगी गई सूचना का संबंध एक राष्ट्रीयकृत बैंक के घटकों से है, इसलिये बैंक में प्रचलित व्यवहार और प्रथा के अनुसार तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू होने वाली विधि के उपबन्धों के अनुसार भी उसे प्रकट नहीं किया जा सकता है।

(ग) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि उपर्युक्त ऋणसीमाएं मंजूर करने के निर्णय के विरूद्ध उसके कर्मचारियों की ओर से कोई विरोधपत्र बैंक के प्रबन्धकों को नहीं मिला है

(घ) सवाल पैदा नहीं होता।

राज्य व्यापार निगम का पुनर्गठन

7655. श्री डी० के० पंडा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उसका क्या उद्देश्य है ; और

(ग) इस बारे में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बम्बई, हैदराबाद तथा अलीपुर की टकसालों द्वारा सिक्कों का ढाला जाना

7656. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973–74 में बम्बई, हैदराबाद अथवा अलीपुर की किसी भी टकसाल द्वारा एक पैसे का एक भी सिक्का नहीं ढाला गया था;

(ख) इस के क्या कारण है ;

(ग) वर्ष 1974–75 में एक पैसे के कुल कितने सिक्के ढाले गये ;

(घ) क्या 50 रुपये का नोट छापने का भी सरकार का कोई प्रस्ताव था; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या हुआ और लोगों को 50 रुपये का नोट कब तक जारी किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) इसका कारण यह है कि चूंकि इस मूल्य में लेनदेन शायद ही कभी होता है इसलिए इस समय एक-एक पैसे के चलन में जो कुल 58620 लाख सिक्के है, उन्हें पर्याप्त समझा गया है।

उपर (ग) और (ख) में बताये गये कारणों से वर्ष 1974–75 में भी एक-एक पसे के सिक्के किसी भी टकसाल में नहीं ढाले गये।

(घ) और (ङ) पचास रुपये के नोट की डिजाइन और बनावट को अंतिम रूप दे दिया गया है और आशा है कि जनता के लिए ये नोट जल्दी ही जारी कर दिये जायेंगे।

भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की खरीद

7657. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम गत जुलाई से मार्च तक कच्चे पटसन की कुल फसल का 10 प्रतिशत से भी कम खरीद सका है जिससे मिलों को एक माह की आवश्यकता भी पूरी नहीं की जा सकेगी;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं, क्या ऐसा आशा से कम उत्पादन होने के कारण हुआ है अथवा रिजर्व बैंक द्वारा अपर्याप्त ऋण सुविधायें दिये जाने के कारण हुआ है ;

(ग) इस मामले में रिजर्व बैंक ने क्या अधिकतम सीमा निर्धारित की है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ) जिस समय अधिकतम आवक थी उस समय ऋण सीमा 17 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी परन्तु सरकार के अनुरोध पर बाद में यह सीमा बढ़ाकर 20.50 करोड़ रुपये कर दी गई थी ।

निर्यात संवर्धन के लिए एवजी सहायता

7658. श्री रामसहाय पांडे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निर्यात संवर्धन हेतु कोई एवजी सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) 16-8-1966 को घोषित तथा समय समय पर संशोधित मुआवजा सहायता की योजना के अलावा सरकार निर्यातों के संवर्धन के लिए मुआवजा सहायता की किसी नई योजना पर विचार नहीं कर रही है ।

चमड़ा कमाई संबंधी सामग्री का आयात

7659. श्री राम सहाय पांडे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चमड़ा कमाई संबंधी सामग्री का आयात करने की व्यापक अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अनुमति के साथ यदि कोई शर्तें रखी गई हैं तो वे क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) 31-3-76 तक खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत चमड़ा कमाने वाले उद्योग की आवश्यकता वाली निम्नलिखित मदों का आयात करने की अनुमति है :—

1. वैटल निस्सारण
2. वैटल वार्क
3. चमड़ा कमाने के लिए बार्क, वैटल वार्क को छोड़कर ।

इन मदों के आयात के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत जून, 1966 से अनुमति दी जा रही है । 1966 से पूर्व भी इन मदों के आयात के लिए उदारतापूर्वक अनुमति दी जाती रही ।

खुले आयात लाइसेंस के अन्तर्गत आयात निम्न-लिखित शर्तों के अध्यधीन किये जा सकते है :

1. माल दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ, रोडेशिया, पाकिस्तान या चीन के तिब्बती क्षेत्र में उत्पादित अथवा विनिर्मित न किया गया हो, तथा

2. माल का पोत लदान भारत को खेपों में 31-3-76 तक अथवा उससे पहले, कर दिया जाये और उसके लिए किसी प्रकार की कोई भी माफी-अवधि नहीं दी जायेगी ।

नई बचतों का इंडेक्सिंग

7660. श्री शरद यादव : क्या वित्त मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मुख्य आर्थिक सलाहकार के उस प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है जिसमें सरकार को ब्राजील की पद्धति के अनुसार नई बचतों की इडेक्सिंग प्रणाली अपनाने की सलाह दी गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता इन "इन्डेक्स् सेविंग बान्डों" में देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या इस योजना से बचतों में बहुत वृद्धि होगी और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलेगी ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) बचतों का इडैक्सिंग करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

राकमैन कोशटकिन नजफगढ़ दिल्ली को दिये गये आयात लाइसेंस

7661. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : क्या वाणिज्य मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राकमैन कोशटकिन 53 औद्योगिक क्षेत्र, नजफगढ़ को स्टनलेस स्टील के लिए दिये गये आयात लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या एक मामले में फर्म को मुलत: मिश्र इस्पात (अलाय स्टील) के लिये 48 लाख रुपये के मूल्य का आयात लाइसेंस दिया गया था, परन्तु बाद में इसे बदल कर स्टेनलैस स्टील के लिये कर दिया गया, यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) कौन से अन्तिम उत्पाद के लिये लाइसेंस दिये गये और क्या समस्त आयातित सामग्री चौर बाजारों में बेची गयी थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) आयात लाइसेंसों का ब्यौरा आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले वीकली बुलटिन आफ इंडस्ट्रीयल लाइसेंसोस, इम्पोर्ट लाइसेन्सीस एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेन्सोस में प्रकाशित किया जाता है। उक्त प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) 42 लाख रु० मूल्य के एक आवेदन के आधार पर अक्तूबर, 1968 में इस फर्म की 80.10 लाख रु० मूल्य का लाइसेंस दिया गया था बाद में स्टेनलैसस्टील स्ट्रिप तथा चादरों को भी आयात की अनुमति देने के लिए लाइसेंस में संशोधन किया गया था।

(ग) आटो सहायक सामान बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया था। आयातित स्टैनलेस स्टील के दुरुपयोग के सम्बन्ध में एक आरोप था जिसकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाच की गई थी। यह मामला न्यायालय में लम्बित है।

आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

7662. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पार्टियों के नाम तथा पते क्या हैं तथा निर्यात आदेशों के बदले में उन्हें जारी किये गये अग्रिम आयात लाइसेंस का ब्यौरा क्या है, जो 1972 से 1974 तक की अवधि के दौरान निर्धारित समय में निर्यात-दायित्व नहीं निभा सके; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दावों के एवज में पार्टियों को लाइसेंस अधिकार पत्र तथा सीमा-शुल्क अनुमति पत्र देना

7663. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पार्टियों के नाम और पते क्या हैं जिनको वर्ष 1971-1972 से बर्मा में रुकी हुई धनराशियों के दावों के एवज में पोलिस्टर फायबर, पोलिस्टर फिलामेंट और अन्य वस्तुओं का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस अधिकार पत्र और सीमा शुल्क अनुमति पत्र दिये गये हैं;

(ख) क्या इन लाइसेंसों को जारी करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक ने इन दावों की जांच करा ली है और यदि हां, तो इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणियां क्या हैं ;

(ग) आयात और निर्यात कार्यालय के मुख्य नियंत्रक के पास दायर किये गये इन पार्टियों के आवेदन-पत्रों की प्रारंभिक तारीखें क्या हैं और इस बारे में आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक की टिप्पणियां क्या हैं; और

(घ) क्या लाइसेंसों के साथ लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया गया है, यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 13 लाख रु० मूल्य के नायलन यार्न/पोलिस्टर फिलामेंट यार्न के आयात के लिए बर्मा से स्वदेश वापिस आए सुमकरन दुर्गादत्त के पक्ष में प्राधिकार पत्र सहित राज्य व्यापार निगम को एक सीम-

शुल्क निकासी परमिट, दिनांक 23-4-1971 को जारी किया गया था जिसके बारे में पार्टी ने दावा किया था कि उन्हें एक जापानी फर्म द्वारा देय है।

(ख) आर्थिक कार्य विभाग, विदेश मंत्रालय के साथ परामर्श करके दावा स्वीकार किया गया था।

(ग) इस पार्टी ने अपने पत्र दिनांक 31 अगस्त, 1965 में आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक को अपना दावा किया जिस पर, सीमा शुल्क निकासी परमिट ज़ारी करने से पूर्व अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों से परामर्श करके विचार किया गया।

(घ) मामले की जांच चल रही है।

मैसर्स एस० एस० सुब्रामनिया चेट्टियार एण्ड ब्रदर्स तथा मैसर्स टी० ओवलिसवान चेट्टियार को दिये गये आयात लाइसेंस

7664. **श्री मेमेंद्र सिंह बनेरा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स एस० एस० सुब्रमनिया चैट्टियार एण्ड ब्रदर्स तथा मैसर्स टी० ओवलिसवान चेट्टियार को पालिस्टर फाइबर के लिये उनके जरी के निर्यात के एवज में 15 अप्रैल, 1971 को आयात लाइसेंस/अधिकारपत्र सी० सी० पी० दिये गये थे ;

(ख) क्या जरी के निर्यात के विरुद्ध आयात अधिकार की योजना वर्ष 1963 में बन्द कर दी गई थी; और

(ग) क्या लाइसेंस दिये जाने से पूर्व ही केन्द्रीय जांच ब्युरो ने इस फर्म के विरुद्ध पहले आयात की जाने वाली वस्तुओं की कालाबाजारी का मामला स्थापित कर दिया था, यदि हां, तो मामले का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 1969 में प्राप्त किए गए लाइसेंसों के आधार पर इन फर्मों द्वारा आयातित धागे के कथित दुरुपयोग के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल की थी।

Fall in Prices

7665. Dr. Laxminarayan Pandeya :
Shri R. V. Swaminathan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the downward trend in prices noticed during the last quarter of 1974 has again been reversed and prices have started moving up ; and

(b) if so, the reasons therefor and the percentage decrease in wholesale prices registered during the last quarter of 1974 and the present position thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b) The General Index of wholesale Prices declined by 4.2 percent between September 28 and December 28, 1974. There has been a further fall of 3.1 per cent by the week ended April 5, 1975.

Effect of Increase in Rates of Interest on Banking Business

7666. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the increase in rates of interest by the banks has adversely affected the banking business ;

(b) whether this has also adversely affected the credit dealings in trade in the market ; and

(c) if so, the salient features in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) to (c) With a view to bringing about a better balance in the economy between aggregate demand and aggregate supply, the Reserve Bank has introduced since May, 1973, a series of monetary measures designed to contain the expansion of commercial bank credit to meet only the immediate minimum needs of essential production in the public and private sectors and of exports. These measures include inter alia, an upward revision of interest rates on advances, with a view to restrain the demand for credit. There is no reason to believe that these measures have in any way affected adversely either the business of the banks or the requirements of genuine needs of production and distribution in the economy.

Exports to and imports from Federal Republic of Germany

7667. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the imports made by Federal Republic of Germany from India during 1974-75 under the trade agreements between the two countries are less as compared to the imports made by India from Federal Republic of Germany;

(b) whether this has upset the balance of trade between the two countries ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the steps taken to maintain the balance of trade ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Shing) : (a) Yes Sir. The Trade Agreement with Federal Republic of Germany is, however not of the type envisaging exchange of goods export/import between the two countries on any balanced basis.

(b) & (c) The balance of trade is adverse to India due to imports from F.R.G. being higher than exports to F.R.G. from India. India's imports of iron-steel items fertilisers, chemical elements and compounds have all registered sharp increase during 1974-75.

(d) The steps taken to maintain balance of trade include accelerated expansion/diversification of exports from India by participation in fairs/exhibitions, sponsoring of sales teams, implementation of Commercial Development Programme, proposal for holding Departmental Store Promotion etc.

Import of Cotton from USSR

7668. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether cotton has been imported from U.S.S.R. during 1974-75 and if so, the value thereof ;

(b) the quantity of the cotton out of it which was not sold to the buyers/consumers in the country and the value thereof ; and

(c) whether Government propose to import more cotton from U.S.S.R. and other countries in 1975-76 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) A provision for import of Cotton has been made in the Indo-U.S.S.R. Trade Plan for 1975. Besides, a contract was signed between the C.C.I. and the Cotton Export Corporation of Pakistan on 31-1-75 for the supply of 2 lakhs bales of medium staple cotton by Pakistan.

Black Money Seized in Maharashtra

7669. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of black money seized in Maharashtra during the last five months ;

(b) the number of persons against whom action has been taken in this regard ; and

(c) the number of persons prosecuted and the number of persons punished during this period ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b) Statistics in respect of search and seizure operations conducted by the Income-tax Deptt. are not maintained State-wise. The number of searches conducted during the five months period *i.e.* November, 1974 to March, 1975 by the Income-tax authorities in the charges of Commissioners of Income-tax Bombay City, Bombay (Central), Poona and Vidharba and Marathwada, and the value of assets seized therein are given below :

No. of searches	. . . . .	199
Value of assets seized	. . . . .	Rs. 202 lakhs

(c) In respect of persons assessed in the charges of Commissioners of Income-tax mentioned above, prosecution was launched in two cases for offences under sections 277 and 278 of the Income-Tax Act, 1961 during the period November, 1974 to March 1975 Courts' final orders were not received during this period in respect of any case in which prosecution was launched either during the said period or earlier.

Amount of Loans taken by National Rayons Company Limited, Bombay from Banks and Financial Institutions

7670. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans taken by the National Rayons Company Limited, Bombay from the various financial corporations, institutions and banks during the years 1973-74 and 1974-75 indicating their names and the terms and conditions in each case on which loans have been taken ; and

(b) whether these loans are likely to be repaid ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi): (a) & (b) Presumably, the Hon'ble Member has in mind the National Rayons Corporation Ltd., Bombay. Amongst the five all-India long term financial institutions the Industrial Credit & Investment Corporation of India alone has sanctioned to the Company laons of Rs. 40 lakhs and Rs. 9 lakhs during the years 1973-74 and 1974-75, respectively. The loan of Rs. 40 lakhs sanctioned during 1973-74 carries interest at the rate of 9½% per annum and is secured by a bank guarantee. It is repayable in 15 half-yearly instalments commencing from October, 1975 and ending in October, 1982. The loan of Rs. 9 lakhs sanctioned in 1974-75 carries interst at the rate of 10½% per annum and is secured by hypothecation of I.C.I.C.I. debentures. The loan is repayable in 6 half-yearly instalments commencing from April 1979. The I. C. I. C. I. has no reason to expect default of payment either of interest or of instalment.

In regard to loan sanctioned by the banks to the company, in accordance with the practice and usage customary amongst bankers and in accordance with the provisions of the statutes under which the public sector banks have been set up, information relating to the affairs of the individual constituents of the banks is not divulged.

Observatories in the Country

7671. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number and locations of observatories in the country at present ;

(b) the number of temporary and permanent employees working in each of the observatories ; and

(c) the estimated monthly expenditure incurred on each of the observaories?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The information is given in the statement attached. **[Placed in Library See No. L.T.-9524/75].**

(b) and (c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

'पटसन के उत्पादन में कमी'

7672. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांग अत्यधिक गिरावट आने तथा माल जमा करने पर अत्यधिक लागत आने के कारण देश की पटसन मिलों ने अपना उत्पादन कम करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में वास्तविक रूप से कितनी कमी हुई है ;

(ग) क्या अमरीका का दौरा करने के पश्चात् बोस-मलिक प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से यह सिफारिश की है कि हमें अपने सर्वोत्तम खरीददारों के लिये वस्तुओं की अपेक्षाकृत सस्ते मूल्य पर देने के लिये गलीचों के मुख्य तथा गौण अस्करों से निर्यात शुल्क समाप्त किया जाना चाहिये; और

(घ) यदि हां, तो क्या सुझाव स्वीकार कर लिया गया है और यदि नहीं, तो स्थिति का सामना करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ग) भारतीय पटसन मिल एसोसिएशन से की गई पूछताछों से पता चला है कि सदस्य मिलों को अपने उत्पादन में कटौती करने की सलाह नहीं दी गई है ।

(ग) तथा (घ) बोस-मलिक प्रतिनिधि मंडल ने इस बात पर बल दिया है कि भारतीय पटसन माल को कीमतों की दृष्टि से उनके संश्लिष्ट प्रतिस्थानी वस्तुओं क मुकाबले में प्रतियोगी बनाने की आवश्यकता है तथा इस सुझाव पर आवश्यक अनुमती कार्यवाही की जा रही है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्षों के सेवा-काल का बढ़ाया जाना

7673. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अभी हाल में पांच राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्षों के सेवा-काल में वृद्धि की है ।

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या है और वे किन बैंकों से सम्बद्ध हैं ; और

(ग) सेवा-काल में ऐसी वृद्धि की मंजूरी दिये जाने से पूर्व किन-किन मार्गदर्शी सद्धान्तों या मानदण्डों का पूरा किया जाना आवश्यक है और इन पांच मामलों में उक्त आवश्यक शर्तों को किस प्रकार पूरा किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार न भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् नीचे लिखे छः राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्षों एवम प्रबन्ध निदेशकों को 30 अप्रैल, 1975 सहित और तक की अवधि के वास्ते पुनर्नियुक्त किया है । जिन अध्यक्षों एवम् प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति की अवधि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाली थी वे ये है :

(1) श्री डी० वी० तनेजा, सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया

(2) श्री बी० डी० ठक्कर, बैंक आफ बड़ौदा

(3) श्री बी० आर० देसाई, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक

(4) श्री के० के० पै, सिण्डीकेट बैंक

(5) श्री बी० एन० गट्टा, यूनियन बैंक आफ इण्डिया

(6) श्री जी० लक्ष्मीनारायणन, इण्डियन बैंक

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रवीर्ण) स्कीम, 1970 के खण्ड 5 और 8 (i) के साथ पठित खण्ड 3(क) के अधीन सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्षों एवं प्रबन्ध-निदेशकों की नियुक्ति, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद सुनिर्दिष्ट अवधि के लिए की जाती है । इस प्रयोजनार्थ चुना, या व्यक्ति या तो उसी बैंक/बैंकिंग उद्योग से सम्बद्ध व्यक्ति होता है अथवा बैंकिंग उद्योग से बाहर का ऐसा व्यक्ति होता है जिस वत्तिय, आर्थिक अथवा व्यापारिक प्रशासन का विशिष्ठ ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो ।

इस प्रकार चुने गये व्यक्ति में विशिष्ठ ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव के अलावा नेतृत्व विषयक गुण होने चाहिये तथा वह सरकार की राय में उक्त बैंक का अध्यक्ष बनने लिए सर्वथा उपयुक्त होना चाहिये ।

10—17 LSS(ND)/75

Brooke Bond and Lipton Tea Companies

7674. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the Brooke Bond and Lipton Tea Companies earn huge profits every year from the sale of tea;

(b) if so, the statement of profits of each of them for the last three years, year-wise;

(c) the details of the amount of profit remitted by them to foreign countries annually during that period ;

(d) whether Government propose to impose restrictions on remittances of profit abroad by these companies; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) & (b) M/s. Brooke Bond India Ltd., is a subsidiary of a foreign company while M/s. Lipton (India) Ltd., is branch of a company incorporated outside India as defined under Section 591 of the Companies Act. The profits of each of them for the last three years are as under :—

(In thousand Rs.)

	Period ending	Profits before tax	Profits after tax
M/s. Brooke Bond India Ltd.	July, 1971	4,59,22	1,88,20
	July, 1972	4,90,45	1,83,45
	June, 1973	5,12,37	2,04,37
M/s. Lipton (India) Ltd.	2-1-1971	1,16,55	33,04
	1-1-1972	80,71	17,41
	31-12-72	1,06,75	17,96

(c) The Brook Bond & Lipton Companies have not made many remittances of profits abroad during the years 1971-72 and 1972-73 but during these two years Brooke Bond has remitted dividend of Rs.. 151.05 lakhs and Rs. 74.64 lakhs respectively. The figures relating to 1973-74 are not yet available.

(d) & (e) It is Government's policy not to deny the remittance of profits/dividends earned by foreigners on their investments in India subject to payment of Indian taxes thereon. Recently certain restrictions have been imposed in order to deal with certain special situations. In terms of the guidelines issued under Section 29 of the Foreign Exhange Regulations Act 1973, the foreign companies will be required to admit Indian participation ranging from 26% to 60% depending upon the nature of their activities. Such association of Indian participation will eventually lead to a reduction in the outflow of foreign exchange on account of remittances.

इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया द्वारा अपने कर्मचारियों को विभिन्न होटलों में निवास के लिये अदा की गई राशि

7675. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयर लाइन्स तथा एयर इंडिया द्वारा वर्ष 1974-75 के दौरान अपने कर्मचारियों को दिल्ली, मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता के विभिन्न होटलों में निवास के लिये अदा की गई धनराशि संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस खर्च में कटौती करने का है अथवा क्या सरकार द्वारा चलाये गये बचत अभियान के अन्तर्गत ऐसे निर्देश पहले ही दिये जा चुके हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी ।

7675. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether keeping in view the national interest, the All India Bank Employees' Association has, while commenting on the procedure for loans being given to agriculture sector by the nationalised banks, submitted a proposal to Government for bringing about improvement therein ;

(b) if so, the nature of the improvement proposed ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) Government have seen the pamphlet entitled 'National Policy for Agricultural Credit in National Interest' issued by the All India Bank Employees' Association in November 1974.

(b) The pamphlet suggests that, in rural areas, the Commercial banks should provide credit for agricultural activities in an integrated manner through the multi-purpose service co-operatige societies ; that rural branches should extend all types of credit, short and long term, to the farmers and other rural producers ; that the resources of the Agricultural Credit Department of the Reserve Bank of India, Agricultural Finance Corporation and Agricultural Refinance Corporation should be channelised through the rural branches of the commercial banks.

(c) These suggestions more or less correspond to what has already been accepted by Government and follow-up action is being taken on these lines in consultation with all the concerned agencies. Routing of agricultural advances by commercial banks to well-managed, viable, multi-purpose service co-operative societies is already an accepted and approved programme in the field of institutional credit for agricultural development. Rural branches of commercial banks have always been extending both short and long-term credit to farmers and other rural borrowers. Commercial baks have been receiving assistance from the Agricultural Refinance Corporation for their term loan investments in complact areas on project basis. The Agricultural Finance Corporation, however, is only consultancy institution for its member banks and the Agricultural Credit Department of the Reserve Bank of India provides assistance on concessional terms only to State co-operative banks under specicific provisions of the Reserve Bank of India Act.

वित्त मंत्रालय में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी पद

7677. श्री एस० एम० सिद्दय्या : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1974 को वित्त मंत्रालय में और उसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कितने अस्थायी पद थे, जो पिछले तीन साल से अस्तित्व में थे और जिनके अनिश्चित काल तक बने रहने की संभावना है ; और

(ख) इन पदों को स्थायी घोषित न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जहां तक खास मंत्रालय का संबन्ध है, सूचना नीचे दी गयी है :

श्रेणी i	60
श्रेणी ii	86
श्रेणी iii	101
श्रेणी iv	12

संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) मुख्य कारण ये हैं :–

(i) विद्यमान हिदायतों के अन्तर्गत केवल ऐसे 80% अस्थायी पद ही स्थायी पदों में परिवर्तित किये जा सकते हैं : समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है और परिवर्तन करने के लिए कार्यवाही की जाती है ।

(ii) विद्यमान हिदायतों के अनुसार निदेशक और उसके उपर के कुछ पदों को स्थायी नहीं बनाया जाना है ।

(iii) सरकारी उद्यमों पर कार्य समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकारी उद्यम ब्यूरो के पुनर्गठन का प्रश्न विचाराधीन है और ज्यों ही इस की संशोधित व्यवस्था संबंधी निर्णय का पता चलजायगा, अस्थायी पदों को स्थायी पद घोषित करने के लिए कार्यवाही की जायेगी ।

(iv) कर्मचारी निरीक्षण एकक ने विभागों में से एक का कार्य-अध्ययन किया है और उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

सभा पटल पर रखे गय पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम
(नाम प्रकाशन नियम, 1975)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 79 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा विनियमन (नाम प्रकाशन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 29 मार्च,

1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 417 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 9514/75]

चाय (संशोधन) नियम, 1975

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चाय (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 20 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 154 (ङ) में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 9515/75]

सहकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

63वां और 64वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) (क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड़ के संबंध में 63वां प्रतिवेदन।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन के बारे में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(दो) (क) भारतीय पैट्रो रसायन निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में 64वां प्रतिवेदन।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन के बारे में समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

159वां तथा 147वां और 61वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) खाद्य विभाग–विदेशों से माइलों की खरीद के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के पैराग्राफ 27 पर 159 वां प्रतिवेदन।

(2) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल)–राजस्व प्राप्तियां, खंड 1–अप्रत्यक्ष कर–दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र

की विक्रय कर प्राप्तियां–में दिये गये पैराग्राफों पर समिति के 116 वे प्रतिवेदनों में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 147 वां प्रतिवेदन ।

(3) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन–संघ सरकार (सिविल) आपूर्ति विभाग के इण्डियन एजेन्ट कमीशन के बारे में पैराग्राफ 42 पर 160 वां प्रतिवेदन ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मुझे सभा में घोषणा करनी है कि सोमवार 28 अप्रैल, 1975 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :–

(1) उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

(2) गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

(3) बजट (सामान्य), 1975-76 के बारे में अनुदानों की शेष मांगें मंगलवार, 29 अप्रैल, 1975 को मध्यान्ह-पश्चात् 6 बजे सभा के मतदान के लिये रखना ।

(4) वित्त विधेयक, 1975 ।

(विचार तथा पास करना)

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य अपनी बात सभा के सामने रखना चाहते हैं उनकी सूची मेरे पास है । इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : कितनी ?

अध्यक्ष महोदय : बहुत अधिक । कुछ समय बाद मुझे इसके लिए भी बैलट करना पडेगा । पहले हम कुछ विशेष मामलों के सम्बन्ध में ही किया करते थे । सदस्यों को उस विषय का भी उल्लेख करना चाहिए जिन पर वे बोलना चाहते हो ।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : Sir, I want to draw your attention towards the decision taken unanimously at the Labour Advisory Committee of West Bengal in October last that action will be taken by the Police against those who will prevent the willing persons to go to their offices. But the reality is that twenty-one persons informed the Police and joined their duty. When they came out of their office they were beaten by the goondas and the police did not arrest the goondas. This is the law and order position of that State.

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों को याद दिला देना चाहता हूं कि इस मद के अन्तर्गत कोई राज्य का विषय नहीं उठाया जा सकता ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कानपुर मिल मालिक 40,000 कपड़ा मजदूरों तथा जे० के० रेयन कानपुर के 1000 कर्मकारों के साथ बहुत बुरी तरह से व्यवहार कर रहे हैं । इन मिलों में से दो मिलों का संचालन राष्ट्रीय कपड़ा निगम

द्वारा किया जाता है। ये मिल मालिक किसी न किसी बहाने से मिल बन्द कर देते हैं जिस से कर्मकार परेशान हो जाते हैं ।

मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि श्री मौर्य और श्री पाई ने कपास की कमी के प्रश्न पर विचार किया है। मैं आशा करता हूं कि ये दोनों मिले शीघ्र पुन: कार्य करना आरम्भ कर देगी।

स्वदेशी काटन मिल जो एशिया के सब से बड़ी मिल है तथा जिसमें 11,000 लोग काम कर रहे हैं बन्द हो गई है। उन्होंने काम बढ़ाया जिसका कर्मकारों ने विरोध किया। इस पर उन्होंने मिल को बन्द कर दिया। इसी प्रकार एलगिन मिल भी बन्द हो गई है। एथर्टन वेस्ट मिल में कर्मकार बिना वेतन गत दो महीनों से काम कर रहे हैं।

लक्ष्मी रतन काटन मिल के बारे में वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय ने संयुक्त रूप से जांच कर के सिफारिश की है कि उसे सरकार अपने अधिकार में ले। मुख्य मंत्री श्री बहुगुणा इस बात से सहमत हो गए हैं । इसी लिए मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि वह इन मिलों की दयनीय दशा के बारे में विचार करें । ऐसे मिल मालिकों को भी भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वे 40,000 कर्मकारों के जीवन से खेलवाड़ कर रहे है। कल कानपुर में हड़ताल होने जा रही थी। परन्तु मैं ने मंत्री महोदय के सहानुभूतिपूर्ण रवैये को देखते हुए उन्हें हड़ताल करने से रोक लिया है । अत: मेरा अनुरोध है कि वह सोमवार को इस बारे में एक वक्तव्य दें।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I want to draw your attention towards the mal-practices going on in Vijay Bank Limited. There are deposits worth rupees 81 crores in it and it has given advances worth about rupees 53 crores. Thousands of fictitious accounts have been opened in it. Under Government rules the Income-tax department has to be informed if more than 400 rupees are paid to any one in the form of interest. But raids were conducted after the Income-tax department got the news. The Income-tax Department found that there were fictitious accounts worth Rs. 38 lakhs in Coimbatore, worth Rs. 60 lakhs in Calcutta and worth Rs. 25 lakhs in Delhi. Thus Vijay Bank has become a source of circulation of take currency worth 10 or 12 crores. Shri Sunder Ram Shetty is the Chairman of this Bank. The Ministers participate in the functions organised by him. That is the reasons that such persons have the guts to circulate take notes through this Bank.

I would request the hon. Minister to inform the House as to why the Ministers go to inaugurate the Banks etc. run by such racketeers.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : Our district Ballia is very backward. Levy has not been imposed in the nearly district, of Bihar. Why then we are being discriminated against. I would also like the Minister to give information regarding the atrocities perpetrated on the Harijans. Similarly I would like to draw the attention of the Finance Minister towards the retrenchment of State Bank employees.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह शिक्षा मंत्री को 155 वें जन्म दिवस पर स्वर्गीय पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की याद में मिदनापुर मे विद्यासागर विश्वविद्यालय बनाने के लिए सरकार को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन के बारे में एक वक्तव्य देने के लिए कहें। सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति गठित की थी जिसने अपना प्रतिवेदन 15 अप्रैल, 1974 को दे दिया था। उस प्रतिवेदन में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। मिदनापुर जिला सभी प्रकार से बहुत उपयुक्त है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यह विश्वविद्यालय एक नई किस्म का विश्वविद्यालय होगा जिसे रोजगार-प्रधान विश्वविद्यालय कहा जा सकेगा। मेरे पत्र के उत्तर

में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार इस पर तब विचार करेगी जब उसे बंगाल सरकार विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर अपने विचार भेज देगी। 11 अप्रैल, 1975 को पश्चिम बंगाल विधान सभा ने एक मत से उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जिसमें मिदनापुर में नये किस्म का विश्वविद्यालय खोलनें की सिफारिश की गई थी। अत: इस बारे में मैं मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Sir, I thank you very much for having accepted No-Day-yet-named motion of Shri Bhogindra Jha regarding Shri Ram Nath Goenka, M.P. I would also request that discussion be allowed on this motion.

अध्यक्ष महोदय : केवल प्रस्ताव के स्वीकार किए जाने से ही उस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

Shri Ramavatar Shastri : Under what rules ?

Mr. Speaker : You cannot raise discussion unless the House is seized of it.

Shri Ramavatar Shastri : The Government should consider to allow discussion on it next week. I want to read it now because you have accepted it. I would request you to accord permission for discussion on it. Serious allegations have been levelled. It is a question of the prestige of the House. When discussion can be held in the case of Tulmohan Ram, why cannot it be held in this case ?

Secondly, I have a complaint against Gohati mail. This train generally runs late by five hours. The basic amenities are also not available in that train.

Mr. Speaker : Now, you may please sit down.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कल गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था। वहां के एक पत्र "एकानामिक्स टाइम्स" में भी छपा है कि 75 वर्षों में ऐसा सूखा कभी नहीं पड़ा। मई मास में इस का असर बहुत अधिक पड़ेगा। तत्सम्बन्धी रिपोर्ट में बताया गया है कि इसका प्रभाव 12,740 ग्रामों पर पड़ा है। प्रधान मंत्री ने स्वयं कहां है कि वह गुजरात के लोगों को सहायता देने की ओर अधिक ध्यान देंगी। उन्हें चुनाव की कोई चिन्ता नहीं है। उसी संदर्भ में मैं भी यही अनुरोध करना चाहता हूं कि सहायता कार्य अधिक प्रभावशाली ढंग से किया जाए। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कुछ भागों में अनेकों व्यक्ति मर रहे हैं। हमें उनकी दशा की ओर ध्यान देना चाहिए। कुछ सप्ताह पहले पंचमहल जिले में लगभग सौ आदिवासी दूषित भोजन से मर गये। इन लोगों को, जोकि तेज धूप में काम करते हैं, कम से कम भोजन तो अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए। प्रधान मंत्री ने सुरेंद्रगढ़, राजकोट, जामनगर आदि जिलों के अपने दौरे में जो वहां अभूतपूर्व सूखे की स्थिति देखी है उसके बारे में अपना वक्तव्य दें और गुजरात की जनता को वित्तीय सहायता का आश्वासन दें। निर्वाचन और अन्य लोकतंत्रीय प्रक्रियाएं चलती रहेंगी परन्तु जनता की बढ़ी हुई कठिनाइयों को कारगर ढंग से दूर किया जाना चाहिए।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : The corporate plan in the Heavy Electricals, Bhopal, under which different components of a machine will be manufactured at different places and assembled at some another place, is going to affect adversely about 10,000 workers. It is also likely affect the workers of ancillary industries and will hinder the present growth of Bhopal. The hon. Minister may please give an assurance for shelving this plan.

Shri R. R. Sharma (Banda) : This Government have failed in making proper arrangements for drinking water supply during the last 27 years. Not only Banda and Bundelkhand area, but even Madras, which happens to be the third important

city in India, has been facing acute scarcity of drinking water. The hon. Minister may please make arrangements on warfooting for water supply in Madras city.

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए
SHRI. VASANTA SATHE *in the Chair*]

श्री के० मालन्ना (मधुगिरी) : कर्नाटक की गोल्ड माइन्स लिमिटेड में पिछले पच्चीस दिनों से लगभग 12,000 कार्मिक हडताल पर हैं। वे बडी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। यदि वहां के मैनेजिंग डाइरेक्टर ने इस मामले को निपटाने के लिए रूचि ली होती तो यह हडताल होने से रुक जाती। माननीय श्रम मंत्री इस मामले में हस्तक्षेप कर इसे सुलझाने की कृपा करें।

Shri Janeshwar Misra (Allahabad) : The break-in-service of the striking Railway men and many other charges against them have been withdrawn but such is not the case with the employees of Accountant General's office who had gone on strike in sympathy with Railwaymen's strike in May 1974. I would request the hon. Finance Minister to give his statement specifying the time which would be taken in settling the cases of these employees of Accountant General's office.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : औषधियों तथा फार्मेसी उत्पादों सम्बन्धी हाथी समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है और लोक सभा के इस सत्र का अन्तिम सप्ताह चल रहा है। अत: यह प्रतिवेदन सभा-पटल पर शीघ्र रखा जाये। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन भी चार मास तक सभा-पटल पर नहीं रखा गया था। उस समय स्वयं श्री मालवीय ने यह प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखने की मांग की थी, परन्तु अब, जबकि वह मंत्री हैं, ऐसा कर रहे हैं। फार्मेसी उत्पादों के बडे-बडे निर्माता तथा विदेशी फर्में अपने प्रतिनिधि दिल्ली भेज रहे हैं जबकि देश के सर्व-प्रभुत्व सम्पन्न संसद को इस प्रतिवेदन की जानकारी से वंचित रखा जा रहा है।

दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में तीन-चार उद्योग गम्भीर संकट का सामना कर रहे हैं। उनमें भारी पैमाने पर छटनी, तालाबन्दी, आदि होने की आशंका है। हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड ने 4000 कार्मिकों को तालाबन्दी में निकाल दिया है। इसी प्रकार जूट उद्योग में उत्पादन में कटौती करने तथा तालाबन्दी करने का भय है। इंजीनियरी उद्योग का कहना है कि उसे वैगन न मिलने के कारण ऐसी-ही कार्यवाही करनी पडेगी। राष्ट्रीयकृत कपडा मिलों के सामने भी भारी संकट आया हुआ है। अत: मंत्री महोदय यह बतायें कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा श्रम मंत्री से उनकी जो बातचीत हुई उसका क्या निष्कर्ष निकला और इस संकट को दूर करने के लिए क्या कोई मार्गोपाय निकाले गये हैं।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में चर्चा की अनुमति पिछले दो सत्रों से मांगी जा रही है। आपने एक बार सुझाव दिया था कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निष्कर्षों और सरकार की राय में जो अन्तर हैं उन्हें कम किया जाये और उन पर चर्चा की जा सकती है। 'मिलीजुली अर्थ-व्यवस्था क्यों?' शीर्षक दस्तावेज में चार प्रश्न उठाये गये हैं—(1) क्या मिलीजुली अर्थ-व्यवस्था लोकतन्त्र में आवश्यक है; (2) निजी क्षेत्र समाप्त हो जाने पर क्या स्वत: एकतन्त्रीय अर्थ-व्यवस्था स्थापित हो जायेगी; (3) कुशल तथा स्वायत्तशासी सरकारी क्षेत्र बन जाने पर क्या निजी उपक्रमों की आवश्यकता रह जायेगी; और (4) राजनीतिक लोकतंत्र के साथ पूर्णत: राज्याधीन अर्थ-व्यवस्था क्यों बनी नहीं रह सकती है। ये प्रश्न श्री जे० आर० डी० टाटा ने उठाये हैं और कहा है कि अब इस दिशा में निर्णय लेने का समय आ गया है। अत: यह सभा सरकारी क्षेत्र की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करे।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : This House passed Cigar and Birsi Bill in 1964 but it has not been implemented so far. Biri industry is a small scale industry in which about 10 lakhs people are engaged. It is now facing an actute crisis. Most of the biri industrialists are occupying Minister's offices in Madhya Pradesh Government and are having big industries. They have diverted their capital to other industries and thus have put the biri industry in doldrums. They are getting their biri manufacturing work done in other States on lower wages and as a result thereof lakhs of biri workers have been rendered jobless. I would request the hon. Minister of Industries to revamp the biri industry and to ensure payment of full wages to the biri workers.

Shri Sharad Yadav (Jabalpur) : Gujarat is being stated to be famine-hit State, because elections are going to be held there. But the Central Government is not paying any attention towards Madhya Pradesh where many starvation deaths have taken place in Chhatisgarh and Jabalpur districts. The Government machinery and bureaucracy which depends upon income from public is just engaged in suppressing the news of starvation deaths.

It will not be a surprise if a situation of rebellion in Madhya Pradesh is created by the manner in which this State is being neglected. I would therefore request you to ask the hon. Minister of Food to give a statement in this regard.

श्री शिविब चौधरी (बहरामपुर) : श्री एस० एम० बनर्जी कानपुर स्थित कपडा उद्योग की दुर्दशा का उल्लेख कर चुके हैं । मैं मंत्री महोदय का ध्यान एल्गिन मिल में उत्पन्न स्थिति की ओर पत्र द्वारा दिला चुका हूं । लम्बे समय से चली आ रही शिकायत के एक छोटे से मामले को एक बडे औद्योगिक विवाद का रूप लेने दिया गया है । इसे निपटाने के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : पश्चिम बंगाल में जूट मिल मालिकों ने उत्पादन में $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत कटौती की है । जिसके कारण लगभग 7,500 कार्मिक बेरोजगार हो गये हैं ।

श्री बाल योगेश्वर को जो एक अवयस्क बताया जाता है, भारत-विरोधी कामों के लिए एक विदेशी जासूसी एजेन्सी द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है । यह कुछ अमरीकी राष्ट्रजनों के हाथों में फंसा हुआ है जिन्होंने झुमरी तलैया में काफी हथियार इकट्ठे किये हुए हैं और जिनके पास भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा एकत्रित बतायी गई है । भारत छोडने से पहले उसे अपनी माता को सौंप दिया जाना चाहिए ।

श्री धामनकर (भिवंडी) : मैं सरकार और इस सभा का ध्यान महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में सहकारी क्षेत्र की सूत मिलों में उत्पन्न संकट की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं । ऋण संकुचन और मुद्रास्फीति के कारण कुछ मिलें तो बन्द हो चुकी है और अन्य मिलों के बन्द हो जाने की आशंका है । इसे या तो अगले सप्ताह की कार्यसूची में चर्चा के लिए शामिल किया जाये या सरकार इस बारे में वक्तव्य दे ।

Shri Pannalal Barupal (Ganganagar) : Yesterday, when the anniversary of late Baba Saheb Ambedkar was being celebrated in Basai Danapur and I was going to address some people approached the stage and manhandled me and attempted to assault me. These people tore the pictures of many national leaders. The life of the labourers living there is in danger. I would request the hon. Home Minister to extend protection to these labourers.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : कानपुर स्थित अनेक कपडा मिलों में से केवल दो मिलें अर्थात् म्योर मिल और विक्टोरिया मिल राष्ट्रीय कृत मिले हैं जो अब राष्ट्रीय कपडा निगम के सहायक निगम के प्रबन्ध के अधीन है । इन दो मिलों में चल रहे पूरे तीन पारियों में लगभग 5400 और 5000 कर्मकार नियोजित किये जा सकते हैं, परन्तु 1974 के दौरान

3,100 से 3,900 कर्मकार वास्तव में नियोजित थे जिस का कारण इन दो मिलों में बिजली की कटौती की गई थी।

निस्संदेह इन दो मिलों पर क्रियाशील पूंजी की कमी होने का कुछ हद तक दुष्प्रभाव पड़ा है। यद्यपि बैंकों से और वित्तीय संस्थाओं से इनके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया है परन्तु मांग घट जाने के कारण इन दोनों मिलों को नकद वित्त की कठिनाई का सामना करना पड रहा है। इनके पास काफी तैयार माल इकट्ठा हो गया है। अत: राष्ट्रीय कपडा निगम (उत्तर प्रदेश) लिमिटेड से कहा गया है कि, वह इकट्ठा हुए इस माल को बिकवाने के लिए सक्रिय कदम उठाये।

इन मिलों को बिजली बहुत कम उपलब्ध करायी जाती रही है। यद्यपि इन्हें स्वयं बिजली तैयार करने के जेनरेटिंग सेट की व्यवस्था की गई परन्तु ये सेट पुराने होने के कारण बिजली की कमी पूरी नहीं हुई जिसके फलस्वरूप इनमें केवल 3,100 से 3,900 कर्मकार नियोजित किये जा सके हैं। एल्गिन मिल को भी जो ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के प्रबन्ध के अधीन है, बिजली की कमी के कारण ताला बन्दी करनी पडी। इस मिल का एक यूनिट श्रम विवाद के कारण 16 अप्रैल को बन्द कर दिया गया।

हम उत्तर प्रदेश स्थित कपडा मिलों तथा उनके कर्मकारों को हो रही कठिनाईयों के प्रति सजग हैं और उन्हें दूर करने के लिए सभी सम्भव उपाय करने का और उनकी कार्य कुशलता को अधिक से अधिक बढ़ाने का आश्वासन देते हैं।

जिन अन्य मिलों का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है वे निजी क्षेत्र में हैं। अत: उनमें चल रही स्थिति के बारे में कृपया वाणिज्य मंत्री सभा को अवगत करायें। लक्ष्मी नारायण काटन मिल्स में चल रही स्थिति की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की गई है जिसका प्रतिवेदन मिल जाने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा निवेदन है कि वह पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में अगले सप्ताह वक्तव्य देने की कृपा करें।

श्री टी० ए० पाई : मैं वाद विवाद के दौरान सभी बातों को शामिल करूंगा। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं वक्तव्य दूंगा।

श्री बी० वी० नायक : वित्त मंत्री कृपया विजय बैंक लिमिटेड के बारे में वक्तव्य दें क्योंकि उसके कार्य से निक्षेपों पर प्रभाव पड रहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि जे० के० रेयन कारपोरेशन तथा स्वदेशी काटन मिल्स जो प्रतिरक्षा विभाग के लिए 80 प्रतिशत वस्तुएं तैयार करते हैं, अपनी मिलें नहीं खोलते तो उनके मालिकों को भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया जाये।

सदस्यों की गिरफ्तारी और रिहाई
(ARREST AND RELEASE OF MEMBERS)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचना देता हूं कि मुझे जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ से दिनांक 23 अप्रैल, 1975 को एक बेतार संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें यह सूचना दी गई है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्रीमती शकुंतला नायर, सदस्य लोक सभा, को दण्ड प्रक्रिया संहिता की

धारा 107/116/151 के अन्तर्गत 24 अप्रैल, 1975 को गिरफ्तार किया गया और उन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल, लखनऊ में रखा गया और फिर सेन्ट्रल जैल, नैनी, इलाहाबाद में स्थानान्तरित कर दिया गया तथा श्रीमती शकुंतला नायर को अन्ततः रिहा कर दिया गया ।

अनुदानों की मांगें, 1975-76—जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1975-76—*Contd.*

वाणिज्य मंत्रालय—जारी

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : The Ministry does not have any integrated plan to step up exports. For example, in my area jute is grown in a large quantity but the Jute Trading Corporation does not purchase it. In Champaran and Chakia, big businessmen are purchasing jute at a very cheap price and thus making money by exporting it abroad. As a result of this, the growers are in a great difficulty. They want a minimum price of Rs. 200 per quintal. If we want to improve jute trading, we will have to formulate a scheme whereby jute growers can get a fair price. Otherwise, our production will go down.

Similarly, sugar is another commodity from which we can earn much foreign exchange. But in order to achieve this end, we will have to nationalise sugar mills. In this connection, about 357 M.Ps. had sent a memorandum to the Prime Minister that all sugar mills in Uttar Pradesh and Bihar should be nationalised so that the cane growers can get fair price for their produce. As a result, they will grow more cane and we will be able to earn more foreign exchange by exporting it. This can be possible only when the sugar mills are nationalised and a scheme is prepared for increasing the production.

It is correct that Government has been expanding trade with socialists countries, even then the payments are continued to be made on the basis of pounds and dollars. As a result of this we are also facing the bad consequences of economic crisis being faced by the capitalist countries. In order to get rid of this situation, we should expand our trade with such developing countries to which we can export our industrial products. Besides Arab Countries, we should explore the possibility of expanding trade with Cambodia, Laos, Vietnam, African and Latin American countries on the basis of rupee payment.

Moreover mangoes and leeches which are grown in large quantities in Betiah, Chakla and Darbhanga in Bihar, can be exported. Some arrangements should be made to process them.

In Mahishi area of Bihar there are about 300 units which are producing shell buttons. But as the State Trading Corporation does not purchase these buttons, these units are closing down and the workers are loosing employment. Some arrangements should be made for the purchase of these buttons in order to resolve this problem.

This will enable us to step up exports to these countries also.

It has been pointed out in a letter which I have received from the National Weavers Co-operative Society that Shri Amrit Lal, Yarn Sales Manager and Shri Alvi Saheb, a higher authority in the Jupiter Mills No. 2 are indulging in black market by issuing sized yarn to weavers who pay Rs. 19,500 for each sizing set whereas the invoice is prepared for Rs. 10,500 and thus weavers have to pay Rs. 9,000 in excess. This matter should thoroughly be looked into.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : During the last two years the country had passed through a big crisis. In some parts of the country there was drought, in others there were floods, and in still others, there was shortage of power. As a result, there was less production and less exports. We should try to step up production in a planned way.

In my area, sugar is one of the important items of export. If we want to increase sugar exports, we will have to plan accordingly. First of all, we should nationalise the sugar mills in the country, because some of the sugar mills are not running well and we are suffering on this account. Government should do something to run such sick mills efficiently. These should be run on co-operative basis. In my area there is a co-operative sugar factory and in order to feed this factory it is necessary that steps should be taken to increase cane production in an area of ten miles. The cane growers there should be given loans to enable them to use improved variety of seeds and implements. A sum of Rs. 3 crores should be set apart for this purpose other wise, we will loose foreign exchange amounting to Rs. 55 lakhs every year.

This year potato production has been very good in my area. Out of the total production of 25 lakh tonnes, 6½ lakh tonnes will be consumed and 6½ lakh tonnes can be preserved in cold storage and the remaining 12 lakh tonnes can be exported to Switzerland and other countries. It should be seen that cane growers get fair price for their produce. Moreover onion, garlic and maize are also grown in large quantities in the eastern districts of Uttar Pradesh. Efforts should, therefore, be made to explore the possibility of exporting these items.

Keeping in view the sufficient availability of hides and skins in the Eastern Uttar Pradesh, a shoe factory should be opened and for this purpose funds should be provided either through Industrial Development Bank or through any other institution.

The quality of controlled cloth being produced by our mills is very poor. Some kind of control should be exercised on these mills to see that they produce better quality cloth.

So far as export of opium is concerned, last year the Ghazipur factory exported opium worth Rs. 15 crores. But we can export more, if we pay some attention to this matter. Government should also see that the farmer is given better price. Our officers who go abroad to explore the possibility of stepping up exports, do not pay much attention to this matter and indulge in extravagant spending. This should be stopped.

The Department of Exhibitions is not working properly and there are many complaints against them. There is much corruption in this Departmnet. No check is being exercised on their expenditure abroad where elaborate arrangements are made in connection with fairs and exhibitions. At least, an Accountant should be there to have some control on the expenditure. A joint Director in this Department who is on the verge of retirement is being sent abroad. This matter should be looked into.

At present there is only one Director who looks after the working of the Commercial and Exhibition Departments, of the Ministry of Commerce, each department should have a separate Director.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : इस वर्ष वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिवेदन निर्यात संवर्धन की दृष्टि से जहां उत्साहजनक रहा है, वहां यह चाय, काफी और हस्तशिल्प के मामले में निराशाजनक भी है। परम्परागत निर्यात की वस्तुओं का उत्पादन बढाने के लिये कोई क्रमबद्ध योजना नहीं बनाई गई है। जिससे हम और अधिक विदेशी मुद्रा कमा सके। इस के साथ-साथ हमें इन वस्तुओं के निर्यात के लिये नई मंडियों का भी पता लगाना चाहिये।

कांडला पत्तन की स्थापना कोई 20 वर्ष पूर्व 1955 में की गई थी। दस वर्ष पहलें वहां पर कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया गया था। इसका प्रयोजन निर्यात को बढावा देना और कच्छ में कांडला पत्तन का विकास करने के लिये अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना था। यद्यपि सरकार ने कांडला पत्तन को एक महत्वपूर्ण पत्तन बनाया है, तथापि यह एक आश्चर्य की बात है कि वहां पर अभी तक आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई हैं। कुछ वर्ष पूर्व तो उसे किसी बडी रेलवे लाइन से नहीं मिलाया गया था। इस समय भी वहां विमान सेवा का कोई प्रबन्ध नहीं है। किसी पत्तन का एक मुख्य पत्तन के रूप में विकास करने के लिये संचार साधनों का होना तो बहुत ही आवश्यक है। वहां पर उद्योगों का विकास करने के लिये आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। वहां पर जो लोग हैं-अधिकारी और विशेषज्ञ उन के रहने के लिये मकानों और उनके बच्चों के लिये शिक्षा सुविधाओं का होना अत्यावश्यक है। अन्यथा वहां पर विशेषज्ञ लोग जायेंगे ही नहीं चाहे उन्हें कितना अधिक वेतन देने की पेशकश ही क्यों न कर दी जाये। सरकार को इन समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिये। विश्व में ऐसे मुक्त व्यापार क्षेत्रों में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वही यहां भी उपलब्ध होनी चाहिये।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या व्यापार विकास प्राधिकरण की किसी समिति ने यह सुझाव दिया है कि हांगकांग की तरह अन्दमान निकोबार द्वीप समुह क्षेत्र में एक मुक्त पत्तन स्थापित किया जाए और यदि हां, तो इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा? इस में हमें शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये क्योंकि मेरी सूचना के अनुसार वहां पर ऐसे पत्तन की स्थापना से 20 वर्ष में कुल विदेशी मुद्रा की 25 प्रतिशत आय केवल इसी पत्तन से होने लगेगी और यह पत्तन हांगकांग का भी मुकाबला कर सकेगा।

वाणिज्य मंत्रालय के प्रदर्शनी विभाग के बारे में मुझे यह कहना है कि आजकल भारत सरकार कई प्रदर्शनी मंडप स्थापित कर रही है और इस बहाने इस विभाग के अधिकारी विशेषज्ञों के रूप में विदेशों में जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यह कार्य विदेशों में वाणिज्य दूतावासों या दूतावासों के वाणिज्य विभागों को सौंप दिया जाए। ऐसे आरोप भी लगाए गये हैं कियें अधिकारी वहां पर भ्रष्टाचार फैलाते हैं और इस प्रकार बहुत अधिक धन कमा लेते हैं। इस बारे में मंत्री महोदय आश्वासन दें कि या तो ऐसा नहीं हो रहा है और यदि हो रहा है तो उसे रोकने के लिये प्रयत्न किये जायेंगे क्योंकि ऐसी बातों से हमारे देश की गरिमा कम होती है।

भारतीय विदेश व्यापार संस्था के कार्यकरण के बारे में भी कई शिकायतें हैं। वहां पर लोगों को अपना अनुसन्धान कार्य स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं करने दिया जाता है। इसी से परेशान हो कर कुछ लोगों ने वहां पर काम करना बन्द कर दिया है। इस मामले की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री धामनकर (भिवंडी) : मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक नई गतिशील आयात नीति अपनाई है। इस नीति के अन्तर्गत स्वत: लाइसेंसीकरण, 50 प्रतिशत बैंक गारंटी और घोषित की गई अन्य सुविधाओं से लघु उद्योगों को सामान का आयात करने में बहुत सहायता मिलेगी।

1971–72 में 1600 करोड रुपए के निर्यात की तुलना में इस वर्ष 3100 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है और इस से लाइसेंस नीति को उदार बनाना सम्भव हो सका है। इस नीति के अधीन, चाय, इंजीनियरी सामान, कपडे की मशीनों तथा कई अन्य वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है। निर्यात बढाने के लिये बाज़ार सम्बन्धी हमारी आसूचना में सुधार कर उसे सुदृढ़ बनाने की अभी और गुंजाइश है जिस के लिये हमें प्रयत्नशील रहना चाहिये।

राज्य व्यापार निगम ने बहुत अच्छा कार्य किया है । इस वर्ष उसने लगभग 553 करोड रुपए का व्यापार किया है । यह एक अच्छी बात है कि आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिये राज्य व्यापार निगम सुस्थापित निर्यातकों के अनुभव का लाभ उठाने के लिये गैर-सरकारी व्यापारियों के साथ सहयोग करने का प्रयत्न कर रहा है । इस निगम को अधिक गतिशील बनाने के लिये इस के ढांचे कों और मज़बूत बनाया जाना चाहिये ।

हमें अपना निर्यात बढाने के लिये उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिये और इस प्रयोजन के लिये उद्योग को कुछ सुविधाएं और बिजली और कच्चा माल रियायत पर उपलब्ध कराना चाहिये ।

कृत्रिम, नाइलॉन और रेयन सूत पर भी कराधान के कारण हमारे देश में कृत्रिम सूत का मूल्य 130 रूपये प्रति किलोग्राम है जब कि विदेशों में इसका मूल्य 18 रूपये प्रति किलोग्राम है । इस देश में चोरी छिपे माल लाने और करों का अपवंचन करने को बढ़ावा मिलता है । इस के अतिरिक्त सूत कातने वाले और बुनकर इस माल को भी नहीं उठा रहे हैं । इससे छोटे पैमाने के कारखाने बन्द होने लगे है । आशा है सरकार इस समस्या की ओर ध्यान देगी और प्रगतिशील कृत्रिम कपडा उद्योग को समाप्त होने से बचाने के लिये करों में कुछ कमी अवश्य की जानी चाहिये ।

साईकल के टायरों और ट्यूबों का उत्पादन बढाया जा सकता है क्योंकि इसकी स्थापित क्षमता बहुत अधिक है । एक योजनाबद्ध ढंग से इनके निर्यात में भी वृद्धि की जा सकती है । साईकल के टायरों और ट्यूबों का निर्यात करने पर प्राकृतिक रबड का आयात करने की अनुमति दे कर, निर्यात शुल्क में कमी करके और वर्तमान .10 प्रतिशत नकद सहायता को बढ़ा कर 25 प्रतिशत करके साईकल के टायरों और ट्यूबों का उत्पादन बढा कर और इन के निर्यात में वृद्धि कर के खासी विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है ।

शक्तिचालित करघों पर जो इतना अधिक शुल्क लगा हुआ है उसमें कुछ राहत मिलनी चाहिये

कपडा मिले न ही अच्छा कपडा तैयार कर रही हैं और न ही कपड की मात्रा के लक्ष्य को पूरा कर रही हैं । मिलों का कहना है कि मालिक कपडा कोई नहीं उठा रहा है जब कि उपभोक्ता कह रहे हैं कि उन्हें यह कपडा नहीं मिल रहा है । मंत्री महोदय को इस प्रश्न पर पुनः विचार करना चाहिये कि क्या ऐसा कपडा विकेन्द्रीकृत शक्तिचालित करघा क्षेत्र में तैयार नहीं किया जा सकता ।

आज हज़ारों शक्तिचालित करघे अवैध रूप से कार्यरत हैं । इन के नियमितीकरण की फीस प्रति करघा 100 रुपये है । यह सब कुछ करने के बाद भी उन्हें नियमितीकरण का यह कार्य किसी दलाल के माध्यम से ही करना पडता है क्योंकि कपडा आयुक्त के कार्यालय में बिना दलाल की सहायता से कुछ नहीं होता है । इस प्रकार के भ्रष्टाचार को बन्द करना चाहिए ।

जैसा कि माननीय सदस्य, श्री मधुकर ने बताया है बुनकरों को सूत खरीदते समय 9,000 रुपये लेखे से बाहर देना पडता है । यहीं प्रथा राष्ट्रीयकृत मिलों में भी प्रचलित है । इसे रोका जाना चाहिए ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The present import policy of the Government encourages dishonesty, fraud and bribery and so it is high time that it should be thoroughly re-examined and changed radically. The import policy as well as the export policy should be evolved in such a way that it encourages production and export trade and discourages dishonesty. The deliberate wrong description of items under import is a device which is used by dishonest capitalists and businessmen. For instance wine is imported in the name of flavouring essence of whisky and flavouring essence of brandy. Similarly polyster fibre is being imported in the name of polyster resins. Such businessmen should be treated at par with smugglers and dealt

with accordingly. Again, import licences are issued to certain businessmen in order to step up production and export trade. But the items which are actually imported have nothing to do with the production. These items are ultimately disposed of in the black market at a premium of 300 to 400%. This practice should be stopped and import licences should be given only for the import of those items which are actually used in the production process. Therefore, this fraud in the name of import entitlement, export incentive and replenishment licence should be stopped. Government has also been misleading this House as well as the people by giving bogus export figures. I hope, the Minister will take a serious note of it and go into this matter more deeply and do something to stop such practices in future.

So far as disposal of the smuggled goods that are seized, is concerned, I have these suggestions. Firstly, Government should impose such a heavy fine on them that three transactions prove in profitable. Secondly, it should be disposed of by auction in small lots to common people. Thirdly all the seized foreign cloth and goods should be burnt in a bonfire. The Minister may implement any of these three suggestions. So far my liking is concerned, I will prefer the third suggestion.

The Jute Corporation of India was set up in order to ensure a fair price for the jute growers but it is regretted that they have failed to deliver the goods and to protect the interests of farmers. Similarly the cotton Corporation of India have been importing long-staple cotton worth 100 crores of rupees on an average every year during the last 10 years for manufacturing super fine cloth for rich people and they have been thus be fooling the public. Now when our farmers have started producing this variety of cotton, they are now being made to suffer for no fault of theirs. The basic policies of the Jute Corporation of India and Cotton Corporation require radical changes.

In spite of an assurance given by the Minister that they will not enter into any Trade agreement, with the South African Diamond Trading Company, certain discussion is going on to have a collaboration agreement with this company. It is not known why this company is being given preference. This company will indulge in spying and will never favour us. It is however, a fact that there is a good deal of scope in diamond trade and we can export polished diamond worth crores of rupees. But we find that there was lack of initiative, drive and direction in this regard. A cell of exports should be set up under the MMTC to undertake development of primary resources in Ghana like countries in Africa. I hope that the hon. Minister will pay due attention to these matters.

श्री बनमाली पटनायक (पुरी) : शक्तिचालित करघे जिन स्थानों पर लगे हुए हैं, वहां बुनकरों का अभाव है और इसलिये उनका पूरी क्षमता से उपयोग नहीं हो रहा है । किन्तु जिन ग्रामों में बुनकर बसे हुए हैं, वहां पर उनको सूत नहीं मिलता है । यदि शक्तिचालित करघे बुनकरों के ग्रामों में लगाये जांये, तो इससे उनको रोज़गार मिलेगा और शक्तिचालित करघों का पूरी तरह से उपयोग भी किया जायेगा ।

मुझे मालुम हुआ है कि हथ करघा के लिये आप एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं । इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान सम्बलपुर क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं । वहां हथकरघा बुनकरों को डिजाइन भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं । उन्हें विदेशी बाजारों में स्थान भी प्राप्त नहीं हो रहा है । उन्हे जो आर्डर मिलते भी है वे उन्हें भी पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वे डिजाइन के अनुसार नहो होते । अतः सम्बलपुर क्षेत्र में एक डिजाइन केन्द्र खोला जाना चाहिए । मंत्रालय को इस बात पर विचार करना चाहिए ।

कारीगरों को हथकरघा वस्तुएं बेचने के लिए मण्डियों में स्थान मिलना चाहिए। उनके और खरीदारों के बीच समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। यह काम हस्तशिल्प बोर्ड कर सकता है। इससे कारीगरों को उपयुक्त सहयता प्राप्त हो सकेगी और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार डिजाइन भी प्राप्त हो सकेंगे।

इस मंत्रालय का सम्बन्ध भारतीय जूट निगम से भी है। मैं उस राज्य का हूं जहां जूट अधिक मात्रा में पैदा होती है। गत दो वर्षों से हम यह प्रयास करते आ रहे है कि जूट के उत्पादकों को उचित दाम प्राप्त हो। परन्तु दुर्भाग्यवश जूट निगम को पर्याप्त मात्रा में धन नहीं मिल रहा है। धन के बिना वह जूट नहीं खरीद सकता। इससे जूट उत्पादकों को हानि उठानी पड रही है। निगम में जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है उन्हें जट की किस्म और दर्जे की जानकारी नहीं होती। इसलिए उत्पादकों को जूट का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है। कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे उत्पादकों को कोई कठिनाई न उठानी पडे।

ऐसा मालूम हुआ है कि भारतीय जूट निगम आई०पी०सी०आई० से मिल कर संयुक्त क्षेत्र में जूट मिल खोलने जा रहा है। इससे जूट उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। जूट युग्म फैक्टरियों के बारे में उडीसा सरकार ने चार फैक्टरियों की सिफारिश की है। परन्तु जूट आयुक्त ने केवल एक ही कारखाना रूपसा में खोलने की अनुमति दी है वह पार्लेकिमंडी में दूसरा कारखाना खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है।

हमें तिलहनों और खाद्य तेलों के बारे में भी ध्यान देना होगा। परन्तु हमें गैर-खाद्य तेलों की अधिक आवश्यकता है। गैर-खाद्य तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जिसे बिना प्रयास बीजों से निकाला जा सकता है। हमारे साल तेल की विदेशी मण्डियों में बहुत आवश्यकता है। उडीसा; मध्य प्रदेश, बिहार तथा अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों में साल तेल बहुतायत में मिलने की सम्भावना है। इस बारे में जांच की जानी चाहिए। इससे हमारी स्थानीय आवश्यकता भी पूरी हो सकेगी तथा हम इस का निर्यात भी कर सकेंगे।

हमारे यहां विसकोस फिलामेन्ट यार्न भी होता है। यह बुनकरों को मुहैया किया जाता है। इस यार्न सम्बन्धी एक गैरसरकारी समिति है जिसपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। दुर्भाग्यवश उडीसा को इससे हानि हो रही है क्योंकि यह समिति बम्बई में है तथा यह उडीसा की ओर कभी ध्यान नहीं देती। यह कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों को ही यार्न मुहैय्या करती है। उड़ीसा के बहुत से बुनकर इस यार्न का प्रयोग करते हैं। अतः इस मामले की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा उड़ीसा के बुनकरों को यह यार्न मुहैया करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कानपुर में 11 सूती कपडा मिले हैं। यह बहुत दुख की बात है कि वहां 40,000 सूती कपडा मिल मजदूर बेरोजगार हैं। जे० के० रेयन मिल के लगभग 1000 मजदूर पिछले एक महीने से भूखें मर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार इन कर्मकारों की दयनीय दशा पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं वाणिज्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह स्वदेशी काटन मिल की घटनाओं के बारे में कानपुर से रिपोर्ट प्राप्त करें। यह मिल एक बहुत बडी मिल हैं तथा इस में 11,000 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं। हमें एल्गिन मिल नं० 1 और नं० 2 के बारे में, जो ब्रिटिश इण्डियन कारपोरेशन के अन्तर्गत है, तथा एवर्टन वैस्ट काटन मिल के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए।

मिल मालिकों की स्थिति भी ऐसी ही है। उनका कहना है कि 15 करोड रुपए के मूल्य के 50,000 गट्ठे इकट्ठे हो गए हैं। ये न तो देश में ही और न ही विदेशों में बिक रहे हैं। इसका कारण यह है कि देश विदेश में मध्यम दर्जे और मोटे कपडे की कोई मण्डी नहीं है। मिल मालिक

दोहरी चाल खेल रहे हैं। एक और तो वे श्रमिकों को भूखा मारना चाहते हैं। तथा दूसरी ओर मध्यम दर्जे तथा मोटे कपडे पर छूट लेने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इन मिलों को खोलने के लिए राज्य सरकार से कहना चाहिए।

शक्ति चालित करघों पर शुल्क 20 रुपए से बढा कर 200 रुपए कर दिया गया है। इस कारण शक्ति चलित करघे बन्द हो गए हैं। कृत्रिम रेशे के सम्बन्ध में भी यही बात हुई है। मैं तो यही समझता हूं कि 200 रुपए से कम करके 20 रुपए किया जाना चाहिए।

मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उन्हें उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के हथकरघा और शक्ति चालित करघा उद्योग की रक्षा करनी चाहिए।

यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि सरकार जूट के सामान, विशेषकर कालिनों के अस्तरों पर निर्यात शुल्क क्यों समाप्त करना चाहती है। क्या इस से सरकारी कोष करोडों रुपए की कमी नहीं हो जाएगी। यह सर्वविदित तथ्य है कि निर्यातकर्ता बहुत मुनाफा कमाते है। मैं समझता हूं कि किन्निसन जूट मिल, खुदी जूट मिल तथा कमरहट्टी जूट मिल जैसे मिलों में संकट कुप्रवन्ध के कारण है। मंत्री महोदय ने कहा है कि इसकी जांच हो रही है। हमें बताया जाना चाहिए कि इन मिलों का क्या हो रहा है तथा क्या निर्मात शुल्क समाप्त किया जा रहा है या नहीं।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : I would like to express my views regarding balance of trade of our country. The balance of trade has been unfavourable to us to the tune of Rs. 1000 crores. This gap between our imports and exports should be removed as early as possible. On the other hand we should enhance our export trade to the tune of Rs. 1000 crores. In this connection I would like to give some suggestions. Firstly as the imports of foodgrains would not be necessary in the coming years so there would be a saving of Rs. 500 crores. Secondly, a large stock of sugar has accummulated in ou r country. It is to the tune of about 30 lakh tons. Out of this stock we should export atleast 10 lakh tons of sugar, as early as possible.

The arrangements for loading and shipping in our ports are also not proper. These things stand in the way of our export trade. I would like to know what action has been taken by the hon. Minister in this regard.

There is also a huge stock of iron ore in our country. But it is not being exported properly. The price of iron ore should be enhanced and efforts should be made to increase its production.

We used to spend more than 100 crore rupees on the import of long staple cotton. But this year we have a surplus stock of long staple cotton as a result of which the price of long staple cotton has come down. This is due to defective policy in regard to cotton' If this position prevails then no grower will grow cotton because he will not get a remunerative price for his produce. I would therefore request the Government to revise the policy in this regard. In case immediate steps will not be taken to check this fall in the price of cotton it will be harmful for the country. The country will have to suffer a lot on this account. I have come to know that long staple can be used for the manufacture of coarse cloth also. If that is the case I fail to understand why it is not being used. Government should do so in order to give relief to the people.

श्री बी०वी०नायक (कनारा) : श्री राम गोपाल रेड्डी ने अभी अभी कहा है कि 30 लाख टन चीनी का स्टाक जमा हो गया है इसलिए इसका निर्यात किया जाना चाहिए। यदि खुल बाजार में मिलने वाली चीनी का निर्यात किया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु लोगों को नियंत्रित चीनी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध नहीं है। दूसरा मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय को निर्यात

मूल्य की ओर ध्यान देना चाहिए। 1972–73 में प्रति टन चीनी का मूल्य 1267 रु० था और 1973–74 में 1687 रु० था। 1973 में यह लगभग 1264 रुपए था। श्री रेड्डी का सम्बन्ध चीनी मिलो से रहा है अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम भारतीय जनता को 1.26 रुपए प्रति किलो के भाव पर चीनी सप्लाई कर सकते हैं या नहीं।

1973–74 में जब चीनी का यूनिट मूल्य 1.26 रुपए प्रति किलो था हम लोग चीनी 4 अथवा 5 रुपए प्रति किलो खरीद रहे थे। यह सही है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का मूल्य बड़ा है परन्तु बात यह है कि चीनी उद्योगपति अपना खाता विदेशी मुद्रा में रखते हैं। यह बुरी बात है। इन बैंक खातों का पता लगाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय वित्त मंत्रालय के सहयोग से क्या कार्यवाही कर रहा है। इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए। इस बारे में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा भी जांच कराई जा सकती है।

इस मंत्रालय के अधीन तथा अन्य मंत्रालयों के अधीन अनेक बोर्ड है। परन्तु कई बार इन बोर्डों में ब्रिगेडियर अथवा सेवानिवृत्त व्यक्ति रखे जाते हैं जिन्हें सम्बन्धित काम में कोई रूचि नहीं होती। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन बोर्डों के गठन के बारे में पता लगाएंगें। वह उन्हें इस प्रकार से गठित करने का प्रयास भी करेंगे कि उनमें व्यापार, वाणिज्य तथा अन्य व्यवसायों में रूचि रखने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व भी हो।

मैं ने प्रार्थना की थी कि समुद्री उत्पाद निर्यात निगम की स्थापना ऐसे स्थान पर की जानी चाहिए जहां समुद्री उत्पाद बहुतायत में उपलब्ध हो। परन्तु मेरी इस बात को ठुकरा दिया गया। कुछ निहित कारणों से ऐसा नहीं हो सका तथा उत्तर पूर्व और दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र को उससे कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस ओर ध्यान दे।

Shri Chiranjib Jha (Saharsa) : support the demands of the Ministry of commerce. I belong to a State which is a jute growing State. Jute is rather the only cash crop which is grown in Saharsa, Purnea and eastern Bihar. But unfortunately the grower of those regions do not even get the cost of production of their produce. As a result of it the acreage under jute cultivation has come down. By going through the report of the Ministry of commerce we find that the jute production is likely to be reduced to 50 lakhs of blaes whereas in 1973-74 the production was 78 lakhs of bales. It had been decided that Jute corporation would purchase at least one-third of i.e. 15 lakhs of bales this year but so far only 5 lakhs of bales have been purchased by the corporation. This clearly shows that there is very much shortage of jute. The production of jute has gone down. The reason why the production of jute has gone down is also clear. The jute growers have all along been neglected. They did not get remunerative price for their produce.

The Jute corporation of India came into being in 1971. The corporation was formed in order to make available to the growers remunerative prices for their produce and to protecte their interest from the exploiations of the middlemen. But this corporation has tailed to perform its duty. The hon. Minister should take note of the situation. The main reason for the fall in production of jute is that the growers are not sure whether they will be able to get profitable price for their jute or not. Therefore the Government should take steps to ensure that the production of jute increases and the growers also get a profitable price.

At the end I would like to give some suggestions. The price of the jute should be fixed atleast at Rs. 200 per quintal. The persons who are supporters of the farmers should be taken in the Corporation.

The growers are exploited in grading. Thus I would like to suggest that training should be given to the people of cooperative Societies in this regard. Then they will be able to check collusion of middlemen with the officials of the corporation.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I would like to raise only one point. Exports lack foreing exchange for the country and thus exports should be increased. As mangoes are very much in demand in foreign countries, their export should be increased. In order to enhance export of mangoes we will have to step up production of mangoes. But unfortunately, the cultivation of magoes is being decreased. The Bihar Government is destroying mango orchards to rehabilitate rich people there. Thus I would request the Government to issue necessary instruction to Bihar Government not to acquire land which is under mango cultivation. We should see theat the production of mangoes goes up and not down.

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): समय के अभाव के कारण मैं कुछ महत्वपूण बातों का ही उत्तर दूंगा परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हमें अन्य बातों में रूचि नहीं है । लगभग सभी सदस्यों ने व्यापार संतुलन की प्रतिकूल स्थिति का उल्लेख किया है । यह बात तो सही है कि हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है परन्तु यह हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है क्योंकि हमारे आयात में भी बहुत वृद्धि हुई है जो आज तक सर्वाधिक रही है । 1974–75 में निर्यात से हमारी आय लगभग 3,200 करोड़ रुपये हुई । पिछले तीन वर्षों में इसमें 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । यह बहुत सराहनीय स्थिति है । परन्तु आयात के अधिक होने के कारण यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है । आयात का लगभ ग 60 प्रति शत बिल खाद्यान्न, ईंधन और उर्वरकों पर व्यय हुआ । इस वर्ष हमें 1000 करोड रुपए की हानि होने का अनमान है । यह हमारे लिए एक चुनौती की बात है । दूसरी ओर हमारे देश की स्थिति इस प्रकार है कि हमारे देश में खरीद व बेचने की स्थिति काफी है । निर्यात के लिए हमें यह देखना होगा कि हम किन वस्तुओं के बगैर गुजारा कर सकते है ताकि उनका निर्यात किया जा सके । हमें आशा है कि हम अगले वर्ष इस वर्ष की अपेक्षा 5 प्रति शत अधिक निर्यात कर सकें गे । यह तो हमारा वास्तविक लक्ष्य है और यदि भाग्य ने साथ दिया तो हो सकता है कि हम 8 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर सके ।

यह कहा गया है कि निर्यात में हमारी वृद्धि मूल्य के रूप में हुई है न कि मात्रा के रूप में । पहले ही मैं बता चुका हूं कि विश्व के बाजार में जहां वस्तुओं की भरमार होती है प्रत्येक राष्ट्र यथा सम्भव अधिक लाभ उठाना चाहता है तथा हमने भी ऐसा करके गलती नहीं की है । परन्तु कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में हमारे निर्यात की मात्रा भी बढ़ी है । वे वस्तुएं जिनका निर्यात बढा है वे चाय, लौह-अयस्क, चीनी, चमडा, चमडे का सामान, इंजीनियरी का सामान, चावल, सीमेंट और कोयला हैं । निर्यात के लिए वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना सब से अधिक महत्वपूर्ण बात है । यदि निर्यात उत्पादन नहीं बढ़ता तो कोई भी बात कारगर नहीं होगी ।

हमने कुछ निर्णय परम्परा से हट कर लिए हैं तथा कठिन व्यापार संतुलन की स्थिति में उनकी सराहना की जानी चाहिए ।

हमने अपनी आयात नीति को कुछ उदार बनाया है । यदि हम इस नीति पर ध्यान दे तो पता चलेगा कि यह नीति निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं को बढ़ाने का सब से अच्छा तरीका है जिससे देश के लिए धन कमाया जा सके ।

हमने एक अन्य बात के लिए भी परम्परा तोडी है तथा वह बात यह है कि हमने विभिन्न औद्योगिक एककों को लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन इस शर्त पर करने की अनुमति दे दी है कि वे अधिक उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करेंगे ।

आप ने देखा होगा कि मात्रा और किस्म दोनों में ही हमारी प्रगति प्रभावकारी रही है । केवल पिछले दो वर्षों में तेल का मूल्य बढ़ने से कुछ कठिनाई आई है । यदि तेल का मूल्य 1973–74

के स्तर तक ही रहता तो इस वर्ष हमारे व्यापार संतुलन में 100 करोड रुपए का लाभ होता। फिर भी हमारी विदेशी मुद्रा की आय उतनी कम नहीं हुई है जितनी कि 100 करोड रुपए के प्रतिकल व्यापार संतुलन से लगती है।

हम अपने निर्यात संसाधनों का विशेषकर कृषि के निर्यात संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। हमने कभी भी चीनी का बडी मात्रा में निर्यात नहीं किया है। विश्व बाजार की मांग के अनुसार हम भी अपनी नीति बदल लेते हैं। आलू तथा प्याज जैसे अन्य कृषि उत्पादों का हम निर्यात कर रहे हैं तथा विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं।

हमने अधिक यूनिट मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य देशों को निर्यात करने का भी प्रयास किया है। हमने जापान के साथ लौह-अयस्क सम्बन्धी अपने पुराने समझौते पर दोबारा बातचीत की है तथा हम अधिक मूल्य प्राप्त करने में सफल हो गए हैं। हमने एक लौह-अयस्क संगठन भी बनाया है। यह संगठन अभी गठित तो नहीं हुआ है परन्तु प्रारम्भिक उपाय पूरे कर लिए गए हैं। कागज समुदाय का गठन भी कर लिया गया है। चाय उत्पादन करने वाले देश भी आगे बढ रहे हैं। हम श्रीलंका, कीनिया तथा इन्डोनेशिया से सम्बन्ध स्थापित कर रहे हैं। इन से हमें अधिक यूनिट मूल्य मिल सकने की सम्भावना है।

हमने गत दो वर्षों में अन्य देशों में नियुक्त प्रतिनिधियों की बैठके भी की हैं। हमने पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया, खाड़ी प्रदेश, दक्षिण अमरीका में भी बैठके की ह ? इसके बाद हम पश्चिम यूरोपीय सम्मेलन भी बुलाने की योजना बनाने जा रहे है। हमें बैठके करके ही सही स्थिति का पता चलता है।

हम अधिक से अधिक निर्यात विश्लेषण क्षेत्र अथवा स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र अथवा शुष्क पत्तन बना रहे हैं। किसी ने कांडला स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की कठिनाइयों का उल्लेख किया था। हमने इस ओर ध्यान दिया है तथा इसके अच्छे परिणाम निकले हैं। कांडला की निर्यात आय में भी वृद्धि हो गई है। कांडला को वायु मार्ग से जोडने का भी प्रयत्न किया जा रहा है।

दमदम में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र बनाया जा रहा है। दिल्ली को शुष्क पत्तन बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सिद्धान्त रूप से निणय किया जा चुका है।

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक निर्बाध व्यापार पत्तन की स्थापना करने का भी उल्लेख किया गया था। इस सम्बन्ध में व्यापार विकास प्राधिकरण ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। अब हम उसपर विचार कर रहे हैं। आशा है कि कुछ वर्षों में हमे मंगलौर, कोचीन और मद्रास मे निर्बाध व्यापार क्षेत्र स्थापित करने पर विचार करना पडेगा।

मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारी विदेशी मुद्रा की आय बढ सकती है यदि हमारा व्यापारी समुदाय यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों द्वारा दी गई प्राथमिकता योजना को जानने की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करे। हम वहां पर अपने कोटे का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमें उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने कुछ वस्तुओं को आयात/निर्यात सूची मे से निकाला है। इसपर चिन्ता व्यक्त की गई है। कुछ ऐसी वस्तुएं थीं जिनको सरणीबद्ध करने का कोई लाभ नहीं था। केवल उन्हे ही सूची से हटाया गया है। इनकी संख्या 15, 16 या 18 हो सकती है। ये वस्तुएं कुल सरणीबद्ध वस्तुओं की एक प्रतिशत भी नहीं है और मूल्य के आधार पर केवल 1 प्रतिशत ही हैं। इस समय भी हम कोई 210 वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं। इनकी सूची में थोडा भी बहुत परिवर्तन होता रहता है। परन्तु जहां तक मुख्य प्रयोजन का सम्बन्ध है उसे अवश्य पूरा किया जायेगा। जहां तक समस्त निर्यात-आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का प्रश्न है, ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे विचाराधीन नहीं है।

हमारा विदेश व्यापार देश के हितों पर आधारित है। हमें देश के हितों का ध्यान रखते हुए समय समय पर कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, आजकल हम अपने पड़ौसी देशों के साथ विशेष सम्बन्ध स्थापित कर रहे हैं। हमारे विदेश व्यापार का एक पहलू यह है कि ईरान, नेपाल, बंगला देश, श्रीलंका और बर्मा जैसे पड़ौसी देशों के साथ अपने सम्बन्ध अधिक अच्छे बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ कठिनाइयां भी हैं, उन्हें परस्पर लाभ के लिये दूर किया जा रहा है। इसी प्रकार मध्य पूर्व देशों विशेषकर तेल का उत्पादन करने वालों देशों के साथ भी हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं और उनके साथ हमारा व्यापार बढ़ा है। दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ भी हमारा व्यापार पहले स कहीं अधि क बढ़ गया है। इन देशों में कुछ भारतीय परियोजनाएं भी चल रही हैं। उससे जहां हमें कुछ आय हो रही है वहां हम उन देशों की सहायता भी कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कपास उगाने वालों की समस्या और कपडा उद्योग की कठिनाइयों का हवाला दिया है। कपास उगाने वाले तो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसी कपास पैदा कर दिखाई है जिसका हमें पहले आयात करना पडता था और इस पर बहुत अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पडती थी। हम इनको उचित मूल्य देने का हर प्रयत्न कर रहे हैं। देश में लम्बे तथा अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली कपास की 8 लाख गांठों और मध्यम तथा छोटे रेशे की 68 लाख गांठों की आवश्यकत है। कृषि अनुसन्धान और कृषकों की पहल से लम्बे और अतिरिक्त लम्बे रेशे की कपास का उत्पादना बहुत अधिक बढ़ गया है। स्थिति यह है कि अब यह हमारी आवश्यकताओं से 6 लाख गांठे फालतू है जब कि मध्यम तथा छोटे रेशे की कपास के सम्बन्ध में 8 से 10 लाख गांठों का अभाव हो गया है। सरकारी नीति को समझाने के लिये इन बातों की जानकारी होना बहुत जरूरी है।

कपडा उद्योग के सम्बन्ध में हमें कपडा उत्पादकों के हितों और उपभोक्ताओं के हितों तथा निर्यात के पहलू का ध्यान रखना होता है। कपडा उपभोक्ताओं के हित में यह है कि उन्हें उचित दामों पर कपडा मिले और इसलिये हमें यह देखना होता है कि रूई के दाम अधिक न बढ़ें। वास्तविकता यह है कि हमारी रूई विश्व भर में महंगी है। इस बार हमने 2 लाख गांठें रूई पाकिस्तान से मंगाई है और वह हमें सस्ती पडती है। हम नहीं चाहते कि लम्बे रेशे वाली कपास उपजाने वालों को कोई हानि हो। यह एक दुःख की बात है कि इस प्रकार की कपास के मूल्य गिर गये हैं। हम फालतू कपास का निर्यात करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री वसंत साठे (अकोला) : मिल मालिक इसका विरोध कर रहे हैं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मिल मालिक कुछ भी कहें। हम वही करेंगे जो उचित होगा। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही घोषणा कर दी जायेगी। लम्बे रेशे की फालतू रूई का मध्यम रेशे वाली रूई के स्थान पर प्रयोग करने की बात पर विचार किया जायेगा क्योंकि इसमें खर्च और प्रोद्योगिकी सम्बन्धी समस्या भी अन्तर्ग्रस्त है।

सिले सिलाये वस्त्रों के मामले में हमारी जो लागत आती है वह अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है। इस क्षेत्र में हम तैवान, कोरिया और हांगकांग का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने लोगों को रोज़गार देने के लिये मशीनों का सहारा नहीं ले सकते है।

श्री वसंत साठे : यह कार्य हमें विकेन्द्रित क्षेत्र को सौंप देना चाहिये। वहां इस पर कम लागत आयेगी।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं आपका आभारी हूं। मैं इस सुझाव पर विचार करूंगा।

यह कहा गया है कि मानिक कपडा जो देश में इस समय तैयार हो रहा है वह बहुत घटिया है। मैं इससे सहमत हूं। इस सम्बन्ध में ऐसा कपडा तैयार करने के बारे में उद्योग को कुछ हिदायतें

दे दी गई हैं। अब बढिया कपडा तैयार होने लगा है। हम चाहते हैं कि हथकरघा और शक्तिचालित करघा के क्षेत्र में भी मानिक कपडा तैयार हो। इससे कमजोर क्षेत्रों को भी लाभ होगा।

श्री बसंत साठे : हथकरघों के लिये साड़ियों के आरक्षण की क्या स्थिति है ? अशोक मेहता और शिवरामन समिति की रिपोर्टों को क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : आरक्षण तो पहले ही है। हां, यह ठीक है कि, कभी कभी इसका उल्लंघन हो रहा हैं। शिवरामन समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है। हथकरघा क्षेत्र को लाभ पहुचाने के लिये कपडा मिलों को अपना विस्तार करने की अनुमति दे दी गई है। इनमें हथकरघा और शक्तिचालित करघा क्षेत्र के लिये सूत तैयार किया जायेगा। शिवरामन समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त कोई निर्णय कर लिया जायेगा।

पटसन उद्योग की समस्यायें और पटसन उगाने वालों की कठिनाइयों से सरकार अवगत है।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : इसका कारण यह है कि नीति की घोषणा पटसन या कपास की बुवाई करने से पहले नहीं की जाती है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मूल्य निर्धारित करने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श करना पडता है। इसलिये कुछ देर हो जाती है। इस वर्ष हम शीघ्र घोषणा कर देंगे।

पटसन उद्योग को अपना 65 प्रतिशत माल निर्यात करना पडता है। कपड़ा उद्योग में ऐसा नहीं है। कपडे के कुल उत्पादन का केवल 8 प्रतिशत कपडे का निर्यात किया जाता है। इस लिये कपडा उद्योग के मामले में हमें इतनी कठिनाई नहीं होती है। जबकि पटसन के मामले में हमें दूसरे देशों के साथ मुकाबला करना पडता है क्योंकि पटसन की हमारी वस्तुएं अधिक महंगी पडती हैं। इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित कदम उठाये जा रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाया जा रहा है। पटसन उगाने वालों के फायदे के लिये भारतीय पटसन निगम की स्थापना की गई है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : परन्तु धन तो नहीं मिल रहा है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : धन के मामले में कुछ कठिनाई हो सकती है क्योंकि सरकार की उधार नीति कुछ अनुदार है। खाद्य क्षेत्र को छोड कर किसी क्षेत्र को पर्याप्त धन नहीं मिल रहा हैं। फिर भी हमने 92 क्रय केन्द्र खोले हैं। कुछ कर्मचारी रखे हैं। यह शिकायत मिली है कि हमारे अधिकारी प्रारम्भिक उत्पादकों से पटसन नहीं खरीद रहे हैं। इस सम्बन्ध में जांच करने पर कुछ अधिकारियों को दोषी पाया गया था। उन्हें नौकरी से अलग कर दिया गया है। यदि कोई और विशिष्ट आरोप हों, तो उनकी पूरी छानबीन की जायेगी। इस उद्योग के बारे में कठिनाई यह है कि यह उद्योग अनुसन्धान और विकास पर न्यूनतम आवश्यक धन भी नहीं लगा रहा है। इस प्रयोजन के लिये सरकार ने उपकर बढाने का निश्चय किया है। पटसन की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिये हम बंगला देश और विश्व बैंक जैसे अन्य अभिकरणों की सहायता से एक आपतकालीन स्टाक जमा कर रहे है। इस से पटसन उगाने वालों और पटसन उद्योग को लाभ होगा।

खनिज और धातु व्यापार निगम तथा राज्य व्यापार निगम की कार्य प्रणालियों की आलोचना की गई है। समालोचना करना तो ठीक होता है, परन्तु कड़े शब्दों में आलोचना करने से सरकारी उपक्रमों की दक्षता नहीं बढाई जा सकती। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिये। खनिज और धातु व्यापार निगम तथा अभ्रक व्यापार निगम ने मिलकर वर्ष 1974–75 में 750 रुपये

से भी अधिक का व्यापार किया। यह समस्त कार्य उन्होंने 85 करोड रूपये की पूंजी से किया। मेरे विचार में पूंजी और कारोबार को देखते हुए यह अनुपात बहुत ही संतोषजनक है। उन्होंने 3 करोड रुपये का व्याज और करों आदि का भुगतान करने के पश्चात् 13 करोड रूपये का मुनाफा कमाया। जहां तक वास्तु-सूची के लम्बा होने की बात है, देश में पिछले छः मासों में जो परिस्थितियां होती है उनको भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। इस निगम ने कई हज़ार औद्योगिक कारखानों को कच्चा माल सप्लाई करना होता है। कच्चे माल की सप्लाई में देरी होने से कारखानों में कार्य बन्द हो जाता है और श्रमिकों को जवरन छुटटी देनी पडती है। इसलिये ऐसे अभिकरणों को दो तीन महीनों का स्टाक रखना ही पडता है। निकासी आदेश के मिलेन और माल की निकासी में भी काफी समय लग जाता है। यह पिछले 2, 3 वर्ष का अनुभव रहा है। माल औद्योगिक विकास मंत्रालय जैसे प्राधिकारियों के पूर्वानुमानों के अनुसार म गवाना और स्टाक में रख ना पड़ता है। पिछले वर्ष जितनी मात्रा में लम्बा, सिक्का और जिंक की मांग का पूर्वानुमान था उससे केवल 50 प्रतिशत ही बिका। यह मांग भी दीर्घकालीन ठेकों के अन्तर्गत पूरी की गयी थी। यह एक गलत धारणा है कि दीर्घकालीन ठेकों से हानि होती है। दीर्घकालीन ठेकों के अन्तर्गत माल सारा वर्ष मांग के अनुसार आता रहता है और कीमतें भी समय समय पर जो लन्दन धातु बाजार में होती हैं वही लगती हैं। यह व्यवस्था हमारे लिये बहुत लाभकारी रही है। 31 मार्च को कोई 85 करोड रुपए का माल पड़ा था और यह भी दिन प्रति दिन कम होता जा रहा है। जिन कठिन परिस्थितियों में काम करना पडता है उनको देखते हुए खनिज और धातू व्यापार निगम ने सराहनीय कार्य किया है। 1975–76 में अलोह धातूओं के मामले में लगभग 214 करोड़ रुपये से भी अधिक का कारोबार होने का अनुमान है। इसी प्रकार राज्य व्यापार निगम की वस्तुसूची इतनी लम्बी नहीं है। छोटे पैमाने के उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जो माल हमें स्टाक में रखना पडता है वह इतना अधिक नहीं है। क्योंकि परिस्थितियां भी ऐसी ही हैं। वर्ष 1974–75 में 755 करोड रुपये के कारोबार की तुलना में 46.50 करोड़ रुपये का माल स्टाक में रह जाना कोई बडी बात नहीं है। यह केवल 6 प्रतिशत ही है। जिन कठिन परिस्थितियों में इन दोनों निगमों को काम करना पड़ता है उनको देखते हुए उन्होंने सराहनीय कार्य किया है।

विग इण्डिया एक अलाभकारी एकक है। परन्तु कर्मचारियों की कठिनाईयों को ध्यान में रखद हुए और इसकी क्षमता का दूसरी तरह उपयोग करने की दृष्टि से यह अभी कार्य कर रहा है।

श्री के० गोपाल (करूर) : इसे बन्द कर दिया गया है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं उसकी कठिनाईयों से अवगत हूं। हम इस बात पर पुनर्विचार कर रहे हैं कि क्या इस की क्षमता का उपयोग किसी दूसरे ढंग से किया जासकता है या नहीं।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम का दक्षिण अफ्रीका की किसी कम्पनी के साथ सीधा कोई सम्पर्क नहीं है। तथापि यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि बिना तराशे हीरों का 90 प्रतिशत कारोबार दक्षिण अफ्रीका की कम्पनियां ही करती है। इस के अतिरिक्त पश्चिमी भारत में इस उद्योग में हमारे लाखों लोग लगे हुए हैं उनके रोज़गार का भी प्रश्न है। यह ठीक है कि दक्षिण अफ्रीका और इज़राइल के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छ नहीं हैं। परन्तु हमें अपने हितों का ध्यान रखते हुए इस उद्योग को बन्द भी तो नहीं कर सकते हैं। इसलिये हमने किसी और कम्पनी के माध्यम से कुछ व्यवस्था कर रखी है।

श्री० एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने कानपुर में कपड़ा उद्योग में उत्पन्न गम्भीर संकट के बारे में कुछ नही कहा है। 40,000 कर्मचारियों के रोज़गार का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : समय का अभाव है। इसलिये मंत्रीजी आपको अलग से उत्तर दे देंगे।

Shri Madhu Limaye : I am also interested in the matter raised by Shri Banerjee. Other Members are also interested. The hon. Minister should be asked to make a statement in the House about all those matters which the hon. Minister has not touched in view of the time factor.

Secondly we should have an apportunity to discuss subjects of those Ministries the Demands of which are going to be guillotined on Tuesday, even after the passing of the Finance Bill.

श्री एस० एम० बनर्जी : कल शनिवार है और इसलिये श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर कल चर्चा की जा सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय: यह एक दूसरा प्रश्न है । शान्ति, शान्ति । जहां तक मेरा सम्बन्ध है, यहां पर समय सीमा है । मुझे उसके अन्दर इस चर्चा को समाप्त करना है । मैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता हूं । वित्त विधेयक को पारित करने के बाद कोई चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है मैं अब सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : कटौती प्रस्ताव संख्या 26, 30, 33 और 51 को अलग से रखा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब कटौती प्रस्ताव संख्या 26, 30, 33 और 51 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 26, 30, 33 और 51 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

Cut motion Nos. 26, 30, 33 and 51 were put and negatived.

श्री सी० जनार्दनन (त्रिचूर) : कटौती प्रस्ताव संख्या 34 और 36 अलग से मतदान के लिये रखे जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब कटौती प्रस्ताव संख्या 34 और 36 मतदान के लिये रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 34 और 36 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

Cut motion Nos. 34 and 36 were put and negatived.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (अलुबेरिया): कटौती प्रस्ताव संख्या 62 और 65 अलग से मतदान के लिये रखे जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब कटौती प्रस्ताव संख्या 62 और 65 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 62 और 65 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

Cut motion Nos. 62 and 65 were put and negatived.

श्री मनोरंजन हाजरा (आरामबाग) : कटौती प्रस्ताव संख्या 66, 70 और 71 अलग से मतदान के लिये रखे जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब कटौती प्रस्ताव संख्या 66, 70 और 71 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 66, 70 और 71 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

Cut motion Nos. 66, 70 and 71 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब शेष सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

शेष सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

All the remaining cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब अनुदानों की मांगे सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब प्रश्न सभा के मतदान के लिये रखा जा रहा हो उस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वाणिज्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुई ।

The following Demands in respect of Ministry of Commerce were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व (रु०)	पूंजी (रु०)
11.	वाणिज्य मंत्रालय	73,20,000	
12.	विदेशी व्यापार तथा निर्यात प्रोत्साहन	1,66,43,08,000	2,38,93,000

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTION

55 वां प्रतिवेदन

श्री ए० एम० चेलाचामी (टेंकासी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संम्बन्धी समिति के पचपनवें प्रतिवेदन से, जो 23 अप्रैल, 1975 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है"।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पचपनवें प्रतिवेदन से, जो 23 अप्रैल, 1975 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

महिलाओं के प्रति आर्थिक और सामाजिक अन्याय के निराकरण के उपायों के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION *Re* : MEASURES TO REMOVE ECONOMIC AND SOCIAL INJUSTICES TO WOMEN—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त के संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे इसपर जब पिछली बार चर्चा हो रही थी, उस समय यह निर्णय किया गया था चि इस पर अग्रेतर चर्चा अगले दिन की जायेगी । यहां तक कि इस सम्बन्ध में जो नियम है उसको भी निलम्बित करना पड़ा था । यह नहीं होना चाहिये था । एक और प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया था कि एक और संकल्प पर भी चर्चा होनी चाहिये । इन असाधारण परिस्थितियों में इस हमय स्थिति यह है कि इस समय दो संकल्पों पर चर्चा हो रही है । ऐसा पहले कभी नहीं हुआ । आज के सिवाय ऐसा फिर कभी नहीं होने दिया जायेगा ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री और विज्ञान तथा टैक्नोलाजी मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : कुछ दार्शनिकों ने, कवियों ने, और संसद् सदस्यों ने भी महिलाओं के बारे में विगत अनेक वर्षों में अच्छी बातें कहीं है परन्तु महिलाओं की निन्दा करने वालों ने अधिक बदनामी की है । किसी भी वर्ग की तुलना में महिला का अधिक शोषण किया जाता रहा है । उदाहरण के लिए, यदि हरिजनों के साथ अन्याय होता है तो उसका सबसे अधिक भार हरिजन महिला पर पड़ता है । नारी को अबला कहना, जैसा कि हमारे देश में है, इसलिए नहीं चला आ रहा है क्योंकि वह स्वयं में निर्बल है बल्कि इसलिए कि वह जन्म से रीतिरिवाजों तथा सामाजिक रवैयें के द्वारा इतनी अशक्त बना दी जाती है कि उसे अपनी अन्तर्निहित शक्तियों को विकसित करने का मौका ही नहीं रहता ।

मैं किसी प्रकार की शिकायत या आलोचना करने के लिये खड़ी नहीं हुई हूँ और न ही यह मांग कर रही हूँ कि महिलाओं को ऊचे पद मिलने चाहिए । मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि अवसरों की समानता तथा समाज में सम्भावित स्थान की बात कहते हुए महिलाएं अपने बारे में ही नहीं बल्कि सारी मानवता के बारे में सोचती हैं । 1923 में कमाल अता तुर्क ने कहा था कि "सामाजिक ढांचे में सफलता न मिलने का कारण महिलाओं का अपमान ही हैं । नियति ही हमारे जीवन का आधार है लेकिन जीवित रहने का अर्थ सक्रिय होना ही है । परन्तु यदि किसी समाज में कुछ लोग ही सक्रिय हों और कुछ निष्क्रिय हों, तो उसका सारा ढांचा डांवाडोल हो जाता है ।" उन्होंने आगे यह भी कहा कि "घर का कामकाज महिलाओं के कर्तव्यों में सबसे कम महत्व वाला कर्तव्य है । मैं इससे सहमत नहीं हूं । घरेलू कार्य के महत्व को कम नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि

घर ही समाज की बुनियाद है। इसके साथ ही, महिला को रसोई घर तक ही सीमित रखना भी मानव जाति के भविष्य के लिए हानिकर है। सीमित रूचि तथा क्षमता वाली महिला एक अच्छी गृहणी, अच्छी मां तथा अच्छी सहयोगिनी नहीं बन सकती।

हम इस वर्ष का उपयोग यह पता लगाने के लिए करना चाहिए कि महलिाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार तथा काम की परिस्थितियों सम्बन्धी कानूनों को क्रियान्वित करने में कहाँ असफल हुए हैं और किस प्रकार तत्सम्बन्धी वर्तमान कार्यक्रमों को सक्रिय बनाया जा सकता है। लेकिन वास्तव में यह अवसर एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है जब हम समाजों तथा राष्ट्रों के आन्तरिक सम्बन्धों की समस्याओं पर पुनः विचार करें तथा मन और व्यवहार के उन दृष्टिकोणों को बदल जिनसे न केवल महिलाओं की दशा के प्रति हमारे व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है वरन् अन्य जातियों तथा कम विकसित देशों अथवा जन समुदायों के प्रति भी हमारे व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के समारोह से सम्बन्धित कुछ कार्यक्रम चलायें गये हैं, लेकिन जब कभी भी वित्तीय बजेटों में कटौती करनी पड़ती हैं तो साधारणतः इसी प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में इस तरह की कटौती की जाती है। लेकिन हम स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सरकारी विभागों के कार्यों का समन्वय करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चय ही यह काम एक वर्ष के अन्दर समाप्त नहीं हो सकता। यह तो केवल एक शुरुआत हो सकती है। मुझे आशा है कि हर क्षेत्र में स्वास्थ्य तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम चलाये जायेंगे। कुछ कार्यक्रम चलाये भी जा चुके हैं लेकिन सबसे बड़ी बाधा पुरुषों और महिलाओं का मानसिक दष्टिकोण ही है। यदि दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाये तो इससे कार्यक्रमों के चलाने में काफी सहायता मिलेगी।

Shrimati Roza Deshpande (Bombay-Central) : It is gratifying that through this resolution, attention is being paid to the condition of women in our country. But it would not be enough merely to pass a resolution. We will have to take concrete steps to implement suggestions to improve the lot of women.

There was a time when in our country men and women enjoyed equal status and rights. Women occupied a respected place in our society. At that time we had a classless and casteless society. When our society became caste-ridden and class-ridden, women lost their respectful place. Women can have due status in a socialist society and not in a capitalist or feudal society.

Women will continue to be slaves till they beecome independent economically They will stand on their own legs when they became independent economically.

It is not that there is no improvement in the condition of women. Women are making progress. The number of women employed as teachers and in government offices has increased. There is a need for giving vocational training to women so that more and more women can get employment. We should provide jobs to women in various industries. A certain percentage of jobs should be reserved for women in industries including textile, jute and pharmaceutical industries. The Government can make a beginning by providing employment opportunities to women at least in nationalised industries.

Economic emancipation of women is of fundamental importance. If we want that women should occupy a place of honour in our Society, we should make them economically self-reliant.

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : स्वाधीनता के 27 वर्ष बाद भी हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार संविधान के निदेशक सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने में असफल रही है। संकल्प में कोई

नई बात नहीं कहीं गई है। इनके लिए तो हमारी सरकार तथा हमारे देश के लोग पहले से ही वचनबद्ध हैं। इस संकल्प द्वारा हम निदेशक सिद्धांतो को क्रियान्वित करने की मांग कर रहे हैं। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में हमें इस दिशा में सक्रिय रूप से शुरूआत करनी चाहिए।

देश की आजादी प्राप्त करने तथा इन निदेशक सिद्धान्तों को निर्भारित कराने में महिलाओं ने अपना योगदान दिया है : अतः महिलाओं और पुरुषों को जागरूक करने तथा उनके मानसिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए महिलाओं को सामने आना चाहिए ताकि सरकार तथा संसद् सविधान के निदेशक सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य हो जायें।

हम इस देश में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ नहीं देख रहे हैं। ऐसी बहुत सी नौकरियां हैं जिनके केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। समाजवादी देशों में हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं को काम करते हुए तथा सभी कार्यों में महिलाओं को भाग लेते हुए देखते हैं :

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की उपसंधि का समर्थन करने के लिए भी देश के मजदूर संधों को लगातार संघर्ष करना पड़ा है। परन्तु हम आज भी उसके निकट तक नहीं पहुंचे हैं। विचारणीय है कि समान काम के लिए समान वेतन देतने सम्बन्धी कानून का क्या बना है। मुझे बताया गया है कि वह विचाराधीन है। लेकिन उस पर अभी तक सक्रिय रूप से विचार नहीं हो रहा है। यह बात लज्जाजनक है कि सरकारी कृषि फार्मों में पुरुषों तथा महिलाओं की मजूरी में भेदभाव है। दहेज के सम्बन्ध में बना कानून क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है क्योंकि समाज का रवैया नहीं बदल रहा है। हम सब का कर्तव्य है कि सोवियत संघ म जहाँ पर विभिन्न सेवाओं में महिलाओं की संख्या काफी अधिक है, जो कुछ सफलता मिली है उसे प्राप्त करने के लिए आगे वढे। इस देश में कपड़ा तथा अन्य उद्योगों में महिलाओं को रोजगार से इस आधार पर बाहर रखा जाता है कि वे जटिल मशीनों का काम नहीं सम्भाल सकतीं। क्या हमारे पास वेलेन्तीना तारेश्कोबा जैसी क्षमता रखने वालो महिलाएं नहीं हैं। हमारे देश में इस प्रकार की सैकड़ों महिलाएं हैं। यहाँ पर सरोजिनी नायडू जैसी महिलाएं भी हुई हैं जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में पुरुषों के समान ही महत्वपूर्ण योगदान किया था।

राष्ट्रीय मुक्ति के लिए शहीद हुई इन महिलाओं के प्रति हम सच्ची श्रद्धांजली इस संकल्प को स्वीकार करके और जो कुछ प्रधान मंत्री ने कहा है उससे भी अधिक कार्यक्रम चला कर अर्पित कर सकते हैं। कोई ऐसे ठोस कार्य किये जाने चाहिए जिनके द्वारा नारियां समाज में पुरुषों के बराबर स्थान ग्रहण कर सके। समान कार्य के लिए समान वेतन रोजगार में अवसरों की समानता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रसूति सुविधाओं के बारे में कानून बनाने के लिए हमें कार्यक्रम बनाना चाहिए।

सभापति महोदय : वैसे तो श्रीमती सावित्री श्याम को अपना संशोधन पहले देना चाहिए था लेकिन क्योंकि सभा को इसमें कोई आपत्ति नहीं है और यह संशोधन महिला सदस्य का है इसलिए श्रीमती सावित्री श्याम संशोधन प्रस्तुत कर सकती हैं।

श्रीमती सावित्री शाम (आंवला) : मैं निम्नोक्त संशोधन प्रस्तुत करती हूं :—

'कि इस संकल्प में,—

(i) "छूटकारा" के पूर्व "यथा सम्भव" अन्तःस्थापित किया जायें ;

(ii) "विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, विवाह तथा तलाक विधियों, दहेज प्रथाओं, प्रसूति और बाल कल्याण तथा समान कार्य के लिए असमान वेतन, शिक्षा, और रोजगार के अवसर व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा श्रमजीवी मातांओं की सुविधाओं के क्षेत्र में" **का लोप किया जाये।**

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि यह संशोधन गैर-सरकारी सदस्य की ओर से क्यों आया है, सरकार की ओर से क्यों नहीं ।

श्री के० रघुरामैया : यह स्वयं महिला सदस्य स्पष्ट करेंगी और मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय भी स्पष्टीकरण करेंगे ।

Shrimati Savitri Shyam : I am grateful to the mover of this resoution. He has drawn the attention of this House, the Government and the society to the injustice and discrimination against women. The mover of this resolution has given too much detail which may be discussed separately and respective legeslation may be made.

It will be meaningless to adopt this resolution until a uniform law in regard to marriage and divorce is made. Unless separate personal laws are abrogated, the adoption of this resolution in its present form will create various legal complexities. Therefore, this resolution should be so amended that it becomes acceptable to all.

Women in various fields and industries are still victims of dispurity and therefore provision for 'equal pay for equal work' should be made in the current International Women's Year. The Minister for Social Welfare should think out as to how it can be given a legal form.

As regards dowry, it has become an instrument to hide the black money. The Committee on Status of women has suggested that acceptance of dowry be declared a cognisable offence. We are told that an Act was passed in 1961 in this regard. But we can find that no a rrest has been made so far under it, because nobody has taken that Act seriously. The Dowry Act should, therefore, be amended to declare acceptance of dowry a cognisable offence.

Provision should also be made to declare equal rights to a female in the property or wealth of a family and at the time of divorce or separation, the property should be equally divided between the husband and wife. Under the Hindu succession Acts the sister can not claim equal rights with brother in the property even today.

I agree with the spirit of the resolution but it requires certain amendments as suggested by me.

Shri Syed Ahmed Aga (Baramulla) : There are three types of sections in our society proletariats, exploiters and middle Class. Generally the leadershipmerge from middle class. So I was saying to the Education Minister that the closing of door of schools for girls belonging to middle class families is a great injustice against the middle class section of the society. I fail to understand why there is hesitation to start co-education in schools for girls and females of middle class families, who are still subject to worst social injustice.

I do not understand what this dowry system is. Tnis dowry is nothing but a high price for accepting the girl in a marriage. It is a great injustice that the price for accepting a girl is being paid. Apart from it she has to face humiliation for even a petty lapse in dowry.

If anybody says that Islam allows polygamy then he is totally mistaken. Islam has always discouraged polygamy. It is said only as a pretext to extri cate dowry or to

satisfy one's lust. I want to know from the persons who raise their voice for polygamy as to why they do not check 'usury' or smuggling. Islam has never allowed usury or smuggling but it still continues and no body has raised his voice against it. I will conclude by saying that the amount of 'Mahar' should be substantial. It should be so much as to enable a girl to maintain herself in case of divorce.

श्रीमती एम० गौडफ्रे (नामनिर्देशित-आंग्ल भारतीय) : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पेश किए गए संकल्प का समर्थन करती हूं। हमारे देश में जब किसी घर में लड़की का जन्म होता है तो उस घर सभी लोग उदास हो जाते है क्योंकि वे समझते हैं कि वह उनकी किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर सकेगी। वह बाहर जा कर काम नहीं कर सकेगी। इस लिए मैं समझती हूं कि लड़की को लड़ के के बारबर कमाने का अधिकार होना चाहिए और उसका सामाजिक स्थान भी लड़के के बारबर होना चाहिए।

लड़की को देख ते ही दहेज का प्रश्न उठता है। लड़के को अधिक दहेज प्राप्त करने से ही पढाया जाता है। यह एक गलत रवैया है जिसे लोगों के मन से निकाल दिया जाना चाहिए।

गरीब परिवारों की कई लड़कियों का इसलिए विवाह नहीं हो पाता क्योंकि उनके माता-पिता दहेज देने के समर्थ नहीं होते इससे उन लड़कियों के अन्दर निराशा पैदा हो जाती है। हमें इस अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में कोई ऐसा कार्यक्रम अथवा कानून बनाना चाहिए जिससे दहेज को बन्द किया जा सके।

मैं शिक्षा और संस्कृति मंत्री से प्रार्थना करूंगी कि वह लड़कियों के लिए शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क कर दे जिससे गरीब लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर सकें।

जहां तक लड़कियों के विवाहित जीवन का सम्बन्ध है वह विवाह के बाद अपने पति को स्वामी तथा भगवान समझती हैं। परन्तु पति उसे देवी नहीं समझता यह बड़ी विचित्र सी बात है। पति को भी चाहिए कि वह उसे अपना साथी समझे तथा उसे अपने बराबर समझे। पति के अलावा सास भी समझती है कि उसे बहू पर कुछ दबाव डालना चाहिए अन्यथा वह सास ही नहीं है। महिलाओं को भी यह चीज अपने दिमाग से उतार देनी चाहिए। हमें अन्तर्राट्रीय महिला वर्ष में ऐंसे पुराने रीति-रिवाजों को समाप्त कर देना चाहिए।

मैं तलाक सम्बन्धी कानून का समर्थन नहीं करती हूं परन्तु यह अवश्य समझती हूं कि तलाक सम्बन्धी कानून को ऐसा बनाया जाना चाहिए जिससे ऐसे लोग तलाक ले सकें जो यह समझते हो कि तलाक के बाद वे आजाद हो जाएंगे।

हमारी प्रधान मंत्री कहती हैं कि इस अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में सम्मेलनों आदि के लिए कई करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। परन्तु मैं समझती हूं कि हम इस धन का अधिक अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें कार्यरत महिलाओं के लिए हर राज्य में आवास स्थान बनाने हेतु इस धन को खर्च करना चाहिए ताकि जब वें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएं तो उन्हें कोई कठिनाई न उठानी पड़े। इसके लिए हमें कुछ औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने चाहिए जिसमें ऐसी लड़कियां जो अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकती सिलाई, शार्टहैंड तथा टाइप सीख सक।

मेरी पुरुषों से भी प्रार्थना है कि वे महिलाओं का सम्मान करें तथा उन्हें अपने बराबर समझे। मैं ने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि हरिजन महिलाओं को रहन रख देते है। यह कितनी दुखदायी चीज है। सूखा पड़ने के कारण राजस्थान के कई हरिजनों ने अपनी बीवियों, बहिनों तथा लड़कियों को पंजाब, हरियाणा के ठेकेदारों के पास रहन रखा है। सरकार को इस दिशा में कुछ कार्यवाही अवश्य करनी चाहिए।

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): कुछ सदस्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन की भी चर्चा की थी जिसमें महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई थी। अतः मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने कुछ समय पहले इसका अनुसमर्थन कर दिया था। श्रम मंत्री सम्मेलन में भी ऐसा निर्णय लिया गया है कि जिस के अन्तर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन के सम्बन्ध में पुरुषों और महिलाओं के बीच विषमता दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सरकार इस सम्बन्ध में कानून बनाने के लिए गम्भीरता से विचार कर रही है। आशा है कि इस सम्बन्ध में विधेयक शीघ्र ही और यदि सम्भव हुआ तो संसद् के इसी अधिवेशन मे पेश किया जाएगा।

श्री वसंत साठे (अकोला) : यदि हम इस बात पर विचार करें कि महिलाओं की ऐसी दयनीय दशा क्यों है तो हमारे सामने दो प्रश्न पैदा होते हैं। पहला प्रश्न महिलाओं की आर्थिक स्वंत्रता का है तथा दूसरा पुरुषों और महिलाओं के बीच सम्बधों के प्रति दृष्टिकोण में पवित्तन करने के बारे में है। हम हजारों वर्षों से इस सम्बन्ध को एक विशेष नज़र से देखते आ रहे हैं। यदि हम समानता की बात पर विचार करना चाहते है तो हमें इस दृष्टिकोण को बदलना होगा।

मैं देखता हूं कि संकल्प के कुछ अंशों को हटाने के बारे में संशोधन पेश किए गए हैं। हम विवाह और तलाक सम्बन्धय उल्लेखों को हटा सकते हैं क्योंकि हम किसी भी समुदाय की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। परन्तु "प्रसूति या बाल", "समान कार्य के लिए असमान वेतन" "शिक्षा और रोजगार के अवसर" "श्रमजीवी माताओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सुविधाये" जैसे उल्लेख संकल्प में रहने चाहिए। ये सब बातें हमारे संविधान के निदेशात्मक सिद्धान्तों के अन्तर्गत आती हैं।

अन्त में मैं यहीं कहना चाहता हूं कि हमें "विशेषकर विवाह और तलाक सम्बन्धी कानूनों के क्षेत्र में" उल्लेखों को छोड़कर यह संकल्प संकल्प बिल्कुल ठीक है तथा हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी): मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सारा सदन देश में महिलाओं की वैधानिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य निर्योग्याताओं से अवगत हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प में भी यही कहा गया है कि यह वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है तथा इसमें महिलाओं के उत्थान के लिए आमूल परिवर्तन लाने के बारे में प्रयास किया जाना चाहिए। हमारे देश में स्थिति भिन्न है। हमारे देश में महलिाओं का सदा सम्मान होता आ रहा है। हमारे यहां कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां भगवान रहता है। उनकी पूजा होती ही रहेगी लेकिन प्रश्न यह है कि क्या उनके साथ मानवी व्यवहार किया जाता है।

हमारे देश में इतनी महान महिलायें हुई हैं कि उन्होंने ऋग वेद तक की रचना की है लेकिन इस के साथ साथ ऐसे लोग भी है जो कहते हैं कि उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। हमारे यहां गार्गी, मैजयी और सुलमा जैसी महिलाये भी हुई हैं जो उपनिषदों तथा दर्शनों की चर्चा-परिचर्चा में भी भाग लेने योग्य थी। लकिन बाद में कानून बनाते समय महलिाओं के प्रति दया नहीं दिखायी गई। उन्होंने कहा कि महिलाओं को तो पिता की सम्पत्ति का भी अधिकार नहीं है। उन्हें तो स्त्रीदान के रूप में ही कुछ राशि दी जा सकती है।

कुछ लोगों ने तुलसी दमन के इस श्लोक का कि "ढौल गंवार शूद पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी" चर्चा करते हुए कहा कि स्त्रियों को शारीरिक दण्ड दिया जाना चाहिए। एक ऐसा

भी समय था जब शारीरिक दण्ड दिया भी जाता था । उसे आर्थिक, सामाजिक तथा कानूनी दृष्टि से पीछे रखा जाता था । मैं पूछना चाहती हूं कि क्या उस के स्थान पर किसी और चीज़ को रखा जा सकता है । पहले महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त थे परन्तु समय बीतने पर उन से ये अधिकार छीन लिए गए ।

हम अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में उन सभी बुराइयों को दूर नहीं कर सकते जो कई युगों सी चली आ रही है । परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगी कि महिलाओं की स्थिति सुधारने, उनका स्तर ऊंचा करने तथा देश विदेश की महिलाओ को अच्छा जीवन व्यतोत करने के अवसर प्रदान करने की दिशा में हमें सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए ।

1937 तक महिलाओं के अधिकारों के लिए कुछ नहीं किया गया था । 1937 में सम्पत्ति पर हिन्दू महिलाओं का अधिकार अधिनियम बना । ऐसी दशा में हम कैसे कह सकते है कि वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकती थी ।

राजाओं के युग में कला, संगीत और नृत्य को प्रोत्साहन दिया जाता था परन्तु उस समय उन्हें शिक्षा देने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया । यह समझा जाता था कि यदि किसी महिला को शिक्षा दी गई तो परिवार में अवश्य कोई संकट आ जाएगा परन्तु आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है । आज यह समझा जाता है कि यदि महिला शिक्षित नही है तो परिवार पर संकट आ जाएगा ।

पढ़ी लिखती महिलाओं की संख्या अब बढ़ती जा रही है । अब शिक्षित महिलाओं की संख्या 7 प्रतिशत से बढ कर 14 प्रतिशत तक पहुंच गई है ।

परन्तु मैं फिर भी यह निवेदन करना चाहूंगी कि सारे कानूनों के बावजूद, सारे आर्थिक उपायों के बावजूद तथा सारे शिक्षा कार्यक्रमों के बावजूद महिलाओं की प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं है । इसका कारण यह है कि पुरुष लोग उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देते । इसलिए यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि हमें शिक्षा महिलाओं को देनी है या कि पुरुषों को ।

महिलाओं को बराबरी का स्थान दिलाने के लिये राज्य नीति के निदेशक तत्वों, संवैधानिक उपबन्धों के अतिरिक्त बाल विवाह अवरोध अधिनियम, जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, द्विविवाह निवारण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम और ऐसे कई सामाजिक विधान जो बनाये गये है वे सभी इतने प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुए है । इसका क्या कारण है ?

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : माननीय श्रम मंत्री ने विधान लाने का जैसे आश्वासन दिया है वैसे ही विधि मन्त्री ऐसा आश्वासन दे दें ।

डा० सरोजिनी महिषी : श्रम मंत्री जो विधान ला रहे हैं उसका विधि मंत्रालय ने ही अनुमोदन किया है । इस दिशा में और भी उपाय किये जा रहे है । सामाजिक विधान को प्रभावी ढंग से तभी क्रियान्वित किया जा सकता है जब हमारा समाज प्रबुद्ध हो । इस दिशा में भी हमें प्रयत्न करने होंगे ।

महिला की प्रतिष्ठा सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की है कि दहेज देने वाले और दहेज लेने वाले दोनों व्यक्तियों को अधिनियम के अन्तर्गत अपराधी माना जाये और इस अपराध को संज्ञेय अपराध करार दिया जाये । इस दिशा में कुछ कठिनाइयां हैं । जैसा कि प्रधान मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया है कि इस दिशा में सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं । विधि मंत्रालय इस कार्य में सभी मन्त्रालयों के साथ सहयोग करने के लिये सदा तत्पर रहेगा ।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलढाना) : महिलाओं की प्रतिष्ठा को बढाने के प्रयोजनार्थ यह जो संकल्प श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने पेश किया है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं ।

वर्ष 1975 को अन्तर्राष्टीय महिला वर्ष घोषित करके संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भर में महिलाओं की महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर सब का ध्यान दिलाया है। हमारे देश में स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं की प्रतिष्ठा में निश्चय ही सुधार हुआ है। भारत के इतिहास से भी हमें पता चलता है कि सभी समाज सुधारक महिलाओं को सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा दिलाने के लिये पूरे प्रयत्न करते रहे। यह भी सच है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिये और उनके शैक्षिक तथा सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये संसद् तथा विधान मंडलों ने कई विधियां बनाई है। इस के बावजूद वास्तविकता यह है कि इस देश में अधिकांश महिलायें सामाजिक कुरीतियों की शिकार हैं। यहां पर समान सिविल विधि का न होना भी एक कारण है।

. हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में हुई उन्नति के कारण आज कई महिलायें जीवन के सभी क्षेत्रों में, सभी व्यवसायों में और प्रशासनिक सेवाओं में जिम्मेवार स्थानों पर कार्यरत हैं। हमारे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में 24,000 तथा विद्यालयों में लगभग 94,000 स्नातक महिला अध्यापक हैं। 20,000 से अधिक स्नातक और स्नातकोत्तर महिलायें डाक्टर हैं। इस के बावजूद आज केवल 18.7 प्रतिशत भारतीय महिलायें साक्षर हैं। महिलाओं की सभी कठिनाईयों को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि उन में शिक्षा का विस्तार किया जाय। अत: इस वर्ष युवतियों के लिये प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा को भी अनिवार्य और नि:शुल्क करार दे देना चाहिये। देश के सभी ज़िलों में, तकनीकी शिक्षा का भी प्रबन्ध किया जाना चाहिये ।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार महिलाओं को विरासत में आई सम्पत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है। अविवाहित महिला, विधवा या तलाकप्राप्त पत्नी दत्तक ग्रहण कर सकती है। विधियां तो बहुत है परन्तु इनको उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। यदि सरकार पारित की गई विधियों को कड़ाई से क्रियान्वित करती तो महिलाओं की प्रतिष्ठा में बहुत सुधार हो जाता।

विवाह और तलाक के क्षेत्र में महिलाओं को कई समाजिक और धार्मिक कुरीतियों का शिकार होना पड़ता है। महिलाओं के अधिकारों सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि साक्ष्य देने वाली अधिकांश मुसलमान महिलाओं ने कहा है कि वे एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा के विरूद्ध है। सार्वजनिक राय का आदर किया जाना चाहिये और इस कुरीति को शीघ्र ही समाप्त कर दिया जाना चाहिये ।

दहेज प्रथा तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा समाज प्रबुद्ध नहीं हो जाता। इसको समाप्त करने का एक ही उपाय है। वयस्क विवाह और प्रेम विवाह। जब मातापिता के माध्यम से कोई विवाह ठहराया जाता है तो उसमें दहेज की भी व्यवस्था होती है। यदि यह कार्य युवक युवतियों पर ही छोड़ दिया जाये, तो मेरे विचार में यह प्रथा स्वत: समाप्त हो जायेगी।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : इस में कोई सन्देह नहीं है कि प्राचीन काल में महिलाओं का बड़ा आदर किया जाता था । यहां तक कि उनकी पूजा भी की जाती थी और उन्हें पुरुषों के बराबर समझा जाता था । पूजा और अन्य संस्कारों में महिलाओं का उपस्थित होना अनिवार्य था। तत्पश्चात् परिस्थितियों ने पलटा खाया और इनकी प्रतिष्ठा में अन्तर पड गया और पुरुषों ने इनके अधिकारों और विशेषाधिकारों में कमी कर दी । यह एक सौभाग्य की बात है अब हमने उन्हें पुनः वही दर्जा देने की बात सोची है । मानवीय दृष्टिकोण अपना कर हमें उनका आदर करना चाहिय, उन्हें बराबरी के अधिकार मिलने चाहिये और उनके साथ शिष्ठता और बराबरी के आधार पर व्यवहार करना चाहिये।

सर्व प्रथम हमें इन समस्याओं से अवगत होना होगा । महिलाओं का अपना सामाजिक स्तर है और स्वतंत्र व्यक्तिव है जिसका विकास किया जाना चाहिये । अतः यह प्रश्न मानवीय व्यवहार का प्रश्न है । जब हम सब के साथ मानवीय व्यवहार करना सीख जायेंगे, तो फिर हमें किसी विधान की भी आवश्यकता नहीं पडेगी । यह ठीक है कि विधान एक महत्वपूर्ण योगदान करता है, किन्तु इस मामले का सम्बन्ध उदार शिक्षा से है जो न केवल औपचारिक शिक्षा संस्थाओं में ही दी जाती है परन्तु परिवार में इसका स्वतः प्रसार होता रहता है । यदि कोई पति अपनी पत्नी का सम्मान करेगा तो उसके बच्चे भी अपनी मां का सम्मान करेंगे । यह शिक्षा तो हमें न केवल परिवार में ही परन्तु विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी अदृश्य रूप से मिलती रहती है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपने रवैये में परिवर्तन लाना होगा। महिलाओं की समस्याओं के प्रति हमें मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। मैं नहीं कहता कि समाजिक विधान द्वारा इस रवैये को नहीं बदला जा सकता । हां, इतना जरूर कहूंगा कि समाजिक विधान से पहले उदार शिक्षा का प्रसार करना और प्रबुद्धता का होना अत्यावश्यक है ।

इस सब के बावजूद यह समस्या अर्थिक अवसरों और आर्थिक परिस्थितियों से जुडी हुई है । आज मेरे अपने राज्य गुजरात में महिलाओं सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड गई है । आज गुजरात में, ग्रामीण क्षेत्रों में, 3, 4 प्रतिशत महिलायें पढी लिखी है और नगरों में 20 से 25 प्रतिशत महिलायें पढी लिखी हैं। एक ही राज्य में इतनी अधिक विषमता है ।

गुजरात राज्य में कई महिलायें जीवन से तंग आकर आत्महत्या कर रही है। यह कितनी शर्म की बात है । इस समस्या को हल करने के लिये हमें महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वाधीन बनाना चाहिये । उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने चाहिये, उनकी शिक्षा के लिये तो हमें शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये । महात्मा गांधीजी कहां करते थे कि यदि हम एक युवति को पढा लिखा कर शिक्षित कर सकते हैं, तो यह काम 10 वे युवकों को शिक्षित करने के बराबर है क्योंकि परिवार में एक ही युवति के शिक्षित होने से वहां के वातावरण में बडा सुधार हो जायगा । इसी-लिये महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी ने ग्रामों में शिक्षा का प्रसार करने का कार्य अपने हाथ में लिया था ।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में इस दिशा में हमें अग्रेसर होना चाहिये क्यों कि इसने हमे एक अच्छा अवसर प्रदान किया है । मुझे आशा है कि हम आगामी कई दशकों में अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये दिन प्रति दिन प्रगति करते हुए तेजी से आगे बढते चले जायेंगे ।

[श्री. पी. जी. मावलंकर]

मैं संकल्प का पूर्णतया समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थायें, पुरुष और महिलायें मिलकर इस समस्या पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करेंगे ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : इस अन्तर्राष्टीय महिला वर्ष में महिलाओं का उद्धार करने की इतनी बडी समस्या पर विचार करना कितना समायिक है । जब तक महिलायें देश में बड़े बड़े पदों पर आसीन नहीं हो जाती, तब तक समाज में उन्हें अधिक अच्छा दर्जा नहीं प्राप्त हो सकता। सोवियत रूस में लेनिन ने कहा था कि जिन महिलाओं ने क्रान्ति में पुरुषों के साथ मिलकर कार्य किया है उन्हें समाज में उचित स्थान मिलना चाहिये । खेद है कि हमारे देश में महिलाओं की दशा बहुत दयनीय है। मैं तो यह कहूंगा कि संसार भर में महिलाओं की दही दशा है । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कि रिपोर्ट में बताया गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को एक ही काम के लिये आधी मजदूरी मिलती है । मैंने जनजाति क्षेत्रों में देखा है कि महिलायें पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक काम करती हैं परन्तु पुरूषों की तुलना में आधी से भी कम मजदूरी दी जाती है । खेद है कि राजस्थान में इस अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में खाद्य के लिये हरिजन महिलाओं को बंधक रखा जा रहा है ।

समाजवाद के इस काल में किसी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी जाति का ही क्यों न हों, चाहे वह मंत्री या मुख्य मंत्री या राजपाल या भारतीय प्रशासन सेवा या भारतीय विदेश सेवा का कोई अधिकारी ही क्यों न हो, एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार देना समाजवाद का विरोध करना है क्योंकि समाजवाद हर व्यक्ति को बराबर का दर्जा प्रदान करता है ।

दहेज के लेन देन को संज्ञेय अपराध बना दिया जाना चाहिये । यदि वर भारतीय प्रशासन सेवा या भारतीय विदेश सेवा का कोई अधिकारी हों, तो दहेज कम से कम एक लाख रुपये का होना चाहिये । अतः इसे संज्ञेय अपराध बना दिया जाना चाहिये।

आज हमें पत्रिकाओं आदि में महिलाओं के नंगे चित्र देखने को मिलते हैं । ऐसी पत्रिकाओं पर रोक लगा दी जानी चाहिये । कुछ पत्रिकाओं में महिलायें अपने निजी जीवन की घटनाओं में अपने पापों को स्वीकार करती हैं । क्या ऐसी पत्रिकायें हमारी बहिनों के लिये अच्छी हैं । हमें ऐसी पत्रिकाओं के विरुद्ध विद्रोह कर देना चाहिये। क्या हम इन बातों को रोक नहीं सकते हैं । जब तक महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिये जायेंगे तब तक इस समाज में उनके साथ कोई अधिक अच्छा व्यवहार होने की कोई सम्भावना नहीं है ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : हमने महिलाओं की समस्या पर बडे अनुदार और संकीर्ण दृष्टिकोण से विचार किया है । अभी तक दो दृष्टिकोण रखे गये है एक तो यह कि महिलाओं का उद्धार समाजवाद के आधार पर किया जाना चाहिये। दूसरा दृष्टिकोण श्री जगन्नाथराव जोशी और राज्य विधि मंत्री डा० महिषी ने रखा है। इस के लिये उन्होने शास्त्रों, इतिहास और संस्कृत के ग्रंथों का सहारा लिया है और कई उद्धरण पेश किये है । जब हम ऐसे उद्धरण पेश करते है तो ये उन महिलाओं को, जिनकी संख्या बहुत कम है, ध्यान में रख कर किये जाते है । इनका सम्बन्ध प्रतिष्ठित वर्गों की उन महिलाओं से है जिनका जीवन स्तर पहले ही काफी ऊंचा है

और उनका दृष्टिकोण बिल्कुल ही भिन्न है । शेष 90 प्रतिशत महिलाओं की दशा पर इनका कोई प्रभाव नही पडता है । यदि हम इस वर्ग की महिलाओं का चाहे वे मुसलमान, इसाई या हिन्दू हों, चाहे वे हरिजन हों, उद्धार करने के लिये कोई विधान बनाना चाहते है तो हमें इस समस्या की जड में जाना होगा । जिससे इस के कुछ व्यावहारिक परिणाम निकल सकें ।

मैं नारी को सम्पूर्ण विकास का केन्द्र मानकर पुरुष तथा नारी के मध्य समानता के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाये जाने के पक्ष में हूं । जब तक हम एक ऐसा ढांचा नहीं बना पायेंगे जिसमें नारी न केवल अपने अधिकार प्राप्त कर सके वरन उनका उपयोग भी कर सके, तब तक हम प्रगति नहीं कर सकेंगे ।

एक ठोस सुझाव यह है कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं की बहुसंख्या रखी जाये क्यों कि उन्हें और अनेक स्थानों पर जाना नहीं होता । एक सतर्कता समिति बनायी जानी चाहिए जो न केवल इस अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान वरन दस वर्षों तक महिलाओं के हितों की देखभाल रख ।

अब समाज नारी को गतिहीन बनाये नहीं रख सकता । इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए हमें पुराने दृष्टिकोण को बदलना होगा । इस संकल्प के प्रस्तुतकर्ता की भावनाओं को देखते हुए मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं परन्तु कृपया 'यथासम्भव' शब्द उसमें से अवश्य निकाल दिये जायें । यह संकल्प महिलाओं, माताओं, तथा बहिनों के हितों को ध्यान में रखते हुए अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : When the Prime Minister was speaking, I expected that she would make some important announcement for women. But it is matter of great regret that she did not spell out any concrete programme for this year.

The Committee on the Status of women has in their Report dealt with the question of education and has expressed the view that in spite of the expansion of education the formal system of education has covered only 10 percent of the total female population. The Committee has also observed that the number of illiterate women has increased from 61 million in 1950-51 to 215 million in 1970-71. Under the circumstances let the Education Minister declare today that a girl's schools will be opened in each village and that secondary education will be made free for them.

The Committee has also stated that the percentage of polyandry among the Hindus is more than that among the Muslims in spite of the fact that polygany is illegal among Hindus but legal among Muslims. While considering this question Government should keep before them this aspect also.

श्रीमती शीला कौल (लखनऊ) : आश्चर्य है कि वर्तमान समस्या को नारी के कष्टों का आज बोध हो पाया है । मैने यह जो कहा है कि महिलाओं को कष्टों का सामना करना पडता है, उससे मेरा आशय न केवल भारतीय महिलाओं वरन् विश्व भर में महिलाओं को मिलने वाले कष्टों से है । उन्हें पुरूष के हाथों अनेक कष्ट भुगतन पड़े है । पुरुषों को इस दिशा में शिक्षित करना होगा ताकि वे महिलाओं के प्रति अपना रवैया बदल सकें । नारी को पैर पोंश या बिस्तरबन्द नहीं समझा जाना चाहिए । जो कि जब चाहें जहां चाहें ले जायें या फेंक दें । पुरुषों को नारी के प्रति अपना 'भूस्वामित्व' वाला रवैया बदलना चाहिए क्यों कि नारी अब भविष्य में और आगे कष्ट भोगना नहीं चाहती । इस सम्बन्ध में जो भी कानून बने है उन्हें सच्चे अर्थों मे क्रियान्वित किया जाना चाहिए ।

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Wealfare and Department of Culture (Shri Arvind Netam) : We all agree that the present condition of women in the country is not satisfactory. But certainly it is far better than in the past.

No doubt, there are many disparities between men and women and they have got to be removed. In this International Women's Year, all of us should make a joint effort in this direction. However it must be borne in mind that these disparities cannot be removed overnight since they have been existing for centuries.

If the majority of women are backward today, it is because of their being uneducated. Education is very necessary to bring about equality in any society. Without education nobody can understand the importance of his rights and duties, whether it is a man or a woman.

So far as percentage of literacy is concerned, certainly it has not kept pace with the growth of population. Still the percentage of literacy has gone down from 15.34 in 1961 to 21.48 in 1971.

Shri Limaye has suggested that more schools should be opened for girls. If we compare the present position with that in 1947, it will become clear that there has been considerable increase in the number of women graduates, doctors, scientists and even women engineers during the last 20 years. So it is not the case that there has been no increase in the percentage of literacy among women. But certainly it is not keeping pace with the growth in population.

Some members have said that in many schools, especially those run by the Government of India, there is no co-ecducation. It is not correct. In all the Central Schools, co-education exists there. Apart from this, there are several schemes under different Ministries for expansion of education among women. In the Fifth Plan there is provision for non-formal education for females of the age-group of 15 to 20 years. It is hoped that in the Fifth Plan 200 local centres will be opened which would cover 6000 women.

Shrimati Roza Deshpande has complained about the vocational institutes of Maharashtra. It is not correct to say that they are there only to remain on paper. Of the Government polytechnics, 25 are exclusively for women. Apart from that there is a programme for women's training in 45 engineering and non-engineering trades under the Director General of Employment and training. Thus special care is being taken for the vocational training of women.

Some Members have talked about the working women's hostels. Last year, we gave Rs. 52 lakhs for con stiuction of 45 hostels and this year we have provided Rs. 60 lakhs for this purpose. We have also provided Rs. 5 lakhs for mobile creches and Rs. 28 lakhs for family and child welfare.

Some Members have raised the point of social legislation. Various laws, such as the special Marriage Act, have been passed by the Government. There may be some drawback in these laws, but it will be wrong to say that they are altogether useless. The real difficulty is that their impelmentation has not been in proper form. For proper implementation of these laws, it is necessary to create awakening among the people. So long as there is no awakening among the people, any change in the laws will not help us.

It has been said that among the Adivasis there are some very good customs and conventions in regard to marriage, dowry and divorce. This is a fact and I would like that the educated people should learn something from them.

Some Members have laid emphasis on the fact that we must have some concrete programmes in this International Women's Year. In my opinion, instead of having any concrete programme it would be a great thing if we create some awakening in our society in the course of this year. In this regard, a national Committee has been set up under the chairmanship of our Prime Minister and some programmes have been chalked out from the block level to the lowest level. My Ministry has set up an inter-departmental coordination Committee to watch the progress of the various programmes undertaken from time to time in the International women's year.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मेरा उदेश्य बहुत सीमित था । क्यों कि यह अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है, इस लिए मेरी इच्छा थी कि इस पर प्रथम बार चर्चा हो जाये । मेरा उद्देश्य तो काफी अच्छी तरह पूरा हो या है । इस मामले पर 22 माननीय सदस्यों ने वाद विवाद में भाग लिया है और मैं उन सबका आभारी हूं कि उन्होने इस विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किये है । परन्तु सरकार के व्यवहार पर मुझे बहुत निराशा हुई है । मेरा प्रस्ताव तो उसी सन्दर्भ में ही है जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बारे में संकल्प स्वीकार किया गया है । भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है । अब यह भी स्पष्ट हुआ है कि जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है और जिसे सरकार का समर्थन प्राप्त है, वह उस संकल्प से भी अधिक अस्पष्ट है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारित किया है । जब एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाने प्रस्ताव पारित कर दिया तो सामान्यतः हमारा विचार था कि कुछ किया जायेगा । जब इस संस्था के सदस्य देशों को कहा जहा जा रहा है कि वे प्रस्ताव को क्रियान्वित करें तो संकल्प भी स्पष्ट होना चाहिए और निश्चित भी । इस दृष्टि से मुझे बहुत ही निराशा हुई है ।

संकल्प में 'यथासम्भव' शब्द जोड देने की सरकार की इच्छा है, परन्तु मेरे विचार से यह जरूरी नहीं है । सबको इस बात का अहसास है कि यह तो होता ही है । सभा में संकल्प पारित करके तो सब कुछ नहीं हो जायेगा और वह भी एक वर्ष में। यह संघर्ष तो शताब्दियों से चल रहा है और अभी कई दशकों तक और चलेगा। मेरी इच्छा यह है कि यहां को ऐसा संकल्प पारित करते जिससे प्रगतिशील शक्तियों को प्रोत्साहन मिले । यही शक्तियां ही बाहर इस उद्देश्य के लिए लड रही हैं ।

इस सारी चर्चा में एक विशेष बात हुई है कि माननीय मंत्री ने आश्वासन दे दिया है कि महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों जैसा ही वेतन मिलेगा और इसके लिए शीघ्र एक विधेयक प्रस्तुत किया जायगा । शायद यह इसी सत्र में ही हो जाये। इसके अतिरिक्त और भी कई मामले है जिन पर मैं चाहता था कि निश्चित आश्वासन दिए जायें । यह सम्भव नही हो पाया। मुझे आशा थी कि डा० सरोजिनी महिषी कम से कम यह तो कह ही देंगी कि विधि आयोग जो अपना 59 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और उसमें उन्होने विशेष हिन्दू विवाह अधिनियम तथा विशेष विवाह अधिनियम में कुछ संशोधनों की सिफारिश की है, उस पर बडा सक्रिय रूप से विचार हो रहा है । परन्तु इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया।

प्रधान मंत्री तक ने इस बारे में विशेष कुछ नहीं कहा । उन्होने कुछ अच्छे वाक्य बोले है और कुछ अच्छी भावनाओं को व्यक्त किया है परन्तु हम चाहते थे कि वह सरकारी तौर पर कोई आश्वासन देतीं ।

[श्री इंद्रजीत गुप्त]

म इस बात से सहमत हूं कि महिलाओं के अधिकारों को मनवाने के लिए हमें सरकार पर ही मुख्यत: अश्रित नहीं रहना है । इसे तो जागृति और आत्मा की आवाज के आधार पर ही चलाया जाना है । इसके लिए यदि सरकार कुछ नहीं करती तो जन संगठनों को यह काम अपने हाथ में लेना होगा ।

आजकल हम चुनाव प्रणाली में सुधार के विषय में सरकार से बातचीत कर रहे हैं । हमारा दल इस बात पर जोर देगा कि कम से कम 15 प्रतिशत स्थान लोक सभा में महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे जाने चाहिए । लोक सभा में सदस्यों की कुल संख्या 525 है और 70 से 75 महिलाएं तक नहीं चुनी जा सकी। इस स्थिति में केवल बातें करने से कोई लाभ होने वाला नहीं ।

यदि मैं अपने संकल्प को मूल रूप में पारित करने पर दृढ रहुंगा तो इसके बहुमत से अस्वीकृत हो जाने की सम्भावना है । अत: मैं इस निष्कर्ष पर आया हूं कि मैं श्रीमती सावित्री श्याम द्वारा प्रस्तुत संशोधन को मान लूं जो कि मेरे लिए प्रसन्नता की बात तो नहीं है । मैं चाहता हूं कि यहां पर कुछ किया जाये जो अभिलेख में अंकित हो ताकि कम से कम सरकार तो एक सुस्पष्ट वैधानिक तथा प्रशासनिक उपायों के प्रति वचन बद्ध हो जाये ।

सभापति महोदय : संकल्प को सभा के मतदान के लिए रखने से पहले, इस सभा को श्री नायक और श्रीमती सावित्री श्याम के संशोधन निपटाने होंगे ।

श्री बी० वी० नायक : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

(The amendment was, by leave withdrawn)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

कि इस संकल्प में,—

(i) "छूटकारा" के पूर्व "यथासम्भव" अन्तस्थापित किया जाये;

(ii) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से, विवाह तथा तलाक विधियों, दहेज प्रथाओं, प्रसूति और बाल कल्याण तथा समान कार्य के लिए असमान वेतन शिक्षा और रोजगार के अवसर, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा श्रमजीवि माताओं की सुविधाओं के क्षेत्र में " **का लोप किया जाये।**" (संशोधन संख्या 4)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(The motion was adopted.)

सभापति महोदय : मैं संशोधित रूप मे संकल्प सभा में मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है कि :

"संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1975 को 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष' घोषित किये जाने के अवसर पर, यह सभा प्रधान मंत्री से आग्रह करती है कि भारतीय, महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक अन्याय, अनर्हताओं और भेदभाव से

जिनसे वे अभी तक पीडित है, यथा संभव छुटकारा दिलाने के लिए विशेष विधायी एवं प्रशासनिक उपाय करने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया जाये।"

संकल्प, संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

(THE RESOLUTION AS AMENDED WAS ADOPTED)

नेताजी सुभाषचंद्र बोस के लापत होनें सम्बन्धी जांच आयोग कें प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प

RESOLUTION RE : REPORT OF COMMISSION OF ENQUIRY INTO DISAPPEARANCE OF NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE

सभापति महोदय : 11 अप्रैल 1975 को श्री समर गुह ने जो संकल्प पेश किया था उस पर आगे चर्चा जारी रहे। श्री समर गुह अपना भाषण जारी रखे।

श्री समर गुह (कन्टाई): मैं अपना भाषण अगले अवसर पर जारी रखूंगा।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 28 अप्रैल, 1975/8 वशाख, 1897 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, April 28, 1975/*Vaisakha* 8, 1897 (*Saka*)]

भा०स०म०ना—वि०1—17 लोक सभा/75—29-9-75—200

P.L.S. 48. LI.40.75(N)
200

© 1975 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक-422 006 द्वारा मुद्रित ।

© 1975 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NASIK-422 006.